सामाजिक विज्ञान

(आठवीं कक्षा के लिए)

X7Z7Q1

भूगोल भाग

लेखक : श्री शरणजीत सिंह, सहायक प्रोफैसर
संयोजक : श्री रमिंदरजीत सिंह वासु, विषय विशेषज्ञ (भूगोल),
अनुवादक : श्रीमती बलविन्दर कौर
शोधक : श्रीमती अरुणा डोगरा शर्मा
नक्शा कार्य : स. तजिंदर सिंह, लैक्चरार (भूगोल)

इतिहास भाग

लेखक :
डा. मंजु वर्मा
श्रीमती हरदीप कौर
श्री मलकीत सिंह मान
श्री बूटा सिंह सेखों

विषय संयोजक :
1. सीमा चावला, विषय विशेषज्ञ (इतिहास)
शोधक : 1. दविंदर कौर, लैक. इतिहास
2. परमजीत कौर, एस.एस. मिसट्रैस
अनुवादक : श्रीमती मंजू वर्मा

नागरिक शास्त्र भाग

लेखक :
श्री दर्शन सिंह
संशोधक :
कंवलजीत कौर हुंदल, रिटा. विषय विशेषज्ञ
(राजनीति शास्त्र)

शोधक : 1. हरमिंदर कौर (लैक्चरार)
2. श्री गुरमीत सिंह भौमा (लैक्चरार)
अनुवादक : श्री विजय कुमार
चित्रकार : स. गुरमेल सिंह

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड
साहिबजादा अजीत सिंह नगर

© पंजाब सरकार

संस्करण 2021 .... 9,200 प्रतियाँ

All rights, including those of translation, reproduction
and annotation etc., are reserved by the
Punjab Government.

चेतावनी

1. कोई भी एजेंसी-होल्डर अधिक पैसे लेने के उद्देश्य से पाठ्य-पुस्तकों पर जिल्दबन्दी नहीं कर सकता। (एजेंसी-होल्डरों के साथ हुए समझौते की धारा नं. 7 के अनुसार)
2. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के जाली और नकली प्रकाशन (पाठ्य-पुस्तकों) की छपाई, प्रकाशन, स्टॉक करना, जमाखोरी या बिक्री आदि करना भारतीय दंड प्रणाली के अन्तर्गत गैरकानूनी जुर्म है।

   (पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तकें बोर्ड के 'वाटर मारक' वाले कागज़ के ऊपर ही मुद्रित की जाती हैं।)

मूल्य : ₹ 151.00

सचिव, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन, फेज-8, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर-160062 द्वारा प्रकाशित एवं मैसर्स **मॉडस्ट प्रिन्टरस,** जालन्धर द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा नीति के अधीन नए पाठ्यक्रम तथा उस पर आधारित पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। सामाजिक विज्ञान की यह पुस्तक भारत सरकार के मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय के सुझावों के अनुसार संशोधित हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (NCF 2005) के आधार पर तैयार की गई हैं। इस पुस्तक की पाठय-समग्री की पंजाब करीक्लम फरेमवरक (PCF-2013) के निर्देषों के आधार पर विचार उपरांत संक्षेप, संवेदनशील, विद्यार्थी केंद्रित और राज्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पंजाब के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम की जान-पहचान करवाना हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तीय पुस्तक आठवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। इस पुस्तक का मुख्य केन्द्र भारत और विश्व है। इसे तीन भागों में बाँटा गया है:- (1) संसाधन और इनका विकास (2) हमारे अतीत (3) सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन; जोकि क्रमश: सामाजिक विज्ञान के उप-विषयों-भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित हैं।

यह पुस्तक चाहे क्षेत्र के भिन्न-भिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखवाई गई है फिर भी, शैक्षणिक शाखा में कार्यरत विषय विशेषज्ञों/प्रोजैक्ट अफ़सरों ने अपने-अपने उप-विषय का संयोजन करके विशेष योगदान दिया है। पुस्तक के चित्र/मानचित्र श्री गुरमेल सिंह संयोजक, आर्ट सैल तथा तजिंदर सिंह, लैक्चरार द्वारा तैयार किये गये हैं।

पुस्तक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। क्षेत्र से आए उचित सुझाव धन्यवाद सहित स्वीकार किये जायेंगे।

चेयरमैन
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड
मोहाली।

विषय सूची

पाठ संख्या	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या
	भाग - I संसाधन तथा इनका विकास	
1.	संसाधन—प्रकार और संभाल	1
2.	प्राकृतिक संसाधन	7
3.	खनिज एवं ऊर्जा संसाधन	22
4.	हमारी कृषि	38
5.	औद्योगिक विकास	63
6.	मुख्य उद्योग	74
7.	मानवीय संसाधन	92
8.	आपदा प्रबन्धन	105
	भाग - II हमारा अतीत- III	
9.	कहाँ, कब तथा कैसे	121
10.	भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना	126
11.	प्रशासकीय संरचना, बस्तिवादी सेना तथा सिविल प्रशासन का विकास	136
12.	ग्रामीण जीवन तथा समाज	141
13.	बस्तीवाद तथा कबिलाई समाज	147
14.	हस्तशिल्प तथा उद्योग	153
15.	1857 ई. का विद्रोह	158
16.	शिक्षा तथा अंग्रेज़ी राज्य	168
17.	स्त्रियां तथा सुधार	177
18.	जातिप्रथा को चुनौती	184
19.	बस्तीवाद तथा शहरी परिवर्तन	190
20.	कलाएँ—चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला आदि में परिवर्तन	196
21.	राष्ट्रीय आन्दोलन : 1885-1919 ई.	203
22.	भारत का स्वतन्त्रता संग्राम : 1919-1947	210
23.	स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत	221
	भाग - III सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन	
24.	संविधान तथा कानून	232
25.	धर्म निरपेक्षता का महत्त्व तथा आदर्श के लिए कानून	237
26.	मौलिक अधिकार तथा मानवीय अधिकारों के कारण मौलिक कर्त्तव्य	242
27.	संसद—बनावट, भूमिका तथा विशेषताएँ	248
28.	न्यायपालिका की कार्यविधि तथा विशेषाधिकार	255
29.	सामाजिक असमानताएँ — सामाजिक न्याय तथा प्रभाव	261
30.	सामाजिक क्षेत्र में सरकार के प्रयत्न तथा इनका प्रभाव	269

पुस्तक के बारे में

हस्तीय पुस्तक आठवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (NCF2005) के आधार पर लिखी गई है। पुस्तक को तीन भागों में बाँटा गया है:-

भाग-1 (संसाधन और इनका विकास), मूल रूप में सामाजिक विज्ञान के उप-विषय भूगोल से संबंधित है, में संसाधन और इनके विकास का अध्ययन किया गया है। हमारी पृथ्वी, जो सौर परिवार का मुख्य ग्रह है, ने मानवीय जीवन को आवास के साथ-साथ कई साधन भी उपहार स्वरूप प्रदान किये हैं। इस भाग में इन संसाधनों की विश्व स्तर और भारत के विशेष सन्दर्भ में आधारित बाँट, इनकी सम्भाल और आर्थिक दृष्टि से इनके महत्त्व का अध्ययन शामिल है। एक अन्य पक्ष 'मानवीय संसाधन' जो कि सभी संसाधनों का मुख्य संसाधन है, जिसके अभाव से सारे संसाधनों का कोई महत्त्व नहीं है, इसे भी अध्ययन में शामिल किया गया है। इस भाग में आपदा प्रबन्धन शीर्षक के अधीन एक पाठ सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं और इनसे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, के बारे में जानकारी शामिल है।

भाग- 2 (हमारा अतीत–III), मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन के उप-विषय इतिहास से संबंधित है। इस भाग को 'हमारे अतीत-III' शीर्षक के अधीन पाठ्य-पुस्तक का अंग बनाया गया है। इसमें क्रमानुसार घटित घटनाओं को शामिल किया गया है। इन तथ्यों और घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी को अपने अतीत का ज्ञान हो जायेगा और अपने वर्तमान तथा भविष्य को सँवारने में सहयोग मिलेगा।

भाग-3 (सामाजिक और राजनीतिक जीवन), मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान के उप-विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित हैं। इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन संबंधी जानकारी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकार और इसकी प्रमुख संस्थाओं और उनकी कार्य विधि के बारे में जानकारी देना है। इसका एक अन्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी संवैधानिक मूल्यों को समझें और इन्हें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप में अपनायें।

संयोजक (सामाजिक विज्ञान)

भूगोल

भाग–1

संसाधन तथा इनका विकास

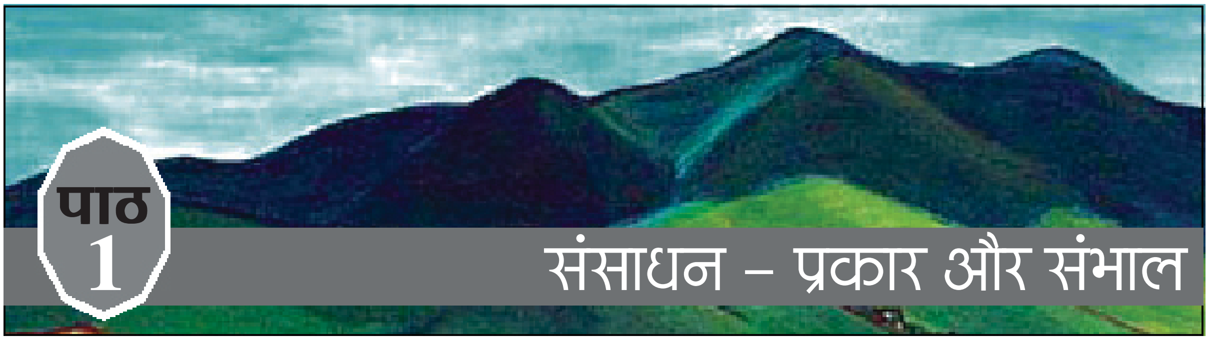

पाठ 1

संसाधन – प्रकार और संभाल

मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उसकी जरूरतों का आरम्भ हुआ। शुरू में उसकी जरूरतें बहुत कम व सीमित थीं जैसे कि खाना–पीना, आराम आदि, परन्तु उसके विकास के साथ–साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती गई। जैसे–जैसे मनुष्य की जरूरतें बढ़ी वैसे–वैसे ही उसने उन जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने आस–पास देखना शुरू कर दिया। उसने प्राकृतिक वस्तुओं जैसे मिट्टी, वृक्ष, पानी और पत्थर आदि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मनुष्य की जरूरतें बढ़ती हुई आज के समय में असीमित हो गई हैं, इसलिए उसे बहुत से साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। मनुष्य अपने आस–पास की परिस्थितियों से अपनी जरूरतें पूरी करने का प्रयत्न करता है। इन परिस्थितियों को ही हम साधनों या संसाधनों (Resources) का नाम देते हैं। इसलिए ऐसे प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा बनाये गये उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, **संसाधन** कहलाते हैं। ये 'संसाधन' मनुष्य के किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। **दूसरे शब्दों में 'संसाधन' वह प्राकृतिक उपहार हैं जो मनुष्य के लिए विशेष महत्व रखते हैं।**

संसाधन, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं जैसे वन, खनिज पदार्थ, नहरें, सौर ऊर्जा व समुंद्र आदि। अप्राकृतिक संसाधन मनुष्य द्वारा पैदा किये जाते हैं जैसे–मशीनरी, यातायात के साधन, कृत्रिम खादें आदि। ये संसाधन भौतिक या अभौतिक भी हो सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और कार्यकुशलता को भी मानव संसाधन कहा जाता है।

संसाधन एक बदलती हुई धारणा है जोकि ज्ञान और विज्ञान के विकास के अनुसार बढ़ती या घटती है। जैसे कोयला या खनिज तेल आदि मानव (Primitive man) के लिए और वायुयान के आविष्कार से पहले एल्यूमीनियम, आधुनिक मनुष्य के लिए कोई अधिक महत्व की वस्तु नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों का उचित प्रयोग (efficient utilisation) ही इनका उचित विकास है। सभी संसाधनों का विकास, मानवीय संसाधनों के विकास पर ही निर्भर करता है।

संसाधन-प्रकार

प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। इन साधनों को जीवन, उपलब्धियों, विकास स्तर और प्रयोग के आधार से नीचे लिखे भागों में बांट सकते हैं।

1. सजीव व निर्जीव साधन (Biotic and Abiotic Resources)
2. विकसित व संभावित साधन (Developed and Potential Resources)

3. समाप्त होने वाले व न समाप्त होने वाले साधन (Exhaustible and Inexhaustible Resources)
4. मिट्टी व भूमि साधन (Soil and Land Resources)
5. समुंद्री व खनिज साधन (Marine and Mineral Resources)
6. मानवीय साधन (Human Resources)

1. सजीव व निर्जीव संसाधन (Biotic and Abiotic Resources)

सजीव संसाधन वे प्रमुख साधन हैं जो जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं। संसार के लगभग 85% खाद्य पदार्थ ऐसी ही वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। जीव जन्तु व पौधे सजीव संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। कोयला और खनिज तेल भी सजीव संसाधनों की श्रेणी में शामिल किये जाते हैं, क्योंकि ये पौधों और जीवों से पैदा होते हैं।

प्रकृति से प्राप्त निर्जीव (Non-living) वस्तुएं जैसे खनिज पदार्थ, जल आदि निर्जीव संसाधन (Non-living) कहलाते हैं। खनिज पदार्थ (Minerals) हमारे उद्योगों का आधार हैं। यदि इन संसाधनों का प्रयोग ध्यानपूर्वक न किया जाये तो यह जल्दी ही समाप्त हो जायेंगे।

2. विकसित और संभावित संसाधन (Developed and Potential Resources)

कोई देश कितना धनी है, इसका अनुमान उस देश में प्राप्त संसाधनों से लगाया जाता है। ये संसाधन पृथ्वी के भीतर या बाहर हो सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, कोयला और पैट्रोलियम पृथ्वी के अन्दर पाये जाते हैं, जबकि वन, जल और सौर उर्जा पृथ्वी के ऊपर पाये जाते हैं। जो संसाधन किसी लाभदायक और आर्थिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाते हैं उन्हें **विकसित (Developed) संसाधन** कहा जाता है। परन्तु दूसरी ओर जो संसाधन होते तो हैं पर उनका कोई प्रयोग नहीं होता, उन्हें **(Potential) संभावित संसाधन** कहते हैं। पर्वतों से नीचे बहती नदियां, बिजली पैदा करने के लिए एक संभावित संसाधन है। जब इन बहती नदियों के जल से बिजली तैयारी की जाती है तो यह जल विकसित (developed) संसाधन कहलाता है। ये वो संसाधन हैं जो प्रयोग करने से कभी भी समाप्त नहीं होते।

पृथ्वी के नीचे दबा हुआ कोयला एक संभावित संसाधन है जबकि प्रयोग में लाया जा रहा कोयला एक विकसित संसाधन हैं।

3. समाप्त होने वाले या न समाप्त होने वाले संसाधन (Exhaustible and Inexhaustible Resources)

समाप्त होने वाले संसाधन (Exhaustible Resources)– वे संसाधन हैं जो अधिक और लगातार प्रयोग करने से समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे देश के विकास के लिए पृथ्वी के नीचे उपलब्ध पैट्रोलियम का आजकल बहुत अधिक तेजी से प्रयोग हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास इन संसाधनों की कमी हो जायेगी और ये समाप्त हो जायेंगे। इसलिए हमें इन समाप्त होने वाले संसाधनों का प्रयोग बहुत ही समझदारी और संकोच के साथ करना चाहिये।

न समाप्त होने वाले संसाधन (Inexhaustible)–ये वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त (Renew) किया जा सकता है। जैसे हम सूर्य की ऊर्जा, वायु, पानी और वनों का प्रयोग कर रहे हैं परन्तु ये समाप्त नहीं होते। बल्कि और पैदा हो रहे हैं या पैदा किये जा रहे हैं। ये संसाधन निरंतर उपलब्ध हो रहे हैं।

4. भूमि संसाधन (Soil and land Resources)

मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह (upper most) है जो चट्टानों के टूटने-फूटने, जलवायु, जीव, पेड़-पौधों के गलने-सड़ने आदि तत्वों के प्रभाव के कारण बनती है। मिट्टी (मृदा) मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है। यह पौधों और फसलों को पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पौधे और फसलें मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। मिट्टी कई प्रकार की होती है। जैसे रेतीली, चिकनी, दोमट, जलौढ़, पर्वतीय, लाल, काली मिट्टी आदि। फसलें पैदा करने के लिए मनुष्य, उपजाऊ मिट्टी को पहल देता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र (Fertile soils), घनी जनसंख्या वाले और आर्थिक क्रियाओं से भरपूर होते हैं।

भूमि (land) का अर्थ ज़मीन, जिस पर मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाऐं या और गतिविधियाँ करता है। मनुष्य बहुत समय से भूमि संसाधनों (land resources) का प्रयोग करता आ रहा है। भूमि संसाधनों का प्रयोग मनुष्य कृषि करने, उद्योग लगाने, यातायात के साधन विकसित करने, विभिन्न खेलें खेलने, सैर सपाटे आदि के लिए करता है। भूमि का प्रयोग उसके धरातल, ढलान, मिट्टी के प्रकार, जल-निकास या मनुष्य की जरूरतों के अनुसार होता है।

5. समुद्री और खनिज साधन (Marine and Mineral Resources)

जल मनुष्य के लिए प्रमुख व महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी का लगातार 71% भाग पानी है। जल के बड़े-बड़े भण्डारों को समुद्र (Seas) का नाम दिया जाता है। ये समुद्र बहुत अधिक भाग में जैविक (Biotic), खनिज (Minerals) और शक्ति संसाधन (Energy resources) प्रदान करते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन, समुद्रों से ही शुरू हुआ। पृथ्वी पर 75% जीव, समुद्रों से ही उत्पन्न हुए। समुद्रों से हमें अधिक भाग में मछलियां, मोती, सीपियां, हीरे-जवाहरात आदि प्राप्त होते हैं। मछलियां संसार की बहुत अधिक जनसंख्या को भोजन प्रदान करती हैं।

खनिज संसाधन पृथ्वी के भीतरी भाग से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। यह मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। धातु (Metallic) खनिज पद्धार्थ व अधातु non-metallic खनिज पद्धार्थ। धातु खनिज पद्धार्थों में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम आदि खनिज शामिल किये जाते हैं। अधातु खनिज पद्धार्थों में कोयला, अबरक, मैंगनीज़ व पैट्रोलियम आदि प्रमुख हैं। खनिज साधन भिन्न-भिन्न प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों से प्राप्त खनिज पद्धार्थ प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किये जाते, बल्कि इनको उद्योगों में साफ करके प्रयोग किया जाता है। खनिज हमारे उद्योगों का आधार माने जाते हैं इसलिए इन्हें अधिक महत्व दिया जाता है।

6. मानवीय संसाधन (Human Resources)

प्रकृति द्वारा पैदा किये गये सब जीवों में से मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। अपनी बुद्धिमता एवं कार्य शक्ति से, मनुष्य अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है और सभी साधनों के प्रयोग में मनुष्य की योग्यता का बहुमूल्य योगदान है। किसी भी क्षेत्र के विकास में, मानवीय संसाधनों के विकास की झलक महसूस की जा सकती है। जापान देश एक बड़ी उदाहरण है जहां बाकी साधनों की कमी या प्राप्त न होने की अवस्था में भी उस देश ने बहुत उन्नति की है। शेष सभी संसाधनों का विकास अधूरा रहेगा, जब तक मानवीय संसाधन पूरी तरह विकसित नहीं होगें। संसाधनों के विकास के लिए मनुष्य के गुण, सामर्थ्य, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के सभी देश अपने मानवीय संसाधनों के उचित प्रयोग में जुटे हुए हैं ताकि वे अन्य संसाधनों का उचित विकास कर सकें।

संसाधनों की संभाल (Conservation of Resources)

संसाधन मनुष्य के लिए प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। मनुष्य इन्हें अपने और अपने देश के विकास के लिए प्रयोग करता है। विकास के मार्ग पर चलता हुआ और दूसरे देशों के साथ मुकाबला करता हुआ मनुष्य बिना सोचे समझे इन संसाधनों को समाप्त कर रहा है। वह यह नहीं जानता कि बहुत से साधन ऐसे हैं जिनका भंडार निश्चित भाग में है, जो एक बार समाप्त हो जायेगा तो हम उसे दुबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे न निर्मित पदार्थ (non-renewable) कोयला और पैट्रोलियम (जिन्हें पूर्ण साधन रूप बनने में लाखों, करोड़ों वर्ष लगते हैं) एक बार समाप्त हो गये तो उन्हें दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

संसाधन व इनकी संभाल (Conservation of Resources) का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। संसाधनों की संभाल से अभिप्राय इनका पूर्ण प्रयोग है जिसमें इनका दुरुपयोग या बिना जरूरत विनाश न हो। दूसरे शब्दों में इनका उचित प्रयोग हो, विकास के लिए हो और लम्बे समय के लिए हो ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी generations इनका आनन्द प्राप्त कर सके। उचित और जरूरत अनुसार इनका प्रयोग ही इन संसाधनों की सही संभाल होगी।

संभाल प्रत्येक साधन के लिए आवश्यक है। परन्तु जो संसाधन दुर्लभ हैं जैसे खनिज पद्धार्थ उनकी संभाल अति आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार यदि जीवांश ईंधन (Fossil oil) जैसे कोयला और पैट्रोलियम यदि इसी गति से प्रयोग होते रहे तो लगभग 80% जीवांश ईंधन एक ही शताब्दी में ही समाप्त हो जायेंगे।

हमें, और संसाधन जैसे मृदा, जल और जंगल आदि सभी की संभाल करनी चाहिये। ध्यान रखा जाये कि इन्हें प्रयोग करते समय व्यर्थ न जाने दिया जाये। दोबारा प्रयोग होने वाले संसाधनों को दुबारा प्रयोग में लाया जाये। संसाधनों का प्रयोग करने वाले का ज्ञान, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाये और उन्हें इन संसाधनों की संभाल के संबंध में जागृत किया जाये।

याद रखने योग्य तथ्य

(Something to remember)

साधन – मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं।

विकास के लिए जरूरत है।

परिभाषा – प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा बनाये गये उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की तीन मूल जरूरतों (रोटी, कपड़ा, मकान)की पूर्ति करते हैं।

प्रकार – सजीव और निर्जीव

विकसित और संभावित

समाप्त होने वाले और न समाप्त होने वाले

मिट्टी और भूमि

समुद्री और खनिज

मानवीय साधन

संभाल – साधन विकास के लिए अति जरूरी हैं।

कई साधन जल्दी समाप्त होने वाले होते हैं।

इनका प्रयोग सही और लम्बे समय तक होना चाहिये। इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

दुबारा प्रयोग होने वाले पदार्थों का दुबारा प्रयोग किया जाये।

संसाधनों का ठीक प्रयोग करने के लिए दुबारा नियम बनाये जायें।

लोगों का ज्ञान शैक्षणिक व तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाये।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में लिखो।

1. प्राकृतिक साधन कौन कौन से है ? ये हमें कौन प्रदान करता है ?
2. साधन कितने प्रकार के हैं ?
3. मिट्टी की परिभाषा लिखो।
4. समुद्रों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है ?
5. साधनों की सही संभाल कैसे हो सकती है ?

II. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखो।

1. सजीव और निर्जीव साधनों में अंतर लिखो।
2. भूमि और मिट्टी संसाधनों के महत्व पर एक संक्षेप नोट लिखो।
3. खनिज पदार्थ हमें कहां से प्राप्त होते हैं और इनका प्रयोग कहां किया जाता है ?
4. विकसित और संभावित संसाधनों को उदाहरण सहित समझाओ।
5. समाप्त होने वाले संसाधनों का प्रयोग हमें समझदारी व संकोच के साथ क्यों करना चाहिए ?

क्रियाकलाप (Activity) :

पंजाब में विद्युत उत्पादक डैमों की सूची बनायें और यह भी लिखें कि यह डैम कौन-कौन सी नदियों पर बने हैं तथा कौन-कौन से जिलों में स्थित है।

पाठ 2 प्राकृतिक संसाधन

भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति और खनिज पदार्थ आदि के रूप में मिले प्राकृतिक खजानों को 'प्राकृतिक संसाधनों' का नाम दिया जाता है। यह संसाधन किसी देश की अर्थ व्यवस्था की 'रीड़ की हड्डी' कहलाते हैं। यह संसाधन किसी देश की शक्ति एवं खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। इस पाठ में हम इन प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत पढ़ेंगे :

I. भूमि संसाधन (Land Resource)

II. मिट्टी संसाधन (Soil Resource)

III. जल संसाधन (Water Resource)

IV. प्राकृति वनस्पति (Natural Vegetation)

V. जंगली जीव (Wild Life)

VI. खनिज और ऊर्जा संसाधन (Mineral and Energy Resources)

I. भूमि संसाधन (Land Resource)

प्रारम्भ से ही मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए भूमि का प्रयोग करता आ रहा है। इसका प्रयोग मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य स्थान रखती है। मनुष्य इसी पृथ्वी पर रहता है और यहीं पर अपनी सभी क्रियाएं करता है। मनुष्य अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर निर्भर करता है। इसी भूमि को मनुष्य अपनी आर्थिक या सभ्याचारिक क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाता है।

हमारी भूमि का लगभग 29% भाग भूमि और 71% हिस्सा पानी है। यह 29% भूमि आगे कई धरातल आधारित वर्गों में जैसे पर्वत, पठार और मैदानों आदि में विभाजित है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं धरातल आधारित रूपों के अनुरूप बदलती रहती हैं। विश्व के पर्वतीय भाग मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं हैं। दूसरी तरफ मैदानों में अधिक सघन जनसंख्या मिलती है क्योंकि यहां मनुष्य की लगभग सभी आवश्यक जरूरतें प्राप्त हो सकती हैं।

भारत देश की गिनती दूसरे बड़े देशों में होती है। यहाँ का विशाल आकार इसका एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका क्षेत्रफल 32,87,782वर्ग किलोमीटर है। भारत का लगभग 30% भाग पर्वतीय है। इन पर्वतों को संसाधनों का भण्डार भी कहते हैं। ये सुन्दरता के पक्ष में भी देश के लिए महत्वपर्ण हैं। पठार कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग हैं। इन पठारों से भी हमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन पर कृषि भी की जाती है।

मैदान– कृषि योग्य और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। मैदान, मनुष्य की अनेकों जरूरतें पूरी करते हैं। कृषि और वनस्पति के अनुरूप मैदानी भूमि बहुत ही बहुमूल्य मानी जाती है। कृषि को अनेकों अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं परन्तु 'भूमि' प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भूमि का प्रयोग (Land Use)

भूमि का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। भारत में भूमि का प्रयोग हम निम्नलिखित वर्गों के अनुसार कर सकते हैं।

भूमि प्रयोग
(Land Use)

- **वनों के अन्तर्गत (Land Under Forests)**
- **भूमि के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र (Net Sown Area)**
- **कृषि अयोग्य भूमि (Land Not Available for cultivation)**
- **कृषि के बिना छोड़ दी गई भूमि (Fallow Land)**
- **कृषि योग्य परन्तु व्यर्थ भूमि (Cultivable Waste Land)**
- **चारगाही एवं वृक्षों अधीन भूमि (Land Under Pastures and Plants)**

भारत के क्षेत्रफल का 22.2% भाग वनों के अन्तर्गत आता है। भारत जैसे घनी जनसंख्या वाले देश में 33% क्षेत्र वनों का होना चाहिए। इसी तरह देश में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने चाहिएं और वनों को काटने पर कठोरता से प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

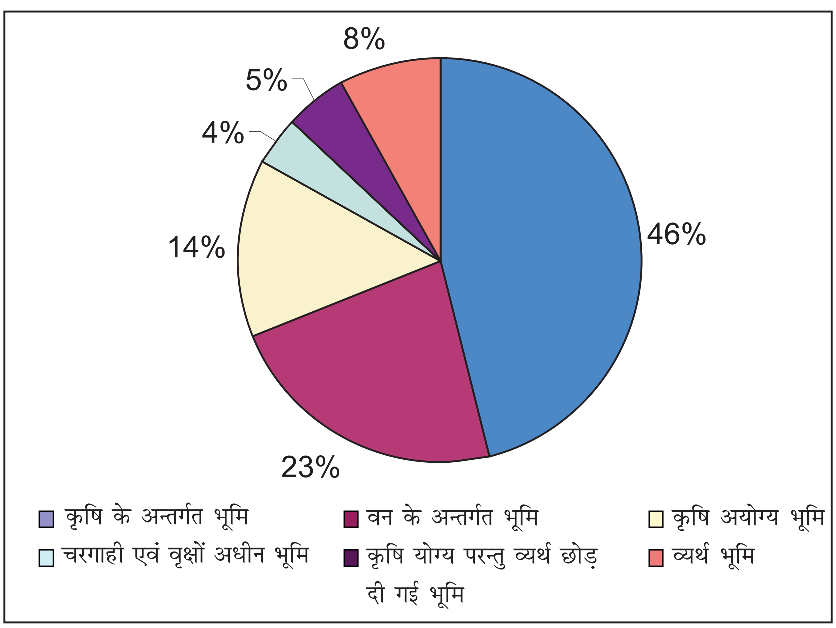

भारत में प्रतिशत भूमि उपयोग

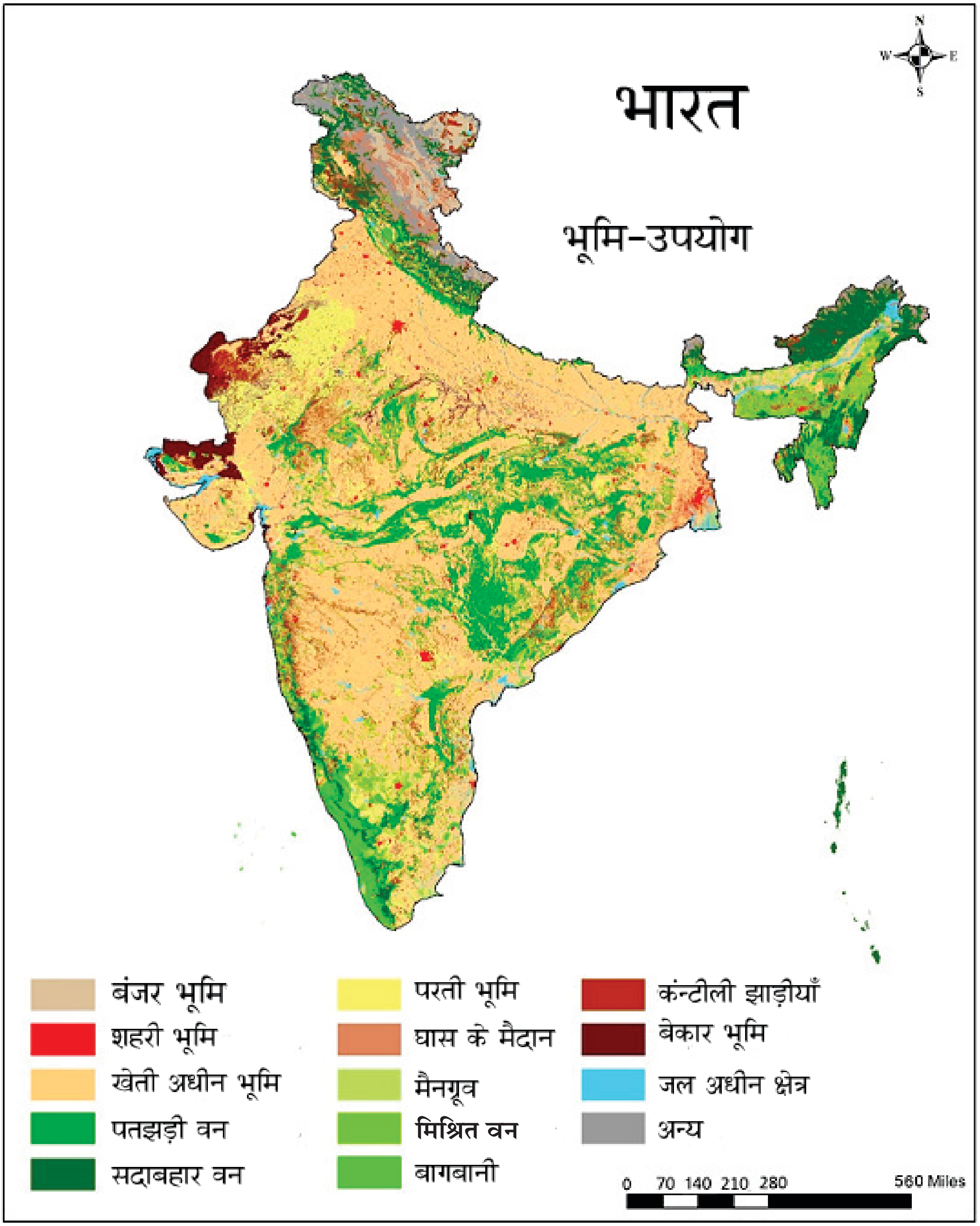
भारत
भूमि-उपयोग
N
W
E
S
बंजर भूमि
शहरी भूमि
खेती अधीन भूमि
पतझड़ी वन
सदाबहार वन
परती भूमि
घास के मैदान
मैनग्रूव
मिश्रित वन
बागबानी
कंन्टीली झाड़ीयाँ
बेकार भूमि
जल अधीन क्षेत्र
अन्य
0 70 140 210 280 560 Miles

भारत में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल 46% है। यह वह भूमि है जहाँ विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार, हमारे देश की कृषि का आधार है। कृषि अयोग्य भूमि पर कृषि नहीं की जाती। ऐसी भूमि गांवों, शहरों, सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों और झीलों ने रोकी हुई है। इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्रफल 14% है और इस श्रेणी में बंजर भूमि भी शामिल होती है।

8% के लगभग भूमि, खेती के बिना छोड़ी हुई है (Fallow-land) इस प्रकार की भूमि पर कृषि तो की जाती है, परन्तु इसे 1 से 5 वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भूमि अपनी प्रयोग हो चुकी उर्वरा (उपजाऊ शक्ति) को दुबारा प्राप्त कर सके।

कृषि योग्य परन्तु खाली छोड़ी भूमि (Cultivable waste land) कृषि योग्य तो होती है परन्तु कुछ कारणों से इस पर कृषि नहीं की जाती। कुछ समय पहले इस पर कृषि की जाती थी, परन्तु इसे जल की कमी, अधिक लवणता, मिट्टी अपरदन, पानी का वहां खड़े रहना या मिट्टी की ऊपर वाली उपजाऊ सतह का घुल जाना जैसे कुछ और कारणों से अब कृषि नहीं की जाती। कुल भूमि का 5% इस श्रेणी में आता है।

कुल भूमि का 4% भाग चरगाहें और पशुओं को चराने (Grazing) के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्षेत्र पशुओं को चराने के लिए काफी कम है।

भूमि एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सीमित साधन है। इस साधन को और बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाये।

II. मिट्टी (मृदा) संसाधन (Soil Resources)

पौधे को पनपने और वृद्धि के लिए मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक जैविक और आगे वृद्धि वाला साधन है इसे प्राकृतिक और रासायनिक उर्वरा द्वारा ताकतवर बनाया जा सकता है। मिट्टी की रचना हर समय होती रहती है। मिट्टी की रचना में और कई तत्व अपना योगदान डालते हैं। इन तत्वों में प्रमुख चट्टानें, जलवायु, पौधे और अन्य जीव आदि हैं। समय भी मिट्टी को बनाने में बहुत योगदान डालता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें देश के 65% से 70% तक लोग कृषि करते हैं। इसलिए ऐसे देशों के लिए मिट्टी जैसे संसाधनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे देश की मिट्टी एक ही प्रकार की नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में प्राय निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।

1. जलौढ़ मिट्टी (Alluvial Soil)– जलौढ़ मिट्टी देश के लगभग 45% भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी हमारी कृषि को प्रफुल्लित करने में बहुत योगदान डालती है। यह मिट्टी नदियों और नहरों के

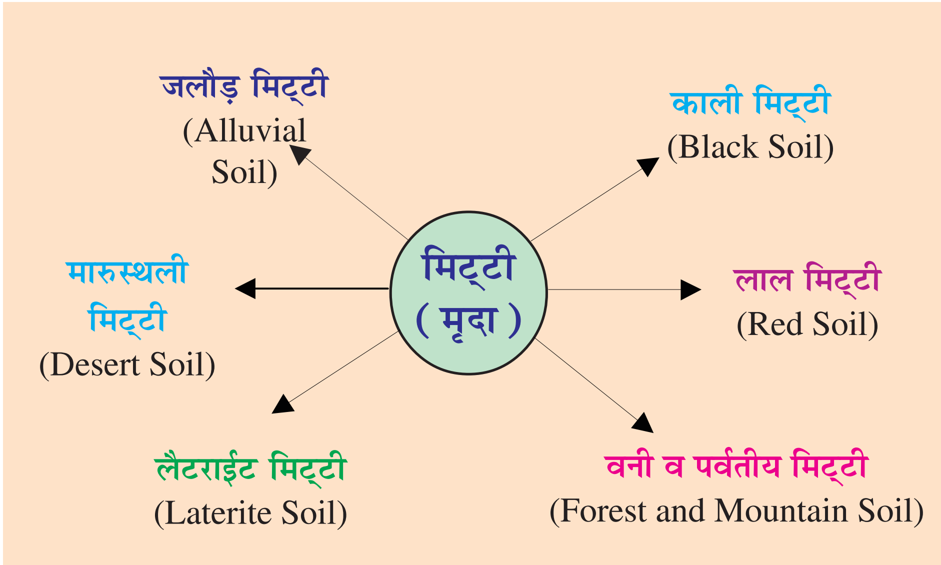

पानी द्वारा बछाई हुई होती है। समुद्र तट के साथ-साथ, समुद्री लहरें भी इस तरह की मिट्टी का जमाव करती हैं। जब बाढ़ आती है तो पानी में घुले छोटे-छोटे कण पृथ्वी की सतह पर जम जाते हैं, यह बारीक कण मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं। जलौढ़ मिट्टी को आगे दो भागों में खादर व बांगर में बांटा जाता है। खादर नई जमी हुई और बांगर पुरानी जमी हुई मिट्टी को कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य जलौढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इस मैदान को सिंध-गंगा-ब्रह्मपुत्र (Indo-Gangetic Brahamputra) का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदानों की रचना, उत्तरी भारत से आ रही तीन नदियों सिंध-गंगा-ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा की गई है। जलौढ़ मिट्टी द्वारा बने यह मैदान कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

2. काली मिट्टी– काली मिट्टी को रेगुर या कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी कपास के लिए अति उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी अग्नि चट्टानों से बनी हुई है और देश के 16.6% भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी प्राय महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्राप्रदेश, गुजरात और तमिलनाडू राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी अपने भीतर नमी को अधिक समय तक समा सकती है और उपजाऊ होती है। कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, तम्बाकू, सूरजमुखी आदि फसलें इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं। यदि सिंचाई का प्रबन्ध हो तो चावल व गन्ने जैसी फसलें भी उगाई जा सकती है। कृषि के लिए काली मिट्टी बहुत ही लाभदायक है।

3. लाल मिट्टी (Red Soil)– देश के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम इसके रंग से जाना जाता है। इस मिट्टी की रचना और रंग इसकी प्रमुख चट्टान पर निर्भर करता है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फासफेट, नाईट्रोजन और जैविक वस्तुओं आदि तत्वों की कमी होती है। फसलें उगाने के उद्देश्य से यह मिट्टी अधिक उपयोगी नहीं होती। परन्तु उर्वरा और अच्छे

सिंचाई प्रबन्ध से कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार की मिट्टी में गेहूँ, कपास, दालें, आलू और फल आदि पैदा किये जा सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी तामिलनाडू, दक्षिण-पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आसाम, नागालैंड, मनिपुर आदि प्रदेशों या उनके कुछ भागों में मिलती है।

4. लैटराइट मिट्टी (Laterite Soil)– यह मिट्टी 90-100% तक लौह अंश, एल्यूमीनियम, टाईटेनीयम और मैगनीज़ के आक्साईड से बनी होती है। प्रायः माना जाता है कि इस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा के कारण इनके उपजाऊ तत्व पृथ्वी की भीतरी परतों में चले जाते हैं और आक्साईड पृथ्वी के ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण, कृषि योग्य नहीं रहती। परन्तु सिंचाई व्यवस्था और उर्वरा उपयोग से यहां पर चाय, रबड़, काफी और नारियल जैसी फसलें पैदा की जा सकती हैं। लैटराइट मिट्टी देश की कुल क्षेत्रफल के 7.5% हिस्से में पाई जाती है। यह पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियां, विंधियाचल सतपुड़ा और मालवा पठार में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और आसाम राज्य के कुछ भागों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।

5. वनी एवं पर्वतीय मिट्टी– यह वनों और पर्वतीय ढलानों में मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में जैविक तत्व अधिक होते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों में भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूने आदि की कमी होती है। इसलिए इसमें कृषि करने के लिए उर्वरा की जरूरत होती है।

6. मरुस्थली मिट्टी (Desert Soil)– इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में पाई जाती है। गुजरात का कुछ भाग भी मरुस्थली मिट्टी के अधीन आता है। यह मिट्टी देश की कुल भूमि का लगभग 4.3% भाग बनती है। इस प्रकार की मिट्टी मे जल जमा करने की समर्था बहुत कम होती है, जल जल्दी से नीचे चला जाता है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में अधिक जल वाली फसलें नहीं उगाई जा सकती। जौं, बाजरा, मक्की और दालें आदि की ही कृषि की जा सकती है। राजस्थान के जिन भागों में पंजाब से जा रही नहरों का पानी मिलना शुरू हुआ है, वहां अच्छी कृषि होनी शुरू हो गई है।

ऊपर दी गई मिट्टी की किस्मों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार हैं जैसे कि दलदली मिट्टी, लवणीय व शोरा सहित मिट्टी। कुल भूमि की तुलना में इन मिट्टीयों की प्रतिशतता बहुत कम है। ऐसी किस्म की मिट्टी भारत के कुछ भागों तक ही सीमित है।

मिट्टी संसाधनों की समस्यायें (Problems of Soil Resources) – मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मनुष्य का खान-पान मिट्टी पर ही निर्भर करता है। कृषि के लिए मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिये। परन्तु इसका उपजाऊपन सदैव स्थिर नहीं रहता। मिट्टी संबंधी कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं :-

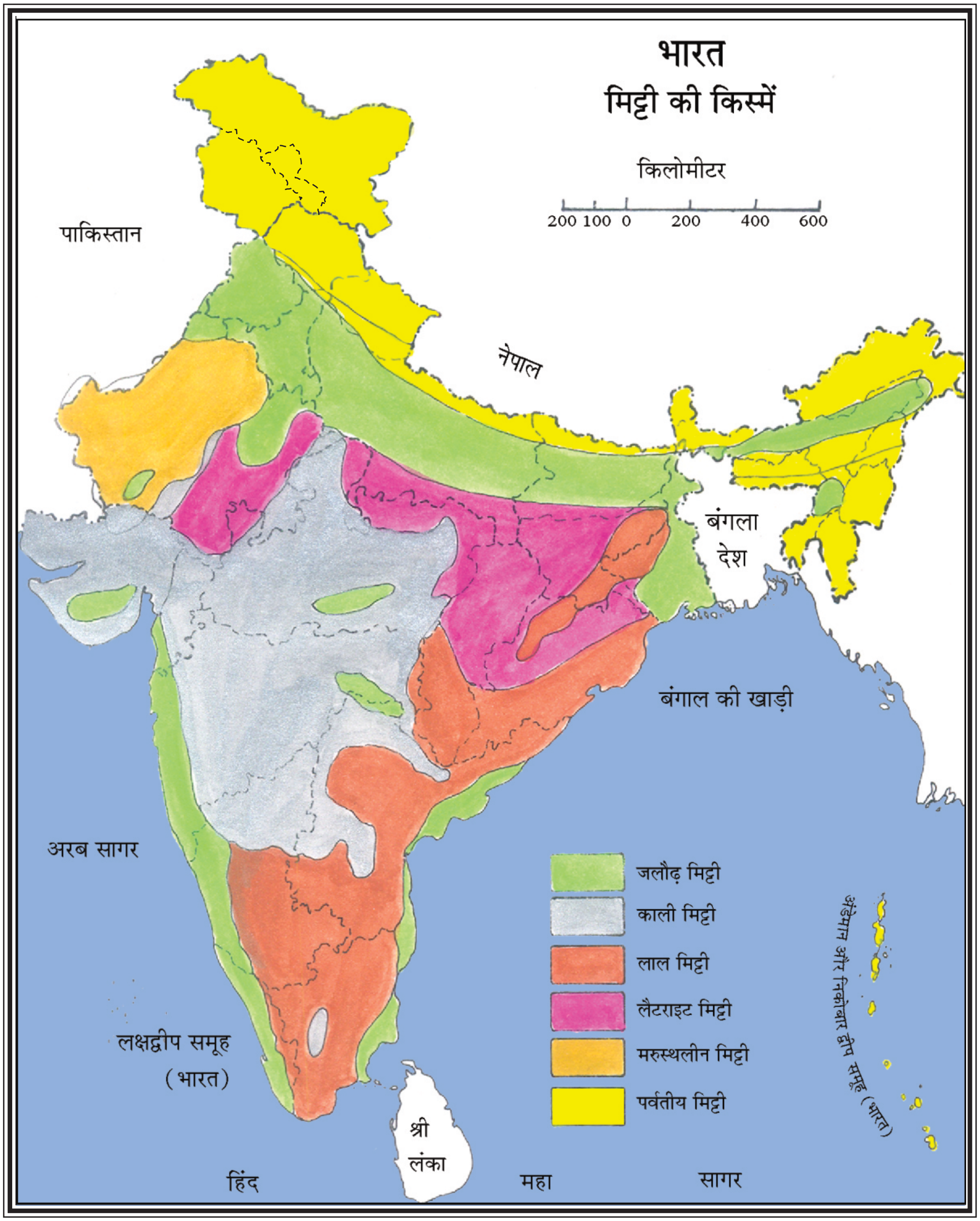
भारत
मिट्टी की किस्में
किलोमीटर
200 100 0 200 400 600
पाकिस्तान
नेपाल
बंगला देश
बंगाल की खाड़ी
अरब सागर
लक्षद्वीप समूह (भारत)
श्री लंका
हिंद महा सागर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
जलौढ़ मिट्टी
काली मिट्टी
लाल मिट्टी
लैटराइट मिट्टी
मरुस्थलीन मिट्टी
पर्वतीय मिट्टी

(I) मिट्टी का अपरदन

(II) मिट्टी का उपजाऊपन कम होना

(III) मिट्टी में रेत कण

(IV) मिट्टी में सेम (अधिक पानी) की समस्या

(V) मिट्टी में तेजाब या लवणता

(VI) मिट्टी की समर्था से अधिक प्रयोग

(VII) मिट्टी में पानी का बना रहना (दलदल घाट)

मिट्टी की सम्भाल (Soil Conservation)– मिट्टी संसाधन के महत्व को देखते हुए हमें इस बहुमूल्य साधन के अपरदन को रोकना चाहिये। बाढ़ को, नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोकना चाहिए। पहाड़ों की ढलानों में पेड़-पौधे लगाये जाने चाहिए ताकि पानी के वेग को रोका जा सके। अधिक पानी का निकास करके सीलेपन (सेम) की समस्या से मुक्त करना चाहिये। बाढ़ को रोकने से मिट्टी अपरदन भी रोका जा सकता है और नदियों के आस-पास पड़ी अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि के गलत ढंगों से भी मिट्टी कमजोर होती है, इसलिए आवश्यक है कि कृषि व्यवस्था अच्छी हो। यदि हम मिट्टी का प्रयोग अच्छे ढंग व समझदारी और संभाल से करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को अधिक समय तक स्थिर कर सकेंगे।

III. पानी (जल) संसाधन (Water Resources)

जल एक बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि पृथ्वी पर जीवन है तो इस पानी के कारण है। जल संसाधन का कोई और बदलता हुआ साधन नहीं है। जल मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पानी पीने के अतिरिक्त नहाने, कपड़े धोने, कृषि, उद्योग और कई और प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल ही है। पृथ्वी को 'जल ग्रह' भी कहा जाता है।

पृथ्वी पर जल विभाजन–

समुद्र, सागर और नमकीन जल वाली झीलें	–	97.20%
बर्फीली चोटियाँ और हिम नदियाँ	–	2.15%
झीलें, नहरें और नदियां	–	0.0085%
वायुमंडल और जीवमंडल में जल	–	0.0015%
भूमिगत जल	–	0.64%

संसार में जल का प्रयोग–

मनुष्य भिन्न-भिन्न क्रियाओं के लिए जल का प्रयोग करता है। कृषि के लिए लगभग 93.37% जल प्रयोग होता है। ग्रामों एवं शहरों में जल सप्लाई कुल प्रयोग का 3.73% है। उद्योग और विद्युत पैदा करने

के लिए और पशुओं के प्रयोग के लिए क्रमशः 1.26% और 1.08% पानी का प्रयोग होता है। शेष और कई प्रकार के प्रयोग के लिए केवल .5% प्रयोग होता है।

मनुष्य के लिए जल स्रोत–

पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सारा जल, मनुष्य अपने प्रयोग के लिए नहीं ला सकता। मनुष्य कुछ सीमित और ताजे जल (Fresh water) के स्रोतों का ही प्रयोग कर सकता है। यह जल स्रोत निम्नलिखित अनुसार है–

(I) वर्षा (Rainfall)

(II) नदियाँ और नाले (Rivers and Streams)

(III) नहरें (Canals)

(IV) तालाब (Tanks)

(V) भूमिगत जल (Underground water)

वर्षा– वर्षा जल पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परन्तु इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भिन्नतायें (variations) पाई जाती हैं। कहीं वर्षा अधिक और कहीं कम पाई जाती है। भारत में 118 सैंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा का सारा जल चाहे मनुष्य के प्रयोग में नहीं आता, परन्तु भूमिगत जल (Underground water) में वृद्धि अवश्य करता है। जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती है वहाँ भूमिगत जल गहरे व लवणीय अवश्य हो जाते हैं।

नदियां और नहरें– नदियों और नहरों ने मनुष्य के विकास के लिए प्रारम्भ से ही योगदान डाला है। प्राचीन समय से ही मनुष्य नदियों और नहरों के आस-पास मानव बसेरे (Settlement) का प्रारम्भ करता रहा है। इन नदियों और नहरों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जो बर्फ के पिघलने से निकलता है और सारा वर्ष बहता रहता है। दूसरा मौसमी या बरसात के जल पर निर्भर करने वाला होता है।

कई स्थानों पर मानव ने नदियों और नहरों पर बांध बनाकर अपनी आवश्यकताओं के लिए नहरों का निर्माण किया है। इन नहरों का जल, कृषि, सिंचाई और मानव के प्रयोगों के लिए किया जाता है। इन नहरों के निर्माण से कृषि की रूपरेखा ही बदल जाती है।

तालाब – तालाब अधिकतर उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ पूरा वर्ष चलने वाली नदियां या नहरों की कमी होती है। भूमिगत जल भी या तो बहुत गहरा या प्रयोग न होने वाला होता है। लोग वर्षा का जल तलाबों में इक्ट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता के समय प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत में तालाब, लोगों के लिए बहुत बड़ा जल साधन हैं।

भूमिगत जल (Underground Water)– मानव के लिए विशेष महत्व रखता है। यह कुंओं और ट्यूबवैलों द्वारा पृथ्वी में से निकाला जाता है। यह जल मुख्य रूप से पीने या सिंचाई के काम आता है। भूमिगत जल, चट्टानों की बनावट और उस प्रदेश में वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है।

जल संरक्षण (Conservation of Water)–पानी का मानव के जीवन में महत्व देखते हुए इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। मुख्य बात यह है कि जल जरूरत से अधिक प्रयोग न किया जाये। सिंचाई

की नई विधियाँ जैसे फुहारों (Sprinkles) आदि का प्रयोग किया जाये। वर्षा के पानी को बांध बनाकर, जमा करके बाद में प्रयोग किया जाये। वर्षा के पानी को भूमिगत कुंओं (Ground Bore) द्वारा भूमिगत जल का स्तर ऊंचा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पुन: प्रयोग (recycling) भी किया जा सकता है। सीवरेज़ का जल साफ करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अन्त में कह सकते हैं कि जल का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि पृथ्वी पर जीव-जन्तुओं और पौधों को जल कम होने का खतरा पैदा न हो जाये।

IV. प्राकृतिक वनस्पति (Natural Vegetation)

प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति की ओर से उपहार है और पुन: उत्पति योग्य की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति-जलवायु, मिट्टी और जैविक तत्वों (biotic factors) पर निर्भर करती है। इन तत्वों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु मुख्य रूप से नमी (वर्षा) और तापमान का सम्मिश्रिण है। वनस्पति का विकास, तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय वन (equatorial forest)क्षेत्रों में बहुत ही सघन वन (dense forest) मिलते हैं। संसार के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। वनस्पति की किस्में प्राय: जलवायु, मिट्टी की किस्मों और समुद्र तल से ऊँचाई पर निर्भर करती है।

प्राकृतिक वनस्पति को जंगल (वन) का नाम भी दिया जाता है और यह मनुष्य को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। लकड़ी का उपयोग ईंधन से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों में होता है जो हमें वनस्पति से ही प्राप्त होता है। कई प्रकार के फल, दवाईयां और विभिन्न पदार्थ हमें वनों या वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं। वन वर्षा लाने में भी सहाई होते हैं।

भारत में वर्षा और तापमान की असमानता होने के कारण अलग-अलग भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृतिक वनस्पति पाई जाती है। भारत की प्रकृतिक वनस्पति या वनों को निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है:

प्रकृतिक वनस्पति

- **सदाबहार जंगल** (Evergreen Forests)
- **पतझड़ी जंगल** (Deciduous Forests)
- **मरुस्थली जंगल** (Desert or Dry Forests)
- **पर्वतीय वन** (Mountaineous Forests)
- **डैल्टाई वन** (Delta Forests)

सदाबहार वन– सदाबहार वन पूरा वर्ष ही हरे भरे रहते हैं। इनके पत्ते पूरी तरह से नहीं झड़ते। इस प्रकार की वनस्पति (200cm) अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार के वन अधिकतर दक्षिण भारत के पश्चिमी तट, बंगाल और आसाम के उत्तर-पूर्व में और हिमालय की निचली ढलानों में पाये जाते हैं। इस प्रकार

के वन कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाये जाते हैं, जहां वापसी मानसून पवनें वर्षा करती हैं। टीक और रोज़वुड आदि वृक्ष हिमालय पर्वत की ढलानों से अैबिनी, नीम और ईमली आदि के वृक्ष कर्नाटक में मिलते हैं।

पतझड़ी वन– इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। पतझड़ी वनों के वृक्षों के पत्ते एक मौसम में झड़ जाते हैं और बसन्त ऋतु में पत्ते पुनः आ जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत में अधिक मिलती है। लेकिन 75 सें. मी. से लेकर 200 सें. मी. वर्षा वाले क्षेत्रों में विशेष रूप में पाए जाते हैं। लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से यह वन बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इन वनों से हमें मुख्यतः साल, टीक, बांस, टाहली और खैर आदि प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है।

मरुस्थली वन–मरुस्थली वन (75 सें. मी.) कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वर्षा कम होने के कारण बहुत ही विरली प्रकार की वनस्पति होती है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन स्थानों पर हमें खजूर, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां भी मिलती हैं। बढ़िया प्रकार की लकड़ी प्राप्त करने के पक्ष में इस प्रकार की वनस्पति अधिक महत्व नहीं रखती।

पर्वतीय वनस्पति–पर्वतीय वनस्पति हमें पर्वतों की ढलानों पर मिलती है। आसाम से लेकर कश्मीर तक हिमालय पर्वत की ढलानों में अनेकों ही प्रकार के वृक्षों से भरी पाई जाती है। इन वनों की लकड़ी, प्रयोग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहां से हमें कई प्रकार की लकड़ी जैसे फर, चील, देवदार, ओक, अखरोट, मैपल और पापूलर आदि प्राप्त होती है। यह महंगी और बढ़िया प्रकार की लकड़ी है। यह लकड़ी इमारतों में, रेल के डिब्बे बनाने में, माचिस और बढ़िया प्रकार का फर्नीचर बनाने के काम आती है। पर्वतीय वनस्पति की पट्टी में कई प्रकार के फल जैसे सेब, बादाम, अखरोट और आलूबुखारा आदि प्राप्त होते हैं।

डैल्टाई वन–डैल्टाई प्रकार की वनस्पति समुद्रों के तटों के समीप मिलती है। नदियों के समुद्रों में प्रवेश करने से पहले डैल्टा का निर्माण करते हैं। जो वनस्पति इन डैल्टों में उगती है उसे **डैल्टाई वनों** का नाम दिया जाता है। गंगा–ब्रह्मपुत्र या दक्षिण भारत की कुछ नहरों के डैल्टाई भागों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। सुन्दरी, नीमा और पाम आदि के वृक्ष यहां मिलते हैं। सुन्दरी वृक्ष की लकड़ी, मनुष्य के प्रयोग के लिए अधिक महत्व रखती है। इस प्रकार की वनस्पति में 'सुन्दरी' के वृक्ष अधिक मिलने के कारण ही गंगा–ब्रह्मपुत्र डैल्टा को 'सुन्दर वन डैल्टा' कहा जाता है।

प्राकृतिक वनस्पति मानव की असंख्य जरूरतों को पूरा करती है। ईंधन और इमारती लकड़ी के अतिरिक्त कागज़ बनाने, नर्म लकड़ी गोंद, गंदा–बिरौजा, तारपीन, लाख, रबड़, चमड़ा रंगने के लिए छिलका, दवाईयों के लिए जड़ी–बूटियां और अनेक प्रकार के फल प्रदान करती है। वन बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों के आवास स्थान हैं। यह बाढ़ में अपरदन और मरुस्थल को बढ़ने से रोकने में बहुत योगदान डालते

हैं। वन वर्षा को लाने में और प्राकृतिक सन्तुलन बनाने में बहुत सहायक है। इसलिए वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए और इनके अधीन वनों का क्षेत्र बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिये।

V. जंगली जीव

जो जीव जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जीव कहा जाता है। जंगल, इन जीवों का प्राकृतिक घर माना जाता है। ये जीव-जानवर, पक्षी और कीड़े-मकौड़े होते हैं। संसार के बड़े-बड़े जंगल और घास के मैदानों में बहुत सारे जीव मिलते हैं। इसी प्रकार भारत के जंगलों में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। भारत में 80,000 से भी अधिक प्रकार के जानवर मिलते हैं। इन जानवरों में हाथी, शेर, चीता, बाघ, गैंडा, भालू, यॉक, हिरण, बंदर, लंगूर, नील गाय, गिदड़ आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नेवला, कछुआ और कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कई प्रकार के पक्षी सर्दियों के मौसम में अधिक मात्रा में ठंडे प्रदेशों में जैसे साइबेरीया, चीन आदि से भारत में आते हैं। इन पक्षियों को विदेशी (परवासी) पक्षी कहा जाता है। भारत में भी अनेक प्रकार के पक्षी और मछलियां मिलती हैं।

जीव जन्तुओं का बचाव और संभाल–मनुष्य प्रारम्भ से ही बहुत सारे जानवरों और पक्षियों का शिकार करता आ रहा है। शायद आदि मनुष्य अपना भोजन इन जानवरों का शिकार करके प्राप्त करता था परन्तु आज के मनुष्य के पास अनेक प्रकार के अन्य खाद्य-पदार्थ मौजूद हैं। इसलिए मनुष्य को जानवरों और पक्षियों को मारना शोभा नहीं देता।

जानवरों की कई किस्में तो अब समाप्त हो चुकी हैं और कई खत्म होने के किनारे पर हैं। इसलिए हमें जानवरों को मारने से परहेज़ करना चाहिए और इनको बचाने के लिए योगदान डालना चाहिए। हमारी सरकार की ओर से बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी प्रयोजन के अन्तर्गत 1952 में ''जंगली जानवरों के लिए भारतीय बोर्ड'' (Indian Board of Wild life) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त ''प्रोजैक्ट टाईगर 1973'' और ''प्रौजैक्ट ऐलीफैंट 1992'' इत्यादि प्रोग्राम जंगली जीवों को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। इससे पहले 1972 में और फिर 2002 में जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से विभिन्न कानून भी पास किए गए। बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क (National Parks) और जंगली जीव सैंकचुरिएं (Wild life sanctuaries) जहां जंगली जीव प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित रह सकते हैं, का भी प्रबन्ध किया गया है। अब तक भारत देश में 89 राष्ट्रीय पार्क और 490 जंगली जीव सैंकचुयरीज़ हैं। हमें अपनी ओर से चाहिए कि जंगली जीवों और पक्षियों का शिकार न करें। वन, जो कि जंगली जीवों और पक्षियों का घर है, उन्हें न काटें। सरकार को चाहिए कि जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों को सख्ती से लागू करें।

याद रखने योग्य तथ्य

(Something to remember)

प्राकृतिक साधन– प्राकृति द्वारा प्रदान किये गये साधनों को प्राकृतिक साधन कहा जाता है।

जैसे:	मिट्टी	प्राकृतिक वनस्पति
	भूमि	जंगली जीव
	जल	खनिज और ऊर्जा साधन

भूमि संसाधन–कृषि और मानव क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत में भूमि प्रयोग
- वनों अधीन भूमि
- बीजाई अधीन भूमि
- कृषि के अतिरिक्त भूमि
- कृषि के लिए छोड़ी गई भूमि
- कृषि योग्य परन्तु व्यर्थ भूमि
- चारागाह और वृक्षों अधीन भूमि

मिट्टी संसाधन–फसलों और पौधों को पैदा करने के लिए आवश्यक साधन

मिट्टी के प्रकार – जलौढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मारूस्थली मिट्टी, लैटराईट मिट्टी, जंगली एवं पर्वतीय मिट्टी

मिट्टी संसाधन में आने वाली समस्याएं और उनकी संभाल बहुत ही आवश्यक है।

जल संसाधन– बहुमूल्य साधन हैं।

संसार में जल का प्रयोग

मनुष्य के लिए जल साधन – वर्षा, नहरें, नदियां, तालाब एवं भूमिगत जल

जल साधनों की संभाल।

प्राकृतिक वनस्पति – जलवायु, मिट्टी की प्रकार, स्थान, समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है।

प्रकार– सदाबहार, पत्तझड़ी, मरुस्थली, पर्वतीय और डैल्टाई व वनस्पति महत्व और संभाल।

जंगली जीव – इन्हें बचाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो।

1. भूमि को मुख्यत: किस-किस धरातली वर्गों में बांटा जा सकता है ?
2. मैदानों का क्या महत्व है ?
3. भारत में कितने प्रकार की मिट्टी (मृदा) पाई जाती है। किस्मों के नाम लिखो।
4. काली मिट्टी में कौन-कौन सी उपजें उगाई जा सकती हैं ?
5. जल के मुख्य स्त्रोतों के नाम लिखो।
6. प्राकृतिक वनस्पति से मानव को क्या-क्या प्राप्त होता है?
7. प्रवासी पक्षी क्या हैं और ये कहां से आते हैं ?

II. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखो।

1. मिट्टी के प्रकार बताकर, जलौढ़ मिट्टी के महत्व के बारे में लिखो।
2. मिट्टी संसाधन की संभाल किस प्रकार की जा सकती है?
3. जल संसाधन में नदियों और नहरों के महत्व के बारे में लिखें।
4. जल की संभाल कैसे की जा सकती है ?
5. पतझड़ वनों पर एक नोट लिखें।
6. जंगली जीवों के बचाव और संभाल के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं?

III. भारत के नक्शे में निम्नलिखित दिखाइये :

1. भारत के उत्तरी मैदान
2. गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नजियाँ
3. जलौढ़ मिट्टी का एक क्षेत्र
4. काली मिट्टी का एक क्षेत्र
5. सदाबहार वन का एक क्षेत्र
6. पर्वतीय और डैल्टाई वनस्पति का एक-एक क्षेत्र

क्रियाकलाप (Activity) :

भारत के राजनीतिक नक्शें में छह किस्मों की मिट्टीयाँ जिन प्रांतों में मुख्यत पाई जाती हैं, अलग-अलग रंगों में दिखायें।

पाठ 3 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन

खनिज पदार्थ और ऊर्जा संसाधन दोनों ही किसी देश के विकास के लिए अधिक महत्व रखते हैं। जिन देशों के पास इन पदार्थों के अधिक भंडार हैं। वह देश ही अमीर (धनी) देशों की श्रेणी में शामिल किए हुए माने जाते हैं।

खनिज पदार्थ–खनिज पदार्थ वह प्राकृतिक पदार्थ हैं जो एक या अधिक तत्वों से बने हुए हैं और पृथ्वी के भीतर से निकलते हैं। इनकी एक विशेष रासायनिक बनावट होती है। यह अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। खनिज पदार्थों को निम्नलिखित कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है:–

खनिज पदार्थ

- **धातु खनिज पदार्थ** (Metalic Minerals)
  - लोह धातु खनिज (Ferrous-metalic Minerals) कच्चा लोहा, मैंगनीज़, करोमाईट पाईराइट, निक्ल कोबालट टंगसटन आदि।
  - बिना लोह धातु खनिज पदार्थ (Non-Ferrous metalic Minerals) सिक्का, बाक्साईट, टीन, मैगनीशियम आदि।
- **अधातु खनिज पदार्थ** (Non-metalic Minerals) अबरक, डोलोमाईट, हीरा, जिप्सम और चूना पत्थर
- **परमाणु खनिज पदार्थ** (Atomic Minerals) युरेनियम, थयोरियम, बेरिलियम, लीथियम आदि।

कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:–

कच्चा लोहा (Iron Ore)

कच्चा लोहा पृथ्वी की ऊपरी सत्तह पर 5% हिस्सा है और ये प्राय: सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है। इस धातु का प्रयोग अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह धातु पृथ्वी में से शुद्ध रूप में नहीं मिलती बल्कि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। शुद्धिकरण उद्योगों में लाकर इसकी अशुद्धियां दूर करके शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है।

संसार में रूस और उसके पड़ोसी देश आस्ट्रेलिया, ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों में कच्चे लोहे के बड़े भंडार हैं।

भारत देश संसार का 55% कच्चा लोहा पैदा करता है। हमारे देश में लगभग प्रत्येक प्रकार का कच्चा लोहा मिलता है। परन्तु हैमेटाइट प्रमुख है। कच्चा लोहा पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र–बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोआ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तामिलनाडू हैं। बिहार के सिंधभूम, उड़ीसा के मयूरभंज, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बस्तर, कर्नाटक के मैसूर, बैलाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र बढ़िया प्रकार के कच्चे लोहे के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं।

मैंगनीज़ (Manganese)

यह एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो लोहा और स्टील बनाने के काम आता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग लोहे का मिश्रण (Ferro alloy) बनाने के काम आता है। एक टन स्टील बनाने के लिए लगभग 6 कि. ग्रा. मैंगनीज़ की आवश्यकता होती है। मैंगनीज़ का प्रयोग ब्लीचिंग पाऊडर, कीटनाशक दवाईयां, पेंट, बैटरीज़ आदि में भी किया जाता है।

मैंगनीज़ के भंडारों में जिम्बावे के अतिरिक्त भारत का दूसरा स्थान है। परन्तु पैदावार के अनुसार हमारा देश पांचवें स्थान पर आता है। भारत में मैंगनीज़ मुख्य तौर पर कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गोवा में निकाला जाता है। कुछ मात्रा में मैंगनीज़ उड़ीसा के सुन्दरगढ़, कोरापट् और साम्भलपुर ज़िलों में प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रतनगिरी, चिल्ला, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले मैंगनीज़ के लिए प्रसिद्ध है।

तांबा (Copper)

तांबा, नर्म और भूरे रंग की धातु है जो अग्नि और परिवर्तित (रूपांतरित) चट्टानों में मिलती है। इसका प्रयोग मानव द्वारा प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। चाहे कि तांबा एक नर्म धातु है। परन्तु जब इसे टीन के साथ मिलाया जाता है तो ये कांसा (Bronze) बन जाता है, जो कि एक कठोर और मजबूत पदार्थ है। इस कांसे को हथियार और औज़ार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबे का प्रयोग बर्तन, सिक्के बिजली की तारें और बिजली उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। तांबा नर्म और बढ़िया धातु होने के कारण इसकी बारीक चादरें भी बनाई जा सकती है।

संसार में तांबे की पैदावार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चिल्ली, जैम्बिया, कैनेडा और जायरे आदि देशों में की जाती है। भारत देश तांबे की पैदावार के क्षेत्र में काफी पीछे है। भारत में तांबे के भंडार सिंघभूम (झारखंड) बालघाट (मध्य प्रदेश) और झुंझनु और अलवर (राजस्थान) आदि जिलों में मिलता है। कुछ कम मात्रा में तांबा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्कम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल राज्यों में मिलता है।

उत्तरी अमरीका
(यूटा)
तांबा पट्टी
अंध
महासागर
शांत
महासागर
खेतरी
तांबा पट्टी (भारत)
शांत
महासागर
हिन्द
महासागर
काटंगा
ज़ाम्बिया
तांबा पट्टी
लोहा
ताँबा
बाक्साइट
संसार – लोहा, ताँबा और बाक्साइट का वितरण

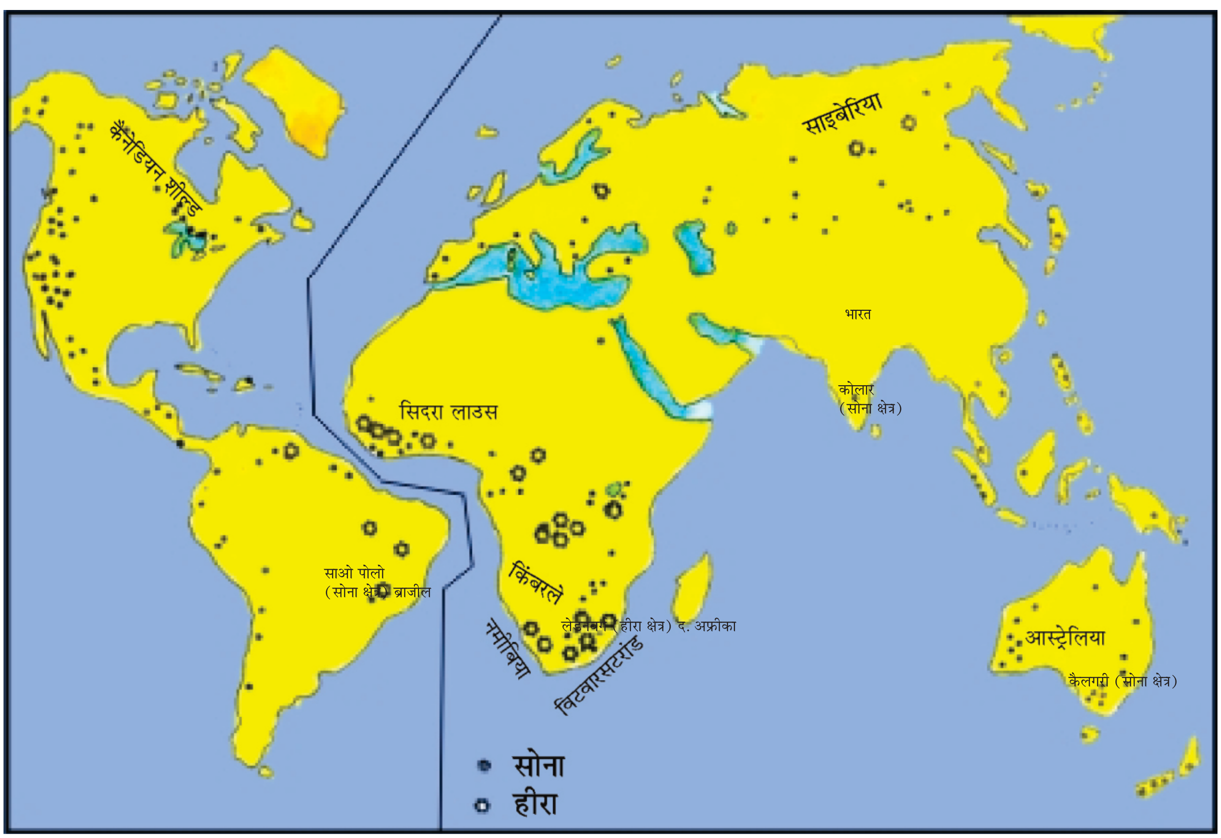
कैनेडियन शील्ड
साइबेरिया
भारत
कोलार
(सोना क्षेत्र)
सिदरा लाउस
साओ पोलो
(सोना क्षेत्र) ब्राजील
किंबरले
नमीबिया
लेडनबर्ग (हीरा क्षेत्र) द. अफ्रीका
विटवाटरसरांड
आस्ट्रेलिया
कैलगरी (सोना क्षेत्र)
सोना
हीरा

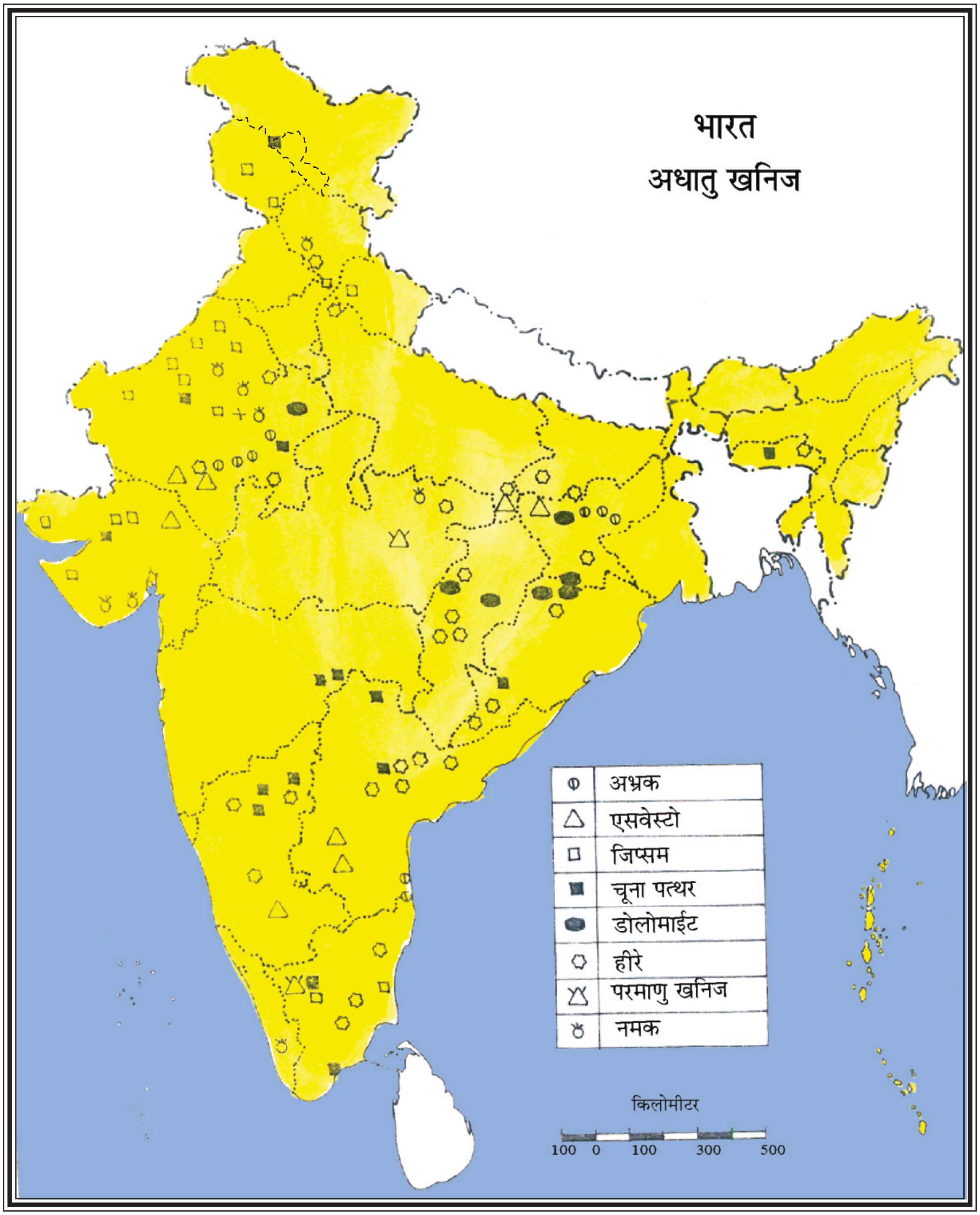
भारत
अधातु खनिज
अभ्रक
एसवेस्टो
जिप्सम
चूना पत्थर
डोलोमाईट
हीरे
परमाणु खनिज
नमक
किलोमीटर
100 0 100 300 500

बाक्साइट (Bauxite)

बाक्साइट एक महत्वपूर्ण कच्ची धातु है जिससे एल्युमीनियम बनाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसी धातु है। जिसमें एल्युमीनियम आक्साइट होता है और इसका रंग सफेद या गुलाबी जैसा होता है। सन् 1886 तक इसका प्रयोग संभव नहीं था क्योंकि बाक्साइट से एल्युमीनियम अलग करने के तरीकों के बारे में पता नहीं था। परन्तु आज के समय में एल्युमीनियम को बहुत से उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग में तो इसने तांबे और टीन जैसी धातुओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब इसका प्रयोग मुख्य रूप से बर्तन, बिजली की तारें, मोटरकारें, रेलगाड़ियां, समुद्री जहाज और हवाई जहाज आदि बनाने के लिए किया जा रहा है।

संसार में इसकी पैदावार ज्यादातर आस्ट्रेलिया, जमैका, गिन्नी, रूस, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में किया जा रहा है। भारत में इसका उत्पादन अधिक नहीं है।

भारत के जिन क्षेत्रों में बाक्साइट की प्राप्ति होती है उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तामिलनाडू, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य प्रमुख हैं।

उड़ीसा भारत का सबसे अधिक बाक्साइट पैदा करने वाला राज्य है। कालाहांडी, कोरापुट, सुन्दरगढ़ सम्भलपुर ज़िले बाक्साइट की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात का भारत में दूसरा स्थान है। इस राज्य के प्रमुख ज़िले-जामनगर, जुनागढ़, खेड़ा, कच्छ, अमरेली, भावनगर आदि बाक्साइट पैदा करते हैं।

सोना (Gold)

सोना प्राचीन काल से ही मानव द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी चमक और रंग के कारण यह बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इससे जेवर और विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अधिक मांग के कारण यह एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग दांतों की सजावट, सोना परत चढ़ाने या कुछ दवाईयों में प्रयोग किया जाता है।

संसार का सबसे अधिक सोना पैदा करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। यह अकेला देश ही संसार का लगभग 70% सोना पैदा करता है। कैनेडा, जापान, यू. एस. ए., आस्ट्रेलिया और घाना आदि देश भी सोना पैदा करते हैं। सोना संसार के लगभग प्रत्येक देश में निकलता है।

भारत संसार का लगभग .75% सोना पैदा करता है। कर्नाटक भारत का सबसे अधिक सोना पैदा करने वाला राज्य है। देश में सोना पैदा करने वाले तीन प्रमुख क्षेत्र कोलार (ज़िला कोलार) हट्टी (ज़िला रायपुर) दोनों कर्नाटक में, रामगिरी (ज़िला अंक्तुपर) आंध्र प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त कुछ सोना झारखण्ड और केरल राज्य में भी प्राप्त होता है।

अभ्रक (Mica)

अभ्रक काला, भूरा या सफेद रंग का पारदर्शी पदार्थ होता है। यह छोटी-छोटी पर्तों में टूट जाता है।

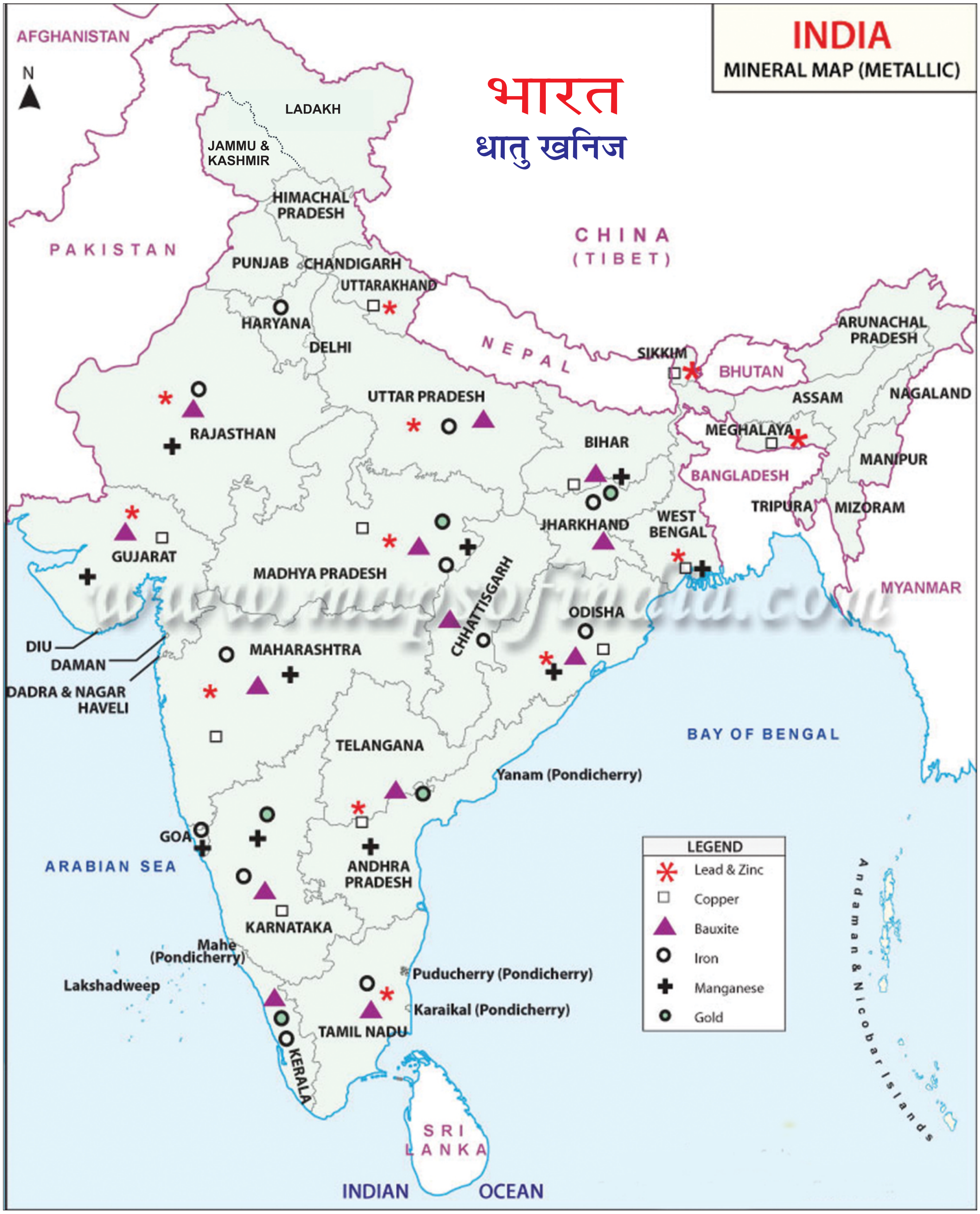
INDIA
MINERAL MAP (METALLIC)
भारत
धातु खनिज
AFGHANISTAN
N
LADAKH
JAMMU & KASHMIR
HIMACHAL PRADESH
PAKISTAN
PUNJAB
CHANDIGARH
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
CHINA (TIBET)
NEPAL
SIKKIM
BHUTAN
ARUNACHAL PRADESH
ASSAM
NAGALAND
MEGHALAYA
MANIPUR
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
BIHAR
BANGLADESH
TRIPURA
MIZORAM
JHARKHAND
WEST BENGAL
GUJARAT
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
MYANMAR
ODISHA
DIU
DAMAN
DADRA & NAGAR HAVELI
MAHARASHTRA
TELANGANA
BAY OF BENGAL
Yanam (Pondicherry)
GOA
ARABIAN SEA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
Mahe (Pondicherry)
Lakshadweep
Puducherry (Pondicherry)
Karaikal (Pondicherry)
TAMIL NADU
KERALA
SRI LANKA
INDIAN OCEAN
Andaman & Nicobar Islands
LEGEND
Lead & Zinc
Copper
Bauxite
Iron
Manganese
Gold

अभ्रक एक अधातु खनिज पदार्थ है और प्राथमिक या अग्नि चट्टानों से प्राप्त होता है। यह कई उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत कुचालक होने के कारण इसका प्रयोग बिजली का विभिन्न प्रकार का समान बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसको कण्डैंसर इन्सुलेटर, बिजली की प्रैस, भट्ठियों, रेडियो और टैलीविज़नों में प्रयोग किया जाता है।

अभ्रक उत्पादन करने वाले मुख्य देश यू. एस. ए., रूस, भारत, फ्रांस, अर्जनटाईना और दक्षिणी कोरिया है।

उत्पादन के अनुसार भारत इसमें सब देशों से आगे रहा है। परन्तु इस समय इसका उत्पादन कम हो रहा है।

उत्पादन कम होने के मुख्य कारण विदेशों में इसकी कम मांग और इसके स्थान पर प्रयोग होने वाले प्लास्टिक जैसे पदार्थ हैं।

भारत की कुल पैदावार का 90% अभ्रक तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से प्राप्त होता है। बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य भी अभ्रक पैदा करते हैं। देश के मुख्य ज़िले नालौर, विशाखापटनम, कृष्णा (आंध्र प्रदेश) जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा (राजस्थान) गया, हजारीबाग (बिहार) अभ्रक पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं।

परमाणु खनिज पदार्थ (Atomic Minerals)

परमाणु खनिज पदार्थ की श्रेणी में यूरेनियम, थोरियम, बैरीलियम, लिथियम और जिरकोनियम आदि शामिल किए जाते हैं। जो ऊर्जा इन खनिज पदार्थों से पैदा की जाती है, उनको परमाणु ऊर्जा का नाम दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा की पैदावार के लिए इन पदार्थों का प्राप्त होना और तकनीकी ज्ञान के साधनों का विकास बहुत ही जरूरी है।

यू. एस. ए., रूस, जापान, यू. के. और भारत जैसे देशों में परमाणु शक्ति के केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कैनेडा, दक्षिणी अफ्रीका, जायरे, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन आदि यूरेनियम पैदा करने वाले और देश हैं। थयोरियम–ब्राजील, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत आदि देशों में पैदा किया जाता है। भारत में परमाणु पदार्थों की पैदावार निम्नलिखित अनुसार की जा सकती है।

यूरेनियम–सिंघभूम, हज़ारीबाग (झारखण्ड), गया (बिहार), सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), उदयपुर (राजस्थान)।

थयोरियम–केरल, झारखण्ड, बिहार, राजस्थान और तामिलनाडू राज्य।

लीथियम–झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य।

इन परमाणु खनिज पदार्थों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ये पदार्थ केवल देश की उन्नति के लिए ही ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए न कि बर्बादी और प्रदूषण के लिए। इसी में हमारी समझदारी होगी।

शक्ति संसाधन (Energy Resources)

मानव को भिन्न-भिन्न कार्य के लिए, शक्ति प्रदान करने वाले साधनों को शक्ति संसाधनों का नाम दिया जाता है। मानव को घर में चूल्हे से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। कई शक्ति संसाधन ऐसे हैं जिनका प्रयोग मानव प्राचीन समय से करता आ रहा है। इन शक्ति संसाधनों में कोयला, पैट्रोलियम, कुदरती (प्राकृतिक) गैस और विद्युत आदि मुख्य हैं। इन शक्ति संसाधनों को हम (Conventional Sources of energy) परम्परागत शक्ति संसाधन कहते हैं। दूसरी ओर मानव अब और संसाधनों का प्रयोग करने लगा है या लगातार उनकी खोज में जुटा हुआ है। यह शक्ति संसाधन सस्ते, नए, दुबारा पैदा होने वाले और प्रदूषण रहित साधन हैं। इनको गैर-परम्परागत (Non-Conventianal Sources of Energy) कहा जाता है। इसमें सूर्य ऊर्जा (Solar Energy), वायु शक्ति (Wind Energy), समुद्री लहरें (Sea waves), ज्वारभाटा (Tidal Energy), भूमिगत ताप ऊर्जा (Geo-Thermal Energy), गोबर शक्ति (Cowdung Gas Energy) और व्यर्थ पदार्थों (Other waste material) से प्राप्त ऊर्जा आदि शामिल हैं। अब हम कुछ पुराने और नये शक्ति साधनों के बारे में पढ़ेंगे।

कोयला (Coal)

कोयला काले या भूरे रंग का जैविक पदार्थ है जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में मौजूद होता है। यह एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसको ताप और रोशनी दोनों कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह कोयला घरेलू प्रयोग से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों और रेलगाड़ियों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग ताप घरों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है।

कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा जाता है :-

(i) ऐंथरेसाइट (ii) बिटुमिनियमस

(iii) लिगनाईट (iv) पीट

कोयले की चारों किस्मों में से ऐंथरेसाइट सबसे बढ़िया और पीट सबसे घटिया प्रकार का होता है। कोयला पृथ्वी के नीचे परतदार चट्टानों में मिलता है। पृथ्वी को खोद कर कोयले की खानों तक पहुंच जाता है। कोयले की खानों के अन्दर काम करना बहुत खतरनाक है।

संसार के बहुत सारे देशों में कोयला मिलता है। यू. एस. ए. संसार का सबसे अधिक कोयला (24%) पैदा करता है। चीन, रूस, पौलैंड और यू. के. संसार में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं। कोयला उत्पादन में भारत का छठा स्थान है और यह संसार का लगभग 4%कोयले का उत्पादन करता है।

भारत के बहुत से राज्यों में कोयला मिलता है। झारखण्ड राज्य कोयले के भंडार और कोयला उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर आता है और भारत का लगभग 23% कोयला पैदा करता है। हज़ारीबाग, धन्नबाद, पलामु, झारखण्ड के प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र हैं। झरिया, बोकारो और करनपुर भी कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं।

संसार–खनिज तेल और कोयले का वितरण

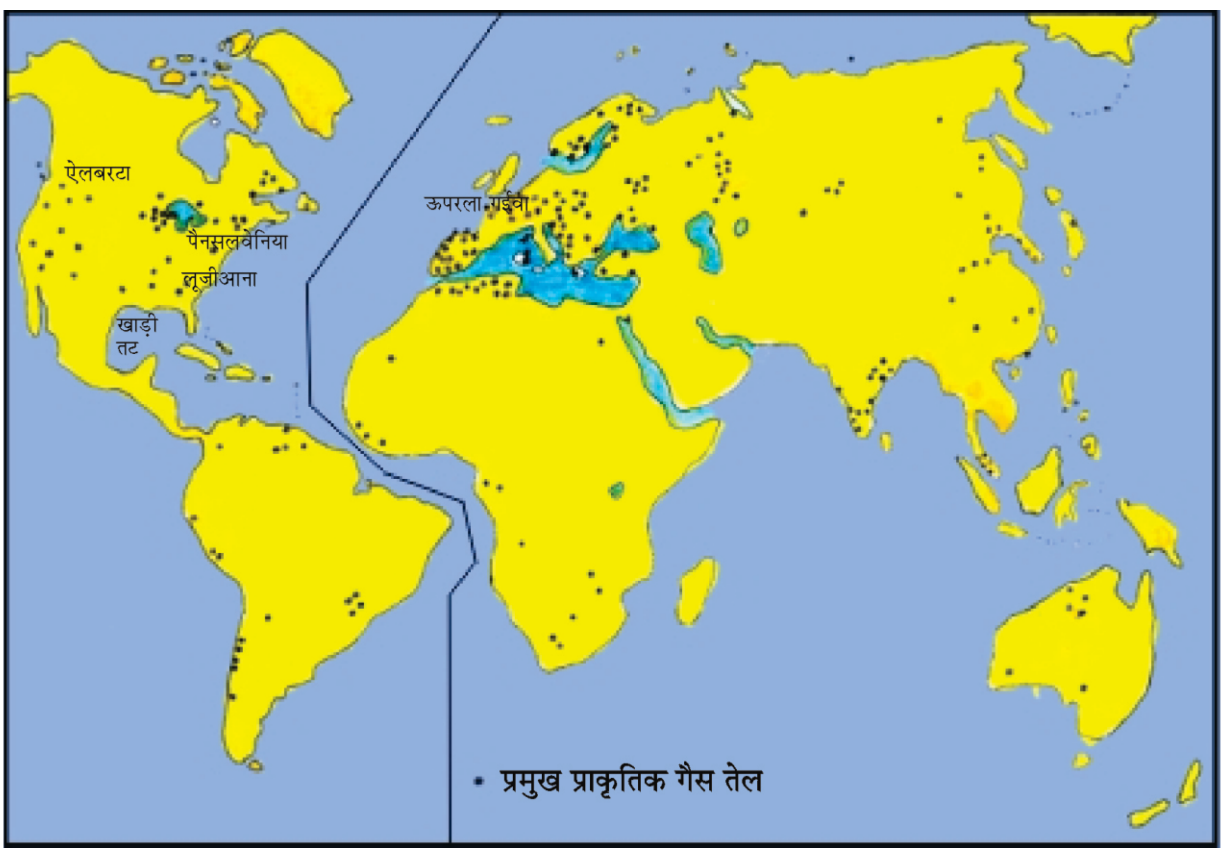

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। कोरबा, बिरंबपुर, लखनपुर, झिलमिली (छत्तीसगढ़) संबलपुर, सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) आदि प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं।

इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मेघालिया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आदि राज्यों में भी काफी मात्रा में कोयला प्राप्त होता है।

पैट्रोलियम या खनिज तेल (Petroleum and Mineral oil)

पैट्रोलियम या खनिज तेल पृथ्वी की परतदार चट्टानों में से निकलता है। इस लिए इसे चट्टानी तेल (Rock oil) भी कहा जाता है। आज के मशीनी युग में पैट्रोलियम पदार्थों का विशेष महत्व है। पैट्रोलियम को तरल सोना (Liquid Gold) के नाम से भी जाना जाता है। पैट्रोलियम का प्रयोग मशीनों यातायात के साधनों और उद्योगों में भी किया जाता है। संसार के सभी यातायात साधन–स्कूटर से लेकर वायुयान तक सभी खनिज तेल पर ही निर्भर करते हैं। चाहे कि खनिज तेल के पैदा होने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। परन्तु अक्सर यही माना जाता है कि यह एक जैविक पदार्थ है जो पौधों, जानवरों और अन्य जीवों के पृथ्वी की परतों में गलने सड़ने से पैदा होता है। पृथ्वी में से जो खनिज तेल निकलता है उसे सीधे तौर से प्रयोग नहीं करते। इस तेल को **कच्चा तेल (Crude oil)** कहते हैं। कच्चे तेल को तेल सोधक उद्योगों में (Oil Refineries) में ले जाकर साफ किया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है।

संसार के बहुत सारे देशों में तेल निकाला जाता है। यू. एस. ए., रूस और इसके पड़ोसी देश और चीन आदि तेल के साधनों में प्रथम स्थान रखते हैं। मध्य पूर्वी देश (Middle East Countries)– ईरान, ईराक, साऊदी अरब, बहिरीन और कुवैत आदि सारे देश ही पैट्रोलियम पदार्थों में बहुत धनी हैं। आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बहुत सारे देशों में भी तेल निकाला जाता है।

भारत की स्थिति पैट्रोलियम पदार्थों में अच्छी नहीं है। भारत लगभग 3 करोड़ 34 लाख टन (2003-04) से कच्चा तेल पैदा कर रहा है। भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडू और राजस्थान आदि राज्यों में खनिज तेल प्राप्त होता है। डिगबोई, नाहरकटीया, मौरान, अंकलेश्वर, खंभात, अहमदाबाद (गुजरात), बारमेर (राजस्थान), मनभूम (अरुणाचल प्रदेश) और मुंबई हाई (महाराष्ट्र) आदि प्रमुख खनिज तेल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं।

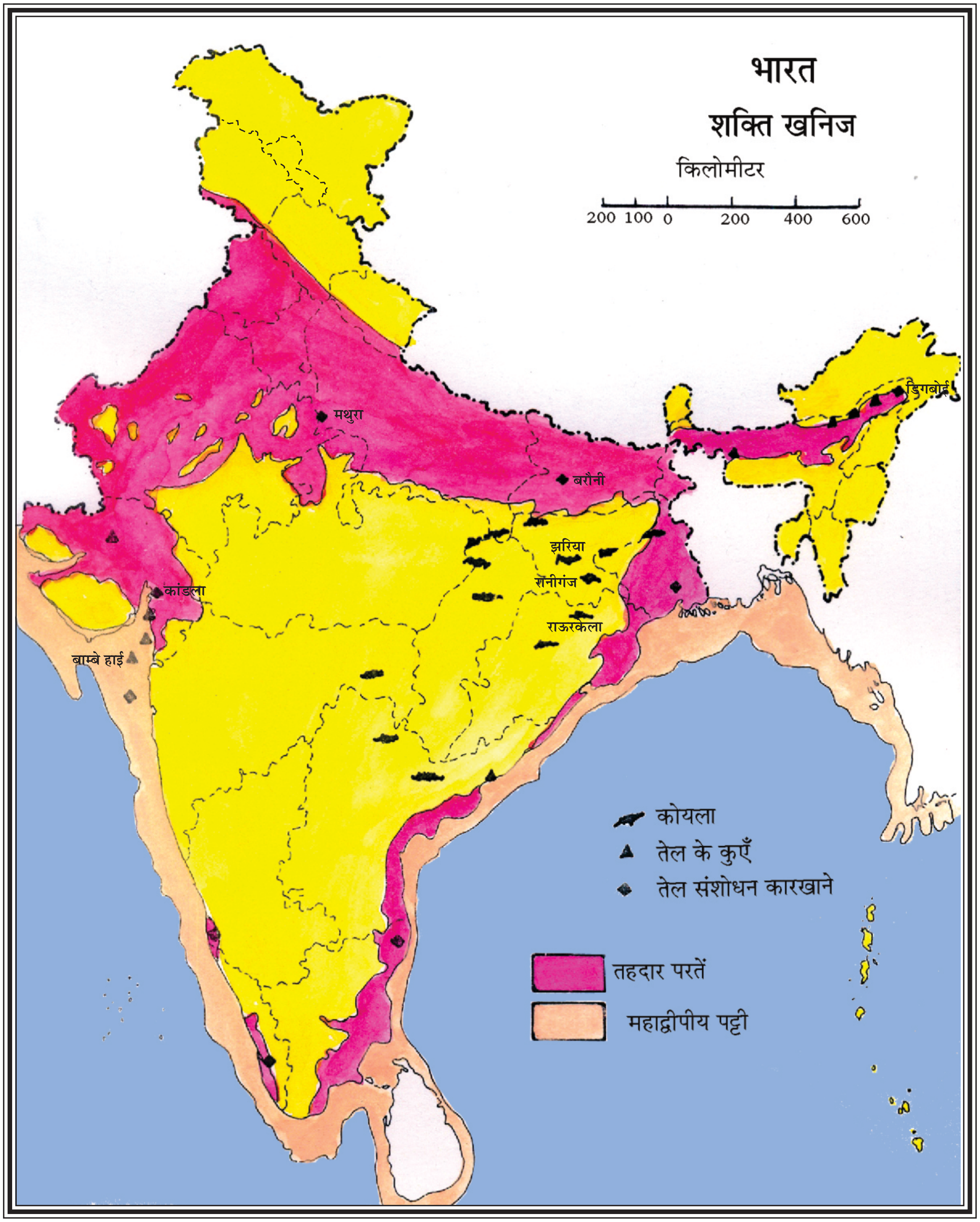
भारत
शक्ति खनिज
किलोमीटर
200 100 0 200 400 600
मथुरा
बरौनी
डिगबोई
झरिया
रानीगंज
राऊरकेला
कांडला
बाम्बे हाई
कोयला
तेल के कुएँ
तेल संशोधन कारखाने
तहदार परतें
महाद्वीपीय पट्टी

प्राकृतिक गैस (Natural Gas)

प्राकृतिक गैस पैट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होती है। जब भी कोई तेल का कुंआ खोदा जाता है तो सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस ही मिलती है। प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संसाधन है। इस गैस का प्रयोग घरों में, वाहनों में और कई उद्योगों में प्रयोग होता है। संसार के सभी तेल उत्पादक देशों में प्राकृतिक गैस भी मिलती है।

यू. एस. ए. संसार का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस पैदा करता है। इसके पश्चात् रूस, मध्य-पूर्वी देश, कैनेडा, उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) अजर्बाइजन (Azerbaijan) आदि देश भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं।

भारत के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस मिलती है। इन क्षेत्रों में कृष्णा, गोदावरी, बेसिन, उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में राजस्थान के बारमेर क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के खंभात की खाड़ी और कच्छ क्षेत्र और त्रिपुरा में भी प्राकृतिक गैस के होने की संभावना पाई जा रही है। देश की लगभग 75% प्राकृतिक गैस बंबई हाई और लगभग 11% गैस गुजरात राज्य में पैदा हो रही है।

जल विद्युत (Hydro Electricity)

जल विद्युत शक्ति का नवीन संसाधन है। यह शक्ति संसाधन पुनः उत्पादित जल साधन पर निर्भर करता है। विद्युत प्रायः दो विधियों से उत्पन्न की जाती है। पहला जल द्वारा, दूसरा तेल या कोयले को जलाकर, विद्युत घरों में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है यहाँ हम जल विद्युत सम्बन्धी ही बात करेंगे।

जल एक मुफ्त और पुनः उत्पादित संसाधन है। संसार में जल संसाधन बहुत मात्रा में उपलब्ध है, जिसे प्रयोग करके जल विद्युत तैयार की जा सकती है। नहरों पर बांध बनाकर, जल को सुरंगों द्वारा टर्बाईनों पर फेंका जाता है। जल की शक्ति से यह टर्बाईनें घूमती हैं। जब यह टर्बाईनें घूमती हैं तो घर्षण के साथ विद्युत तैयार होती है। इस तैयार हुई विद्युत को तारों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर भेजा जाता है।

जल-विद्युत तैयार करने के लिए आवश्यक तत्व

I. जल संसाधन पूरा वर्ष बहता है।

II. जल के मार्ग में जरूरी ढलान या बांध बनाने के लिए उचित ऊंचाई हो।

III. विद्युत तैयार करने के लिए पानी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो।

IV. बांध के पीछे की ओर बड़े जल भंडार और बड़ी झील के लिए पर्याप्त स्थान हो।

V. बांध बनाने, विद्युत घरों का निर्माण करने और बिजली की लाईनें खींचने के लिए पूंजी उपलब्ध हो।

VI. उस क्षेत्र में विद्युत की मांग हो।

संसार के बहुत से देशों में पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है। बहुत से देशों ने इस संसाधन का सद्उपयोग करके जल विद्युत का उत्पादन किया है। इन देशों में यू. एस. ए. रूस, जापान, जर्मनी, कैनेडा, इंग्लैंड, फ्रांस, ईटली, पोलैंड, ब्राजील और भारत जैसे देशों के नाम वर्णन योग्य हैं। यू. एस. ए. संसार का 31% जल विद्युत तैयार करता है। ब्राज़ील, कैनेडा जैसे देश जल विद्युत पर अधिक निर्भर हैं।

कैलिफोर्निया (U.S.A.) में एक बाँध

भारत पूरे संसार की 1% जल-विद्युत पैदा करता है। भारत में जल विद्युत का उत्पादन, यहां की कुल शक्ति संसाधनों का 37% भाग बनता है। इसका अर्थ यह है कि भारत जैसे देश के लिए जल-विद्युत संसाधन का बहुत अधिक महत्व है। भारत में जल साधनों की कोई कमी नहीं है। यह जल साधन, नदियों और नहरों के रूप में मौजूद हैं। इन्हें मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है :

1. उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियाँ/नहरे

2. दक्षिण भारत की नदियाँ/नहरे।

भारत के उत्तर दिशा की ओर से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ बर्फ के पिघलने के कारण पूरा वर्ष बहती रहती हैं। इनमें जल विद्युत पैदा तैयार करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इन उत्तरी भारत से

मिलने वाले जल साधनों की समर्था–भारत के कुल संभावित जल विद्युत संसाधन का 18% से भी अधिक है। दूसरी ओर दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। इन सभी नदियों की जल विद्युत तैयार करने की संभावित समर्था केवल 21% है।

गोआ को छोड़कर भारत के सभी राज्य जल विद्युत तैयार करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिलनाडू, उड़ीसा और केरल आदि राज्यों के पास जल विद्युत तैयार करने की संभावित समर्था बहुत अधिक है। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के पास जल विद्युत के संभावित संसाधन बहुत अधिक है। इसलिए इन सम्भावित संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता है।

कर्नाटक में नागाअर्जुन सागर बांध, उत्तर प्रदेश में गंगा इलैक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम, महाराष्ट्र में टाटा हाईड्रो इलैक्ट्रिक ग्रिड उड़ीसा में हीराकुड, हिमाचल प्रदेश में मंडी में पंढोह प्रोजैक्ट और पंजाब में भाखड़ा डैम और पोंग (रणजीत सागर) आदि जैसे हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट वर्णन योग्य है।

डैम या प्रौजेक्ट जो जल–विद्युत तैयार करने के लिए लगाये जाते हैं, उनको बहु–उद्देशीय प्रोजैक्ट (Multi Purpose Project) भी कहा जाता है। यह प्रोजैक्ट निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण करते हैं :

(i) बाढ़ों की रोकथाम

(ii) मिट्टी अपरदन से बचाव

(iii) विद्युत तैयार करना

(iv) नहरें बनाकर कृषि सिंचाई में प्रयोग करना

(v) बांधों के पीछे बनी झीलों में मछली पालना

(vi) बांधो को सैर–सपाटे का स्थान बनाना

दूसरे शक्ति साधन (Other Energy Resources)

जल विद्युत के अतिरिक्त सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, भूमिगत गर्मी और परमाणु शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से भी विद्युत पैदा करने के प्रयोग चल रहे हैं। चल रही वायु को हम पवनें कहते हैं। इस वायु शक्ति से भी हम विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। भूतापी शक्ति (Geothermal Energy) भी कई प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। इसे प्राय: घरों को गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। रूस, जापान और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में तो भूतापी–ऊर्जा से विद्युत तैयार की जा रही है। ज्वारभाटा (Tides) भी एक शक्ति का साधन है जिसे भविष्य में शक्ति साधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

प्राकृतिक संसाधनों की संभाल (Conservation of Natural Resources)

प्राकृतिक संसाधन, जो मनुष्य को प्राप्त हैं, उनका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिये। किसी भी संसाधन का व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिये। इन संसाधनों का अपने लिए प्रयोग के साथ-साथ, आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना चाहिये। संसाधनों को आवश्यकता अनुसार और उचित ढंग से प्रयोग करना ही वास्तविक अर्थों में ठीक संभाल होगी।

याद रखने योग्य तथ्य
(Something to Remember)

खनिज पदार्थ और शक्ति साधन
- → धातु : लौह धातु
- → अधातु : अलौह धातु
- → परमाणु : खनिज पदार्थ

धातु खनिज पदार्थ–लोहा, मैंगनीज़, करोमाईट, निक्कल, कोबाल्ट, सोना, तांबा, चांदी, बाक्साइट।

अधातु खनिज पदार्थ– अबरक, चूना पत्थर, हीरा, जिप्सम आदि।

परमाणु खनिज पदार्थ–यूरेनियम, थोरियम, बेरेलियम।

शक्ति साधन–
- → परम्परागत–कोयला,पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि।
- → गैर-परम्परागत–सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, ज्वारभाटा, भूतापी ऊर्जा।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में लिखो।

1. खनिज पदार्थों की परिभाषा लिखिए ?
2. भारत में कच्चा लोहा कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है?
3. तांबे का प्रयोग कहां-कहां किया जाता है?
4. भारत की सोने की प्रसिद्ध खानों के नाम लिखो।
5. परमाणु पदार्थों का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिये?
6. शक्ति (ऊर्जा) के नवीन साधन कौन-कौन से हैं ?

II. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखो।

1. बाक्साइट के महत्व पर नोट लिखो।
2. प्राकृतिक गैस का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसके मुख्य क्षेत्र हमारे देश में कौन-कौन से हैं ?
3. जल-विद्युत तैयार करने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में लिखें।

III. भारत के नक्शे में निम्नलिखित खनिज पदार्थ एक शक्ति संसाधन का एक-एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाएं।

(i) कच्चा लोहा (ii) मैगनीज़

(iii) सोना (iv) तांबा

(v) अभ्रक (vi) बाक्साईट

क्रियाकलाप (Activity) :

निम्नलिखित के अनुसार कम से कम दस खनिज पदार्थों का एक खाका तैयार करें :-

क्रम	खनिज का नाम	भारत का प्रांत जहां ये खनिज पाया जाता है।	खनिज का उपयोग क्या है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			

पाठ 4 हमारी कृषि

कृषि मानव का अति पुराना व्यवसाय है। शुरू में मानव अपना भोजन, वृक्षों के पत्तों, फलों और शिकार करके प्राप्त करता था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया। मानव जनसंख्या में वृद्धि होती गई। फिर उसे भोजन पूर्ति करने के लिए फसलों को उगाने की (कृषि) जरूरत महसूस हुई। इस प्रकार मानव ने धीरे-धीरे कृषि व्यवसाय प्रारम्भ किया। समय के साथ-साथ मानव ने कृषि करने की विधियों में भी सुधार लाना शुरू कर दिया। आज के समय में तो मानव कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग कर रहा है।

कृषि का अर्थ केवल फसलें ही पैदा करना नहीं है बल्कि इसका क्षेत्र काफी विशाल है। कृषि का अर्थ-उपज पैदा करना, पशुओं को पालना और कृषि सम्बन्धित व्यवसायों को अपनाना भी है। डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालना, शहद की मक्खियां पालना, मछली पालना, गुड़ बनाना, आटा चक्की लगाना, फूलों की खेती करना आदि सारे व्यवसाय कृषि में सम्मिलित हैं। कृषि का घेरा काफी विशाल होने के कारण इसको बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। इन में से कुछ मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:-

1. जलवायु 2. धरातल 3. मिट्टी के प्रकार 4. सिंचाई व्यवस्था 5. कृषि करने का ढंग 6. मंडियों की सुविधा 7. यातायात के साधन 8. बैंकों की सुविधा

उपरोक्त दिये गये तत्वों में किसी स्थान में जिनके अधिक तत्व उपलब्ध होंगे, कृषि उतनी ही अधिक प्रफुल्लित होगी। भारत में पंजाब जैसे राज्य में कृषि के लिए उचित पर्यावरण होने के कारण यह राज्य कृषि में सब राज्यों से आगे है।

कृषि के प्रकार

कृषि को भिन्न-भिन्न किस्मों में बांटना कोई सरल नहीं है क्योंकि कृषि किसी एक तत्व पर निर्भर नहीं है। कृषि की किस्में कई बातों पर आधारित हैं। कृषि करने का ढंग, प्रयोग की गई भूमि के आधार पर कृषि को बांटा जा सकता है। सिंचाई, सामाजिक या आर्थिक तत्वों के आधार पर कृषि को भिन्न-भिन्न किस्मों में बांटा जा सकता है। भिन्न-भिन्न तत्वों के आधार पर कृषि को निम्नलिखित अनुसार बांटा जा सकता है:

1. स्थाई कृषि (Permanent Agriculture) 2. स्थानांतरी कृषि (Shifting Agriculture)
3. शुष्क कृषि (Dry farming) 4. नमी वाली कृषि (Wet farming)
5. सघन कृषि (Intensive farming) 6. विशाल कृषि (Extensive farming)

7. मिश्रित कृषि (Mixed farming)

8. बागवानी कृषि (Horticulture)

9. निजी कृषि (Private or individual agriculture)

10. सहकारी कृषि (Cooperative agriculture)

11. सांझी कृषि (Collective agriculture)

12. बागाती कृषि (Plantation agriculture)

13. निर्भरता कृषि (Subsistence agriculture)

14. व्यापारिक कृषि (Commercial agriculture)

1. स्थाई कृषि–इस प्रकार की कृषि एक स्थान पर रह कर या एक स्थान पर स्थिर रहकर की जाती है। उसी भूमि में से बार-बार उपजें प्राप्त की जाती हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक (खादों) उर्वरा का प्रयोग किया जाता है। अब संसार के बहुत से भागों में स्थाई किस्म की कृषि की जाती है। इसे टिकाऊ कृषि भी कहते हैं।

2. स्थानांतरी कृषि– पर्वतीय क्षेत्रों में या खुले जंगलों में कबीलों के लोग एक स्थान पर जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए कृषि करते हैं। जब इस स्थान की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो यह लोग उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर कृषि करना प्रारम्भ कर देते हैं। लोग स्थान बदलकर कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरी या झूमिंग कृषि (Zhuming cultivation) भी कहते हैं। अभी भी संसार के कई देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है।

3. शुष्क कृषि–जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सैंटीमीटर वार्षिक से कम होती है। वहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। अधिकतर दालें, मक्की, जौं आदि की फसलें ही इस प्रकार की कृषि में बीजी जाती हैं। संसार के मारूस्थली भागों में, जिन में राजस्थान राज्य भी शामिल हैं, में अधिकतर शुष्क कृषि की जाती है।

4. नमी वाली कृषि– अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां 200 सैंटीमीटर या अधिक वार्षिक वर्षा होती है, इस प्रकार की कृषि की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग जहां वर्षा अधिक होती है, चावलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और दक्षिणी भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र ही इस प्रकार की कृषि करते हैं।

5. सघन कृषि–जब कम भूमि में अधिक उर्वरा और सिंचाई साधनों का उचित व पूर्ण प्रयोग हो और अधिक उत्पादन किया जाये तो इस कृषि को सघन कृषि कहा जाता है। पंजाब राज्य में इस प्रकार की कृषि की जाती है।

6. विशाल कृषि–जब कृषकों के पास भूमि का आकार बड़ा हो तो कृषि मशीनों की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की कृषि को विशाल कृषि कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरीका जैसे देशों में जहां खेतों का आकार बहुत बड़ा है, इस प्रकार की ही कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ उपज सघन कृषि की तुलना में कम होती है।

7. मिश्रित कृषि–इस प्रकार की कृषि में उपज, फल और सब्जियों के अतिरिक्त पशु पालने का भी व्यवसाय करते हैं। मछलियां और मधु मक्खियां भी पाली जाती हैं। इस सभी मिले जुले कामों से कृषक की आय बढ़ती है।

पशु पालन कृषि का एक व्यवसाय

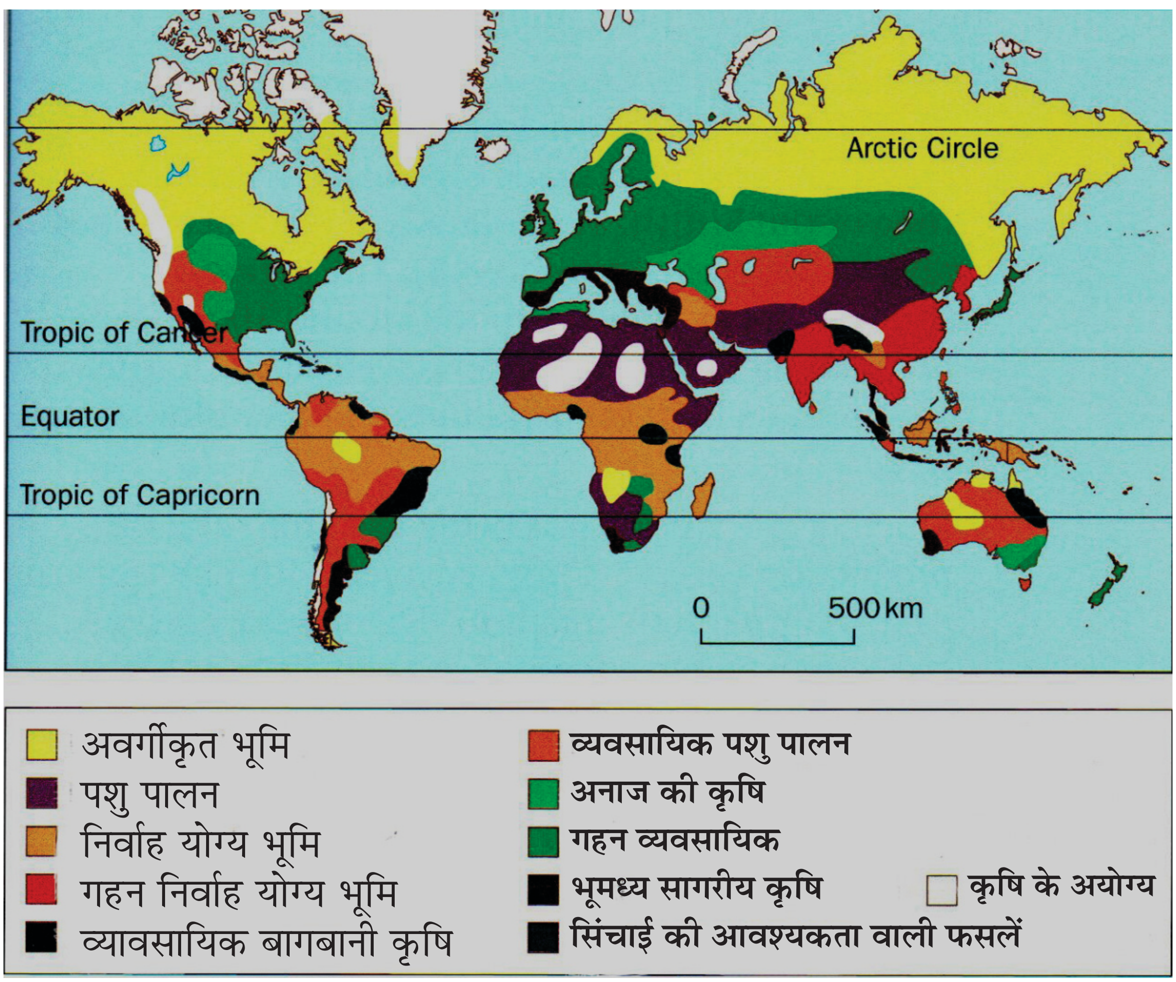

संसार : कृषि की किस्में

8. बागवानी कृषि– इस प्रकार की कृषि में फल, सब्जियां, फूल और फूलों के बीजों की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि करने की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि कृषकों के लिए अति लाभदायक साबित हो रही है।

बागवानी कृषि का एक दृश्य

9. निजी कृषि– इस प्रकार की कृषि में भूमि का मालिक खुद ही होता है। कृषि में प्रयोग होने वाले सभी यन्त्र, खाद और वस्तुओं का कंट्रोल कृषक के अपने हाथ में होता है। भूमि से होने वाली आय कृषक की अपनी निजी आय होती है।

10. सहकारी कृषि– इस प्रकार की कृषि में एक सहकारी संस्था का संगठन लोकराज ढंगों से किया जाता है। सभी कृषक, जो इस संस्था के मैंबर होते हैं, वे सभी अपनी-अपनी भूमि पर कृषि करते हैं। फसल आदि का सारा प्रबन्ध सहकारी संस्था के हाथों में होता है। वही फैसला लिया जाता है जो सभी के हित में होता है। कृषि से हुए लाभ को सभी मैंबरों में ज़मीन के हिस्सों के अनुसार बांटा जाता है। जिन कृषकों के पास जमीन कम होती है, उनके लिए तो सहकारी कृषि वरदान सिद्ध होती है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की खेती को उत्साहित किया जा रहा है।

11. संयुक्त कृषि– इस प्रकार की कृषि पहले सोवियत संघ (USSR) के देशों में अधिक प्रचलित थी। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर अधिकार सरकार का होता है। कृषि से हुई आय का कुछ भाग सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। बाकी लाभ जमीन पर काम करने वाले कृषकों में बांट दिया जाता है।

12. बागाती कृषि– इस प्रकार की कृषि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। बागाती कृषि में फसलों को बाग के रूप में लगाया जाता है और कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। उदाहरण के लिए चाय, कॉ फी, नारियल और रबड़ आदि के बाग लगाये जाते हैं। इन बागों में कई वर्षों तक फल प्राप्त किया जाता है। यह कृषि अत्यन्त लाभदायक मानी जाती है।

13. आत्म निर्भर कृषि – छोटे कृषक, जिनके पास भूमि कम होती है, अपनी-अपनी भूमि पर

अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार फसलों का उत्पादन करते हैं। इन फसलों को वह अपना गुजारा करने के लिए प्रयोग करते हैं और फसल को मंडी में नहीं लेकर जाते, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त या फालतू फसल बचती ही नहीं है। यदि कहीं बची हुई उपज बेचते भी हैं तो उन पैसों से कपड़ा या घर की और छोटी–छोटी आवश्यकताओं आदि को पूरा कर लेते हैं।

14. व्यापारिक कृषि– इस प्रकार की कृषि में कृषक बड़े पैमाने पर मशीनों और साधनों का प्रयोग करके अपनी जमीन में उपज उगाते हैं। इन फसलों को मंडियों में बेचकर, वह बहुत सारा धन कमाते हैं। इस प्रकार की कृषि, मंडियों में फसल बेचकर अधिक लाभ कमाने के पक्ष से भी की जाती है। संसार के अधिक क्षेत्रफल वाले देश जिन में कृषकों के पास जमीनें अधिक होती हैं, इस प्रकार की खेती का वहीं प्रचलन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैनेडा जैसे देशों में व्यापारिक कृषि की जाती है। भारत में भी बड़े कृषकों द्वारा इस प्रकार की कृषि करके अधिक धन कमाया जाता है।

मुख्य उपजें (Major Crops)

किसी जगह पर उगाई जाने वाली फसलें बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती हैं। इन तत्वों में जलवायु और मिट्टी मुख्य निर्धारित तत्व हैं। जलवायु में भिन्नताएं होने के कारण संसार के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार की उपजें बीजी जाती हैं। उदाहरण के लिए–सेब की उपज के लिए ठंडा और बर्फीला जलवायु चाहिये। जबकि चावल गर्म और सम जलवायु वाले क्षेत्रों की उपज है। हमारे भारत राज्य में भी जलवायु और कृषि योग्य और तत्वों में विभिन्नतायें होने के कारण, फसलों की पैदावार में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार की उपजें पैदा की जाती हैं। उपजें कई किस्म की हो सकती हैं। इन का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं :

अनाज उपजें (Cereal Crops)	**रेशेदार फसलें (Fibre Crops)**	**पेय उपजें (Beverage Crops)**	**सब्जियां व फलदार उपजें (Vegetables or Fruit Crops)**
चावल	कपास	चाय	सेब
गेंहू	पटसन	कॉफी	संतरा
मक्की	सन्	कोको	केला
ज्वार			आम
बाजरा			आड़ू
दालें			व
तेल और बीज			विभिन्न सब्जियां

अनाज उपजें–

संसार की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संसार के लोगों की मुख्य आवश्यकता रोटी को पूरा करने के लिए अनाज उपजों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अति जरूरी है। इस कार्य के लिए संसार भर

में कृषि के लिए बहुत से देश अनाज उपजों का उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारत में भी, पूरे देश की कुल उपजों का लगभग 75% अन्न की फसलें ही पैदा की जा रही हैं। अन्न उपजों में कुछ प्रमुख उपजों के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित अनुसार है।

1. चावल (Rice)–चावल प्रायः मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र (Hot and moist) जलवायु वाले देशों में पैदा किया जाता है। संसार में चीन, भारत, बंगलादेश, जापान और दक्षिण पूर्वी देश चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चीन संसार का 36% चावल पैदा करने में पहले स्थान में आता है। चीन में यंगसी क्यिांग की नदी घाटियों में अधिक मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। बंगलादेश के गंगा डैल्टा में भी चावल का काफी उत्पादन किया जाता है। जापान में अधिक उत्पादन के लिए ''जैपोनिका'' जैसी अधिक उत्पादन देने वाली चावल की किस्म बीजी जाती है। इंडोनेशिया में चावल की कृषि मैदानी और पर्वतीय ढलानों पर भी की जाती है।

भारत देश चावल के उत्पादन में संसार के दूसरे स्थान पर आता है। संसार का 20% चावल भारत में ही पैदा किया जाता है।

चावल उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व

तापमान	–	20° सैल्सियस से 30° सैल्सियस तक
वर्षा	–	100 से 200 सैंटीमीटर या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
मिट्टी	–	जलौढ़ मिट्टी, चीकनी, दोमट, डैल्टाई या काली मिट्टी
धरातल	–	भूमि समतल होनी चाहिये ताकि वर्षा या सिंचाई द्वारा प्राप्त पानी खेतों में खड़ा रह सके।
मजदूर	–	चावल की कृषि के लिए विशेषकर जब चावल का पौधा लगाने और काटने के समय अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

चावल के उत्पादन के लिए चाहे मशीनों का प्रयोग अधिक हो रहा है, फिर भी अधिक काम श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। इस कार्य के लिए शिक्षित और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। चावलों का उत्पादन पर्वतों की ढलानों और पर्वतों पर सीढ़ीनुमा खेतों में भी किया जाता है। चावल पैदा करने के लिए पहले पनीरी (Nursery) तैयार की जाती है। फिर जिस खेत में चावल लगाना होता है वहां खेत को समतल करके पानी भर दिया जाता है इसे खेत को ''कद्दू करना'' (Puddling) कहते हैं। फिर तैयार की हुई पौध को, कद्दू किये गए खेतों में लगाया जाता है। चावल लगाने से लेकर, काटने से थोड़ा पहले तक इसे पानी की लगातार आवश्यकता रहती है। चावल काटने के समय मौसम शुष्क प्रकार का होना चाहिए।

चावल की पनीरी लगाते मज़दूर

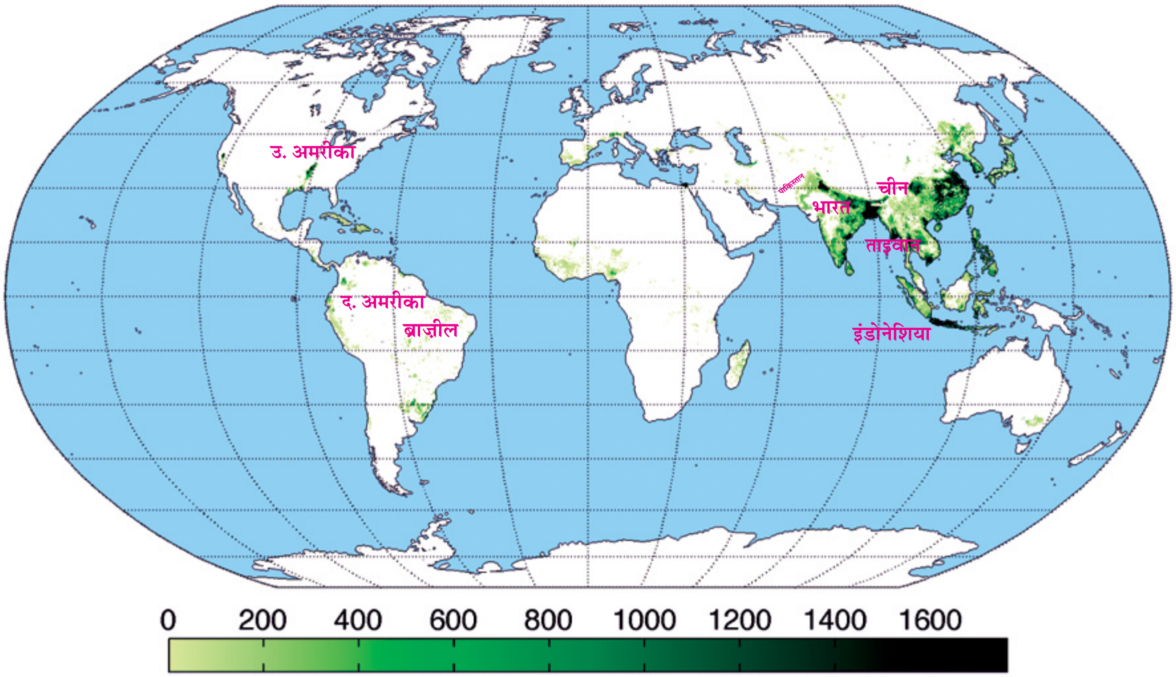

विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देश

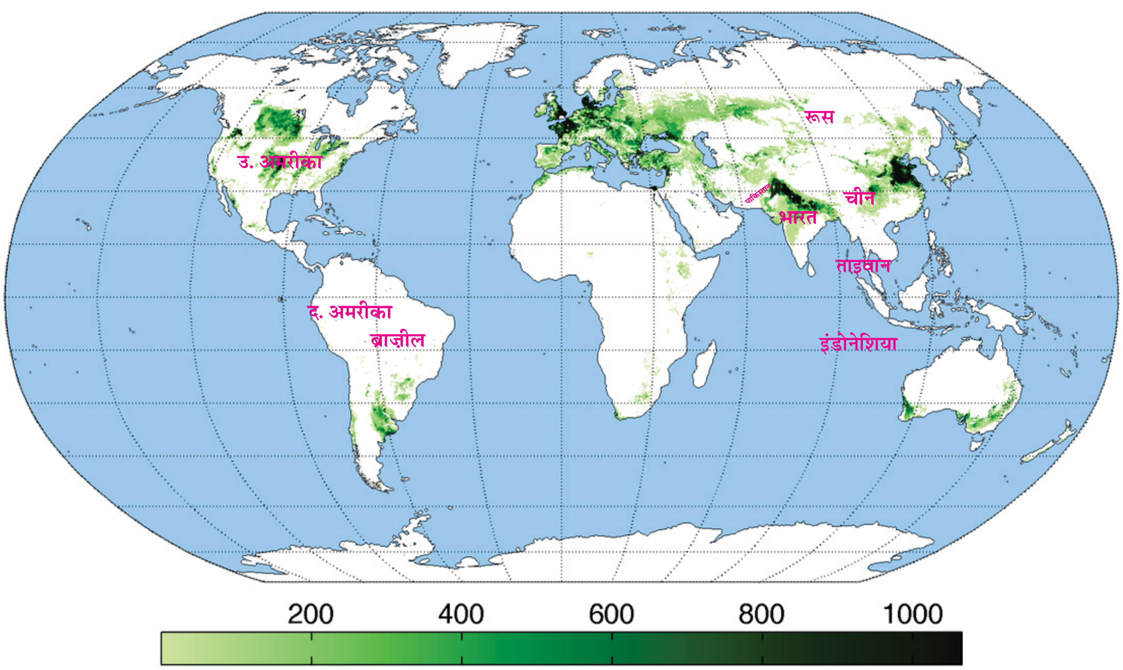

विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश

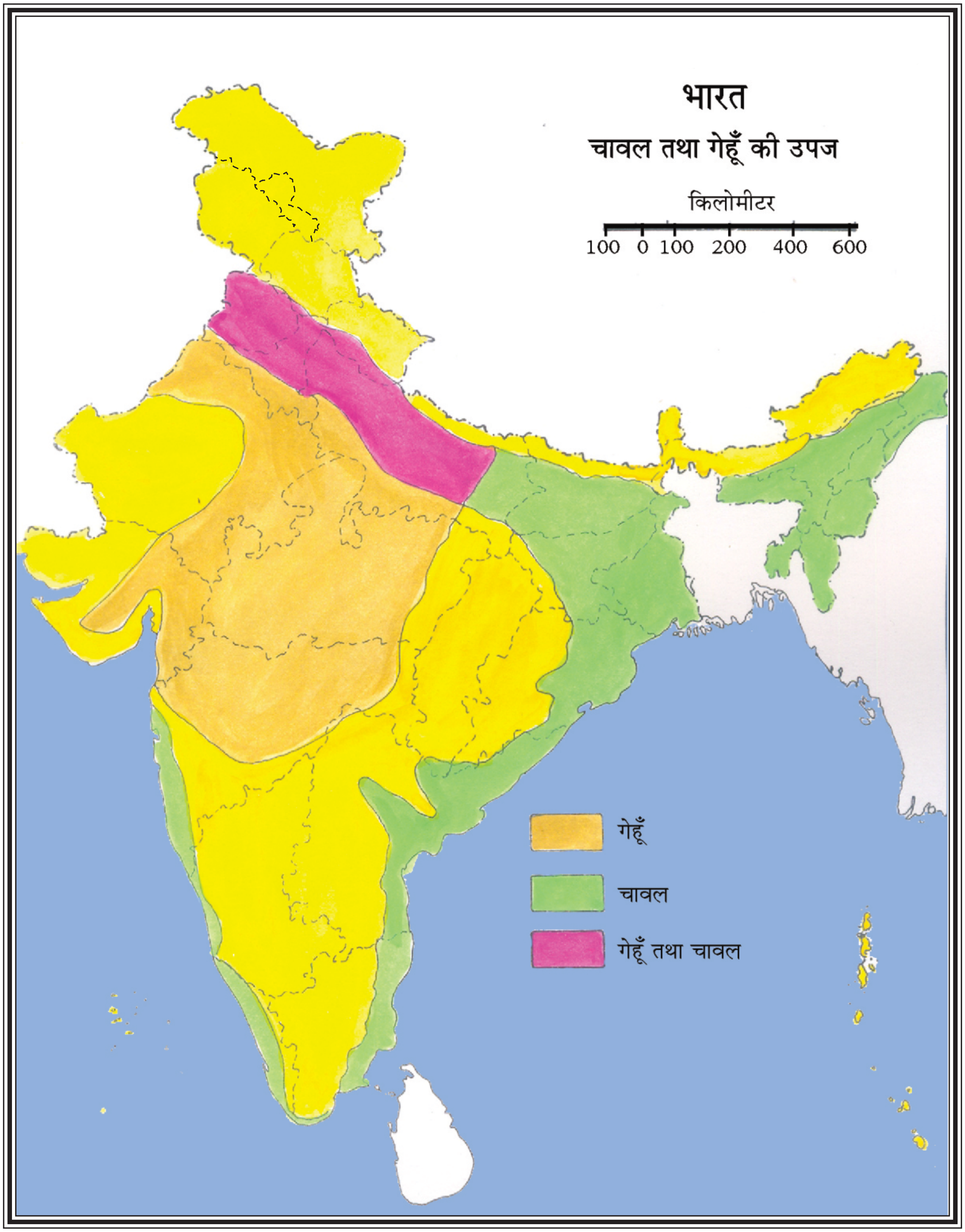
भारत
चावल तथा गेहूँ की उपज
किलोमीटर
100 0 100 200 400 600
गेहूँ
चावल
गेहूँ तथा चावल

1. चावल उत्पादन वाले क्षेत्र–चावल संसार के गर्म और अधिक वर्षा वाले देशों में उगाया जाता है। एशिया महाद्वीप में इस उपज को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि यहां का जलवायु चावलों के लिए अति उत्तम है। जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है वहां चावलों का उपभोग अधिक होता है। चावल भारत में खरीफ की मुख्य उपज मानी जाती है। भारत में चावल मुख्यत: गंगा–ब्रह्मपुत्र के मैदानों, तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा किये जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडू, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा आदि प्रदेश चावल की कृषि के लिए मुख्य माने जाते हैं।

पंजाब में चावल की प्रति हैक्टर उत्पादन देश में सबसे अधिक और देश का लगभग 12.2% चावल पैदा करके पश्चिमी बंगाल के पश्चात दूसरे नंबर में आता है। पंजाब में चावल पैदा करने वाले जिलों में अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोज़पुर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना मुख्य हैं।

2. गेहूं (Wheat)–गेहूं एक ऐसी अनाज उपज है जो संसार के बहुत से अधिक देशों में उगाई जाती है। इस की कृषि नीचे क्षेत्रों से लेकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों तक की जाती है। संसार के धनी देशों के लोग चावल का प्रयोग कम और गेहूं खाना अधिक पसन्द करते हैं। गेहूं को प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट और विटामिन परिपूर्ण अनाज माना जाता है। संसार में गेहूं के मुख्यत: दो प्रकार हैं–सर्दियों की गेहूं और बसन्त ऋतु की गेहूं।

गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व

तापमान	– 10° सैल्सियस से 20° सैल्सियस
वर्षा	– 50° सैंटीमीटर से 100 सैंटीमीटर तक
धरातल	– समतल या थोड़ा ढलान वाला
मिट्टी	– दोमट, चिकनी, काली या लाल मिट्टी
बीज और उर्वरा	– बढ़िया बीज और उर्वरा उत्पादन बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है।
श्रमिक	– बीजने और काटते समय श्रमिकों की आवश्यकता है।

गेहूं बीजने का समय नवंबर–दिसंबर होता है। गेहूं बीजते समय तापमान कम और काटते समय अधिक चाहिये। समय–समय पर इसे वर्षा या सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल के पकते समय मौसम गर्म और शुष्क होना चाहिये।

गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र–चीन, यू. एस. ए., रूस, फ्रांस, कैनेडा, जर्मनी आदि देश संसार के गेंहू पैदा करने वाले मुख्य देश हैं। इन देशों की जनसंख्या कम और भूमि अधिक होने के कारण, उच्च स्तर पर मशीनों का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। यू. एस.ए. के कंसास, डकोटा, मोनटाना, मिनीसोटा, टैकसास (Texas) और महान झीलों (Great Lakes) के समीप के क्षेत्र, कैनेडा के ओंटारियो और ब्रिटिश कोलम्बिया (British Columbia) क्षेत्र गेहूं कृषि के लिए प्रसिद्ध है।

भारत का संसार में गेहूं पैदा करने वाले प्रदेशों में दूसरा स्थान है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी भारत के कुछ राज्य में गेहूँ की कृषि की जाती है। भारत के तीन राज्य–उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पूरे देश की कुल गेहूँ का 72% से भी अधिक भाग पैदा करते हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार राज्यों में भी गेहूं पैदा की जाती है।

पंजाब राज्य के लगभग सभी जिलों में गेहूं पैदा की जाती है। पंजाब में आई 'हरी क्रान्ति' (Green Revolution) ने गेहूं उत्पादन में बहुत अधिक योगदान डाला है। बढ़िया बीज उर्वरा और सिंचाई साधनों की सुविधा होने के कारण पंजाब में गेहूँ उत्पादन में वृद्धि हुई। केन्द्रीय अनाज भण्डार में पंजाब सभी राज्यों में अधिक गेहूं उत्पादन में अपना हिस्सा डालता है।

3. मक्की (Maize)– मक्की के पौधे की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमरीका में हुई। संसार के कई देशों में इसे अनाज के रूप में खाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में मक्की के उत्पादन का आरम्भ कोलम्बस के समय से हुआ, जब वह मक्की के बीज अमरीका से अपने साथ ले कर आया। यूरोप के काफी भागों में मक्की पैदा की जाती है। मक्की से गुलूकोज, कल्फ सटार्च (Starch) और अल्कोहल तैयार किया जाता है। इस से वनस्पति तेल भी तैयार किया जाता है। मक्की को पशुओं के भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

मक्की उत्पादन के लिए आवश्यक अवस्थायें

तापमान	–	18° सैल्सियस से 27° सैल्सियस तक, कोरा रहित मौसम की आवश्यकता है।
वर्षा	–	50 सैंटीमीटर से 100 सैंटीमीटर तक
धरातल	–	समतल या हल्की ढलान वाला
मिट्टी	–	जलौढ़, लाल मिट्टी या और कई प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है।

मक्की का उत्पदान कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है इस उपज को बढ़िया मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। कोरा मक्की की कृषि के लिए हानिकारक है। इस उपज को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचा कर रखना पड़ता है।

मक्की पैदा करने वाले क्षेत्र

यू. एस. ए., चीन और ब्राज़ील जैसे देश संसार के मुख्य मक्की उत्पादन करने वाले देश हैं। यू. एस. ए. अकेला देश ही संसार का लगभग 50% मक्की पैदा करता है और अन्य देशों को निर्यात भी करता है। ब्राजील और अर्जनटाईना भी संसार के मक्की पैदा करने वाले निर्यातक देश है। यू. एस. ए. की मक्की पट्टी (Corn Belt) संसार भर में प्रसिद्ध है जहां सुअर, घोड़े और अन्य पशु मक्की पर पाले जाते है।

भारत के कई राज्यों में मक्की पैदा की जाती है। मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान पूरे भारत की 50% से भी अधिक मक्की पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब मक्की पैदा करने वाले अन्य राज्य है। मध्य प्रदेश के मांडला, उज्जैन, इन्दौर, रतलाम और अम्बूआ ज़िले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर और चम्बा और पंजाब के रूपनगर, अमृतसर, होशियारपुर और जालंधर ज़िले मक्की के प्रमुख उत्पादक हैं। पंजाब राज्य में मक्की के अर्न्तगत क्षेत्र कम हो रहा है और इसका स्थान पर दूसरी उपजें ले रही हैं।

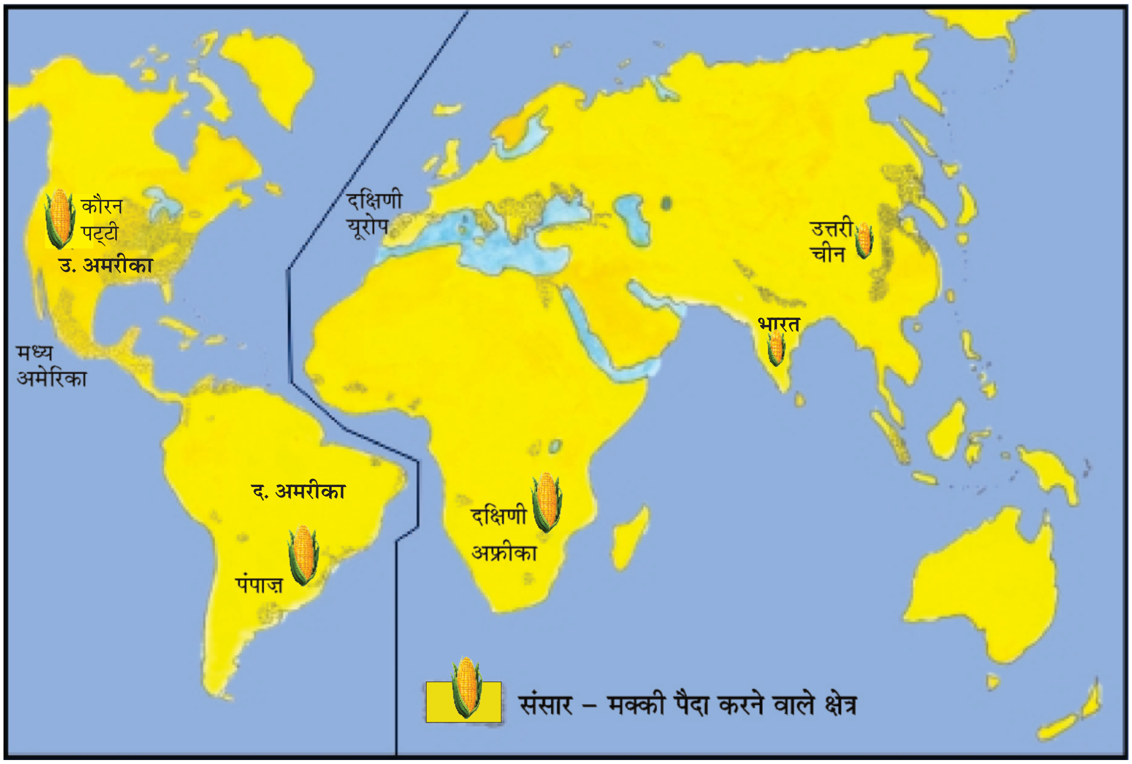
कौरन
पट्टी
उ. अमरीका
मध्य
अमेरिका
दक्षिणी
यूरोप
उत्तरी
चीन
भारत
द. अमरीका
पंपाज़
दक्षिणी
अफ्रीका
संसार – मक्की पैदा करने वाले क्षेत्र

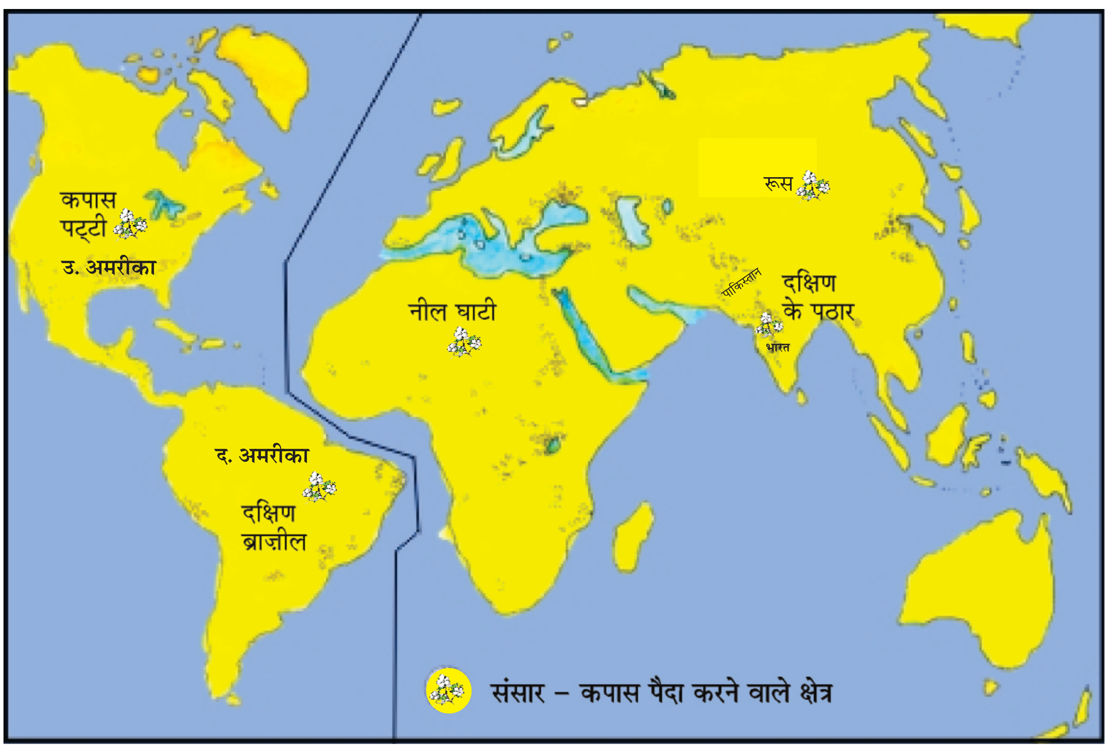
कपास
पट्टी
उ. अमरीका
रूस
नील घाटी
पाकिस्तान
दक्षिण
के पठार
भारत
द. अमरीका
दक्षिण
ब्राज़ील
संसार – कपास पैदा करने वाले क्षेत्र

चावल, गेहूं और मक्की के अतिरिक्त और भी कई अनाज उपजें संसार के भिन्न-भिन्न भागों में पैदा की जाती है। इन उपजों में जौं, बाजरा, ज्वार, दालें और तेलों वाले बीज मुख्य हैं। जौं, ज्वार और बाजरा मनुष्य और जानवरों दोनों द्वारा ही खाद्य अन्न की तरह प्रयोग किया जाता है। दालें हमारे सब के लिए खाने का मुख्य अंग मानी जाती हैं। तेलों वाले बीज जैसे कि सरसों, तिल और सूर्यमुखी की कृषि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है। तेल हमारे खाने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। दालें, तेल और बीजों की कृषि से कृषकों को बहुत अधिक आय होती है।

रेशेदार उपजें (Fibre Crops)

रेशा मुख्य रूप से हमें दो साधनों द्वारा प्राप्त होता है। जानवरों से और पौधों से। जानवरों की श्रेणी में मुख्य रूप से भेड़ें ऐसे जानवर है जिस से बहुत मात्रा में रेशा प्राप्त किया जाता है। यह रेशा गर्म कपड़ा बनाने के काम आता है। दूसरा कई पौधों से भी रेशा प्राप्त किया जाता है। अधिकतर रेशा हम कपास और पटसन के पौधों से प्राप्त करते है। कपास को कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, पटसन से बोरियां, टाट, रस्सा और कपड़ा तैयार किया जाता है। इस पाठ में हम पौधों से प्राप्त रेशेदार उपजें-कपास और पटसन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे।

कपास (Cotton)

कपास, पौधों से प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रेशा है। इस से बनने वाला कपड़ा भार में हल्का और पहनने के लिए उत्तम क्वालटी का माना जाता है। कपास को रेशों की लम्बाई के आधार पर लम्बे रेशों वाली (Long Staple Cotton), मध्य दर्जे वाले रेशा (Middle Staple) और छोटे रेशों वाली (Short Staple Cotton), तीन श्रेणीयों में बांटा जा सकता है। लम्बे रेशों वाली कपास सबसे बढ़िया और भाव में महंगी होती है।

कपास उत्पादन के लिए आवश्यक अवस्थायें

तापमान	–	20° सैल्सियस से 30° सैल्सियस तक और कम से कम 20 कोरा रहित दिन
वर्षा	–	50 सैंटीमीटर से 100 सैंटीमीटर तक
धरातल	–	समतल या हल्की ढलान वाली भूमि
मिट्टी	–	काली, जलौढ़ मिट्टी और उर्वरा की आवश्यकता होती है।
श्रमिक	–	कपास के चुनने के लिए सस्ते और शिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

कपास की उपज मैदानों में अप्रैल, मई के महीने में बीजी जाती है और कोरा शुरू होने से पहले दिसम्बर तक संभाल ली जाती है। भारत के दक्षिण भागों में कपास की उपज अक्तूबर से अप्रैल-मई तक होती है क्योंकि वहां ठंड या कोरे की कोई सम्भावना नहीं होती। कपास को बिमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए अच्छे बीज और कीड़े मार दवाईयों की अधिक आवश्यकता है। कपास के फूल या डोडे चुनने के लिए सस्ते और शिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है।

कपास चुनती औरतें

कपास पैदा करने वाले क्षेत्र

यू. एस. ए. प्रथम स्थान पर, सोवियत संघ के देश, चीन, मैक्सीको, मिस्र, सूडान, भारत और पाकिस्तान आदि देश, संसार के प्रमुख कपास पैदा करने वाले अन्य देश हैं। भारत, चीन और यू. एस. ए. के पश्चात् संसार में तीसरे स्थान पर, कपास पैदा करने वाला देश है। यू. एस. ए. में कपास पैदा करने की बहुत पुरानी रीत है, परन्तु धीरे धीरे कपास का उत्पादन देश में कम हो रहा है। रूस और अजबेकिस्तान भी काफी मात्रा में कपास पैदा करते हैं। चीन में कपास का उत्पादन और खप्त दोनों ही अधिक है। मिस्र देश भी लम्बी रेशे वाली कपास के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के पंजाब और सिन्ध प्रदेश कपास पैदा करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

भारत में काली मिट्टी वाले राज्य कपास पैदा करने में बाकी राज्यों से आगे हैं। भारत में भी बढ़िया प्रकार के बीज और उर्वरा की सहायता से लम्बे रेशे वाली कपास की कृषि की जाती है। देश में कपास पैदा करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश देश की 60% से भी अधिक कपास पैदा करने वाले प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है जोकि कपास पैदा करने में सहायक होती है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 25% कपास पैदा कर रहे हैं। देश में अमरावती, नंदेड़, वग्धा, जलगाऊ, महाराष्ट्र, सुरेन्द्रनगर, वधोदरा (गुजरात), गंटूर, प्रकासम (आंध्र प्रदेश) बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर (पंजाब) आदि जिले कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पंजाब में बी.टी. काटन बीज बढ़िया नतीजे दे रहे हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र में इसे सफेद सोना या श्वेत सोना (White gold) भी कहा जाता है। भारत में मुम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर, शोलापुर, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं।

पटसन (Jute)– पटसन रीड़ (Reed) जैसा पतला और लम्बा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 10-12 फुट तक बढ़ जाती है। पटसन दो प्रकार का होता है। एक खुरदरा और दूसरा थोड़ा नरम रेशा वाला होता है। कपास और पटसन का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि दोनों का प्रयोग अलग-अलग प्रकार से किया

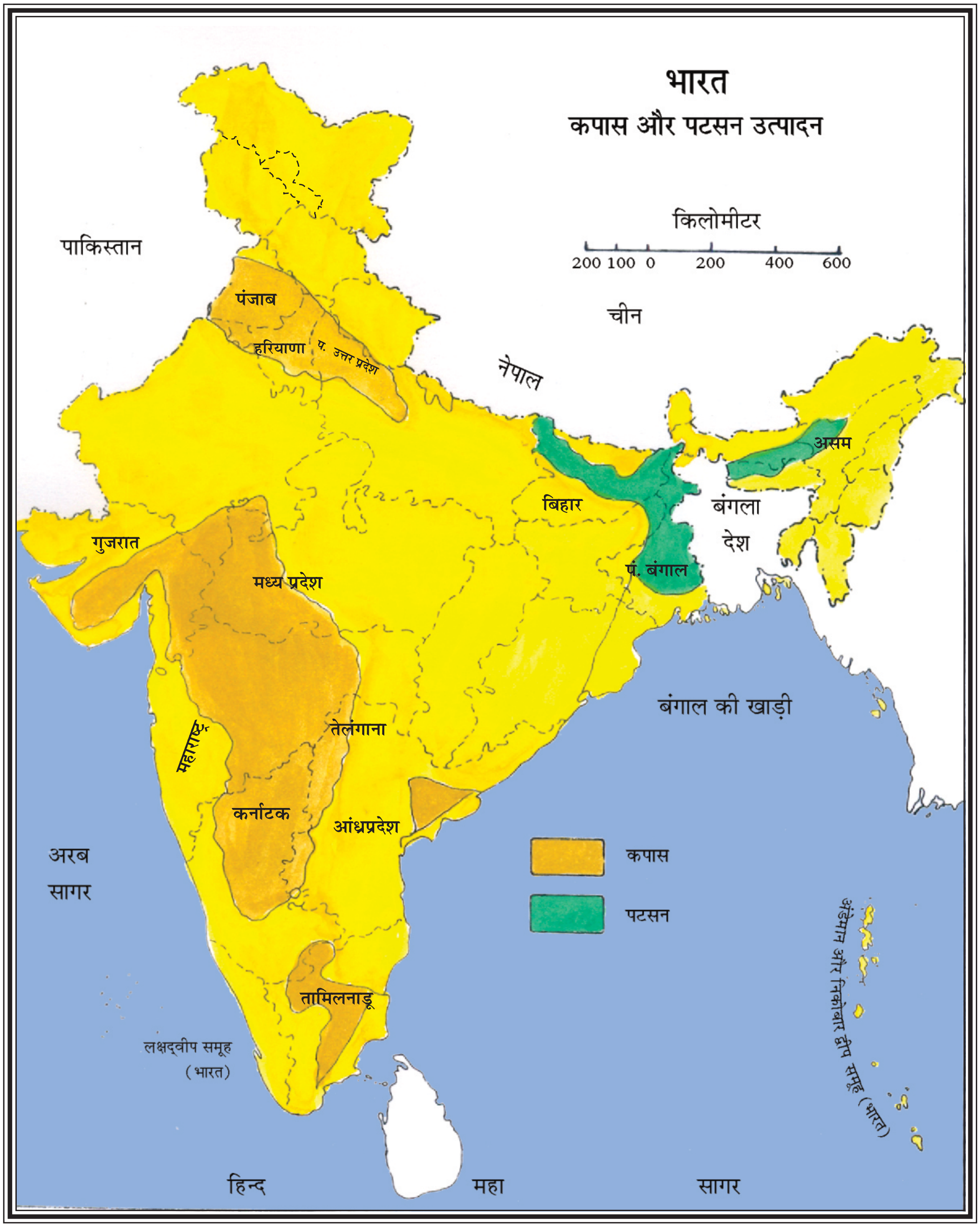
भारत
कपास और पटसन उत्पादन
किलोमीटर
200 100 0 200 400 600
पाकिस्तान
चीन
नेपाल
पंजाब
हरियाणा
प. उत्तर प्रदेश
असम
बिहार
बंगला
देश
पं. बंगाल
गुजरात
मध्य प्रदेश
बंगाल की खाड़ी
तेलंगाना
महाराष्ट्र
कर्नाटक
आंध्रप्रदेश
कपास
पटसन
अरब
सागर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
तामिलनाडू
लक्षद्वीप समूह
(भारत)
हिन्द
महा
सागर

जाता है। परन्तु प्लास्टिक और (Synthetic Fibre) कृत्रिम रेशों के आने से पटसन से बनी वस्तुओं को खतरा पैदा हो रहा है।

पटसन पैदा करने के लिए आवश्यक अवस्थायें :

तापमान	–	24° सैल्सियस से 35° सैल्सियस
वर्षा	–	120 सैंटीमीटर से 150 सैंटीमीटर तक और 80 से 90 प्रतिशत सपेक्ष नमी जरूरी है।
धरातल	–	समतल धरातल
मिट्टी	–	जलौढ़, चिकनी और दोमट मिट्टी
श्रमिक	–	अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

पटसन को प्राय: फरवरी, मार्च मास में बीजा जाता है और अक्तूबर मास में काट लिया जाता है। कई जल्दी तैयार होने वाली फसलें भी उगाई जा रही हैं। पटसन की फसल काटने के पश्चात् इसकी गांठे बना कर खड़े जल के नीचे दो-तीन सप्ताह तक रखा जाता है। जब पौधे का रेशा नर्म होकर उतरने लगता है, तो उस समय इसे पानी में से निकाल कर, सुखा लिया जाता है। फिर इससे रेशा अलग कर दिया जाता है और इसे साफ करके भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग कर लिया जाता है।

पटसन पैदा करने वाले क्षेत्र

संसार में चीन, भारत, बंगलादेश, थाईलैंड और ब्राज़ील पटसन पैदा करने वाले मुख्य देश हैं। पटसन पैदा करने के लिए गर्म और सीला जलवायु काफी उपयुक्त है। भारत और बंगलादेश पटसन उत्पादन में सब देशों से आगे है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नहरों के डेल्टाई भागों में इसकी कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत के चार राज्य-पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा पूरे भारत का लगभग 99% पटसन पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पटसन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में भी पैदा किया जाता है। नाडीयां, मुर्शीदाबाद, 24 परगना, जलपईगुरी, हुग्ली (प. बंगाल), पुरनीयां, दरभंगा (बिहार) गोलपाड़ा,दुर्ग, सिबसागर (आसाम) आदि जिले पटसन पैदा करने वाले देश के मुख्य क्षेत्र हैं। पश्चिमी बंगाल में पटसन पैदा करने के लिए सभी अवस्थायें अनुकूल हैं। अकेला पश्चिमी बंगाल राज्य पूरे देश का 80% पटसन पैदा करता है और अधिक पटसन उद्योग यहां भी लगाये गये हैं।

पेय उपजें (Beverage Crops)

पेय उपजों में मुख्यत: चाय, कॉफी या कोको (Co-Coa) को शामिल किया जाता है। आधुनिक समय में पेय उपजों का अधिक प्रचलन है। प्रतिदिन सुबह उठने के पश्चात् और दिनचर्या शुरू करने से पहले चाय या कॉफी का कप हम सबके लिए अति आवश्यक माना जाता है। इनके पीने के पश्चात् हम अपने आपको अधिक चुस्त महसूस करते हैं। पेय उपजों में उत्तेजना पैदा करने वाले तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर में जोश एवं उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। सर्दी या ठंडे मौसम में इनको गर्म और गर्म मौसम में इसे ठंडे

के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे गर्म या ठंडी कॉफी। यहां हम चाय और कॉफी पेय उपजों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे।

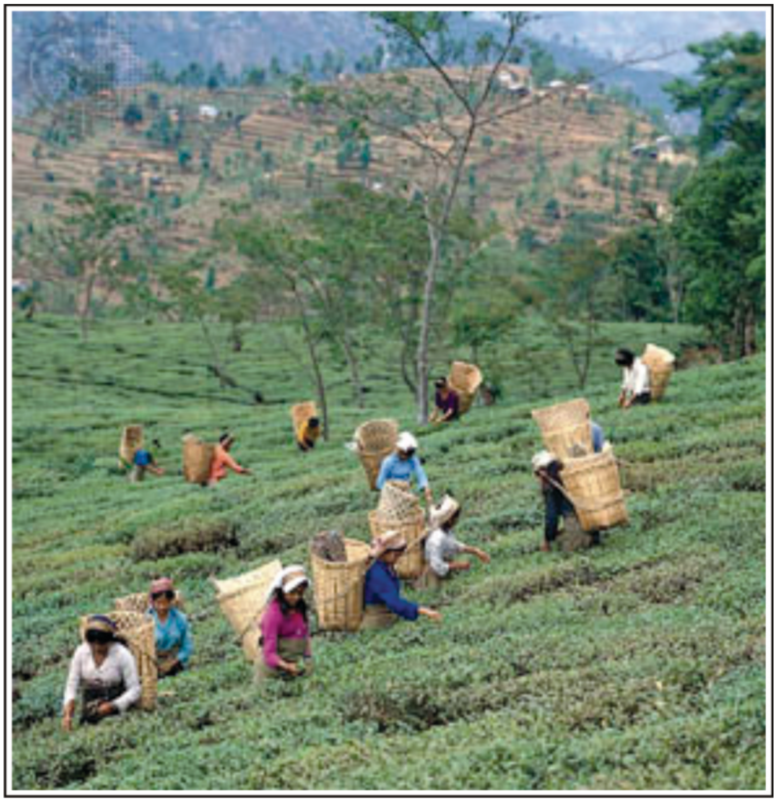

चाय की पत्तियाँ इकट्ठी करती स्त्रियाँ

चाय–चाय का पौधा झाड़ी जैसा होता है और इन पौधों की पत्तियों से चाय पत्ती प्राप्त की जाती है। माना जाता है कि चाय छटी शताब्दी में चीन से शुरू हुई और उसी समय से ही चीन और जापान में पी जाती है। सत्रारहवीं शताब्दी तक चाय ब्रिटेन और यूरोप में भी पी जाने लगी और इसे पीना बड़े (अमीर) लोगों का शौंक माना जाता था। आज के समय में तो चाय आम पीने वाला पदार्थ बन गया है। चाय की दो किस्में 'काली चाय' और 'हरी चाय' प्रसिद्ध हैं।

चाय पैदा करने वाली आवश्यक अवस्थायें :

तापमान	–	20° सैल्सियस से 30° सैल्सियस तक
वर्षा	–	150 सैंटीमीटर से 300 सैंटीमीटर तक
धरातल	–	ढलानदार भूमि
मिट्टी	–	दौमट मिट्टी, जंगली मिट्टी (जिस में लौह एवं जैविक तत्वों की बहुलता हो)
श्रमिक	–	अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
मण्डी	–	चाय का मांग क्षेत्र, जहां वह बेची जा सके।

चाय के पौधों को साफ की हुई ढलानों पर लगाया जाता है। पौधों के विकास के लिए उर्वरा की आवश्यकता होती है। वर्षा पूरे वर्ष एक जैसी होनी चाहिए पर वर्षा का पानी पौधे की जड़ों में खड़ा नहीं होना चाहिये। चाय के पौधे को कांट-छांट की आवश्यकता होती है, ताकि पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो सके।

चाय पैदा करने वाले क्षेत्र

संसार में चाय पैदा करने वाले देशों में चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, ताईवान, इंडोनेशिया और

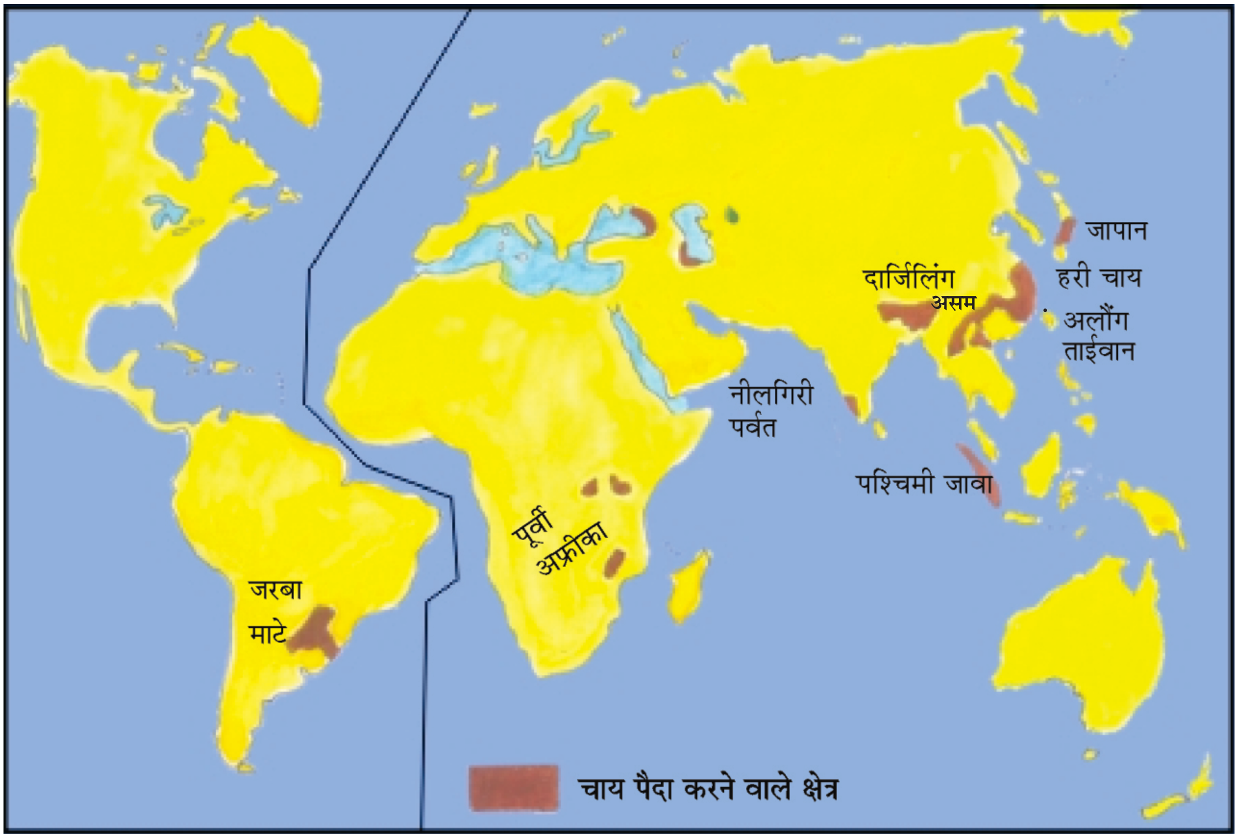
जापान
हरी चाय
दार्जिलिंग
असम
अलौंग
ताईवान
नीलगिरी
पर्वत
पश्चिमी जावा
पूर्वी
अफ्रीका
जरबा
माटे
चाय पैदा करने वाले क्षेत्र

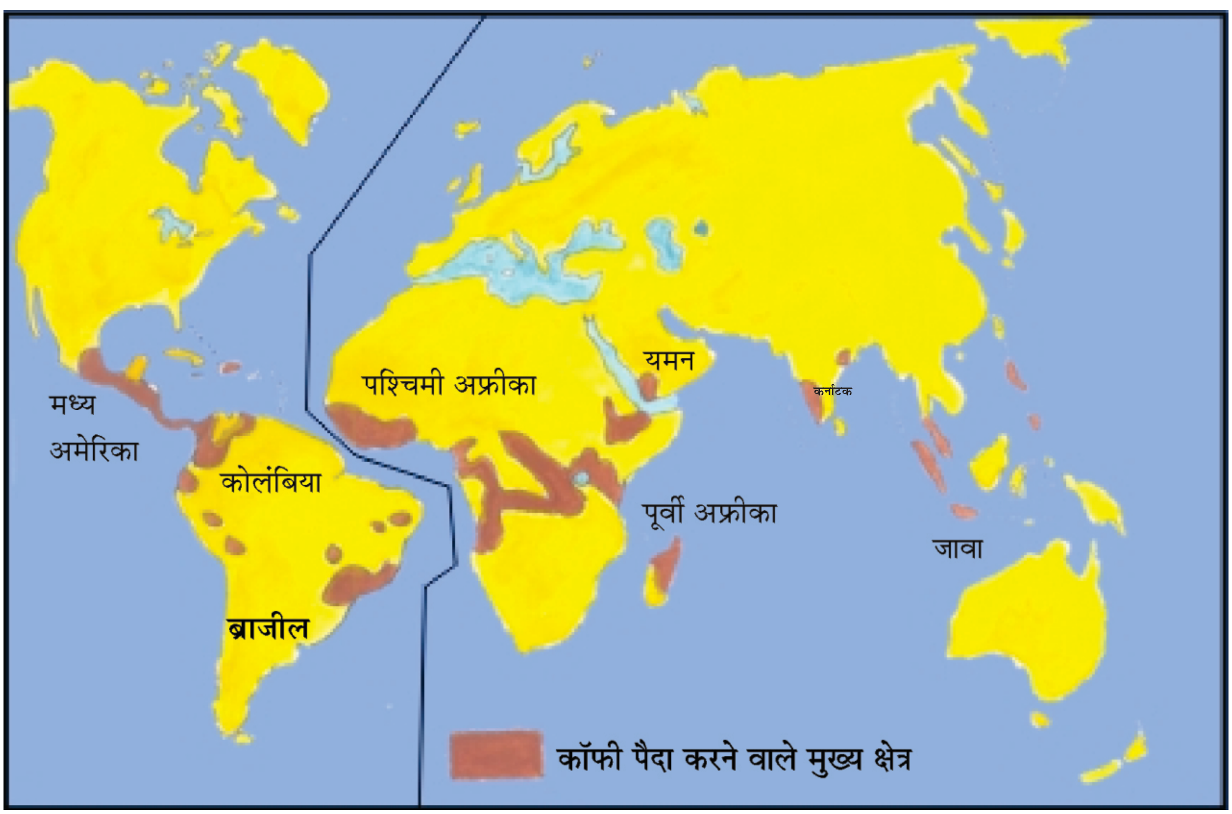
यमन
कर्नाटक
पश्चिमी अफ्रीका
मध्य
अमेरिका
कोलंबिया
पूर्वी अफ्रीका
जावा
ब्राजील
कॉफी पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र

बंगला देश प्रमुख हैं। चीन बहुत प्राचीन समय से चाय पैदा करने वाला देश रहा है। परन्तु अब चीन में चाय उत्पादन लगातार कम हो रहा है। श्रीलंका बढ़िया प्रकार की चाय पैदा कर रहा है और संसार में चाय उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। जापान अपनी आवश्यकता ही पूरी करता है। ताईवान में ऊलौंग (Oolong tea) नामक चाय अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के ज्वालामुखी पर्वतों की ढलानों पर चाय की कृषि की जाती है। यहां से चाय का निर्यात नीदरलैंड को किया जाता है। बंगलादेश भी संसार का लगभग 2% चाय पैदा करता है।

भारत इस समय संसार के सब देशों से अधिक चाय उत्पन्न कर रहा है। देश में चाय का प्रयोग भी संसार के दूसरे देशों की तुलना में सबसे अधिक है। आसाम, पश्चिमी बंगाल, तामिलनाडू, केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक आदि में चाय उत्पन्न करने वाले भारत के मुख्य राज्य हैं। अकेला आसाम राज्य ही भारत की कुल चाय का 51% हिस्सा पैदा कर रहा है। आसाम की ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां चाय उत्पादन के लिए अति प्रसिद्ध मानी जाती हैं। डिबरुगढ़, लखीमपुर, सिबसागर, दुर्ग, नगाऊ, गोलपाड़ा और कछार ज़िले आसाम के चाय उत्पादन करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। पश्चिमी बंगाल देश की 22% चाय पैदा करता है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुच बिहार के जिलों में चाय पैदा की जाती है। तामिलनाडू में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर चाय पैदा की जाती है। कोटायाम (Kottayam) कोलाम (Kollam), थिरूवान्थापुरम (केरल), हसन, चिकमंगलूर(कर्नाटक), देश के और महत्वपूर्ण चाय पैदा करने वाले जिले हैं। भारत देश, रूस, यू. के., यू. एस. ए., जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ईरान, ईराक और कई देश चाय का निर्यात करते हैं। वर्ष 2003-2004 में भारत ने चाय का निर्यात करने पर 1637 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्त की।

2. कौफी (कॉफी) (Coffee)–कौफी भी एक पेय पदार्थ है। अफ्रीका महाद्वीप को कौफी के पौधे का जन्मदाता कहा जाता है। ईथोपिया (अफ्रीका) से इसकी प्रारंभता मानी जाती है। ईथोपिया से इसे साऊदी अरब में ले जाया गया। कीमत के हिसाब से कॉफी चाय से अधिक महंगी है। कॉफी के पौधों में लगे बीजों को सुखाकर, भूनकर और पीसकर कॉफी पाउडर तैयार किया जाता है। कॉफी में ''कैफीन'' नाम का एक नशे का तत्व होता है, जो हमारे शरीर में जाकर उत्तेजना पैदा करता है। कॉफी का प्रयोग गर्म और ठंडे दोनों ही देशों में किया जाता है। कॉफी, अरेबिका (Arabica), रोबसटा (Robusta), और लाईबैरिका (Liberica) विभिन्न रूपों में पाई जाती है।

कॉफी के बीजों को सुखाया जाता है

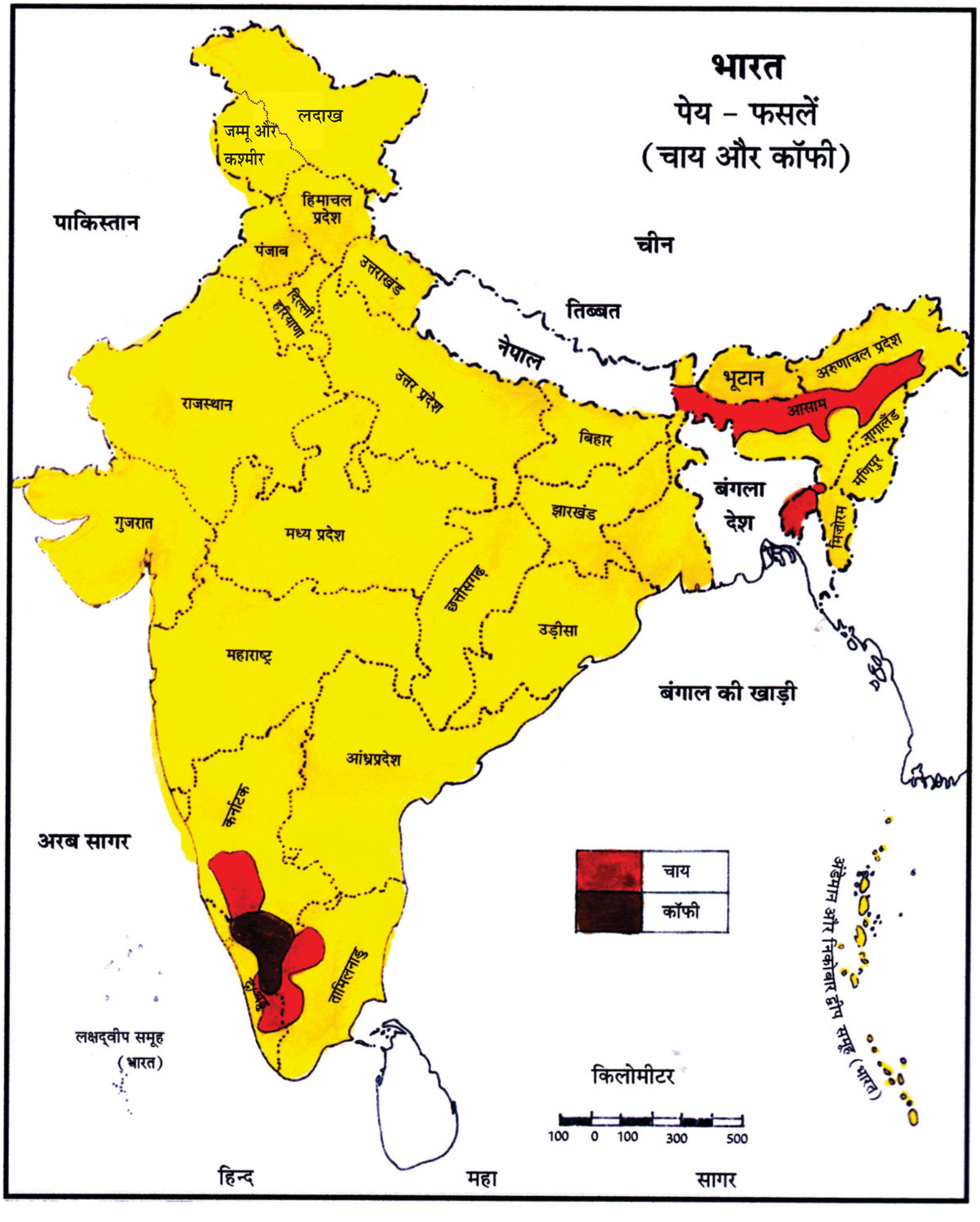
भारत
पेय – फसलें
(चाय और कॉफी)
लदाख
जम्मू और
कश्मीर
हिमाचल
प्रदेश
पाकिस्तान
चीन
पंजाब
उत्तराखंड
दिल्ली
हरियाणा
तिब्बत
नेपाल
भूटान
अरुणाचल प्रदेश
आसाम
नागालैंड
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
बिहार
मणिपुर
बंगला
देश
मिजोरम
गुजरात
मध्य प्रदेश
झारखंड
छत्तीसगढ़
उड़ीसा
महाराष्ट्र
बंगाल की खाड़ी
आंध्रप्रदेश
कर्नाटक
अरब सागर
चाय
कॉफी
तमिलनाडु
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
लक्षद्वीप समूह
(भारत)
किलोमीटर
100 0 100 300 500
हिन्द
महा
सागर

कॉफी उत्पादन के लिए आवश्यक अवस्थायें

तापमान	–	15° सैल्सियस से 18° सैल्सियस तक
वर्षा	–	100 सैंटीमीटर से 200 सैंटीमीटर तक
धरातल	–	पर्वतीय एवं ढलानदार धरातल उपयुक्त है
मिट्टी	–	दोमट या जैविक मादा वाली मिट्टी
श्रमिक	–	कॉफी के भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों को अलग-अलग करने के लिए शिक्षित श्रमिक

कॉफी के पौधे पहले नर्सरी में लगाये जाते हैं। छः या आठ महीनों के बाद कॉफी लगाने वाले तैयार खेतों में नर्सरी के छोटे पौधों को लगा दिया जाता है। जब यह पौधे तीन-चार वर्ष के हो जाते हैं, तो यह फल देना शुरू कर देते हैं। एक बार यह कॉफी के पौधे लगाने के बाद लगभग यह 30वर्ष तक फल देते रहते हैं, परन्तु इनकी संभाल बहुत आवश्यक है। समय-समय पर खेतों में उर्वरा, पौधों की कटाई व छटाई और सिंचाई की आवश्यकता होती है। कॉफी के पौधे के उगने के समय और फसल पकने के समय गर्म और धूप वाला मौसम चाहिये। कॉफी के पौधे की ऊंचाई लगभग 8 फुट तक रखी जाती है।

कॉफी पैदा करने वाले क्षेत्र

संसार में ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया और भारत जैसे देश कॉफी का उत्पादन करते हैं। ब्राज़ील अकेला ही संसार का लगभग चौथा हिस्सा (25%) कॉफी पैदा करता है। ब्राज़ील में कॉफी पैदा करने के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी तत्व उपलब्ध है। यह काफी मात्रा में कॉफी निर्यात भी करता है। कोलम्बिया, दक्षिणी अमेरिका का दूसरा देश है जो संसार का लगभग 15% कॉफी का उत्पादन करता है। कोलम्बिया की कॉफी का स्वाद और खुशबू ब्राज़ील की कॉफी से भी बढ़िया है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया और मध्य अमेरिका के और देश भी कॉफी का अधिक उत्पादन करते हैं।

भारत देश संसार का केवल 2.2% कॉफी पैदा करता है। देश में कर्नाटक, केरल, तामिलनाडू और आंध्र प्रदेश कॉफी का उत्पादन करते हैं। अकेला कर्नाटक राज्य ही भारत की कॉफी का 70% हिस्सा पैदा करता है। कोडंगू, चिकमंगलूर, शिमोगा, मलाधर्म, कोलम, कजूर (केरल), नीलगिरी, मदूराये, सेलम, कोयम्बटूर (तामिलनाडू) आदि जिले कॉफी उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। भारत चाहे कि कॉफी उत्पादन में काफी पीछे है परन्तु फिर भी यू. के., यू. एस. ए., रूस, आस्ट्रेलिया और ईराक आदि देशों को कॉफी निर्यात करता है।

कृषि का विकास (Development of agriculture)

मानव ने जब से कृषि का धंधा शुरू किया है तब से ही कृषि के विकास की ओर लगा हुआ है। उपजों के लिए नये-नये बीज और भिन्न-भिन्न कृषि ढंगों का विकास करके उत्पादन को बढ़ाना उसका

उद्देश्य रहा है। वैसे भी जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि का विकास करना अति आवश्यक हो गया है। आज का कृषक कृषि केवल अपने निर्वाह के लिए ही नहीं करता, बल्कि अपनी भिन्न-भिन्न अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी उपजों को विक्रय की दृष्टि से उगाता है। उपजों को मंडी में बेचकर अधिक धन कमाना, आधुनिक कृषक की जरूरत और सोच है।

संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कृषि के विकास में बहुत सी भिन्नतायें देखने को मिलती हैं। बहुत से देश कृषि विकास में काफी आगे हैं और कई देशों में कृषि का पिछड़ापन भी देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादा भागों में कृषि अभी भी पिछड़ी अवस्था में दिखाई देती है। दूसरी और उत्तरी अमरीका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में कृषि एक बहुत ही लाभदायक धंधा माना जाता है। पाठ के इस भाग में हम उदाहरण के लिए यू. एस. ए. और भारत के एक राज्य पंजाब की कृषि पर एक झलक डालते हैं।

यू. एस. ए. में कृषि की एक झलक

यू. एस. ए. कृषि के पक्ष में विकसित देश माना जाता है। इस देश के लगभग 30% लोग कृषि धंधे में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि कृषि का सारा काम मनुष्य के स्थान पर मशीनों द्वारा किया जाता है और बाकी के लोग उद्योगों या नौकरियों पर निर्भर हैं। यहाँ कृषि देश की भूमि के लगभग 20% भाग पर की जाती है। देश के उत्तरी-पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी, भीतरी मैदान और तटीय क्षेत्र कृषि के मुख्य हिस्से हैं। देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की उपजें उगाई जाती हैं।

यू.एस.ए. : बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग

यू. एस. ए. में भारत की तुलना में कृषकों के पास कृषि करने के लिए अधिक भूमि है। खेतों का आकार बड़ा है। यहां के एक फार्म का औसतन आकार 700 एकड़ है। खेतों का आकार बड़ा होने के कारण यहां विस्तृत (Extensive) प्रकार की कृषि की जाती है। मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यू. एस. ए. के फार्मों में मशीनों के बिना कृषि करना असंभव है। एक फार्म में एक ही प्रकार (Single Crop) की कृषि की जाती है। फसलों की बीजाई से लेकर फलों को स्टोरों और मण्डियों तक लेकर जाना, सारा काम मशीनों द्वारा ही किया

जाता है। कृषि के लिए हैलीकाप्टर और वायुयानों का भी प्रयोग किया जाता है। यहां का कृषक मिट्टी की किस्म, जलवायु और सिंचाई साधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही फसल का चुनाव करता है। यहाँ कीटनाशक दवाईयों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। यू. एस. ए. का कृषक एक कृषक के समान नहीं बल्कि एक व्यापारी की तरह कृषि करता है।

पंजाब (भारत) में कृषि की एक झलक

पंजाब, भारत के और राज्यों की तुलना में कृषि में बहुत आगे है। पंजाब की कुल आय में कृषि द्वारा प्राप्त आय का लगभग 35% योगदान है। यहाँ के लगभग 58% लोग कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। मिट्टी की उर्वकता (उपजाऊ) शक्ति को बनाये रखने के लिए कृषक खादों का प्रयोग करता है। पंजाब के कृषकों के पास भूमि कम होती है और खेतों का आकार 5 से 25 एकड़ तक है। बहुत से कृषकों के पास भूमि इससे भी कम है। केवल 6% कृषकों के पास भूमि 25 एकड़ से अधिक है। पंजाब में कृषक अपने खेतों में अलग-अलग प्रकार की उपज उगाता है। फसलों की यह भिन्नता मुख्य रूप में जलवायु, खेतों का आकार, मिट्टी की किस्में, सिंचाई साधनों का प्रबन्ध और कृषक की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पंजाब का कृषक अब अधिक उत्पादन और विकसित बीजों का प्रयोग करता है। खेत के अनुरूप ट्रैक्टर और हारवैस्टर का भी प्रयोग करता है। पंजाब में सारी कृषि योग्य भूमि सिंचाई पर निर्भर करती है। कृषि में उपज की अधिक पैदावार होने के लिए कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। पंजाब में चाहे कृषक मशीनों का प्रयोग करता है फिर भी उसे श्रमिकों की सहायता लेनी पड़ती है। इस बात का अन्दाजा हम कृषि में लगे लोगों द्वारा कर सकते हैं। जहां यू. एस. ए. में 30% लोग कृषि कार्यरत हैं। वहां पंजाब में 58% लोग इस धन्धें में लगे हुए हैं। यहां का कृषक (थोड़े बड़े कृषक को छोड़कर) यू. एस. ए. के कृषकों की तरह कृषि को एक व्यापार की तरह नहीं करता।

पंजाब के खेतों में ट्रैक्टर और हारवैस्टर का प्रयोग

याद रखने योग्य तथ्य

(Something to remember)

कृषि – एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन धंधा है।

परिभाषा – कृषि का अर्थ है, फसलें पैदा करनी, पशु पालना और कृषि सम्बन्धी धन्धों को अपनाना।

कृषि को प्रभावित करने वाले तत्व –

- जलवायु
- धरातल
- मिट्टी
- सिंचाई सुविधा
- कृषि करने के ढंग
- मण्डियों की सुविधा
- यातायात संसाधन, बैंक आदि की और सुविधाएं

कृषि के प्रकार

- स्थाई कृषि
- अस्थाई या स्थानांतरित कृषि
- शुष्क कृषि
- गीली या सम कृषि
- सघनी कृषि
- विशाल कृषि
- मिश्रित कृषि

बागवानी कृषि

निजी कृषि

सहकारी कृषि

सांझी कृषि

बागाती कृषि

निर्वाह कृषि

व्यापारिक कृषि

मुख्य फसलें –

अन्न फसलें–चावल, गेहूं, मक्की, ज्वार, बाजरा, दालें, तेल और बीज।

रेशेदार फसलें–कपास, पटसन और सन्

पेय फसलें–चाय, कॉफी, कोको

सब्जियां और फल–सेब, संगतरा, केला, आम, आड़ू और सब्जियां

फसलें पैदा करने के लिए भूगोलिक अवस्थाएँ

सैल्सियस	चावल	गेहूं	मक्की	कपास	पटसन	चाय	कॉफी
तापमान	20°-30°सैं	10°-20°सैं	18°-27°सैं	20°-30°सैं	24°-35°सैं	20°-30° सैं	15°-28° सैं
वर्षा सै. मी.	100-200	15-100	50-100	50-100	120-150	150-300	100-200
धरातल	समतल	समतल या ढलान वाला	समतल या साधारण ढलान	समतल या हल्की ढलान	समतल	ढलान वाला	ढलान वाला
मिट्टी	जलौढ़, चीकनी	दोमट, चीकनी लाल	जलौढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी	लाल, काली व जलौढ़ मिट्टी	जलौढ़, दोमट व चीकनी	दोमट व जंगली मिट्टी	दोमट, जैविक मादा मिट्टी
श्रमिक	आवश्यक है	आवश्यक है		शिक्षित श्रमिक चाहिए	आवश्यक है	शिक्षित श्रमिक चाहिए	शिक्षित व टरेंड श्रमिक चाहिए
फसलें पैदा करने वाले देश	चीन, भारत, बंग्लादेश, जापान और दक्षिण-पूर्वी	चीन, यू.एस. ए. रूस, फ्रांस कैनेडा, जर्मनी	यू. एस. ए. चीन, ब्राज़ील	यू. एस. ए., सोवियत रूस, चीन, मैक्सिको, मिस्त्र, सुडान	चीन, भारत, बंग्लादेश, ब्राज़ील, थाईलैंड	चीन, भारत जापान, श्रीलंका, ताईवान, इंडोनेशिया, बंग्लादेश	ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ईथोपिया, भारत
भारत में मुख्य राज्य (फसलें)	बिहार, उड़ीसा, प. बंगाल, पंजाब, तामिलनाडू।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार।	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।	गुजरात, महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।	पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक।	आसाम, प. बंगाल, तामिलनाडू, केरल, त्रिपुरा,	कर्नाटक, केरल, तामिलनाडू, आंन्ध्र प्रदेश।

कृषि का विकास

यू. एस. ए.– खेतों का बड़ा आकार, विशाल प्रकार की कृषि, मशीनों का प्रयोग, फसलों का उत्पादन एक व्यापरी के रूप में, प्रति एकड़ उपज कम।

पंजाब– खेतों का आकार छोटा, संघनी कृषि, मशीनों का कम प्रयोग, कृषक अपने निर्वाह और मण्डी में बेचने के लिए कृषि, उत्पादन प्रति एकड़ अधिक।

अभ्यास

I. नीचे दिये प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो।

1. कृषि से आपका क्या अभिप्राय है ?
2. कृषि को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ?
3. अनाज उपजों के नाम लिखो।

4. ''कद्दू'' करना किसे कहते हैं ?
5. मक्की से क्या-क्या तैयार किया जाता है ?
6. 'रेशे की लम्बाई' के आधार पर कपास की किस्में बताइये।
7. पटसन से कौन-कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं ?
8. चाय का पौधा किस प्रकार का होता है।
9. कॉफी की तीन किस्मों के नाम लिखो।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दो।

1. कृषि कितने प्रकार की है ? सघन और विशाल कृषि में अन्तर लिखो।
2. चावल पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?
3. पंजाब में कपास उत्पादन पर एक नोट लिखो।
4. चाय और कॉफी के पौधों की संभाल कैसे की जाती है ?
5. यू. एस. ए. में कृषि के लिए मशीनों के प्रयोग पर एक नोट लिखो।

III. भारत के नक्शे में निम्नलिखित उपजें पैदा करने वाले दो-दो स्थान दिखायें।

1. चाय 2. गेहूं 3. चावल
4. कपास 5. पटसन

क्रियाकलाप (Activity) :

अपने क्षेत्र में पैदा की जानी वाली (खरीफ) गर्मी और रबी (सर्दी) की फसलों में से तीन-तीन के नाम लिखकर उनके लिए आवश्यक भौगोलिक अवस्थायों का वर्णन अपनी कापी में लिखें।

पाठ 5
आपदा प्रबन्धन (Disaster Management)

मानव प्राचीन समय से ही कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करता आ रहा है। प्रारम्भ में तो ये कठिनाईयां या समस्याएं प्रकृति द्वारा पैदा होती थीं। परन्तु जैसे-जैसे मानव ने विकास की ओर कदम बढ़ाया वैसे-वैसे ही कठिनाईयों का रूप और इन के कारण भी बदलते गये। वर्तमान समय में मानव अपने द्वारा उत्पन्न किये हुए बहुत से खतरों का गुलाम हो गया है। ये खतरे मानव को कभी न कभी, किसी भी रूप में कम या अधिक प्रभावित करते रहते हैं। जब यह खतरे (Hazards) मानव के लिए घातक घटनाओं का रूप धारण कर लेते हैं तो इनको प्रकोप का नाम दे दिया जाता है। यह प्रकोप कई बार तो मानव को बहुत नष्ट करने पर ही समाप्त होते हैं। प्रकोप को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं।

आपदा

- **प्राकृतिक आपदा**
  - भूचाल (Earth quakes)
  - ज्वालामुखी (Volcanic Activity)
  - सुनामी (Tsunamis)
  - बाढ़ (Floods)
  - चक्रवात (Cyclones)
  - भूमि का सरकना भू-स्खलन (Landslides)
  - बर्फ के पहाड़ों का सरकना हिम-स्खलन (Avalanches)
  - सूखा (Drought)
- **मानवीय आपदा**
  - बम्म धमाके (Bomb explosions)
  - आतंकवादियों के हमले (Terrorist activities)
  - युद्ध या सिविल युद्ध (War or civil war)
  - जहरीले या रासायनिक पदार्थों का लीक होना (Leakage of Poisonous chemical sub-stances)
  - बांधों का टूटना (Breaking of Dams)
  - प्रदूषण Pollution
  - औद्योगिक दुर्घटनाएं (Industrial Accidents)
  - महामारी (Epidemic)

आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय तत्वों द्वारा पैदा किया हुआ हो, मानव के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। भूचाल या ज्वालामुखी जैसे प्रकोप बहुत कम समय के लिए आते हैं परन्तु बहुत बड़ी मात्रा में तबाही मचा देते हैं। कुछ समय पहले (2005) में आई सुनामी लहरों लोगों की जानें ली थी। बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक मुसीबतें भी जान और माल की बहुत हानि कर जाती हैं। भोपाल गैस लीक का दुखान्त

लोगों को अभी तक नहीं भूला। अमेरीका में हुए बम्ब धमाकों ने बड़े-बड़े देशों को भी चिन्ता में डाल दिया है।

चाहे कि इन प्रकोपों से पूर्ण रूप से तो बचा नहीं जा सकता पर फिर भी काफी हद तक इन से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है। आवश्यकता है तो एक प्रबन्ध की, जिसे हम आपदा प्रबन्ध (Disaster Management) का नाम देते हैं। 'आपदा प्रबन्ध' का विषय, प्राकृतिक और मानवीय प्रकोपों से बच-बचाव या इन से पैदा होने वाले खतरों को कम करने से सम्बन्ध रखता है। इस में प्रकोपों से जूझने के लिए प्रकोप आने से पहले ही तैयार रहना, प्रकोप समय उससे बचाव और प्रकोप समाप्त होने के बाद समाज को पुनः पांवों पर खड़ा करने के लिए प्रबन्ध करना शामिल है। प्रकोप प्रबन्ध में प्रत्येक स्तर पर बनाई गई योजनाओं को प्रयोग में लाया जाता है। निजी स्तर पर, ग्रुप स्तर पर, जाति स्तर पर, गैर-सरकारी और सरकारी संस्थाओं के स्तर पर, सभी अपना-अपना योगदान डालते हैं। अब तो स्कूलों में भी आपदा-प्रबन्ध का विषय पढ़ाया जाता है ताकि विद्यार्थी भी अपने स्तर पर ऐसी कठिनाइयों के समय, उनका सामना कर सकने के लिए तैयार रहें। एक अनुमान के अनुसार पिछले 20 वर्षों में संसार के लगभग 30 लाख व्यक्ति प्राकृतिक या मानवीय आपदायों के कारण अपनी जाने खो चुके हैं। इसलिए इस विषय का महत्व देखते हुए इस बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण आपदायों के होने और उनसे बचाव के बारे में पढ़ेंगे।

1. भूचाल (Earthquake)

पृथ्वी के हिलने (Shaking) को हम भूचाल का नाम देते हैं। कई बार तो यह भूचाल इतने हल्के होते हैं कि ये महसूस भी नहीं होते। परन्तु कई बार भूचाल की तीव्रता (Intensity) इतनी अधिक होने के कारण हर तरफ तबाही मच जाती है भूचाल की तीव्रता को दो पैमानों द्वारा रिक्टर स्केल (Richter Scale) और मरकाली पैमाने (Marcalli Scale) पर मापा जाता है।

(1) रिक्टर पैमाना (Richter Scale) : भूचाली तीव्रता को मापने का यह खुला पैमाना है। जैसे कि एक भूचाल का झटका कितना तीव्र है? इस तरह 8 रिक्टर पैमाने का भूचाल 4 रिक्टर पैमाने से ज्यादा तीव्र होता है।

(2) मरकाली पैमाना (Marcalli Scale) : भूचाल से कितनी हानि हुई है। इसको 1 (कोई हानि नहीं हुई) से लेकर 12 (सब कुछ तबाह हो गया) वर्गों में बांटा गया है।

भूचाल भूमि की भीतरी (अन्दरूनी) हिलजुल के कारण आते हैं। पृथ्वी की टैक्टोनिक प्लेटों (Tectonic plates) के खिसकने के साथ ही भूचाल आते हैं। पृथ्वी के भीतर जहां भूचाल तरंगे उठती हैं, उनको **उद्गम-केन्द्र (Seismic Focus)** कहा जाता है।

उद्गम केन्द्र से लम्बात्मक (Vertically) दिशा में पृथ्वी के ऊपर स्थित बिन्दू को **अभिकेन्द्र** (Epicentre) कहा जाता है। यह अभिकेन्द्र और इसके आस-पास का क्षेत्र भूचाल से, सबसे अधिक प्रभावित होता है। भूचाल सम्बन्धी शिक्षा को **सिस्मोलोजी** (Seismology) और भूचाल रिकार्ड करने वाले यन्त्र को भूचाल-मापी यन्त्र (Earthquake measuring instrument) या (Seismograph) कहा जाता है।

संसार के 2/3 भाग भूचाल प्रशान्त महासागर के ज्वाला-चक्र (Ring of fire) में आते हैं। संसार के मुख्य पर्वतीय क्षेत्र जैसे-हिमाचल और एल्पस भी भूचाल ग्रस्त (Earthquake prone) क्षेत्र माने जाते हैं। कश्मीर और पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, उत्तरी-पूर्वी भारत, गंगा-सिन्धु के मैदान, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, लक्षद्वीप अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह आदि भारत के भूचाल ग्रस्त क्षेत्र हैं।

भूचाल आने से पृथ्वी पर बहुत नुकसान होता है पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं और इससे रेलमार्ग, सड़कें, घर, पुल आदि को नुकसान पहुंचता है। पानी, बिजली और गैस लाईनें भी काफी प्रभावित होती हैं। जान और माल को भी काफी हानि होती है।

भूचाल उपरांत दृश्य

भूचाल और बच-बचाव– भूचाल आने के बारे में हमें पहले पता नहीं चल सकता। ये एकदम और अचानक आ जाते हैं। भूचाल ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी होने के कारण, इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कुछ सावधानियां प्रयोग की जा सकती हैं।

भूचाल प्रकोप प्रबन्ध अधीन हमें निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

(i) भूचाल प्रोण (Earthquake Prone) क्षेत्रों में इमारतों के नक्शे और बनावट इस प्रकार की होनी चाहिये कि भूचाल के आने से इन्हें कोई हानि न हो। जापान जैसे देशों में जहां भूचाल अक्सर (प्राय) आते हैं, भूचाल प्रभावरहित ईमारतों का निर्माण हो रहा है। घरों और ईमारतों का बीमा भी आवश्यक होने लगा है।

(ii) भूचाल आने का भय या डर का माहौल नहीं बनने देना चाहिये। बल्कि शांत रहकर दिमाग या बुद्धि से काम लेना चाहिये।

(iii) यदि भूचाल के समय अन्दर बैठे हो तो बाहर दौड़ने से बेहतर है कि किसी सख्त चीज़ जैसे बैड, टेबल या दरवाजे के मध्य खड़े हो जाना चाहिए।

(iv) यदि भूचाल के समय बाहर हो तो खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इमारतों, वृक्षों, विद्युत की तारों और खम्बों आदि के समीप खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन सबके गिरने का डर होता है।

(v) हमें सबको मिलकर भूचाल से प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिये। उन्हें आवश्यक डॉक्टरी और रहने आदि की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

(vi) जख्मी व मरे हुए लोगों को मलवे के नीचे से निकालने का कार्य तेज़ी से करना चाहिये। घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों में या इस उद्देश्य के लिए बने कैम्पों में जल्दी से जल्दी लेकर जाना चाहिये। ताकि समय पर मैडिकल या डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें बचाया जा सके।

(vii) भूचाल के प्रभावित यातायात, सूचना एवं संचार के साधनों को पुनः चालू करवाने में सहायता करनी चाहिए।

(viii) बेघर हुए लोगों को घर और अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य बन जाता है।

2. ज्वालामुखी (Volcanic Activity)

पृथ्वी का भीतरी भाग अभी भी बहुत गर्म है। भीतर का तापमान अधिक होने के कारण, भीतरी चट्टानें, जो पहले ही पिघली अवस्था (Molten State) में हैं, पृथ्वी के नरम भागों से, लावे के रूप में बाहर आ जाती हैं। लावा के पृथ्वी के ऊपर आने की क्रिया को 'ज्वालामुखी' का नाम दिया जाता है। जब लावा निकलता है तो इसमें से कई प्रकार की गैसें, भाप और कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। पतली किस्म का लावा काफी दूर तक फैलता है जबकि सघन (Thick) लावा निकास नली (Vent) के समीप ही जमना शुरू हो जाता है। कई ज्वालामुखी सैंकड़ों मील दूर तक फैलते हैं और आस-पास रहने वाले लोगों को हानि का कारण बनते हैं। ज्वालामुखी मुख्य तीन प्रकार के होते हैं :-

(i) क्रियाशील ज्वालामुखी (Active Volcanoes)

(ii) सुषुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcanoes)

(iii) बुझे हुए ज्वालामुखी (Extinct Volcanoes)

क्रियाशील ज्वालामुखी में से कभी कभी लावा निकलता रहता है। सुप्त ज्वालामुखी काफी देर तक सुप्त कर रहा होता है, पिछले इतिहास में इन में से कभी लावा निकला हुआ होता है। बुझा हुआ ज्वालामुखी उसे कहते हैं, जिसके चिन्ह तो दिखाई देते हैं, परन्तु उनके फटने या आने के बारे में इतिहास में कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के ज्वालामुखी, कभी भी फट सकते हैं। संसार के अधिकतर ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ''अग्निचक्र'' (Ring of fire) में ही मिलते हैं। कई ज्वालामुखी तो बहुत विनाशकारी होते हैं।

सन् 1943 में मैक्सिको में ज्वालामुखी फटने से 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सी जानें और सामान या माल नष्ट हो गये थे।

ज्वालामुखी से बचाव–ज्वालामुखी विस्फोट वाले स्थानों के समीप घर और इमारतें नहीं बनानी चाहिए। ज्वालामुखी फटने से कुछ पहले या ज्वालामुखी के चिन्ह नज़र आने पर, इस स्थान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। दूर जाने के लिए, तीव्र गति से चलने वाले साधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नुकसान होने की सूरत में सरकार को आवश्यक डॉक्टरी या और किस्म की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।

3. सुनामी (Tsunamis)

सुनामी एक प्रकार की समुंद्री लहर है जोकि समुद्र के नीचे भूचाल, ज्वालामुखी या पृथ्वी के खिसकने आदि से पैदा होती है। समुद्र के भीतर (धरातल पर) यह हलचल होने के कारण, पानी द्वारा ऊपर उठी हुई लहरें पैदा हो जाती हैं और समुद्र या इससे बाहर भी हानि पहुंचाती हैं। सुनामी जो 26 दिसम्बर 2004 को आई, उन्होंने दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका के 11 देशों को प्रभावित किया। हिन्द महासागर में आई इन लहरों में 105 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत से लोग बेघर हो गये। इसके अतिरिक्त बहुत सी सम्पत्ति की भी हानि हुई।

सुनामी द्वारा हुआ नुकसान

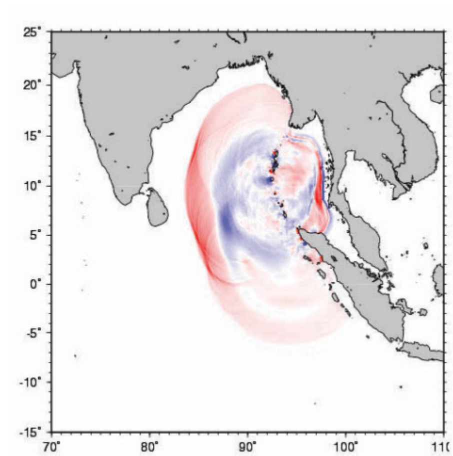

सुमात्रा में समुद्री तल से आया भूकंप (2004)

सुनामी से बचाव–जब भी सुनामी सम्बन्धी सूचना मिले, समुद्र की ओर नहीं जाना चाहिए। समुद्र में चल रहे समुद्री जहाज और बेड़ियों को वापिस बन्दरगाहों पर आ जाना चाहिए। मछेरों को भी चाहिये कि जब तक लहरें शांत न हो जाये तब तक समुद्र में न जाया जाये। सुनामी पैदा होने वाले स्थानों के समीप, पृथ्वी पर बसे लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिये। यदि यह लहरें बहुत तेज़ी से समुद्र तट की ओर आ रही हों तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह स्थान छोड़कर, समुद्रों से दूर किसी सुरक्षित स्थानों में चला जाना चाहिये। सरकार को ऐसे प्रकोप से निपटने के लिए हर प्रकार का प्रबन्ध पूरा करके रखना चाहिये। मुसीबत में फंसे लोगों को, सबसे मिलकर सहायता करनी चाहिये।

4. बाढ़ (Floods)

अधिक वर्षा के कारण नदियों और नहरों में इनकी समर्थ से अधिक जल हो जाने के कारण, बाढ़ आने की सम्भावना होती है। नहरों में बहुत अधिक जल आने से आस-पास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है और ऐसी स्थिति को बाढ़ का आना कहते हैं। कई बार बाढ़ का पानी आने से जान और माल की हानि होती है। इन बाढ़ों के आने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(i) अधिक वर्षा

(ii) बादलों का फटना

(iii) तीव्र चक्रवातों का आना

(iv) जल निकास का प्रबन्ध न होना

(v) नदियों और नहरों के मुहाने (तल) पर मिट्टी का जमाव

(vi) बांधों का टूट जाना

(vii) नदियों, नहरों द्वारा नष्ट हुए क्षेत्रों में रहने वाले घरों का निर्माण करना

(viii) पर्वतों की ढलानों से वृक्षों का काटा जाना

दक्षिणी-एशिया महाद्वीप के देश मुख्य रूप से बाढ़ों के आने से नष्ट होते हैं। चीन, बंगलादेश और भारत जैसे देशों में बाढ़ जैसे प्रकोप से जूझना पड़ता है। बाढ़ सीधे रूप से जान व माल की ही हानि नहीं करते बल्कि इसके पश्चात् बीमारियों और महामारियों को भी जन्म देते हैं।

बाढ़ से बचाव–

(i) जो क्षेत्र बाढ़ की मार के नीचे आते हैं, उन लोगों को मौसम विभाग से समय-समय पर जानकारी प्राप्त करना बहुत लाभदायक है। यदि खतरा अधिक हो तो लोगों को उस स्थान को अस्थाई तौर से छोड़कर किसी और सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिये। यदि सम्भव हो तो वे अपने पशु धन को भी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं या फिर उन्हें खुले छोड़ देना चाहिये।

(ii) बाढ़ के आने से पहले, यदि सम्भव हो तो अपना सामान ऊंचे स्थान पर रखकर या फिर छत के ऊपर ढक कर रख देना चाहिये।

(iii) बाढ़ आने की अवस्था में, पानी को उबालकर पीना चाहिये।

(iv) बाढ़ की लपेट में आये लोगों को सेना या वायुसेना के हैलीकाप्टर की सहायता से बाहर निकालना चाहिये।

(v) बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों के लिए दवाईयों और भोजन की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

(vi) जिन लोगों के घर बाढ़ के कारण नष्ट हो गये हैं, उन्हें रहने के लिए स्थान देना सरकार का कर्त्तव्य है।

(vii) प्रत्येक नागरिक का मानवीय फर्ज़ है कि बाढ़ जैसी मुसीबत में फंसे लोगों की हर प्रकार से अधिक से अधिक सहायता करें।

(viii) बाढ़ के बाद फैली बीमारियों और महामारियों का सामना करने के लिए मैडिकल (डॉक्टरी) सहायता का योग्य प्रबन्ध हो।

5. चक्रवात (Cyclones)

चक्रवात या तूफान, एक प्रकार की तेज़ हवाएं होती है। जिनकी गति 63 किलोमीटर प्रति घण्टा या इससे अधिक होती है। चक्रवात, हवा के कम दबाव के कारण आते हैं या पैदा होते हैं। अधिकतर चक्रवात भूमध्य रेशा से 5° से लेकर 20° तक उत्तर और दक्षिण में पैदा होते हैं। इन चक्रवातों को उष्ण चक्रवात (Tropical Cyclones) भी कहा जाता है। जब इन चक्रवातों की गति 100 किलोमीटर प्रति घण्टा से बढ़ जाती है तो एक प्रकार के प्रकोप का रूप धारण कर लेती है और आस-पास के क्षेत्रों में बहुत हानि या प्रलय का रूप धारण कर लेती है। यहां तक कि बिजली, टैलीफोन की तारों के खम्बे भी गिर जाते हैं। वृक्ष जड़ों से उखड़कर, सड़कों पर गिर जाते हैं और यातायात तक रूक जाता है। घास-फूस के कच्चे घर और कमज़ोर बिल्डिंगों को काफी हानि होती है। नावें और समुद्री जहाज़ों को भी काफी हानि होती है। बहुत ज्यादा गिनती में मानव व पशु चक्रवातों की लपेट में आ जाते हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। खेतों में खड़ी फसलों को भी काफी हानि होती है, जिससे कृषकों को हानि होती है और वे आर्थिक अवस्था से भी कमजोर हो जाते हैं। संसार में इन चक्रवातों को कई नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमरीका में इन्हें 'हरीकेन' (Hurrican) दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'टाईफून' (Typhoon) भारत में आंधी (Storm) या तूफान कहा जाता है।

चक्रवातों से बचाव–

(i) इन चक्रवातों या तूफानों को रोकना मानव के हाथ की बात नहीं है, परन्तु इनसे होने वाली हानियां से कुछ हद तक बचा जा सकता है, या इनको कम किया जा सकता है। समुद्री तट के समीप कच्चे घर या झोपड़ियां नहीं बनाने देनी चाहिए।

(ii) चक्रवातों से प्रभावित लोगों को शरण देने के लिए बड़े-बड़े भवन, स्कूल या अन्य इमारतों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(iii) जब चक्रवातों से आने वाले खतरे का भय बना हुआ हो तो जहाज़ों, नावों और मछेरों को समुद्र में नहीं जाने देना चाहिये।

(iv) चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें ऐसी बनाई जायें जो की तेज़ गति को सहन कर सके।

(v) चक्रवातों के साथ आने वाली बाढ़ों से बचने के लिए बाढ़ के बचाव वाले कदम उठाये जायें।

(vi) समुद्रों के साथ-साथ वृक्षों की लाईनें, चक्रवात की विपरीत दिशा में लगाने चाहिये ताकि इन चक्रवातों की गति को कम किया जा सके।

(vii) चक्रवातों के आने के बारे में भिन्न-भिन्न साधनों से लगातार सूचना लेते रहना चाहिये और विशेषज्ञों से समय-समय पर दिये गए सुझावों का पालन करना चाहिये।

(viii) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए योग्य प्रबन्ध करने चाहिये।

6. भूमि और बर्फ तोदों का खिसकना (Landslides and Avalanches)

भूमि के खिसकने का अर्थ है चट्टानों, मिट्टी और ढलान से पृथ्वी की गुरुत्व आकर्षण शक्ति अधीन नीचे की ओर खिसकना। इसमें भूमि एकदम और तेज़ी से नीचे की ओर सरकती है। जब पहाड़ की ढलान अधिक हो तो भूमि का नीचे की ओर सरकना (खिसकना) और भी तेज़ हो जाता है। पृथ्वी की भीतरी हिलजुल, वर्षा का तेज़ होना, ज्वालामुखी क्रिया, भूचाल का आना या खानों का खोदना आदि भूमि के सरकने या खिसकने के मुख्य कारण हो सकते हैं। वनों को काटने से भूमि का अपरदन होना और भूमि का नंगा हो जाना, भूमि खिसकने में और भी सहायक होते हैं। भूमि के सरकने से बहुत सा क्षेत्र मिट्टी के नीचे दब जाता है। सड़कों और वनस्पति को बहुत हानि होती है। इसकी लपेट में आने वाली मोटरगाड़ियां, पशु और मानव को हानि का सामना करना पड़ता है।

भूमि सरकने (खिसकने) से बचाव–

(i) जिन क्षेत्रों में भूमि खिसकन अधिक होती है, उनकी पहचान करके वहां घर और इमारतें न बनाई जायें।

(ii) बिना वनस्पति (नंगी चट्टानें) वाली पर्वतों की ढलानों पर भूमि का सरकना अधिक होता है, इसलिए जंगलों की कटाई पर पाबंदी लगाई जाये और वहां पौधे व वृक्ष आदि लगवाये जायें।

(iii) ढलानों से बहने वाला पानी भूमि सरकने में सहायक होता है, इसलिए इस जल के निकास की सही व्यवस्था की जाये।

भूमि सरकने से आवाजाई बन्द

(iv) ऐसे क्षेत्रों में बिजली और टैलीफोन की तारों और जल पाईपों को पृथ्वी के भीतर और ऊपर लटकने वाली डाली जायें, ताकि भूमि सरकने से यह टूट न जाये।

(v) भूमि खिसकने से रोकने के लिए, इसके मार्ग में ढलानों के ऊपर वृक्षों को लाईनों में लगाया जाये ताकि भूमि सरकने की गति को कम किया जा सके।

(vi) पहाड़ों या पर्वतों के साथ-साथ सड़कों के दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें (Retaining Walls) बनवाई जाये ताकि सरकती हुई मिट्टी जो सड़क पर आकर हानि पहुंचाती है, को कुछ हद तक रोका जा सके।

बर्फ के तोदों का खिसकना (Avalanches)

पर्वतों की ढलानों से बर्फ का खिसकना भी मानव के लिए काफी कठिनाईयाँ और रूकावटें पैदा कर देता है। इससे सड़कें, ईमारतें और मोटर गाड़ियों को बहुत हानि पहुंचती है। यदि समस्या अधिक हो जाये तो जान और माल दोनों ही खोने पड़ते हैं।

जब ताज़ी बर्फ पड़ रही होती है तो पहली गिरी हुई बर्फ से ताज़ी बर्फ नीचे की ओर गिरने लगती हैं। कई बार तो आधे पिघले हुए बर्फ के तोदें और गलेशियर मध्य में से टूटकर नीचे की ओर खिसक कर आ जाते हैं।

बर्फ तोदों से बचाव–

(i) लोगों को बर्फ के खिसकने के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। यदि इसका ज्ञान होगा तो ही वे अपने आप को बचा सकेंगे।

(ii) ऐसे स्थानों में अधिक से अधिक वृक्ष और वन लगाने चाहियें। वृक्ष और वनस्पति, बर्फ के खिसकने में रुकावट का काम करते हैं।

(iii) बर्फ के खिसकने वाली पर्वतीय ढलानों में बर्फ तोदों के रास्ते में रूकावट डालने के लिये इस प्रकार उसारी का कार्य किया जाये जिससे इसकी तीव्रता और दिशा में परिवर्तन हो जाये। इस प्रकार इससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

(iv) यदि बर्फ सड़कों पर गिर जाये तो ट्रैफिक को रोक देती है, तो इस बर्फ को बर्फ काटने वाली मशीनों या हल्के धमाकों से एक ओर हटाया जा सकता है या फिर इन्हें बुलडोज़र की सहायता से भी हटाया जा सकता है।

(v) बर्फ के खिसकने से प्रभावित हुए लोगों के लिए आवश्यक सहारा और अन्य सुविधाएं प्रदान करवाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।

7. सूखा (Drought)

सूखे का अर्थ, फसलों, पशुओं और मानव के लिए जल संसाधन की कमी हो जाना है। संसार के बहुत से भाग ऐसे हैं जहां नहरें, नदियां और भूमिगत जल की कमी है। ऐसे क्षेत्र केवल वर्षा पर ही निर्भर करते हैं यदि वर्षा कम या असमय हो जाये, तो उस क्षेत्र में सूखे का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी के अन्दर की नमी कम हो जाने के कारण, उपजों का उत्पदान कम हो जाता है या कभी-कभी उपजें उत्पन्न ही नहीं

सूखा ग्रस्त धरती का चित्र

होती। पशु भूखे मरने लगते हैं कई बार तो कृषक भी ऐसी प्रकोपी के कारण दुखी होकर आत्महत्या का राह पकड़ लेते हैं।

सूखा और बचाव

(i) सूखे से बचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पानी को प्रारम्भ से ही उचित प्रयोग करके और अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे तो जल की कमी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जल को व्यर्थ न जाने दिया जाये।

(ii) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में वृक्ष अधिक लगाकर भविष्य में नमी में वृद्धि की जा सकती हैं। वृक्ष वर्षा लाने में बहुत सहायक होते हैं।

(iii) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे–मक्की, बाजरा और दालें आदि बीजी जायें।

(iv) सरकार को चाहिये कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को आस–पास के अधिक जल वाले क्षेत्रों से विशेष प्रकार की पाईप लाईनों से या छोटी–छोटी नहरें बनाकर आवश्यक जल सप्लाई करवाया जाये ताकि पशुओं और मानव के जीवन को बचाया जा सके।

(v) सूखा संभावित क्षेत्रों में वर्षा के जल को तलाबों या डैमों में इक्ट्ठा करके, कठिनाई या आवश्यकता के समय के लिए रखा जा सकता है।

(vi) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को इस कठिनाई से निकालने के लिए सरकार को प्रत्येक सम्भव यत्न करने चाहिये। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर और आर्थिक धन्धों को विकसित करना चाहिये ताकि जल की कमी जैसी कठिनाई से बचा जा सके।

मानवीय प्रकोप और उनका प्रबन्ध (Human Disasters and their Management)

प्रकोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मानव द्वारा पैदा किए जाते हैं। इन्हें मानवीय प्रकोप कहा जाता है। मानव जानबूझ कर या अनजाने में इन कठिनाईयों को पैदा करता है। जब यह किसी हद से अधिक हो जाती है तो यह बड़े-बड़े प्रकोपों का रूप धारण कर लेते हैं। इन प्रकोपों के बारे में ज्ञान और बचाव प्रबन्ध निम्नलिखित अनुसार है।

1. बम्ब धमाके और आतंकवादी हमलें (Bomb Explosions and Terror Attacks) : बमों का निर्माण देश के बाह्य हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। परन्तु कुछ लोग इसका प्रयोग देश के भीतर ही हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। कभी आंतकवादी देश में शान्ति भंग करने के लिए विनाशकारी कार्य करते हैं। इस बम धमाकों से बहुत से बेगुनाहों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। बम धमाके या आतंकवादी हमले देश के विकास को भी प्रभावित करते हैं।

11 सितम्बर 2001 को यू. एस. ए. के न्यूयॉर्क शहर और पेंटागन में हुए घातक आंतकवादी हमलों में अनेक लोगों की जाने गईं और बहुत सी आर्थिक हानि भी हुई।

बम्ब धमाके और आतंकवाद से बचाव–

(i) आंतकवादियों से हमले या बम धमाकों जैसे प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की ओर से कदम उठाने चाहिये, ताकि भविष्य में बढ़ती हुई इस समस्या का हल निकाला जा सके।

(ii) लावारिस पड़ी वस्तुओं में बम्ब भी हो सकता है। इसलिए इन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिये, बल्कि जल्दी से पुलिस को सूचना दे देनी चाहिये।

(iii) बम्ब धमाकों के समय या आंतकवादी हमलों के समय डर या दहशत की स्थिति नहीं बनानी चाहिये बल्कि हौंसले और फूर्ति से काम लेना चाहिये।

(iv) पुलिस व गुप्तचर विभाग की ओर से इस प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिये। सघन क्षेत्रों में चौकसी और अधिक बढ़ा देनी चाहिये। पकड़े गये या दोषी लोगों को कानून अनुसार सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये।

(v) बम्ब धमाके या आतंकवादी हमले के पश्चात् घायल व्यक्तियों को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाये।

(vi) कानून और सुरक्षा व्यवस्था हर कीमत पर बनाकर रखनी चाहिये।

2. पानी के बांध या डैमों का टूट जाना और बचाव (Breaking of Water Dams & Safety Measures) : हमें यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि डैमों में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है। इनके टूटने से पानी खुला बहता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। यदि डैम बहुत बड़े हो तो प्रकोप और भी विनाशकारी हो जाता है। मानव जीवन बिखर जाता है। इसलिए बाढ़ों से निपटने के लिए सभी प्रबन्ध करने चाहिये। लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना सरकार का मुख्य कार्य होना चाहिये।

3. ज़हरीले पदार्थों का निकलना और अन्य औद्योगिक दुर्घटनाएं और उनका बचाव : उद्योगों में बहुत ही बड़ी-बड़ी मशीनें, रासायनिक पदार्थ और कई प्रकार के ज्वलनशील और ज़हरीली गैसों का प्रयोग होता है। इन सभी का प्रयोग करते समय, कभी-कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार तो ये दुर्घटनाएं इतनी विशाल व भयंकर होती हैं कि इन्हें भूलना इतना सरल नहीं है। भोपाल गैस लीक का दुखान्त, अभी भी

आग से हुआ नुकसान

हमारे मन में ताज़ा है। इस दुर्घटना में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से बच्चे अभी भी अपंग पैदा हो रहे हैं। कई बार उद्योगों में गैस सिलैन्डर फटने से आग भी लग जाती है या कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्रकोप से निपटने के लिए उद्योगों में आवश्यक प्रबन्ध होने चाहिये। आग बुझाने वाले यन्त्र हर समय तैयार रहने चाहिये। कठिनाई के समय उद्योगों में श्रमिक व अन्य कर्मचारियों को बाहर निकालने की तीव्र व आवश्यक प्रबन्ध होने चाहिये। दहशत का वातावरण नहीं बनने देना चाहिये बल्कि शान्त माहौल बनाकर बचाव के कार्य को पूर्ण करना चाहिए। प्रभावित लोगों को डॉक्टरी सहायता शीघ्र मिलनी चाहिये। उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों को बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिये। सरकार की ओर से हर प्रकार का आवश्यक सहयोग प्रभावित लोगों को मिलना चाहिये।

4. महामारी और बचाव प्रबन्ध (Epidemic and Protective Measures) : जब एक बिमारी फैलकर बहुत बड़े पैमाने पर भयंकर रूप धारण कर लेती है और उनका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है या वे बिमार हो जाते हैं, तो इस भयंकर बिमारी को महामारी कहते हैं, हैजा (Cholera), डेंगू बुखार (Dengue fever), पीला बुखार (Yellow fever) या दस्त (Diarrhoea) जैसी बिमारियां कई बार बहुत बड़े प्रकोप या महामारी का रूप धारण कर लेती है। इन बिमारियों के कारण कुछ भी हानि हो सकती है। परन्तु समय पर इनका इलाज न होने के कारण यह बहुत से लोगों में फैल जाती है। वायु और जल प्रदूषण के कारण मच्छरों व अन्य कीड़े-मकौड़े आदि के काटने से भी यह बिमारियां हो सकती हैं। ''एड्स'' जैसी भयंकर बिमारी अफ्रीका के बंदरों से पैदा हुई और आज संसार के लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है।

बचाव– महामारियों से बचने का ढंग है कि इन बिमारियों से ही बचा जाये। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और साफ सुथरा आस–पड़ोस हमें इन बिमारियों से बचा सकता है। यदि कभी बिमारी फैल भी जाये तो डॉक्टरी सुविधाओं का प्रबन्ध कर लेना चाहिये। महामारी फैलने के समय में डॉक्टरों की टोली या टीमों और अस्पतालों का प्रबन्ध होना चाहिये। शहरों के आस–पास या इनके समीप गंदी बस्तियों या झुग्गी–झोपड़ियों के विकास को रोकना चाहिये। गांवो, शहरों और विशेष तौर पर स्कूलों में इन बिमारियों की जांच पड़ताल लगातार करवाते रहना चाहिये ताकि इन भयंकर प्रकोपों से बचा जा सके।

भारत में आपदा प्रबंध अथॉरिटीज़ और संस्थाएं (Disaster Management Authorities and Institutions in India) : भारत में बहुत सी संस्थाएं आपदा प्रबंध के छोटे से लेकर इंजीनियरिंग तक के कोर्स करवाती है और आपदा प्रबंध के बारे में जानकारी या ज्ञान भी उपलब्ध करवाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :–

1. सैंट्रल प्रकोप प्रबन्धन अथॉरिटी, नई दिल्ली (Central disaster Management Authority)
2. आपदा प्रबन्धन नेशनल केन्द्र नई दिल्ली (National Centre for Disaster Management)
3. भूचाल इंजीनियरिंग सूचना केन्द्र आई. आई. टी. कानपुर, उत्तर प्रदेश (Information Centre of Earthquake Engineering I.I.T., Kanpur, U.P.)
4. आपदा प्रबन्धन संस्था, भोपाल, मध्य प्रदेश (Disaster Management Institute Bhopal, M.P.)
5. आपदा कम करवाने वाली संस्था, अहमदाबाद, गुजरात (Disaster Mitigation Institution)
6. पर्यावरण बचाव ट्रेनिंग और रिसर्च संस्था, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (Environment Protection Training and Research Institute Hyderabad A.P.)
7. ज्वाइंट सहायता केन्द्र गुड़गांव, हरियाणा (Joint assistance centre, Gurgaon, Haryana)
8. राष्ट्रीय सिविल डिफैंस कालेज नागपुर, महाराष्ट्र (National Civil Defence College, Nagpur, Maharastra)
9. इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली (IGNOU, New Delhi)
10. सैंटरल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन नई दिल्ली (Central Board of Secondary Education (New Delhi) भी बड़ी कक्षाओं (Senior Classes) को आपदा प्रबन्धन की ट्रेनिंग देने के बारे में योजनाएं बना रही हैं। इस प्रकार विद्यार्थी स्कूलों में ही इस प्रकार के प्रकोपों से निपटने के लिए तैयार हो सकेंगे।

याद रखने योग्य तथ्य

(Something to remember)

आपदा प्रबन्धन–यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्राकृतिक या मानवीय प्रकोपों से सम्बन्ध रखता है।

आपदा – खतरे जब भयंकर दुर्घटनाओं का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें प्रकोप का नाम दिया जाता है।

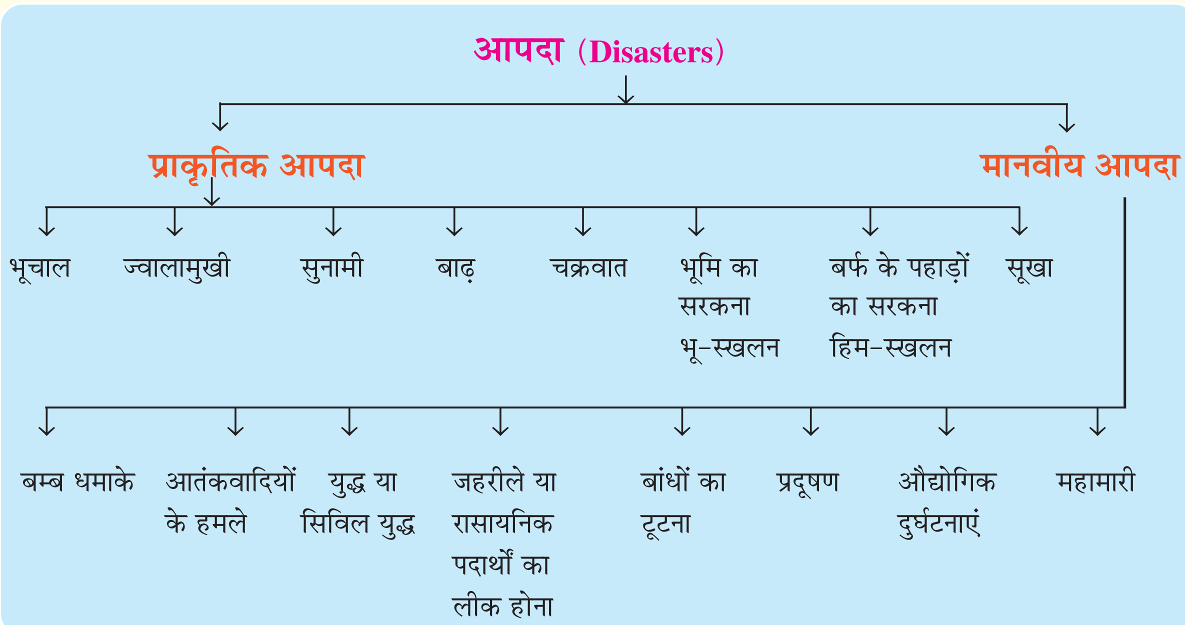

प्राकृतिक आपदा और उनसे **बचाव**

मानवीय आपदा और उनसे **बचाव**

भारत में आपदा प्रबन्धन अथॉरिटीज़ और संस्थायें

1. सैंटरल आपदा प्रबन्धन अथॉरिटी, नई दिल्ली
2. आपदा प्रबन्धन नेशनल केन्द्र, नई दिल्ली
3. भूचाल इंजीनियरिंग सूचना केन्द्र आई. आई. टी. कानपुर, उत्तर प्रदेश
4. आपदा प्रबन्धन संस्था, भोपाल, मध्य प्रदेश
5. प्रकोप कम करवाने वाली संस्था, अहमदाबाद, गुजरात
6. पर्यावरण बचाव ट्रेनिंग और रिसर्च संस्था, हैदराबाद, आंध्रा प्रदेश
7. ज्वाइंट सहायता केन्द्र गुड़गांव, हरियाणा
8. राष्ट्रीय सिविल डिफैंस कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र
9. इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
10. सैंटरल बोर्ड ऑफ सैंकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो।

1. आपदा किसे कहा जाता है ?
2. 'प्राकृतिक आपदा' मुख्य रूप से कौन-कौन से हैं ?
3. 'भूचाल' से आपका क्या अभिप्राय है?
4. ज्वालामुखी किसे कहते हैं ? इसकी किस्मों के नाम लिखें।
5. सुनामी कैसे पैदा होती हैं ?
6. बाढ़ आने के मुख्य क्या कारण हैं ?
7. चक्रवात क्या होते हैं ? इन्हें किस-किस नाम से पुकारा जाता है?
8. मानवीय प्रकोप किसे कहते हैं ?
9. महामारी से आपका क्या भाव है ?

II. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखो।

1. आपदा मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है ?
2. भूचाल आपदा प्रबन्धन में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?
3. ज्वालामुखी और सुनामी के बचाव के लिए क्या-क्या प्रबन्ध करना चाहिये ?
4. सूखे से बचने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिये ?
5. कौन-कौन से उपाय हमें महामारी जैसी आपदा से बचा सकते हैं ?

क्रियाकलाप (Activity) :

जून 2013 में भारत के राज्य उत्तराखंड में आई आपदा की रिपोर्ट 3-4 पृष्ठों में करें। इंटरनैट की मदद से रिपोर्ट में तस्वीरें भी लगायें (यां) ऐसी ही किसी और आपदा पर रिपोर्ट तैयार करें। जरुरत पढ़ने पर अध्यापक की मदद भी लें।

इतिहास

हमारा अतीत-III

भाग-2

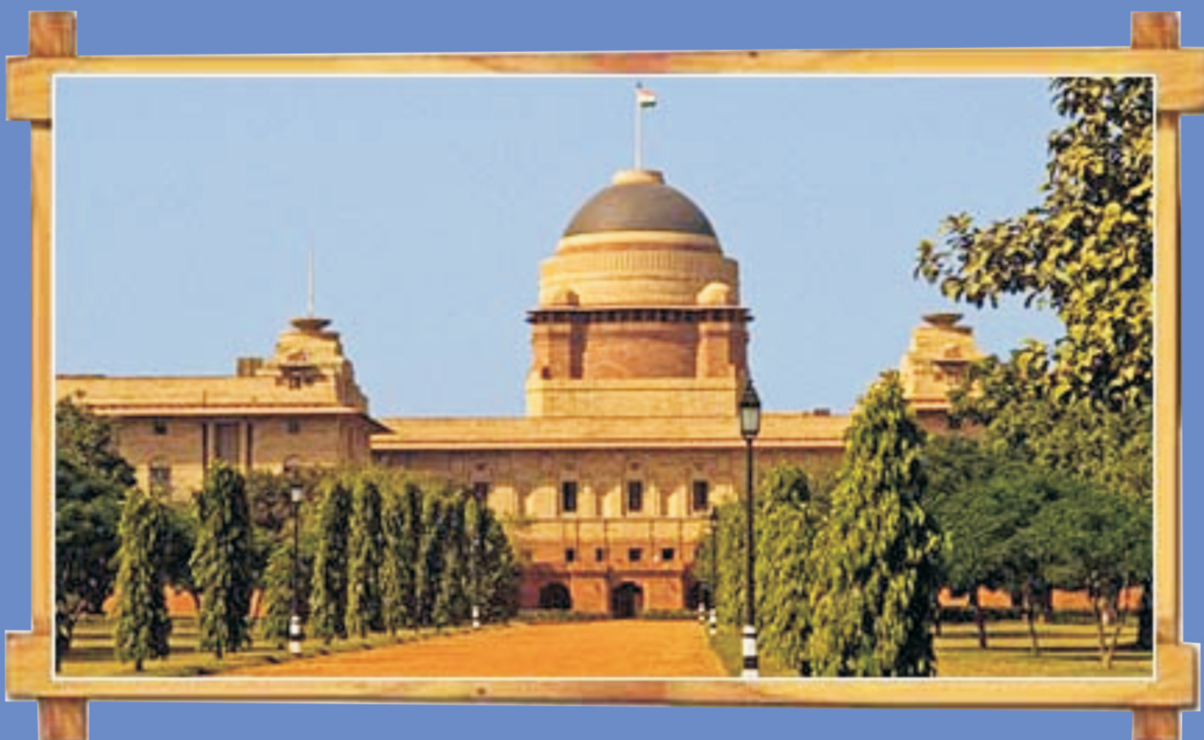

पाठ 6

कहाँ, कब तथा कैसे

आधुनिक युग सम्बन्धी अवलोकन

इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहासकारों ने संसार के इतिहास को तीन युगों – प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक युग में विभाजित किया है। इस तरह से भारतीय इतिहास को भी तीन युगों– प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक युग में विभाजित किया गया है।

परन्तु इन युगों का समय संसार के भिन्न-भिन्न भागों में एक जैसा नहीं है। उदाहरण के रूप में यूरोप में आधुनिक युग का आरम्भ 16वीं सदी में हुआ था जबकि भारत में 16वीं सदी के समय मध्यकालीन युग का आरम्भ हुआ माना जाता है, जिस समय बाबर, हुमायुं तथा अकबर जैसे मुगल सम्राटों ने भारत पर राज्य किया था। संसार के जिन देशों ने बहुत तीव्र गति से उन्नति की थी, उन्होंने कम गति से उन्नति करने वाले देशों से पहले आधुनिकता का आरम्भ देखा।

भारत में आधुनिक युग का आरम्भ 18वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् हुआ। इस समय दौरान बहुत सारी पुरानी शक्तियां कमज़ोर होने लगी तथा उनके स्थान पर बहुत-सी नई शक्तियां जैसे कि मराठे, सिक्ख, रुहेल, पठान और राजपूत आदि का उत्थान हुआ। इनके परस्पर संघर्ष ने बहुत-सी विदेशी शक्तियां जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसी आदि को भारत में अपनी सर्वोच्चता तथा साम्राज्य स्थापित करने का निमंत्रण दिया। भारत में इन यूरोपियन शक्तियों के आने से आधुनिक युग का आरम्भ हुआ।

इसलिये यूरोप में आधुनिक युग का आरम्भ 16वीं सदी में हुआ जबकि भारत में इसका आरम्भ 18वीं सदी में हुआ था। उस समय विदेशी समाज की अपेक्षा भारतीय समाज में बहुत-सी कुरीतियां प्रचलित थीं, जिनको जड़ से समाप्त करने के लिये भारतीय समाज सुधारकों ने बहुत-से प्रयास किये। उस समय आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत-सी कमियाँ पाई जाती थीं। इसलिए कई भारतीय शासन प्रबन्धकों तथा अर्थशास्त्रियों ने कृषि, व्यापार तथा उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। बहुत-से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए जहां पर पूर्वी भाषाओं के साथ-साथ कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता था। पश्चिमी शिक्षा तथा साहित्य के साथ-साथ पश्चिमी विचारों ने भी भारतीयों को जागृत किया। इस तरह से भारत में आधुनिक युग का आरम्भ हुआ।

जैसे ही भारत के लोगों ने पश्चिमी सभ्याचार, इतिहास तथा दर्शनशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की तो उनमें स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्व की भावना पैदा हुई। अब भारतीय लोग अपने देश में अंग्रेज़ी राज्य

तथा अपनी मातृभूमि के शोषण को कैसे सहन कर सकते थे। इसलिये उन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया। उन्होंने बहुत-सी कुर्बानियां देने तथा असहनीय दुखांतों के पश्चात् 1947 ई. में स्वतन्त्रता प्राप्त की।

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् इसके पुनःसंगठन का कार्य तथा इसकी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का कार्य आरम्भ हुआ। भारत ने लगभग पिछले 57-58 वर्षों के प्रयास तथा निरंतर उन्नति करने के बाद संसार के महान देशों में अपना स्थान स्थापित किया। इस तरह भारतीय आधुनिक युग बहुत-से तनाव, दबाव, चुनौतियों तथा उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। परन्तु अभी भी हम भारतीय लोग धीरे-धीरे उन्नत तथा समृद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं।

आधुनिक युग के समय मुख्य प्रगति

भारतीय इतिहास में 18वीं सदी के काल को पतन का काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद न केवल स्थानीय शक्तियों द्वारा बल्कि स्थानिक तथा विदेशी शक्तियों के मध्य भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिये परस्पर संघर्ष आरम्भ हुआ।

भारत के अलग-अलग भागों में, मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाते हुये बहुत-सी रियासतें स्वतन्त्र हो रही थीं। 1724 ई० में सब से पूर्व **निज़ाम-उल-मुल्क** ने हैदराबाद के स्वतन्त्र राज्य की नींव रखी। उसके पश्चात् केन्द्रीय शक्ति की अनुपस्थिति के कारण मुर्शिद कुली खान तथा अली वर्दी खान ने बंगाल के राज्य को स्वतन्त्र कर लिया। 1739 ई० में शयादत खान ने अवध को एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया। हैदराबाद के राज्य की स्थापना के पश्चात् दक्षिण में मैसूर राज्य की स्थापना हुई जिसका शासक हैदरअली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के राज्यकाल में बहुत विकास हुआ। मराठों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पेशवाओं के नेतृत्व में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया।

यूरोपीयन शक्तियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया तथा भारत में अपना-अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिये अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य 1746 ई० से 1763 ई० तक कर्नाटक में तीन युद्ध हुए, जिन में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई।

मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् भारत में अशांति तथा अव्यवस्था के कारण देश की आर्थिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार पर अधिकार कर लिया। जिसका प्रभाव भारतीय कला तथा हथकरघा पर पड़ा जिसके लिए भारत संसार-भर में प्रसिद्ध था।

आधुनिक भारतीय इतिहास के मुख्य स्त्रोत

इतिहास तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इसकी रचना करने के लिए इतिहासकारों को भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक स्त्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। इस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से स्त्रोत उपलब्ध है जिनमें से मुख्य स्त्रोत निम्नलिखित हैं :-

1. पुस्तकें—आधुनिक काल में छापेखाने के आविष्कार से भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी भाषा में बहुत-सी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इन पुस्तकों से हमें मानव द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास तथा

संगीत आदि के क्षेत्रों में हुई उन्नति के बारे में जानकारी मिलती है। हम इन पुस्तकों को पढ़ने से और अधिक उन्नति करने की प्रेरणा ले सकते हैं।

2. सरकारी दस्तावेज—सरकारी दस्तावेज भारतीय आधुनिक युग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं । इनका अध्ययन करने से हमें भिन्न-भिन्न भारतीय शक्तियों तथा विदेशी शक्तियों के परस्पर व्यवहार तथा किस तरह अंग्रेज़ों ने भारतीय शक्तियों को अपने अधीन किया इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सरकारी दस्तावेजों से हमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों के आर्थिक शोषण से सम्बन्धित जानकारी भी मिलती है।

3. समाचार पत्र, पत्रिकाएँ तथा सूचना पत्रिकाएँ—हमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ तथा सूचना पत्रिकाएँ आदि से भी भारत के आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी मिलती है जो कि भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रकाशित किए जाते थे। उनमें से कुछ समाचार पत्र जैसे कि 'दी ट्रिब्यून' 'दी टाईम्ज आफ इंडिया' आदि का प्रकाशन आज भी होता है।

4. ऐतिहासिक भवन—ऐतिहासिक भवन आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है। हम आज भी अपने देश में ऐसी कई इमारतें देख सकते हैं जैसे कि इंडिया गेट, केन्द्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, बिरला हाऊस आदि। इन सभी ऐतिहासिक भवनों से हमें कुछ समय पूर्व के अतीत तथा भारतीय भवन निर्माण कला की उपलब्धियों के भिन्न-भिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है।

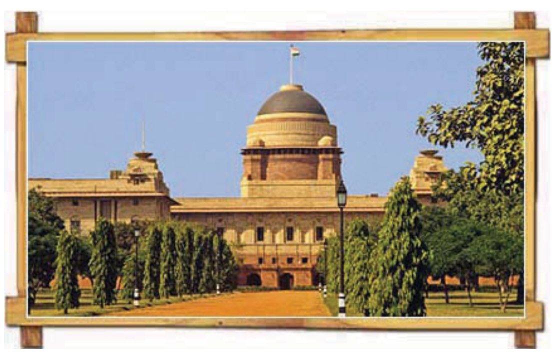

राष्ट्रपति भवन, दिल्ली

संसद भवन, दिल्ली

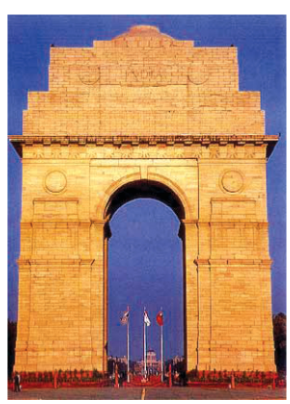

इंडिया गेट, दिल्ली

5. चित्रकारी तथा मूर्तिकला–बहुत-सी मूर्तियां तथा चित्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये हमें राष्ट्रीय नेताओं तथा महान ऐतिहासिक व्यक्तियों की पहचान और उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है ।

याद रखने योग्य तथ्य

1. भारतीय इतिहास को तीन कालों-प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बाँटा गया है।
2. भारत में आधुनिक काल का प्रारम्भ 18वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् हुआ।
3. यूरोप में आधुनिक काल का आरम्भ 16वीं सदी में हुआ।
4. 1724 ई० में निज़ाम-उल-मुल्क ने हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की नींव रखी।
5. 1739 ई० में सुआदत खान ने अवध को एक स्वतन्त्र राज्य बनाया।
6. फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों के मध्य 1746 ई० से 1763 ई० तक कर्नाटक में तीन युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज़ विजयी रहे।
7. आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख स्त्रोत पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, समाचार-पत्र, मैगज़ीन तथा ऐतिहासिक इमारतें तथा भवन आदि हैं।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें :

1. इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कौन-से तीन कालों में विभाजित किया है?
2. भारत में आधुनिक काल का आरम्भ कब हुआ ?
3. आधुनिक काल के समय भारत में आई यूरोपीयन शक्तियों के नाम लिखें।
4. कब तथा किस ने अवध राज्य को स्वतन्त्र राज्य घोषित किया ?
5. पुस्तकें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमारी किस तरह से सहायता करती हैं ?
6. ऐतिहासिक भवनों के बारे में संक्षेप जानकारी लिखें।
7. सरकारी दस्तावेजों पर नोट लिखें।

II. रिक्त-स्थानों की पूर्ति करें :

1. यूरोप में आधुनिक काल का आरम्भ .... सदी में हुआ माना जाता है।

2. भारत में 16वीं सदी में .... काल था।

3. 18वीं सदी में भारत में ...., ..., ... तथा पठान एवं राजपूत आदि नई शक्तियां अस्तित्व में आई।

III. प्रत्येक वाक्य के आगे सही (√) या गलत (×) क

1. 18वीं सदी में भारतीय समाज में अनेक सामाजिक बुराईयाँ प्रचलित थी। ☐
2. पश्चिमी शिक्षा एवं साहित्य के साथ-साथ पश्चिमी विचारों ने भी भारतीयों को जागृति किया। ☐
3. 18वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था। ☐

क्रियाकलाप (Activity) :

एक चार्ट पर आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख स्त्रोत लिखने के साथ-साथ एक-एक तस्वीर भी लगाएं तथा इस चार्ट को अपनी कक्षा में लगाए।

pाठ 7

भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना

व्यापारवाद

वास्को-डे-गामा

प्राचीन काल से ही हमारे देश के यूरोपीयन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित थे। भारतीय-यूरोपीयन व्यापार के तीन मुख्य मार्ग थे। जो 15वीं सदी में पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय प्रदेशों में तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो जाने के कारण यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्ग ढूंढने आरम्भ कर दिए। परिणामस्वरूप पुर्तगाली कप्तान वास्को-डे-गामा सब से पहले 27 मई 1498 ई. को भारत में कालीकट के स्थान पर पहुंचा। इससे प्रेरित होकर पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना आरम्भ किया।

व्यापार युद्ध

शीघ्र ही कई यूरोपीय शक्तियों ने भारत के साथ व्यापार करना आरम्भ किया। उनके द्वारा व्यापार करने के कारण उनके मध्य युद्ध शुरू हो गया। धीरे-धीरे उन्होंने भारत में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। भारत में पुर्तगालियों की मुख्य बस्तियां गोआ, दमन, सालसैट, बासीन मुम्बई, सैंट टोम तथा हुगली में थी। डच्चों की - कोचीन, सूरत, नागापट्टम, पुलीकट तथा चिंसुरा, अंग्रेज़ों की सूरत, अहमदाबाद, बलोच, आगरा, मुम्बई तथा कलकत्ता में थी। फ्रांसीसियों की - पांडेचेरी, चन्द्रनगर तथा कारीकल में थी। समय के साथ-साथ बस्तियों के ऊपर अधिकार करने के लिये इन चारों यूरोपी शक्तियों में परस्पर संघर्ष आरम्भ हो गया। 17वीं सदी तक पुर्तगालियों तथा डच्चों का भारत में प्रभाव कम हो गया था। अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में यूरोपी व्यापार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरम्भ हो गया। अंत में अंग्रेज़ों की विजय हुई।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी

इंग्लैंड के व्यापारियों के मर्चेंट एंडवेचरस नाम के ग्रुप ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसम्बर 1600 ई० को ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना की। महारानी एलिज़ा प्रथम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया। परन्तु 1615 ई० में कम्पनी का प्रतिनिधि सर थामस रो जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं लेने में सफल हो गया। अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापारिक बस्तियां सूरत, अहमदाबाद, बलोच तथा आगरा में स्थापित की। 1640 ई० में अंग्रेज़ों ने मद्रास (चेन्नई) में अपनी बस्ती स्थापित की। 1690 ई० में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता (कोलकत्ता) के स्थान पर बस्ती स्थापित की तथा

वहां फोर्ट विलियम नाम के किले का निर्माण किया। 1717 ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी को मुगल सम्राट फरूख सियार से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेज़ भारत में कलई, पारा, सिक्का तथा कपड़ा भेजते थे तथा भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, गर्म मसाले, नील तथा अफीम मंगवाते थे। धीरे-धीरे अंग्रेज़ों ने भारत के राजनैतिक मामलों में हस्ताक्षेप करना शुरू कर दिया तथा वे भारत में एक सर्वोच्च शक्ति बन गए।

फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी

डुप्ले

भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात् 1664 ई. में फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी व्यापारिक कम्पनी की स्थापना की। कम्पनी ने चन्द्रनगर, माही तथा कारीकल के स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की। डूमा तथा डुप्ले नाम के फ्रांसीसी गवर्नरों के नेतृत्व में फ्रांसीसी कम्पनी ने बहुत उन्नति की। फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष आरम्भ किया।

एंग्लो-फ्रांसीसी शत्रुता

अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य भारत में व्यापारिक तथा राजनैतिक सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष आरम्भ हो गया। उस समय यूरोप में भी अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। इस संघर्ष के अंतर्गत कर्नाटक में भी तीन युद्ध हुए। इन तीन युद्धों में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। इन तीन युद्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्न अनुसार किया जाता है।

कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ई. : अंग्रेज़ी तथा फ्रांसीसी कम्पनियां एक दूसरे की बस्तियों को अपने अधीन करना चाहती थी। 1740 ई० में आस्ट्रिया की राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए यूरोप में अंग्रेज़ो तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध आरम्भ हुआ। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में भी अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में प्रथम युद्ध का आरम्भ हुआ।

1746 ई. में भारत तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास के स्थान पर अंग्रेज़ों की बस्ती पर अधिकार कर लिया जोकि कर्नाटक के राज्य में स्थित थी। कर्नाटक के नवाब अनवरूद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेज़ों को वापिस देने के लिए कहा परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अंग्रेज़ों ने बदले में पांडेचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया परन्तु वह असफल रहे। जैसे ही यूरोप में आस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुआ तो परिणामस्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया।

कर्नाटक का दूसरा युद्ध : कर्नाटक के प्रथम युद्ध के पश्चात् कर्नाटक तथा हैदराबाद में राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए शुरु हुए युद्ध में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विरोधियों की सहायता की। इस कारण फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज़ों के मध्य कर्नाटक का दूसरा युद्ध आरम्भ हुआ।

राबर्ट क्लाईव

1748 ई० में हैदराबाद के निज़ाम आसिफ शाह की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र नासिर जंग तथा दोहते मुज्जफर जंग में राज्य गद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने नासिर जंग तथा फ्रांसीसियों ने मुज्जफर जंग की सहायता की। इसी तरह से चंदा साहिब फ्रांसीसियों की सहायता से नवाब अनवरूद्दीन को हटा कर स्वयं कर्नाटक का नवाब बन गया। 1751 ई. में जब मुज्जफर जंग की मृत्यु हो गई तो फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। उसने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार के कुछ क्षेत्र सौंप दिये। इस समय दौरान एक अंग्रेज़ अधिकारी राबर्ट क्लाईव ने कर्नाटक की राजधानी अराकाट पर हमला कर दिया। चन्दा साहिब को मार दिया तथा मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। डुप्ले को फ्रांस वापिस बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर गौडहयू को गवर्नर नियुक्त किया गया।

कर्नाटक का तीसरा युद्ध : 1756 ई. में यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य सप्त वर्षीय युद्ध आरम्भ हुआ। इसलिए भारत में भी इन दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध शुरू हुआ 1758 ई. में फ्रांस की सरकार ने भारत में अंग्रेज़ी शक्ति को समाप्त करने के लिये काऊंट डी फोर्ट लाली को भारत भेजा। परन्तु वह असफल रहा । 1763 ई. में यूरोप में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों में पैरिस की संधि हुई तथा इसके साथ युद्ध का अंत हो गया। परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों शक्तियों में चल रहे युद्ध की समाप्ति हो गई। इस संधि के अनुसार पांडेचेरी तथा माही आदि बस्तियां फ्रांसीसियों को वापिस कर दी गईं। परन्तु उनको इन बस्तियों की किलेबन्दी करने की आज्ञा न दी गई। अब वे भारत में केवल व्यापार ही कर सकते थे। इस तरह भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा अंग्रेज़ों की कम्पनी की सर्वोच्चता कायम हो गई।

अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल की विजय

अंग्रेज़ बहुत लम्बे समय से बंगाल के साथ व्यापार कर रहे थे। 1717 ई. में मुगल सम्राट फारुखसियार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। परन्तु वे अपने निजी व्यापार पर भी कर नहीं देते थे। सिराजुदौला यह सहन नहीं कर सका क्योंकि इससे शाही कोष को बहुत घाटा पड़ रहा था। 1756 ई. में सिराजुदौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिये अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों ने कलकत्ता में किलेबन्दी करनी शुरू की। नवाब सिराजुदौला इसको सहन नहीं कर सका, क्योंकि इससे उसके राज्य को संकट पैदा हो सकता था। इसलिये उसने अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों को किलाबन्दी करने से रोका।

फ्रांसीसियों ने सिराजुदौला की बात मान ली जबकि अंग्रेज़ों ने इन्कार कर दिया। सिराजुदौला ने नाराज़ होकर अपनी सेना की सहायता से कलकत्ता के स्थान पर स्थित अंग्रेज़ों की बस्तियों पर अधिकार कर लिया।

कुछ समय के पश्चात् अंग्रेज़ों ने अपनी बस्तियों पर पुन: अधिकार कर लिया। इस बात से सिराजुदौला बहुत क्रोधित हुआ तथा वह अंग्रेज़ों को कलकत्ते से बाहर निकालने के लिये कलकत्ते की ओर चल पड़ा। क्लाईव ने सिराजुदौला की सेना को पराजित कर दिया। उसने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने सिराजुदौला को राज्यगद्दी से उतारने का प्रयत्न किया जोकि प्लासी के युद्ध का कारण बना।

प्लासी का युद्ध (1757 ई.)

प्लासी के स्थान पर 23 जून 1757 ई. को सिराजुदौला तथा अंग्रेज़ों की सेनाओं में युद्ध हुआ। राबर्ट क्लाईव ने अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ जो नवाब की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ने युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इन देशद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध सांठगांठ की। नवाब ने अपनी सेना के साथ शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया परन्तु अन्त में वह पराजित हुआ।

सिराजुदौला

अंग्रेज़ों ने उसे बंदी बना लिया तथा बाद में उसे मार दिया। अब क्लाईव ने मीर जाफर को बंगाल की राज्य गद्दी पर बिठा दिया। राज्य की वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ गवर्नर क्लाईव के हाथ में थी। परन्तु फिर भी अंग्रेज़ प्रसन्न नहीं थे क्योंकि मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी गद्दी से उतार दिया तथा उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया।

मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद शीघ्र ही अपने आप को अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। उसने अपने सैनिकों को युद्ध के आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण देने के लिये यूरोपियन अधिकारियों की नियुक्ति की। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के माल पर लिये जाने वाले कर को बन्द कर दिया ताकि अंग्रेज़ तथा भारतीय व्यापारी समान नियमों के अंतर्गत व्यापार कर सकें। इससे अंग्रेज़ों को बहुत हानि हुई तथा उन्होंने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज़ों ने नवाब को 1763 ई. में कटवाह के स्थान पर घेर लिया, सूती तथा उदनाला के स्थान पर उसे पराजित कर दिया। मीर कासिम बंगाल से भागकर अवध पहुंच गया।

बक्सर का युद्ध (1764 ई.)

मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाऊदौला से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। इस समय मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय भी अवध में ही था। मीर कासिम, शुजाऊदौला तथा शाह आलम द्वितीय

की सेनाएं अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए बक्सर के मैदान में पहुंची। दूसरी ओर मेजर मुनरो भी अपनी सेना के साथ बक्सर के स्थान पर पहुंच गया। 23 अक्तूबर 1764 ई. को दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। शुजाऊदौला तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ सन्धि कर ली तथा मीर कासिम लड़ाई के मैदान से भाग गया। अंग्रेज़ों, शुजाऊदौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 1765 ई. में इलाहाबाद की सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार शुजाऊदौला को 50 लाख रुपये के बदले में अवध का क्षेत्र वापिस कर दिया गया। कम्पनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की स्वीकृति मिल गई। नवाब ने अवध में अंग्रेज़ी सेना रखने तथा उसका पूर्ण खर्च देना भी स्वीकार कर लिया। मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। अवध के नवाब से कड़ा तथा इलाहाबाद के इलाके लेकर शाह आलम को दिये गये। शाह आलम ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी (लगान इकट्ठा करने का अधिकार) अंग्रेज़ों को दी। मीर कासिम को गद्दी से उतारकर मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना दिया।

बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली

प्लासी तथा बक्सर की विजय के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। सैनिक तथा लगान शासन प्रबन्ध इनके अधिकार में आ गया। नवाब को सिविल शासन व्यवस्था चलाने का उत्तरदायित्व दिया गया। उन्होंने मुहम्मद रजा खाँ तथा शिताब राय नाम के दो डिप्टी नियुक्त किए। इस प्रणाली को दोहरी शासन प्रणाली कहा जाता है।

1772 ई. में दोहरी शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। बंगाल पर कम्पनी की सीधी शासन व्यवस्था लागू हो गई। नए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगज ने भारत में अंग्रेज़ों के प्रभाव का विस्तार करना आरम्भ किया।

अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार

भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के विस्तार तथा संगठन में ईस्ट इंडिया कम्पनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगज, लार्ड वैलजली, लार्ड हेस्टिंगज तथा लार्ड डलहौजी ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

1. युद्ध तथा कूटनीति के द्वारा विस्तार : लार्ड क्लाईव, वारेन हेस्टिंगज, कार्नवालिस तथा सरजान शोर के आधीन तो भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना तथा आरम्भिक विकास ही हुआ था। परन्तु कम्पनी के तीन गवर्नर जनरल–लार्ड वैलजली, लार्ड हेस्टिंगज तथा लार्ड डलहौजी के काल (1798 ई. – 1857 ई.) में इसका बहुत विस्तार हुआ।

सहायक सन्धि द्वारा विस्तार

लार्ड वैलजली ने अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार करने के लिये सहायक सन्धि प्रणाली शुरू की। उसने इस प्रणाली के अंतर्गत हैदराबाद के निज़ाम तथा अवध के नवाब तथा अन्य रियासतों के शासकों से सन्धि की। अंग्रेज़ी सरकार यह सन्धि करने वाले राज्य की, उसमें होने वाले विद्रोहों तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते थे। इसके बदले में सन्धि करने वाले राज्य को अंग्रेज़ी सरकार की निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को मानना पड़ता था। वह थी (1) उस राज्य के विदेशी मामलों पर अंग्रेज़ी सरकार का अधिकार होता था (2) उस

राज्य के शासक को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रैजीडैंट रखना पड़ता था। (3) उस राज्य के शासक किसी विदेशी शक्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता था। (4) वह राज्य अंग्रेज़ों की आज्ञा बिना किसी अन्य देश के साथ युद्ध नहीं कर सकता था।

युद्ध द्वारा अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार

अंग्रेज़-मैसूर युद्ध (1766-99) : 1761 ई. में हैदरअली ने मैसूर के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। 1766 ई. में अंग्रेज़ों ने हैदरअली के विरुद्ध मराठों तथा निजाम के साथ सन्धि की। 1767 ई. से 1769 ई. तक उसका लार्ड वारेन हेस्टिंगज के काल में अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदरअली की विजय हुई। परन्तु अंत में अंग्रेज़ों को उसके साथ सन्धि करनी पड़ी। इस सन्धि के अनुसार उन्होंने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापिस कर दिया तथा शत्रु की ओर से आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। परन्तु 1771 ई. में जब मराठों ने हैदरअली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने उसकी कोई सहायता न की।

इस कारण 1780 ई. में दोनों के मध्य मैसूर का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ। 1782 ई. में हैदर अली की मृत्यु हो गई ।

टीपू सुल्तान : हैदरअली की मृत्यु के पश्चात् उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का नया सुल्तान बना। उस समय अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ दूसरा युद्ध चल रहा था। टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। अंग्रेज़ों को मज़बूर होकर उसके साथ 1784 ई. में बैंगलूरु की सन्धि करनी पड़ी।

इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने 1799 ई. में मैसूर पर पुन: आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। टीपू सुल्तान श्री रंगापट्टम के स्थान पर लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेज़ों ने मैसूर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तथा शेष भाग पुराने मैसूर वंश के राजकुमार कृष्णा राव को दे दिये। उसने लार्ड वैलजली की सहायक सन्धि की शर्तों को स्वीकार कर लिया।

टीपू सुल्तान

अंग्रेज़-मराठा युद्ध (1775-1818 ई.) : लार्ड वैलजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ वासीन नामक स्थान पर सहायक सन्धि की। इसके साथ ही मराठा शक्ति का पतन हो गया। 1802 ई. में मराठा सरदार भोंसले दूसरे अंग्रेज़ मराठा युद्ध में हार गया। उसने 1803 ई. में अंग्रेज़ों के साथ देवगांव की सन्धि की तथा उनको कटन तथा बालागोर के प्रदेश प्राप्त हुये। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने मराठा सरदार सिंधिया को पराजित कर उसके साथ सुरजीअरजनगाऊ की सन्धि की। इसके साथ उनको अहमदनगर, भड़ोच, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ। लार्ड वैलजली ने मराठा सरदार जसवंत राव होल्कर की राजधानी इन्दौर पर भी अधिकार कर लिया। 1805 ई. में वैलजली को वापिस इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके पश्चात् लार्ड कार्नवालिस ने मराठा सरदार - होलकर, सिंधिया तथा भोंसले आदि के साथ सहायक सन्धि की।

अंग्रेज़-गोरखा युद्ध (1814-1816 ई.) : गोरखों ने सीमांत प्रदेशों में अंग्रेज़ों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसलिये हेस्टिंगज ने 1815 ई. में अखतर-लोनी के नेतृत्व में गोरखों के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। इस लड़ाई में गोरखों की पराजय हुई। गोरखों को अंग्रेज़ों को अपने बहुत सारे क्षेत्र देने पड़े तथा नेपाली सरकार ने काठमंडु में एक ब्रिटिश रेजीडेंट रखना स्वीकार किया।

अन्य राज्यों को अधीन करना : रियासतें लार्ड हेस्टिंगज के समय राज्यस्थान की 19 रियासतों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। इनमें मुख्य रियासतें थी– जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर आदि। इस तरह लार्ड हेस्टिंगज ने भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार किया।

1823–1848 ई. तक अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार

1823–1828 ई.	–	लार्ड एम्हरसट
प्रथम अंग्रेज़–बर्मा युद्ध (1824–1826 ई.)		
1828–1835 ई.	–	लार्ड विलियम बैटिक
1832 ई. में सिंध के अमीरों से सहायक संधि		
1836–1842 ई.	–	लार्ड ऑकलैंड
1839 ई. में सिंध के अमीरों के साथ सहायक संधि		
1842–1844 ई.	–	लार्ड ऐलनबरो
1843 ई. में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध पर अधिकार।		
1844–1848 ई.	–	लार्ड हार्डिंग
1845–1846 ई. में प्रथम अंग्रेज़–सिक्ख युद्ध में सिक्खों की पराजय।		

लार्ड डलहौजी के अधीन अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार (1848–56 ई.)

अंग्रेज़ी साम्राज्य के विस्तार के लिए गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने निम्नलिखित ढंगों का प्रयोग किया:–

(क) युद्ध द्वारा
(ख) लैप्स की नीति द्वारा
(ग) कुप्रशासन व्यवस्था के आधार पर
(घ) उपाधियां तथा पेंशनें बंद करके।

(क) युद्ध द्वारा विस्तार

लार्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने 1848 ई. में मूल राज तथा चतर सिंह के विरोध का लाभ उठा कर लाहौर दरबार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस तरह लार्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ई. को पंजाब को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया।

1850 ई. में लार्ड डलहौजी ने सिक्किम पर आक्रमण करके अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया।

1852 ई. में लार्ड डलहौजी ने परोम तथा पीगू के क्षेत्र अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिए।

(ख) लैप्स की नीति

लार्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाने के लिये लैप्स की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार जिन भारतीय शासकों की अपनी कोई संतान नहीं थी, उनको पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं थी। ऐसे शासक की मृत्यु के पश्चात् उसके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। लार्ड डलहौजी ने इस नीति के अंतर्गत सतारा, स्म्भलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि कई रियासतों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल किया।

(ग) कुप्रशासन के कारण विलयीकरण

लार्ड डलहौजी ने 1856 ई. में अवध की शासन व्यवस्था पर दोष लगाकर इसको अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल करना बिल्कुल गलत था।

(घ) उपाधियां तथा पेंशनें बन्द करने से विलयीकरण

लार्ड डलहौजी ने कर्नाटक, पूना, लाहौर तथा सूरत की रिसायतों के शासकों की उपाधियां तथा पेंशनें समाप्त करके इन रियासतों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया।

इस तरह भारत के बहुत से क्षेत्र अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के अधीन हो गये। लगभग 600 देशी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन नहीं थी परन्तु उनको अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त थी तथा वह स्वतन्त्र राज्य नहीं थे।

याद रखने योग्य तथ्य

1. नए समुद्री मार्ग की खोज के परिणामस्वरूप पुर्तगाली कप्तान वास्को-डे-गामा सबसे पहले 27 मई 1498, ई. को भारत में कालीकट पहुंचा।
2. (i) पुर्तगालियों की बस्तियाँ-गोआ, दमन, सॉलसैट, बासीन, मुम्बई एवं हुगली में थी।
   (ii) डचों की बस्तियाँ-कोचीन, सूरत, नागापटम, पुलीकट तथा चिन्नसुरा में थी।
   (iii) फ्रांसीसियों की बस्तियाँ-पांडेचेरी, चंद्र नगर तथा कारीकल में थी।
   (iv) अंग्रेज़ों की बस्तियां-सूरत, अहमदाबाद, बलूच, आगरा, मुम्बई तथा कलकत्ता में थी।
3. अंग्रेज़ी ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की स्थापना 31 दिसम्बर 1600 ई. में हुई।
4. 1615 ई. में सर थॉमस रो जो कि कम्पनी का प्रतिनिधि था, वह मुगल बादशाह जहाँगीर से व्यापारिक रियायतें लेने में सफल हुआ।
5. 1717 ई० में कम्पनी को मुग़ल बादशाह फरुख्सियर से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी कर दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया।
6. प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजुदौला के बीच 23 जून 1757 ई. को हुई थी।
7. बक्सर का युद्ध 23 अक्तूबर 1764 ई. को अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें।

1. भारत में पहुँचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था ?
2. भारत में पुर्तगालियों की चार बस्तियों के नाम लिखें।
3. डच लोगों ने भारत में कहाँ-कहाँ बस्तियों की स्थापना की ?

4. अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना चुंगी कर के व्यापार करने का अधिकार किस मुगल सम्राट से तथा कब मिला ?
5. कर्नाटक का पहला युद्ध कौन-सी दो यूरोपीयन कम्पनियों के मध्य हुआ तथा इस युद्ध में किस की विजय हुई ?
6. प्लासी का युद्ध कब तथा किस के मध्य हुआ ?
7. बक्सर का युद्ध कब तथा किस के मध्य हुआ ?
8. प्लासी के युद्ध पर नोट लिखें।
9. बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली पर नोट लिखें।
10. लैप्स की नीति पर नोट लिखें।

II. रिक्त-स्थानों की पूर्ति करें :

1. अंग्रेज़ों, शुज़ाउद्दौला एवं मुगल बादशाह के मध्य .... के युद्ध के पश्चात् 1765 ई. में इलाहाबाद की संधि हुई।
2. 1772 ई. में बंगाल में .... प्रणाली समाप्त कर दी गई।
3. लार्ड वैलजली ने अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए .... प्रणाली शुरु की।

III. प्रत्येक वाक्य के आगे सही (√) या गलत (×) का चिन्ह लगाए :

1. पुर्तगाली कप्तान वास्को-डे-गामा 27 मई 1498 ई., को भारत में कालीकट नामक स्थान पर पहुँचा। ☐
2. अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के दो युद्ध लड़े गए। ☐
3. अंग्रेज़ों के साथ प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ☐

क्रियाकलाप (Activity) :

एक चार्ट पर अंग्रेज़ी साम्राज्य के विस्तार के लिए लार्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए चार तरीके (ढंग) कौन-से थे तथा इन चार नीतियों द्वारा कौन-कौन से राज्यों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल किया था ? उनकी सूची बनाओ।

पाठ 8

प्रशासकीय संरचना, वस्तीवादी सेना तथा सिविल प्रशासन का विकास

आरम्भ में अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिये आए थे। उनका उद्देश्य केवल अधिक लाभ प्राप्त करना था। उन्होंने भारत के बहुत से भागों पर अधिकार भी कर लिया। उन्होंने इन क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिये नीतियों की रचना की, जिनका उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ों के हित की रक्षा करना था।

प्रशासनिक संरचना : ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार के विकास के साथ वैधानिक, प्रशासनिक तथा अफसरशाही के संगठन की भी आवश्यकता अनुभव की गई।

संवैधानिक परिवर्तन

(i) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ई. : भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये 1773 ई. में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यों की कौंसिल स्थापित की गई जिसको शासन व्यवस्था के सभी मामलों के निर्णय सर्वसम्मति के साथ करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल को युद्ध, शांति, राजनैतिक संधियों आदि के विषयों में बंबई (मुम्बई) तथा मद्रास (चेन्नई) की सरकारों पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार प्राप्त था।

(ii) पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ई. : 1784 ई. में इंग्लैंड की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के सिविल, सैनिक तथा आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिये इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसके 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डायरेक्टरों द्वारा भारत में भेजे गये शासन सम्बन्धी सभी आदेशों को बदलने तथा कम्पनी के अधिकारियों को पदच्युत करने के अधिकार दिये गये। गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या चार के स्थान पर तीन कर दी गई। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन हो गए।

(iii) चार्टर एक्ट 1833 ई. : इस एक्ट द्वारा कम्पनी को व्यापार का सारा काम छोड़ने के लिए कहा गया ताकि वह अपना सारा ध्यान शासन व्यवस्था की ओर लगा सके। बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कौंसिल को अब भारत के गवर्नर जनरल तथा कौंसिल का नाम दिया गया। देश के कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कौंसिल में कानून सदस्य को शामिल किया गया। इस तरह से प्रेजीडेंसियों की सरकारों को कानून निर्माण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को बहुत शक्तिशाली बना दिया गया।

चार्टर एक्ट 1853 ई. : 1853 ई. के चार्ट एक्ट अनुसार कार्यपालिका से पृथक विधानपालिका की स्थापना की गई। इसके कुल 12 सदस्य थे। इस एक्ट के अनुसार कम्पनी की व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार का हस्ताक्षेप बढ़ गया। अब वह कभी भी भारत का शासन कम्पनी से अपने हाथों में ले सकती थी।

प्रशासनिक संगठन : भारत का शासन प्रबन्ध निम्नलिखित चार संस्थाओं द्वारा चलाया जाता था–

1. सिविल सर्विस
2. सेना
3. पुलिस
4. न्यायपालिका

1. सिविल सर्विस : भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस को माना जाता है। उसने सिविल सर्विस के अधिकारियों में रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिए अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिये। अधिकारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से भेंट स्वीकार करने की मनाही कर दी। उसने उच्च पदवियों पर केवल यूरोपियों को ही नियुक्त किया। 1806ई. में लार्ड विलियम ने इंग्लैंड में हैली बरी कॉलेज खोला जिसमें कम्पनी के नये नियुक्त किये गए सिविल सेवाओं के अधिकारियों को भारत भेजने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता था। 1833 ई. के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीयों को धर्म, जाति या रंग के आधार पर सरकारी पदवियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। परन्तु फिर भी भारतीयों को उच्च पदवियों पर नियुक्त नहीं किया जाता था।

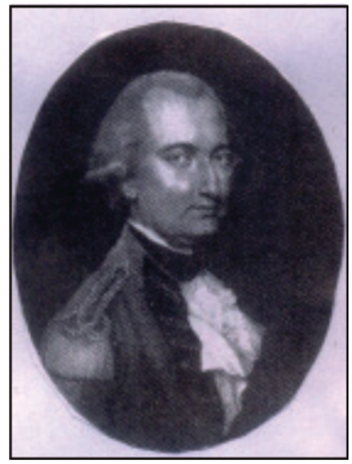
लार्ड कार्नवालिस

1853 ई. की सिविल सर्विस में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किए जाने लगी। यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इसका माध्यम अंग्रेज़ी होता था। इस परीक्षा में बैठने के लिए अधिक से अधिक आयु 22 वर्ष निश्चित की गई, जो 1864 ई. में 21 वर्ष तथा 1876 ई. में 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ई. में सतिंदर नाथ टैगोर नाम का प्रथम भारतीय था जो सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल हुआ। बाद में भारतीयों ने इस परीक्षा के लिये आयु सीमा बढ़ाने तथा परीक्षा केन्द्र इंग्लैंड के स्थान पर भारत में भी स्थापित करने की मांग की। भारत के वायसराय लार्ड रिपन ने इस मांग का समर्थन किया। परन्तु सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया।

1886 ई. में भारत के वायसराय लार्ड रिपन ने 15 सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमिशन नियुक्त किया। इस कमिशन ने सुझाव दिया कि सिविल सर्विस को तीन भागों में विभाजित किया जाए–

(i) इम्पीरियल या इंडियन सिविल सर्विस, जिसके लिए परीक्षा इंग्लैंड में होगी।

(ii) प्रांतीय सिविल सर्विस, जिसकी परीक्षाएं अलग-अलग प्रांत में हों।

(iii) प्रोफैशनल सर्विस कमिशन ने भारतीयों के लिये परीक्षाओं में बैठने की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष निश्चित करने की सिफारिश की। 1892 ई. में भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

1918 ई. में मांटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट ने सिफारिश की कि इंडियन सिविल सर्विस में 33 प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त किया जाए तथा धीरे-धीरे इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। इस रिपोर्ट को भारत सरकार एक्ट 1919 ई. के द्वारा लागू किया गया।

1923 ई. के ली कमिशन ने केन्द्रीय लोक सेवा कमीशन तथा प्रांतों में भी ऐसे कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की। इसलिये 1926 ई. में केन्द्रीय लोक सेवा कमीशन तथा 1935 ई. में संघीय लोक सेवा कमीशन तथा कुछ प्रांतीय लोक सेवा कमीशन स्थापित किये गए।

यद्यपि अंग्रेज़ी राज्य में इंडियन सिविल सर्विस में बहुत संख्या में भारतीय नियुक्त किये गये थे, फिर भी उच्च पदवियों पर अधिकतर अंग्रेज़ ही नियुक्त किये जाते थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ सरकार के हितों की पालना करना था न कि लोगों की भलाई करना था।

2. सेना : भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना तथा विस्तार करने के लिये सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। 1856 ई. में अंग्रेज़ी सेना में भारतीयों की संख्या 2,33,000 तथा यूरोपियों की केवल 45322 थी। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन तथा भत्ता दिया जाता था। उनकी उन्नति अधिक से अधिक सूबेदार की पदवी तक हो सकती थी। अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत दुर्व्यहार करते थे। इसलिये भारतीय सैनिकों ने 1857 ई. में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

1857 ई. के विद्रोह के बाद 1858 ई. में भारतीय सैनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गये–

(i) अंग्रेज़ सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई।

(ii) तोपखाने में केवल अंग्रेज़ों को नियुक्त किया जाने लगा। यू. पी. के ब्राह्मणों के स्थान पर सिक्खों तथा गोरखों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में 2:1 का अनुपात कर दिया गया। प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल की कौंसिल का सदस्य बना दिया गया। धर्म तथा जाति के आधार पर सैनिक टुकड़ियां स्थापित की गई ताकि सैनिकों में एकता उत्पन्न न हो सके तथा विद्रोह की संभावना कम हो जाये।

3. पुलिस : अंग्रेज़ी शासन में कानून तथा शांति स्थापित करने के लिये लार्ड कार्नवालिस ने पुलिस विभाग में सुधार किये। उसने ज़िलों की देख–रेख के लिये अंग्रेज़ पुलिस कप्तान नियुक्त किये तथा ज़िलों को आगे कई थानों में विभाजित किया। प्रत्येक थाना एक दरोगा के अधीन होता था। दरोगों के कार्य की देख–रेख पुलिस कप्तान करते थे। गांवों की देख–रेख करने के लिए चौकीदार नियुक्त किये जाते थे। पुलिस विभाग में भी भारतीयों को उच्च पदवी पर नहीं लगाया जाता था। उनका वेतन अंग्रेज़ों से बहुत कम था। पुलिस अधिकारियों का भारतीयों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था।

लार्ड कार्नवालिस ने पुलिस विभाग में सुधार किस लिए किये थे ?

4. न्याय व्यवस्था : अंग्रेज़ों की भारत को एक महत्वपूर्ण देन न्याय व्यवस्था कायम करने तथा लिखित कानून बनाने की थी। वारेन हेस्टिंगज ने ज़िलों में दीवानी तथा फौजदारी अदालतें स्थापित की। 1773 ई. के रेगुलैटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई जिसके न्यायधीशों के मार्ग दर्शन के लिये लार्ड कार्नवालिस ने 'कार्नवालिस कोड' नाम की एक पुस्तक तैयार करवाई।

लार्ड विल्यिम बैंटिक ने 1832 ई. में बंगाल में ज्यूरी सिस्टम (Jury System) की स्थापना की। 1833 ई. के चार्टर एक्ट के अन्तर्गत कानून का संग्रह करने के लिए इंडियन ला कमिशन की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सारे साम्राज्य में कानून का शासन लागू किया गया। जिसके अनुसार सभी भारतीय लोगों को धर्म या जाति के भेदभाव के बिना कानून की दृष्टि से समान समझा जाने लगा। परन्तु दूसरी सिविल सेवाओं की तरह भारतीयों की यूरोपियों के समान न समझा गया तथा उनको कुछ विशेष अधिकारों से वंचित रखा गया। उदाहरण के तौर पर भारतीय जजों को यूरोपियों के मुकद्दमों का निर्णय करने का अधिकार नहीं था। 1833 ई. में लार्ड रिपन की सरकार ने इलबर्ट बिल के द्वारा भारतीय जजों को ऐसा अधिकार देना चाहा परन्तु असफल रहा।

याद रखने योग्य तथ्य

1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिटस इण्डिया एक्ट 1784 तथा 1833 एवं 1853 ई के चार्टर एक्टों अनुसार भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य को एक केन्द्रीय शक्ति के अधीन कर दिया गया। इसके पश्चात् धीरे-धीरे अंग्रेज़ी संसद ने कम्पनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया।
2. गवर्नर जनरल की कौन्सिल भारतीय प्रशासनिक संगठन को सिविल सर्विस, पुलिस (कानून) एवं न्याय व्यवस्था द्वारा नियन्त्रित करती थी। लार्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का संस्थापक माना जाता है। इन्हें पुलिस प्रबंधन का प्रमुख भी माना जाता है। भारत में सभी सर्वोच्च पदों पर नौकरी केवल यूरोपियों को ही दी जाती थी।
3. लार्ड कार्नवालिस ने 'कार्नवालिस कोड' नामक एक पुस्तक की रचना की। 1774 ई. में कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो।

1. ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये कब तक कौन सा एक्ट पारित किया गया?
2. भारत में सिविल सर्विस का संस्थापक कौन था ?
3. कब तथा कौन-सा पहला भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर सका था?
4. सेना में भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली सब से बड़ी पदवी कौन-सी थी ?
5. कौन-से गवर्नर जनरल ने पुलिस विभाग में सुधार किये तथा क्यों ?
6. रेगुलेटिंग एक्ट से क्या भाव है ?
7. पिट्स इंडिया एक्ट पर नोट लिखें।
8. 1858 ई. के बाद सेना में कौन-से परिवर्तन किए गए ?
9. न्याय व्यवस्था पर नोट लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. 1886 ई. में लार्ड .... ने 15 सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया।
2. भारतीयों एवं यूरोपियों की संख्या में 2 : 1 का अनुपात .... ई० के विद्रोह उपरान्त किया गया।

3. 1773 ई. के रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार .... में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (√) या गलत (×) का चिन्ह लगाएं :

1. अंग्रेज़ों की भारत में नई नीतियों का उद्देश्य भारत में केवल अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करना था। ☐
2. कार्नवालिस के समय भारत में प्रत्येक थाने पर दरोगा का नियंत्रण होता था। ☐
3. 1773 ई. के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई। ☐

पाठ 9
ग्रामीण जीवन तथा समाज

अंग्रेज़ी साम्राज्य के समय भारत में बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन हुए। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने भारत में कुछ नए उद्योगों की स्थापना की जिनका उद्देश्य अंग्रेज़ों के हितों को पूर्ण करना था। अंग्रेज़ों ने भारत में लगान इकट्ठा करने की स्थायी बन्दोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था लागू की।

अंग्रेज़ों की कृषि सम्बन्धी नीतियां

भारत में अंग्रेज़ों की कृषि सम्बन्धी नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना था। अंग्रेज़ों ने इस उद्देश्य को मुख्य रखकर भारत में अलग-अलग लगान व्यवस्थाएं लागू की। 1765 ई. में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों की दीवानी प्राप्त कर ली। परन्तु भूमि लगान एकत्र करने का काम अमिलों को सौंप दिया।

(1) ठेके पर भूमि देने की व्यवस्था (इजारेदारी) : लार्ड वारेन हेस्टिंगज ने लगान एकत्र करने के लिये पांच वर्षीय ठेके की व्यवस्था की जिसके अनुसार सबसे अधिक बोली देने वालों को पांच वर्षों के लिये लगान इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। 1777 ई. में उसने पांच वर्ष के स्थान पर एक वर्ष ठेके की व्यवस्था आरम्भ की। ठेकेदार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लूटते थे। इस कारण किसानों की आर्थिक दशा खराब हो गई। इसीलिये लार्ड कार्नवालिस ने 1793 ई. में बंगाल तथा बिहार के प्रांतों में स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था लागू की।

(2) स्थायी बन्दोबस्त : 1793 ई. में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त भूमि लगान व्यवस्था आरम्भ की। बाद में यह व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी भारत में भी लागू की गई। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को सदा के लिये भूमि के मालिक बना दिया गया। उनके द्वारा सरकार को दिया जाने वाला लगान निश्चित कर दिया जो सरकारी कोष में जमा करवाते थे। यदि वे किसी कारण ऐसा नहीं करते थे तो सरकार उनकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की राशि पूरी कर लेती थी। जमींदारों को यह अधिकार था कि वे किसानों से अपनी मर्जी से लगान एकत्र करें।

स्थायी बन्दोबस्त के दोष : इस व्यवस्था के अधीन जमींदार किसानों का बहुत शोषण करते थे। सरकार को इससे आर्थिक हानि हुई क्योंकि उसकी आय (भूमि लगान) तो निश्चित थी परन्तु उसका व्यय बढ़ रहा था। कर का भार कृषि न करने वाले अन्य धन्धे के लोगों पर पड़ने लगा। सरकार का किसानों के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। स्थायी बन्दोबस्त ने बहुत से जमींदारों को आलसी तथा ऐश परस्त बना दिया।

(3) रैयतवाड़ी व्यवस्था : स्थायी बन्दोबस्त के दोष समाप्त करने के लिए 1820 ई. में एक अंग्रेज़

अधिकारी थामस मुनरो ने मद्रास तथा मुम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ भूमि लगान लेने का निर्णय किया। किसानों को भूमि के स्वामी बना दिया गया तथा उनका भूमि लगान निश्चित कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार भूमि लगान की राशि प्रत्येक 20 से 30 वर्ष के पश्चात् बढ़ा दी जाती थी।

रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष : रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत जमींदारों के स्थान पर सरकार किसानों का शोषण करती थी। किसानों से उत्पादन का काफी भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था। कई गरीब किसानों को लगान की राशि का भुगतान करने के लिये साहुकारों से ऋण लेने के बदले में अपनी भूमि को गिरवी रखना पड़ता था।

(4) महलवाड़ी व्यवस्था : रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था के दोषों को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में महलवाड़ी लगान व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था गांव के सामूहिक भातृत्व के साथ की जाती थी। इस व्यवस्था के अनुसार सरकार को लगान देने की जिम्मेवारी सारे भातृत्व की होती थी। यह व्यवस्था लम्बे समय के लिये की जाती थी। इस व्यवस्था को सबसे उत्तम माना जाता था। क्योंकि इसमें पहली दोनों व्यवस्थाओं के स्थायी बन्दोबस्त तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण शामिल थे। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि इसके अनुसार लोगों को बहुत ज्यादा भूमि लगान देना पड़ता था।

अंग्रेज़ों की कृषि-भूमि सम्बन्धी नीतियों का प्रभाव

भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रचलित की गई लगान व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्याचार होने लगे। जमींदारी क्षेत्रों में, जहां स्थायी या अस्थायी व्यवस्था लागू की गई, वहां जमींदार किसानों का शोषण करते थे। वे सरकार को लगान की निश्चित राशि दे देते थे तथा भूमि के स्वामी बन जाते थे। परन्तु किसानों से अपनी इच्छा अनुसार लगान वसूल करते थे। सरकार जमींदारों को किसानों तथा काश्तकारों पर अत्याचार करने से नहीं रोकती थी। जिन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी वहां जमींदारों के स्थान पर सरकार स्वयं किसानों का शोषण करती थी। इन क्षेत्रों में भूमि लगान उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक लिया जाता था तथा आगे प्रत्येक वर्ष लगान की दर बढ़ती रहती थी जिसके कारण किसान बहुत गरीब हो गए। इसके अतिरिक्त भूमि के व्यक्तिगत सम्पत्ति बनने से भूमि का धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों में विभाजन होता गया। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था के अनुसार किसानों को निशिचित तारीख पर लगान की निश्चित राशि नकद रूप में प्रत्येक वर्ष जमा करवानी पड़ती थी चाहे किसी वर्ष सूखा, अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई हो। ऐसी स्थिति में उनको अपनी भूमि साहुकार के पास गिरवी रख कर ऋण लेना पड़ता था जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी।

कृषि का वाणिज्यकरण

भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये की जाती थी। किसानों के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में कुम्हार, जुलाहा, मोची, बढ़ई, लुहार, भंगी, नाई, धोबी आदि होते थे। ये सभी लोग मिलकर गांव की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। परन्तु भारत में अंग्रेज़ी राज्य के आने से गांवों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई भूमि लगान व्यवस्था के अनुसार किसानों

को लगान के रूप में निश्चित राशि निर्धारित समय पर देनी पड़ती थी। इसलिए किसान अब उत्पादन गांव की जरूरतें पूरी करने के लिये नहीं बल्कि मंडी में बेचने के लिये पैदा करते थे। उनका उद्देश्य उत्पादन से अधिक से अधिक धन उपार्जित करना था ताकि वे सरकार को निर्धारित समय पर भूमि लगान की राशि दे सकें तथा साहूकारों का ऋण भी चुकाया जा सके। इस तरह से गांव में कृषि का वाणिज्यकरण आरम्भ हुआ। किसान अब गेहूं, कपास, तेल के बीज, गन्ना तथा पटसन आदि फसलों का उत्पादन करने लगे क्योंकि इनकी मंडी में बहुत मांग थी। इन फसलों को बेचने से किसानों को अधिक आय मिलने लगी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के आने से स्थापित किये गये कारखानों के लिये कच्चे माल की बहुत आवश्यकता थी। इसलिये अंग्रेज़ी सरकार ने खेती भाव कृषि का वाणिज्यकरण शुरू कर दिया, जो पंजाब, बंगाल, गुजरात, खानदेश तथा बरार आदि क्षेत्रों में सबसे अधिक हुआ था।

कृषि वाणिज्यकरण के प्रभाव

कृषि वाणिज्यकरण के कई अच्छे तथा बुरे प्रभाव पड़े।

लाभ–चाहे कृषि वाणिज्यकरण के कारण गांव की प्राचीन काल से चली आ रही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी। परन्तु देश तथा संसार व्यापी अर्थव्यवस्था के पक्ष से यह एक आगे बढ़ने का कदम था। इसके कारण ही नई किस्म की फसलें उगाई जा सकीं तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप यातायात के साधनों का विकास हुआ। जिससे किसानों के लिये शहरों की मंडियों में आना–जाना आसान हो गया। वे शहरों से कपड़ा तथा अन्य जरूरत की वस्तुएं सस्ते दाम पर खरीद कर लाते थे। किसानों का शहरों से सम्पर्क होने से उनका दृष्टिकोण विशाल हो गया। परिणामस्वरूप किसानों में धीरे–धीरे राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न होनी शुरू हो गई।

हानि–किसानों को जहां कृषि के वाणिज्यकरण से लाभ हुआ वहां उन्हें हानि भी हुई। किसान पुराने ढंग से कृषि करते थे तथा मंडियों में उनकी फसलों का मुकाबला अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप आदि की फसलों के साथ होता था जोकि मशीनों के साथ उगाई जाती थी। इस कारण किसानों को ज्यादा लाभ नहीं होता था। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी फसल मंडी में दलाल की सहायता से बेचनी पड़ती थी जो कि ज्यादा लाभ स्वयं लेते थे तथा किसानों को उसकी फसल का पूरा मूल्य भी नहीं मिलता था।

किसानों द्वारा विद्रोह

अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग–अलग लगान व्यवस्था लागू की जिसके अनुसार किसानों को बहुत ज्यादा लगान देना पड़ता था। इसके कारण व साहूकारों के ऋणी हो गये थे। बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त के अनुसार अंग्रेज़ों ने बिक्री कानून लागू किया। इस कानून के अनुसार जो जमींदार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भूमिकर की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाता था, उसकी भूमि को छीनकर किसी और जमींदार को बेच दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने बहुत–सी जमीनों को जब्त कर लिया। उन्होंने कर मुक्त जमीनों पर जोकि सम्राटों की ओर से राज्य के जागीरदारों आदि को पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, उन पर पुनः कर लगा दिया। लगान की राशि भी पहले से ज्यादा कर दी गई। सरकार लगान इकट्ठा करते समय सख्ती से पेश आती। इस कारण से किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने आरम्भ कर दिये।

ऐसा प्रथम विद्रोह अंग्रेज़ों के राज्य की स्थापना के बाद शीघ्र ही बंगाल में हुआ। इस विद्रोह में किसानों, सन्यासियों तथा फकीरों ने मिलकर भाग लिया। उन्होंने अपने आपको शस्त्रबद्ध किया। उनके शस्त्रबद्ध जत्थों ने अंग्रेज़ी सैनिक समूहों को बहुत तंग किया। इस विद्रोह को दबाने के लिये अंग्रेज़ों को लगभग 30 वर्ष लग गये थे।

1822 ई. में किसानों के नेता रामोसी ने चितौड़, सतारा तथा सूरत के स्थान पर अधिक लगान के विरुद्ध धरने के रूप में विद्रोह शुरू कर दिया। 1825 ई. में सरकार ने सेना तथा कूटनीति का प्रयोग कर विद्रोहियों को दबा लिया। उनमें से कुछ विद्रोहियों को पुलिस में भर्ती कर लिया गया जबकि अन्य को भूमि का अनुदान देकर शांत किया गया।

1829 ई. में सेनडोवे जिले के किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

1835 ई. में गंजम ज़िले में किसानों ने धन्जये के नेतृत्व में एक और विद्रोह किया जो फरवरी 1837 ई. तक जारी रहा।

1842 ई. में बुदेल जमींदार माधुकर के नेतृत्व में सागर में एक और किसान विद्रोह हुआ।

1849 ई. में पंजाब के भिन्न-भिन्न भागों जैसे कि पटियाला तथा रावलपिंडी (पाकिस्तान) आदि में किसान विद्रोह हुये।

किसानों ने अंग्रज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था ?

नील विद्रोह : नील उत्पादकों ने भी नील उत्पादन पर अधिक लगान लगाने के विरुद्ध विद्रोह किये। 1858 ई. से 1860 ई. तक बंगाल तथा बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह फैल गया था। उत्पादकों ने शक्ति द्वारा तथा सरकार ने भी नील को बीजने से इन्कार करने वालों को धमकी देकर इस विद्रोह को बन्द करने की कोशिश की। परन्तु किसान अटल रहे। जब उन्हें नील की कृषि करने के लिये बाध्य किया गया तो उन्होंने अंग्रेज़ उत्पादकों की फैक्टरियों पर धावा बोल दिया तथा लूट-पाट की। सरकार द्वारा उत्पादकों को रोकने के सभी प्रयास असफल रहे। 1866-68 ई. में नील की कृषि के विरुद्ध चम्पारन (बिहार) में विद्रोह हुआ। नील संकट तब तक चलता रहा जब 20वीं सदी के आरम्भ में मोहन दास करम चन्द गांधी ने नील उत्पादकों के पक्ष में समर्थन दिया

नील उत्पादकों ने विद्रोह क्यों किया था ?

याद रखने योग्य तथ्य

1. स्थायी बंदोबस्त 1793 ई. रैयतवाड़ी प्रबंध 1820 ई. तथा महलवाड़ी प्रबंध, इन सभी के एक समान तथा दीर्घ काल तक प्रभाव पड़े। लगान की दर अधिक तथा आपदा के साथ लगान माफ न करने के कारण किसान ऋणी तथा भूमिहीन हो गए। जमीन किसानों के स्वामित्व से निकलकर जमीनदारों (जमींदारों) तथा साहूकारों के पास चली गई।
2. कृषि का वाणिज्यकरण होने के कारण किसान गेहूँ, कपास, तेल के बीज, गन्ना तथा पटसन आदि फसलें उगाने लगे। इंग्लैंड के उद्योगों में इन फसलों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया तथा भारतीय किसानों से निर्माण लागत से कम कीमतों पर अंग्रेज़ों द्वारा खरीदा गया।
3. किसानों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किये गए।
4. 1858 ई. से 1860 ई. के दौरान बंगाल एवं बिहार के नील उत्पादकों द्वारा भी अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध भिन्न-भिन्न स्थानों पर विद्रोह किये गए।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखें।

1. स्थायी बन्दोबस्त किसने, कब तथा कहाँ आरम्भ किया?
2. रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने, कब तथा कहां-कहां शुरू की गई?
3. महलवाड़ी व्यवस्था कौन-से तीन क्षेत्रों में लागू की गई?
4. कृषि का वाणिज्यकरण कैसे हुआ?
5. वाणिज्यकरण की मुख्य फसलें कौन-सी थी ?
6. कृषि के वाणिज्यकरण के दो मुख्य लाभ बतायें।
7. कृषि के वाणिज्यकरण के दो मुख्य दोष लिखें।
8. स्थायी बन्दोबस्त क्या था तथा उसके क्या आर्थिक प्रभाव पड़े?
9. 'नील विद्रोह' के बारे में आप क्या जानते हैं?

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. ठेकेदार किसानों को अधिक से अधिक .... थे।
2. स्थायी बंदोबस्त के कारण .... भूमि के मालिक बन गए।
3. जमींदार किसानों पर निर्माण .... करते थे।

4. भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय लोगों का प्रमुख कार्य .... करना था।

III. प्रत्येक वाक्य के आगे सही (√) या गलत (×) का चिन्ह लगाएं :

1. भारत में अंग्रेज़ी शासन हो जाने से गांवों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ। ☐
2. महलवाड़ी प्रबंध गांव के सामूहिक भाईचारे से किया जाता था। ☐
3. बंगाल के स्थायी बंदोबस्त अनुसार अंग्रेज़ों ने बिक्री कानून लागू किया। ☐

IV. सही जोड़े बनाएं :

	(क)	(ख)
1.	वार्न हेस्टिंगज	स्थायी बंदोबस्त
2.	लार्ड कार्नवालिस	रैयतवाड़ी प्रबंध
3.	थामस मुनरो	इजारेदारी (ठेका व्यवस्था)

पाठ 10 बस्तीवाद तथा कबिलाई समाज

आदिवासी समाज : आदिवासी समाज या आदिवासी लोग भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। 1991 ई. की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 15,955,160 तक थी। इन कबीलों का सबसे बड़ा भाग राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में रहता था। इन राज्यों के अतिरिक्त आदिवासी कई छोटे राज्यों में भी रहते है जैसे कि सिक्किम, गोआ, मिज़ोरम, दादरा, नगर हवेली तथा लक्षद्वीप आदि। इन आदिवासी लोगों में अधिकतर लोग निम्नलिखित कबीलों के साथ सम्बन्ध रखते हैं– गोंड, भील, संथाल, मिजों आदि। इनमें से गोंड की संख्या सबसे अधिक थी। इन कबीलों के अतिरिक्त और भी कई कम जनसंख्या वाले कबीले थे।

बर्तानवी राज्य के समय बहुत सारे यूरोपियन तथा भारतीय लेखकों ने इन आदिवासी लोगों के जीवन, आर्थिकता तथा समाज के बारे पूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न भी किया। इन आदिवासी लोगों में 63%

आदिवासी लोग

लोग पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में 2.2% लोग टापुओं में तथा 1.6% प्रतिशत लोग अर्ध खण्ड शीत क्षेत्रों में रहते थे। शेष लोग अन्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहते थे। यह लोग या तो दो कमरों वाली झोंपड़ियों में रहते थे जोकि अकसर अव्यवस्थित ढंग से बनी होती थे। यह झोंपड़ियां दो या चार लाइनों में एक–दूसरे के सामने होती थे। इसके इर्द–गिर्द पेड़ों के झुण्ड होते थे। यह लोग भेड़–बकरियां आदि पालतू जानवर रखते

थे। यह आदिवासी लोग स्थानिक प्रकृति तथा भौतिक साधनों पर निर्भर करते थे। कई तरह के अन्य आर्थिक व्यवसाय जैसे शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, बैल द्वारा हल चलाना आदि भी प्रचलित है।

आदिवासी लोगों की सबसे आरंभिक सामाजिक ईकाई परिवार है जहां पर स्त्रियां घरेलू आर्थिक, सांस्कृतिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। स्त्रियों के मुख्य कार्य खाना बनाना, लकड़ी इकट्ठी करना, सफाई करना तथा कपड़े धोने आदि है। कृषि के कार्य में भी वह पुरुषों का हाथ बटाँती है जैसे भूमि को समतल बनाना, फसलों की बिजाई, घास-पात छांटना, फसलें काटना तथा छांटना आदि। पुरुषों के मुख्य कार्य जंगलों की कटाई, भूमि को समतल करना तथा हल चलाना आदि हैं। क्योंकि आदिवासी स्त्रियां आर्थिक कार्य में पुरुषों की सहायता करती है। इसलिये पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। इसी कारण से आदिवासी समाज में बहु-विवाह प्रचलित हैं।

19वीं सदी में आदिवासी समाज तथा उसकी आर्थिक दशा में परिवर्तन–

19वीं सदी में बर्तानवी राज्य के समय आदिवासी समाज के लोग सब से अधिक गरीब थे। अंग्रेज़ी साम्राज्य के तीव्रता से हो रहे प्रसार से आदिवासी समाज की जीवन शैली हर पक्ष से प्रभावित हुई। बर्तानवी राज्य के समय पुरानी सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदल दिया गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव कबिलाई समाज तथा आर्थिकता के ऊपर पड़ा। बर्तानवी शासन ने अपने आर्थिक हितों के कारण फसलों का व्यापारीकरण कर दिया। अफीम तथा नील की कृषि करने के लिये बर्तानवी शासकों ने आदिवासी क्षेत्रों की भूमि छीन ली। जिस के कारण आदिवासी लोग मज़दूरी करने लगे। उनको बहुत कम मज़दूरी दी जाती थी। धीरे-धीरे उन्होंने भरण पोषण के लिये पैसा उधार लेना शुरू कर दिया जिससे वे आर्थिक मंदी का शिकार हुए।

आदिवासी लोग इन सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते थे। वे पूर्ण रूप से बर्तानवी सरकार की इस नई व्यवस्था के विरुद्ध थे।

आदिवासी लोग मंदी का शिकार क्यों हुए थे ?

आदिवासी लोगों द्वारा विद्रोह

ऊपर दिए गए कारणों के कारण आदिवासी समाज के लोगों ने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध में देश के भिन्न-भिन्न भागों में विद्रोह किया। मध्य प्रदेश में भील लोगों ने, बिहार में मुंडा लोगों ने, उड़ीसा में गोंड लोगों ने, मेघालय में खासीस लोगों ने तथा बिहार-बंगाल में संथाल लोगों ने भारी विद्रोह किये।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा विद्रोह : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रथम विद्रोह खासीस कबीले द्वारा किया गया। पूर्व में जयन्ती पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में गारो पहाड़ियों तक के क्षेत्र में खासीस कबीले का अधिकार था। तीरुत सिंह इस कबीले का संस्थापक था। उसके नेतृत्व में खासी लोग अपने क्षेत्र से बाहरी लोगों को भगाना चाहते थे। 5 मई, 1829 ई. को खासी कबीले के लोगों ने गारो की सहायता से बहुत से यूरोपीयन तथा बंगालियों को मार दिया। यूरोपियन कलोनियों को आग लगा दी गई। तीरुत सिंह दूसरे पहाड़ी कबीलों भोट, सिंगफो आदि को भी विदेशी प्रशासन से मुक्त करवाना चाहता था। इसलिये उसने 10,000 साथियों की सहायता से बर्तानवी सत्ता के लिये कठिनाइयाँ पैदा कर दी। दूसरी ओर बर्तानवी सैनिकों ने

खासी गांवों को एक-एक कर के आग लगा दी। अंत में तीरुत सिंह ने 1833 ई. में बर्तानवी सेना के आगे हथियार फेंक दिये।

अंग्रेज़ी सरकार विरुद्ध विद्रोह करने वाले कबीलों की सूची तैयार करें।

जब बर्तानवी सैनिक खासी कबीले के विद्रोह का सामना कर रहे थे तो उस समय ही एक और पहाड़ी कबीला सिंगफो ने विद्रोह कर दिया । अब खासी तथा सिंगफो कबीले के लोगों ने मिलकर अन्य कबीलों खामती, गारो, नागा आदि को विद्रोह करने का निमंत्रण दिया। आसाम में बर्तानवी सेना पर आक्रमण कर दिया गया तथा कई अंग्रेजों को मार दिया गया। परन्तु अन्त में वे बर्तानवी सेना के आधुनिक हथियारों का मुकाबला न कर सके। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

1839 ई. में सिंगफोस कबीले के लोगों ने फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के दूत करनल वाईट तथा अन्य अंग्रेज़ों को मार दिया। 1844 ई. में एक अन्य उत्तर-पूर्वी नागा कबीले ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 2-3 वर्ष तक चलता रहा। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसते कूकी कबीले के लोगों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1826 ई., 1844 ई. तथा 1849 ई. में विद्रोह कर दिया। कूकीयों का विद्रोह भी बहुत समय तक चला। उन्होंने कई बर्तानवी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। कूकियों की संख्या 7000 से लगभग थी। आखिर बर्तानवी सरकार ने कूकियों को 1850 ई. में हरा कर विद्रोह को शांत कर दिया।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों ने विद्रोह क्यों किया।

छोटा नागपुर क्षेत्र में कबीलों के विद्रोह (विशेष रूप से बिरसा मुंडा की बहादुरी)

1820 ई. में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सबसे कोल कबीले के लोगों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। क्योंकि वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार सहन नहीं कर सकते थे। इस विद्रोह के समय उनके कई गांव जला दिये गये तथा बहुत संख्या में लोग भी मारे गये। इसलिए उन्होंने 1827 ई. में छोटा नागपुर के मुंडा कबीले के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिये। कोल कबीले के लोग भी मुंडा विद्रोह में शामिल हो गये। यह विद्रोह शीघ्र ही रांची, हज़ारी बाग, पालमू तथा मनभूम क्षेत्रों तक फैल गया। सेना द्वारा लगभग 1000 विद्रोहियों को मार दिया गया। परन्तु सैना विद्रोह को नियंत्रण में न कर सकी। अंत में बहुत सी सैनिक कार्यवाही करने के उपरांत 1832 ई. में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। परन्तु कोल तथा मुंडा कबीले के लोगों की सरकार विरोधी गतिविधियाँ जारी रहीं।

1846 ई. में छोटा नागपुर के क्षेत्र में खोंड (कोंछ) कबीले के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने कैप्टन मैकफर्सन के कैम्प पर आक्रमण कर दिया तथा उसको 170 व्यक्तियों के साथ हथियार फैंकने के लिये मजबूर कर दिया। अन्य पड़ोसी कबीले के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गये। अंग्रेज़ों ने 1846 ई. में इस विद्रोह का दमन कर दिया। परन्तु अंग्रेज़ों ने एक देश निकाला दिये गये खोंड कबीले के आदमी को वापिस देश में बुला कर उसको खोंड कबीले के लोगों का मुखिया बना दिया। जिस में ख़ोड कबीले के लोग शांत हो गये।

फिर 1855 ई. में नागपुर क्षेत्र में संथाल कबीले के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे दो

भाईयों सिंधु तथा कान्हु के नेतृत्व में लगभग 10000 लोगों की संख्या में इक्ट्ठे हुए। उन लोगों ने भागलपुर तथा गजमहल क्षेत्रों के बीच डाक तथा रेल सेवाएं तबाह कर दी। इन्होंने तलवारों तथा ज़हरीले तीरों से यूरोपीयन बंगलों में आक्रमण किया। कई रेलवे तथा पुलिस अंग्रेज़ कर्मचारियों को मार दिया। जब अंग्रेज़ों की सरकार ने उनका पीछा किया तो वे जंगल में छिप गए। 1856 ई. तक उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला किया। उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही जारी रखी गई। विद्रोहियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर बहुत अत्याचार किये गये।

अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध हुये संथाल विद्रोह की तरह मुंडा जाति का विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण था। मुंडा जाति के लोग बिहार के क्षेत्र का प्रसिद्ध कबीला था। अंग्रेज़ों के राज्य के समय बहुत सारे गैर–कबीला लोग कबिलाई क्षेत्रों में आकर रहने लगे तथा उन्होंने कबीला समूह के लोगों की भूमि छीन ली थी। इस समय दौरान कबीले के लोगों को गैर–कबीला लोगों के अधीन मज़दूर के रूप में कार्य करने के लिये मज़बूर किया जाता था। मुंडा जाति के नेता जिसको बिरसा मुंडा कहा जाता था, के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह किया गया। 1899–1900 ई. में यह प्रमुख विद्रोह रांची के दक्षिण क्षेत्र में शुरू हुआ। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भगाकर इस क्षेत्र में मुंडा राज्य स्थापित करना था।

बिरसा मुंडा

बिरसा मुंडा एक शक्तिशाली व्यक्ति था। ऐसा माना जाता था कि उसके पास दैवी शक्तियां थी। स्थानीय लोग उसे परमात्मा का दूत मानते थे। बिरसा मुंडा ने गैर–कबिलाई लोगों के विरुद्ध धरना दिया जिन्होंने कबीले के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था। वह साहुकारों तथा जमींदारों से घृणा करता था जो मुंडा जाति के लोगों से बुरा व्यवहार करते थे। उसने मुंडा जाति के साथ सम्बन्धित किसानों को कहा कि वह जमींदारों को किराया न दें।

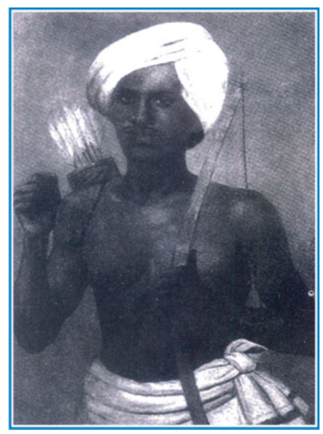

बिरसा मुंडा

बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में विद्रोह शुरू किया। मुंडा समाज उसके नेतृत्व में इकट्ठा हो गया था। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों, मिशनरियों तथा पुलिस स्टेशनों पर हमला कर दिया था। परन्तु अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया तथा विद्रोहियों को दबा दिया।

मुंडा विद्रोह के परिणाम–

मुंडा विद्रोह एक शक्तिशाली विद्रोह था। सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी अब मुंडा कबीले की समस्याओं पर ध्यान देने लगे। इस विद्रोह के निम्नलिखित प्रभाव पड़े–

1. बर्तानवी सत्ता ने छोटा नागपुर का एक्ट 1908 ई. में पारित कर दिया। इस एक्ट के कारण छोटे किसानों को भूमि के अधिकार मिल गये।
2. छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोग सामाजिक–धार्मिक पक्ष से अधित जागृत हो गये। अनेक लोग बिरसा मुंडा की पूजा करने लगे।
3. अनेक सामाजिक–धार्मिक आन्दोलनों की शुरूआत हुई। आदिवासी लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये संघर्ष करने लगे।

अन्य विद्रोह

और भी कई कबीलों के लोगों ने बर्तानवी शासन के विरुद्ध विद्रोह किए। यह विद्रोह विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों के लिये किये गये थे। क्योंकि आदिवासी लोग बर्तानवी सत्ता की लगान की नीतियों के विरोधी थे।

याद रखने योग्य तथ्य

1. **आदिवासी समाज :** आदिवासी लोग जो कबीलों में रहते थे, उन्हें आदिवासी समाज कहा जाता था। इनका बड़ा भाग राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में रहता था।
2. अंग्रेज़ी साम्राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का अधिक प्रभाव कबिलियाई समाज की आर्थिक दशा पर पड़ा।
3. कबिलियाई समाज के खासी, सिंगफो, नागा तथा कुकी कबीलों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किए परन्तु बर्तानवी हुकूमत ने इन्हें अपनी शक्ति से दबा दिया।
4. छोटा नागपुर में मुण्डा कबीले द्वारा विद्रोह किया गया तथा कौल कबीला भी इसमें शामिल हो गया। 1846 ई० में खरौध कबीले द्वारा भी विद्रोह किया गया।
5. बिरसा मुण्डा विद्रोह के प्रभाव अधीन अंग्रेज़ों ने किसानों को जमीनें देने के अधिकार में छोटा नागपुर एक्ट 1908 पास (पारित) कर दिया। लोग बिरसा मुण्डा की पूजा करने लग गए।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें।

1. आदिवासी समाज के लोग अधिक संख्या में कौन से राज्यों में रहते है ?
2. आदिवासी समाज के लोगों के मुख्य व्यवसाय कौन-से है ?
3. आदिवासी समाज के लोगों ने कौन-कौन-से राज्यों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया ?
4. खासी कबीले का मुखिया कौन था ?
5. छोटा नागपुर के क्षेत्र में सब से पहले किस कबीले ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया ?
6. 'आदिवासी समाज' के बारे में नोट लिखें।
7. 'बिरसा मुंडा' के बारे में आप क्या जानते हैं ?
8. मुंड़ा कबीले द्वारा किये गये विद्रोह के प्रभाव लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो–

1. आदिवासी समाज भारत की जनसंख्या का एक .... भाग है।
2. आदिवासी समाज .... या .... कमरों वाली झोंपड़ियों में रहते थे।
3. पूरब में जयन्तियां पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में गारो पहाड़ियों तक के क्षेत्र में .... कबीले का अधिकार (शासन) था।
4. जब बर्तानवी सैनिक खासी कबीले के विद्रोह का मुकाबला कर रहे थे, तब उसी समय ही एक अन्य पहाड़ी कबीले .... ने बगावत कर दी।

III. प्रत्येक एक वाक्य के सामने सही (√) या गलत (×) का चिन्ह् लगाओ–

1. आदिवासी कबीलों में गौंड कबीले की संख्या सबसे कम हैं। ☐
2. आदिवासी समाज के लोगों की सबसे प्रारंभिक सामाजिक इकाई परिवार है। ☐
3. बर्तानवी शासकों ने अफ़ीम तथा नील की खेती करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों की जमीन पर कब्जा कर लिया। ☐
4. बिरसा मुण्डा ने किसानों से कहा कि वे ज़मींदारों को टैक्स (कर) दे दें। ☐

पाठ 11
हस्तशिल्प तथा उद्योग

19वीं सदी में लघु (छोटे) उद्योगों का पतन : अंग्रेज़ों के राज्य के स्थापित होने से पहले भारत के गांव के लोग जैसे लोहार, जुलाहे, किसान, बढ़ई, मोची, कुम्हार आदि मिलकर गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वस्तुएं तैयार कर लेते थे। उनके हस्तशिल्प या लघु उद्योग उनकी आय का साधन होते थे। परन्तु अंग्रेज़ों के राज्य की स्थापना से गांव के लोग भी अंग्रेज़ों के कारखानों में तैयार की वस्तुओं का प्रयोग करने लगे क्योंकि वे बढ़िया तथा सस्ती होती थी। इसलिये भारतीय शहरों तथा गांवों के छोटे-छोटे उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया तथा कारीगर बेकार हो गये।

लघु उद्योगों के पतन के कारण

1. देशी रियासतों की समाप्ति : अंग्रेज़ों ने बहुत-सी भारतीय रियासतों को समाप्त कर दिया था। इसलिये लघु उद्योगों को बहुत हानि हुई क्योंकि इन रियासतों के राजा-महाराजा तथा उनके परिवार के सदस्य लघु उद्योगों द्वारा तैयार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे।

2. भारतीय लघु उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं का मूल्य अधिक होना : भारतीय लघु उद्योगों द्वारा तैयार की वस्तुओं का मूल्य अधिक होता था क्योंकि उनको तैयार करने के लिये अधिक परिश्रम करना पड़ता था। दूसरी ओर मशीनों द्वारा तैयार की वस्तुओं का मूल्य कम होता था। इसलिये लोग लघु उद्योगों द्वारा तैयार की वस्तुओं को नहीं खरीदते थे। इसलिये भारतीय लघु उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया था।

3. मशीनी वस्तुओं में अधिक सफाई होना : मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं भारतीय लघु उद्योग द्वारा तैयार की गईं वस्तुओं से अधिक साफ होती थीं। इसलिये भारतीय लोग मशीनों द्वारा तैयार की वस्तुओं को अधिक पसंद करते थे जिससे लघु उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया।

4. नई पीढ़ी के लोग लघु उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल को पसंद नहीं करते थे : नई पीढ़ी के लोगों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा था। दूसरा, कारखानों में मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं बहुत साफ तथा सुन्दर थी। इस लिये नई पीढ़ी के लोग लघु उद्योगों में तैयार की गईं वस्तुओं को पसंद नहीं करते थे।

5. भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजना : 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इसलिये देश के अलग-अलग भागों में बहुत बड़े कारखाने स्थापित किये गये। उन कारखानों में माल तैयार करने के लिये कच्चे माल की बहुत आवश्यकता होती थी जिसको इंग्लैंड में उपलब्ध कच्चा माल पूरा नहीं कर सकता था। इसलिये भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड जाना शुरू हो गया। दूसरी ओर भारतीय कारखानों के लिये कच्चे माल की कमी हो जाने के कारण भारत का औद्योगिक विकास रुक गया।

आधुनिक भारतीय उद्योग

अंग्रेज़ों के शासन के समय भारत में बहुत-से नए उद्योगों की स्थापना हुई जिनमें से प्रमुख उद्योग निम्नलिखित थे –

1. सूती कपड़ा उद्योग : भारत में सूती कपड़े का प्रथम उद्योग 1853 ई. में मुम्बई के स्थान पर लगाया गया। इसके बाद 1877 ई. में कपास के उत्पादन के बहुत-से क्षेत्र जैसे कि अहमदाबाद, नागपुर आदि में बहुत-सी कपड़ा मिलें स्थापित की गईं। 1879 ई. में लगभग 59 सूती कपड़ा मिलें भारत में स्थापित की गईं जिनमें लगभग 43000 लोग कार्य करते थे। 1905 ई. में इन कपड़ा मिलों की संख्या 206 हो गई थी तथा इनमें लगभग 1,96000 मजदूर कार्य करते थे।

2. पटसन उद्योग : पटसन उद्योग में बोरियां तथा टाट बनाने का कार्य किया जाता था। इस उद्योग पर यूरीपियन लोगों का अधिकार था। इस उद्योग का प्रथम कारखाना 1854 ई. में सेरमपुर (बंगाल) में स्थापित किया गया। पटसन उद्योग के सबसे अधिक कारखाने बंगाल प्रांत में स्थापित किए गये थे। 20वीं सदी के आरम्भ में इन कारखानों की संख्या 36 हो गई थी।

3. कोयले की खानें : सभी नए कारखाने कोयले के साथ चलते थे। रेलों के लिये भी कोयले की आवश्यकता थी। इसलिए कोयले की खानों से कोयला निकालने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 1854 ई. में रानीगंज में कोयले की दो खाने थी। 1880 ई. तक इनकी संख्या 56 तथा 1885 ई. में 123 हो गई थी।

4. नील उद्योग : 18वीं सदी के अंत में नील का उत्पादन बिहार तथा बंगाल में शुरू हुआ। यूरोपियनों ने नील के बड़े-बड़े बाग लगाये जिनमें भारतीय लोगों को काम पर लगाया गया। 1825 ई. में नील की कृषि के अंतर्गत 35 लाख बीघा भूमि थी। 1879 ई. में नकली नील उत्पादन के कारण 1915 ई. में नील की कृषि के अन्तर्गत केवल 3-4 लाख बीघा भूमि रह गई थी।

बीघा : जमीन का एक माप

5. चाय उद्योग : 1834 ई. में आसाम टी कम्पनी की स्थापना की गई। 1852 ई. में अंग्रेज़ों ने आसाम में पहला चाय का बाग लगवाया। 1920 ई. तक चाय की कृषि लगभग 7 लाख एकड़ भूमि में होने लगी। उस समय 34 करोड़ पाउण्ड मूल्य की चाय भारत से बाहर के देशों में निर्यात की जाती थी। बाद में कांगड़ा तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में भी चाय के बाग लगाये गये।

6. कॉफी : 1840 ई. में कॉफी का पहला बाग दक्षिण भारत में लगवाया गया। बाद में कॉफी के बाग मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी तथा मालाबार क्षेत्रों में लगवाये गये। ब्राज़ील की कॉफी के साथ इसकी तुलना होने से इस उद्योग को बहुत हानि हुई।

7. अन्य उद्योग : 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरम्भ में बहुत-से नए कारखाने स्थापित किये गये जिनमें से लोहे, इस्पात, चीनी, कागज़, दिया सिलाई तथा चमड़ा रंगने के कारखाने प्रसिद्ध थे।

आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व

भारत में औद्योगिक विकास के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इसके परिणामस्वरूप समाज में दो श्रेणियों का जन्म हुआ–पूंजीपति तथा मजदूर। पूंजीपति लोग मज़दूरों का अधिक से अधिक शोषण करने लगे। उनसे अधिक से अधिक काम करवा कर कम से कम पैसे देते थे। इसलिये सरकार ने मज़दूरों की दशा सुधारने के लिये फैक्टरी एक्ट पारित किये। औद्योगिक विकास होने से कई नए-नए शहरों का निर्माण हुआ। यह शहर आधुनिक जीवन तथा सभ्यता के केन्द्र बने।

वस्त्र उद्योग एक अध्ययन : बहुत ही सुन्दर पोशाक – कमीज, दुपट्टा, पैंट, साड़ियां आदि जो आप पहनते है वे सब कपड़े की बनी हुई होती है। परन्तु हमने यह जानने की कोशिश नहीं कि यह सब कैसे तथा कहां से आता है। आओ हम अतीत के इतिहास पर नज़र डालें। आदि मानव अपने को गर्म रखने के लिये जानवरों की खाल के वस्त्र पहनता था। कातने तथा बुनने का आविष्कार इसके बहुत बाद में हुआ।

सिल्क की साड़ी

यह माना गया है कि भारत में जुलाहों ने कपड़ा तैयार करने के लिये पहले घास के रेशों का प्रयोग किया था। उन्होंने बाद में इसके ऊपर नमूने बनाने तथा खड्डी पर धागों का प्रयोग करने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की।

समय व्यतीत होने से रेशे तथा नमूने में और भी अधिक सुधार हुआ। प्राचीन काल से ही भारत में जुलाहों को सम्मान प्राप्त था। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानियों को मोहन जोदाड़ों तथा हड़प्पा के स्थानों की खुदाई से अटेरन तथा रंगदार सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर में कई स्थानों की खुदाई करने से चरखे, दरियां आदि प्राप्त हुई है। इनसे संकेत मिलता है कि लगभग 4000 वर्ष पहले लोग कपड़ा बुनना भी जानते थे।

भारतीय कपड़े संसार भर में प्रसिद्ध है। यूरोपियन व्यापारी कपड़े तथा मसालों का व्यापार करने के लिये ही भारत आये थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के आने से भारत में बड़े-बड़े कपड़ा उद्योग लगाये गये थे। इन उद्योगों में साधारण खड्डियों से अधिक कपड़े का उत्पादन किया जाता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के आने से भारत में कपड़े के व्यापार का पतन होना आरम्भ हो गया था।

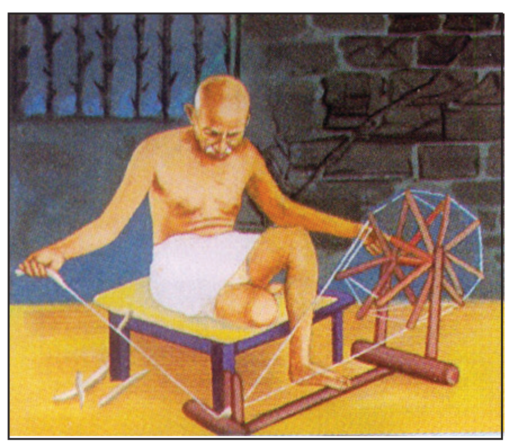

महात्मा गाँधी जी चरखा कातते हुए

फिर भी 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हाथ से बुने सूती तथा रेशमी कपड़े तैयार किये जाने लगे जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग पुन: स्थापित होने लगा।

याद रखने योग्य तथ्य

1. 19वीं सदी में भारतीय शहरों तथा गाँवों में लघु उद्योगों का पतन होने के कारण भारतीय कारीगर बेरोज़गार हो गए।
2. लघु उद्योगों के पतन के कारण–
   (क) देसी रियासतों की समाप्ति।
   (ख) लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का दाम अधिक होना।
   (ग) मशीनी वस्तुओं की सुन्दरता एवं सफाई अधिक होना।
   (घ) नई पीढ़ी के लोगों की नई पसन्द।
   (ङ) भारत के कच्चे माल को इंग्लैण्ड भेजना।
3. आधुनिक औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप समाज में दो श्रेणियों पूंजीपति तथा मजदूर वर्ग का जन्म हुआ।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें।

1. भारत के लघु (छोटे) उद्योगों के पतन के दो कारण लिखें।
2. भारत के लघु उद्योगों के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक क्यों होता था ?
3. भारत में सूती कपड़े का प्रथम उद्योग कब तथा कहाँ स्थापित हुआ ?
4. भारत में पहला पटसन उद्योग कब तथा कहाँ लगाया गया ?
5. भारत में कॉफी का पहला बाग कब तथा कहाँ लगाया गया ?
6. चाय का पहला बाग कब तथा कहाँ लगाया गया ?
7. 19वीं सदी में लघु उद्योगों के पतन के बारे में लिखें।
8. 'नील उद्योग' के बारे में नोट लिखें।
10. कोयले की खानों के बारे में नोट लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. देसी रियासतों के राजा–महाराजा .... उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का प्रयोग करते थे।
2. नई पीढ़ी के लोग लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए माल को .... नहीं करते थे।
3. सभी नए कारखाने .... से चलते थे।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (√) या गलत (×) का चिन्ह् लगाएं–

1. भारतीय नगरों एवं गाँवों के लघु उद्योगों के पतन से कारीगर बेरोजगार हो गए। ☐
2. इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति 19वीं सदी में आई। ☐
3. मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का दाम अधिक होता था। ☐
4. 18वीं सदी में भारत का कच्चा माल इंग्लैण्ड जाने लगा। ☐

IV. सही जोड़े बनाएं–

	क	ख
1.	आसाम	सैरमपुर (बंगाल)
2.	पटसन उद्योग	रानीगंज
3.	कोयले की खाने	टी (चाय) कम्पनी

पाठ 12

1857 ई. का विद्रोह

पिछले पाठों में हम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीतियों तथा उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। परन्तु जो नीतियाँ तथा कार्यवाईयाँ लोगों के हित में नहीं होती है अथवा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। उनका लोग कैसे विरोध करते है। इस तरह भारत के अलग-अलग भागों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक भयानक विद्रोह हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह को 'सैनिक विद्रोह' का नाम दिया है क्योंकि इसका आरम्भ सेना के द्वारा हुआ। यद्यपि अंग्रेज़ इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गये। परन्तु फिर भी इसे भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तित घटना माना जाता है। इस विद्रोह ने स्वतन्त्रता के संघर्ष को उत्साहित किया। इतिहासकारों ने इसे स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध कहाँ।

चित्र : *1857 ई. का विद्रोह*

1857 ई. के विद्रोह के कारण

इस विशाल विद्रोह के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सैनिक कारण थे, जिस का संक्षेप वर्णन आगे लिखे अनुसार हैं-

(क) राजनीतिक कारण

1. नाना साहब की पैंशन बंद करना : 1857 ई. में पेशवा बाजी राव द्वितीय की मृत्यु हो गई। परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् जब नाना साहब उसके उत्तराधिकारी बने तो लार्ड डलहौजी ने उसकी पैंशन बन्द कर दी। इसलिये नाना साहब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गये।

2. मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार करना : अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर को यह कह दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। बहादुर शाह ज़फर ने इसे अपना अपमान समझा तथा अंग्रेज़ी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रण किया।

3. लार्ड डलहौजी द्वारा लैप्स की नीति अपनाना : लार्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत का शासक नि:संतान मर जाता था तो उस द्वारा गोद लिये गये पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। लार्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अनुसार सम्भलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि रियासतों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया था। परिणामस्वरूप इन रियासतों ने भी अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था।

4. अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल करना : अवध की रियासत अधिक खुशहाल थी। इसलिए लार्ड डलहौजी ने अवध में कुप्रशासन का दोष लगाकर इसको अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

लार्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में क्यों शामिल किया था ?

(ख) सामाजिक तथा धार्मिक कारण

1. सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्ताक्षेप : अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक तथा लार्ड डलहौजी ने भारतीय समाज में कई सुधार लागू किए। उन्होंने सती प्रथा तथा कन्या वध को अवैध घोषित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ जाति-पाति तथा छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। ऊँच जाति के लोगों को रेल गाड़ी में नीवी जाति के लोगों के साथ यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। परन्तु इन सुधारों का भारतीय लोगों पर विपरीत प्रभाव हुआ क्योंकि लोग इसको अपने धर्म में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप समझने लगे। इसलिए भारतीय लोगों ने भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

2. ईसाई धर्म का प्रचार : भारत में अंग्रेज़ों के राज्य के समय अधिक संख्या में ईसाई पादरी भारत आये। उन्होंने भारतीय लोगों को ऊँच सम्पति तथा इनाम, उच्च पदों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का प्रचार किया। इसके अतिरिक्त वे हिन्दु तथा इस्लाम धर्म का अपमान भी करते थे। ईसाई धर्म अपनाने के लिये वे भारतीय लोगों को कई तरह का लालच भी देते थे। इसलिए भारतीयों ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

3. भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार : अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने भारतीय लोगों पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाये थे। होटलों, सिनेमाघरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसलिये भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया।

(ग) आर्थिक कारण

1. भारतीय उद्योग तथा व्यापार की समाप्ति : भारत में अंग्रेज़ व्यापार करने के लिये आये थे। वे भारत से कच्चा माल, कपास, पटसन आदि सस्ते मूल्य पर इंग्लैंड ले जाते थे तथा वहां के कारखानों से तैयार हुआ माल भारत में लाकर महंगे मूल्य पर बेचने लगे। इस तरह भारत का सारा पैसा इंग्लैंड में जाने लगा। उन्होंने भारतीय उद्योगों पर कई तरह के नियंत्रण लगा दिये जिससे भारतीय उद्योग तथा व्यापार धीरे-धीरे नष्ट होने शुरू हो गये। इसलिए भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गये।

2. नौकरियों में असमानता : अंग्रेज़ों के राज्य के समय शिक्षित भारतीयों को ऊंची पदवियों पर नहीं लगाया जाता था। उनको केवल छोटी पदवियों पर ही नियुक्त किया जाता था। भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेज़ कर्मचारियों से कम वेतन दिया जाता था। इसलिये भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तैयार हो गये।

3. जमींदारों की बुरी अवस्था : लार्ड विलियम बैंटिक ने कर मुक्त भूमि पर पुनः कर लगा दिया जोकि सम्राट द्वारा राज्य के जागीरदारों को पुरस्कार के रूप में दी गई थी। लगान की राशि में भी पहले से अधिक वृद्धि की गई थी। सरकारी कर्मचारी भूमि लगान इकट्ठा करते समय जमींदारों पर कई तरह से शोषण करते थे। इसलिये जमींदारों ने 1857 ई. के विद्रोह में बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

(घ) सैनिक कारण

भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सूबेदार की पदवी तक उन्नति कर सकता था। 1856 ई. में लार्ड कैनिंग ने एक एक्ट पारित किया जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को युद्ध में भाग लेने के लिये समुद्र पार किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता था। परन्तु पुराणे विचारों के भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। वह अन्य देशों के मौसम तथा मुश्किलों से डरते थे। अंग्रेज उनको ईसाई बना लेंगे से डरते थे। 1857 ई. में सरकार ने सैनिकों को नई राईफलें दी। इनमें कारतूस डालने से पहले उनको मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इससे हिन्दू तथा मुसलमान सैनिक भड़क उठे तथा अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

> कल्पना कीजिए कि आप ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में सिपाही हो। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार फौज में नौकरी करे। आप उसे इसका क्या कारण बताएगें ?

(ङ) तत्कालीन कारण

चर्बी वाले कारतूस : 1857 ई. में अंग्रेज़ी सरकार ने नए तरह के कारतूसों का प्रयोग आरम्भ कर दिया। इनको चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हिन्दू तथा मुसलमान इन कारतूसों को चलाना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। इस तरह के कारतूसों को चलाने से इन्कार करने वाला पहला सैनिक **मंगल पांडे** था। उसने 29 मार्च, 1857 ई. को इन कारतूसों का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया तथा एक अंग्रेज़ अफसर की हत्या कर दी। इस तरह 1857 ई. के विद्रोह का आरम्भ हुआ।

क्या आप इसका कारण जानते हो कि हिन्दू और मुसलमान सैनिक कारतूस चलाना क्यों नहीं पसंद करते थे ?

विद्रोह की मुख्य घटनाएं

मंगल पांडे

बैरकपुर : 1857 ई. का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से इन्कार कर दिया तथा अन्य सैनिकों को भी ऐसा करने के लिये कहा। मंगल पांडे को बन्दी बनाने का आदेश दिया गया, तो उसने एक अंग्रेज़ अफसर सारजैंट मेज़र हसन को गोली मार दी जिससे उसको फांसी की सज़ा हुई। इस तरह से 1857 ई. के विद्रोह का **पहला शहीद मंगल पांडे** था। इस घटना का समाचार सुनकर सारे भारत में विद्रोह की भावना भड़क उठी।

मेरठ की घटना : मेरठ में लगभग 85 भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से इन्कार कर दिया। इसलिये उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे भारतीय सैनिक भड़क उठे। उन्होंने 31 मई जो कि सारे भारत में विद्रोह करने की निश्चित तिथि थी, की प्रतीक्षा किये बगैर ही 10 मई, 1857 ई. को जेल तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसर तथा उनके परिवारों की हत्या कर दी, उनके घरों को आग लगा दी तथा वे दिल्ली को ओर चल पड़े।

मेरठ की घटना

बहादुर शाह जफर

दिल्ली की घटना : मेरठ की घटना के बाद 11 मई, 1857 ई. को भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के अंग्रेज़ कमांडर रिपले ने उनको रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु वे सफल न हो सका। कर्नल तथा अन्य अंग्रेज़ अफसरों की हत्या कर दी गई। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर दिया। उन्होंने सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। यह आन्दोलन शीघ्र ही अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी तथा बुंदेलखंड में फैल गया। फिर यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा बिहार में भी फैल गया। इसके पश्चात् पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में भी इस आन्दोलन का गहरा प्रभाव पड़ा।

जनरल निकलसन ने सिक्ख सेना तथा गोरखा सेना की सहायता से 14 सितम्बर को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। बहादुरशाह जफर को बन्दी बनाकर रंगून भेज दिया गया। उसके दो पुत्रों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर की कुछ समय के पश्चात् मृत्यु हो गई तथा मुगल सम्राट की पदवी भी समाप्त हो गई।

कानपुर की घटना : नाना साहब ने अपने प्रसिद्ध जनरल तांत्या टोपे की सहायता से कानपुर पर कब्जा कर लिया तथा कई अंग्रेज़ अफसरों की हत्या कर दी। 17 जुलाई, 1857 ई. को जनरल हैवलाक ने तांत्या टोपे को पराजित कर पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब ने बचने के लिये नेपाल में शरण ले ली तथा तांत्या टोपे वहां से भाग कर झांसी की रानी के पास चले गये।

नाना साहिब

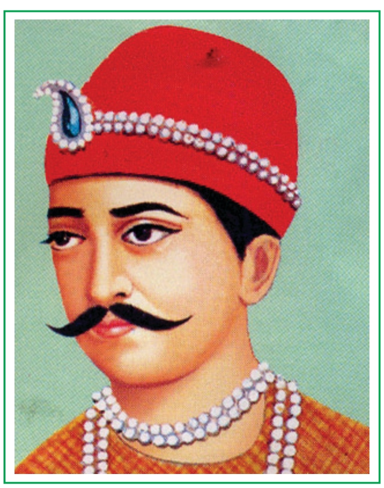

तांत्या टोपे

लखनऊ की घटना : लखनऊ अवध की राजधानी था। यहां पर विद्रोहीयों का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने किया। अवध के लोगों ने इस विद्रोह में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन विद्रोहियों ने बहुत-से अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। इनमें अवध का चीफ कमिश्नर हैनरी लॉरेंस भी शामिल था। जब जनरल हैवलाक अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिये लखनऊ पहुंचा तो विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी। अंत में जनरल कौलिन कैंपबिल एक घमासान लड़ाई करने के पश्चात् लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ।

झांसी : झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत रोष था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने रानी के गोद लिये पुत्र को वारिस मानने से इन्कार कर दिया था। इसलिये उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दिया। अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी झांसी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत बहादुरी से लड़ाई की। तांत्या टोपे ने इसकी सहायता की। परन्तु वह हार गई तथा तांत्या टोपे के

साथ काल्पी चली गई। उसने तांत्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। परन्तु वह बहादुरी से लड़ती हुई शत्रुओं के हाथों शहीद हो गई। कुछ समय बाद तांत्या टोपे भी पकड़ा गया तथा उसको 1859 ई. में फांसी की सज़ा दे दी गई।

रानी लक्ष्मी बाई

पंजाब : यद्यपि पंजाब की रियासतों के शासकों ने 1857 ई. के विद्रोह में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। परन्तु पंजाब में कई स्थानों पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भी किये गये थे। फिरोज़पुर, पेशावर, जालंधर आदि स्थानों पर सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किये। अंग्रेज़ों ने इन विद्रोहों को दबा दिया तथा बहु-संख्या में सैनिकों को मार दिया।

आधुनिक हरियाणा राज्य के क्षेत्र स्थानों-रिवाड़ी, भिवानी, वल्लभगढ़, हांसी आदि के नेताओं ने 1857 ई. के विद्रोह में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया।

बनारस, इलाहाबाद, बरेली आदि स्थानों पर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हुए परन्तु अंग्रेज़ों ने उनका दमन कर दिया।

1857 ई. का विद्रोह जिन स्थानों पर हुआ उनकी सूची तैयार करें

1857 ई. के विद्रोह में पंजाबियों का योगदान

1. सैनिकों का विद्रोह : 1857 ई. का विद्रोह 10 मई, 1857 ई. को मेरठ से शुरू हुआ। जब 12 मई 1857 ई. को इस विद्रोह का समाचार लाहौर पहुंचा तो पंजाब के विद्रोह के डर से मियां मीर की छावनी लाहौर, पेशावर, नवा शहर, रावलपिंडी, अम्बाला, अमृतसर, होशियारपुर तथा डेराजात के पंजाबियों तथा भारतीय सिपाहियों को निहत्था कर दिया गया। फिर जालंधर, फिलौर, स्यालकोट तथा जेहलम आदि स्थानों पर सैनिक विद्रोह हुये।

2. लोगों का विद्रोह : लुधियाना तथा फिरोज़पुर के लोगों ने कई स्थानों पर विद्रोह किये। मिटगुमरी, मुल्तान, बहावलपुर, फाज़िल्का आदि के मुसलमान कबीले भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े हुये। दिल्ली, रूहेलखंड, रोहतक तथा रिवाड़ी आदि स्थानों पर कहीं-कहीं पंजाबियों ने विद्रोह किया। करनाल के बीच में कई जाटों के गांवों ने सरकार को भूमि लगान देने से इन्कार कर दिया।

3. सरदार अहमद खान खरल का विद्रोह : अंग्रेज़ी राज्य को लगान न देने के अन्तर्गत खरल कबीले के सरदार अहमद खान खरल ने विद्रोह किया। रावी दरिया के किनारे बसते कई कबीलों ने उसका साथ दिया। उसने एक अंग्रेज अफसर तथा कई अंग्रेज़ी सैनिकों की हत्या कर दी। अंत में वह अपने बीस घुड़सवारों के साथ अंग्रेज़ों का विरोध करते हुये वह पाकपटन के स्थान पर शहीद हो गया।

पंजाब में 1857 ई. का विद्रोह इसलिये सफल न हो सका क्योंकि पंजाब के विद्रोहियों के पास कोई भी उच्च कोटि का नेता नहीं था। पंजाब के राजाओं ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के स्थान पर बल्कि उनका साथ दिया। इसलिये पंजाबियों का स्वतन्त्रता के लिये यह प्रथम संघर्ष सफल न हो सका।

1857 ई. के विद्रोह के परिणाम

राजनीतिक परिणाम : भारत से ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त करके इंग्लैंड की सरकार का सीधा शासन स्थापित किया गया क्योंकि भारतीय मामलों को अच्छे ढंग से हल किया जा सके। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की नई उपाधि दी गई। भारत में मुगल वंश की समाप्ति हो गई। भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने की आज्ञा दे दी गई। अंग्रेज़ों ने किसी भी देशी रियासत को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल करने की नीति का त्याग कर दिया।

क्या आप जानते हो कि अंग्रेज़ो ने 'फूट डालो, राज्य करो' की नीति किस लिए अपनाई थी ?

सामाजिक परिणाम : 1 नवम्बर, 1858 ई. को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि भारत में धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई जायेगी। भारतीयों को सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर दी जायेगी। भारतीयों को भी उच्च पदवियां दी जायेंगी। 1857 ई. के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो, राज्य करो' की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया ताकि वे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर सकें।

सैनिक परिणाम : 1857 ई. के विद्रोह के बाद सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि सैनिकों में विद्रोह के भय को टाला जा सके। तोपखाने में केवल यूरोपियन सैनिकों को ही नियुक्त किया गया। धर्म तथा जाति के आधार पर सैनिकों की अलग-अलग टुकड़ियां बनाई गईं ताकि वे इकट्ठे होकर अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें। भारतीय सैनिकों पर नज़र रखी जाने लगी। यूरोपीयन सैनिकों का व्याय भारतीय लोगों पर दिया गया।

आर्थिक परिणाम : 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् भारत की शासन व्यवस्था इंग्लैंड की सरकार को सौंप दी गई। सरकार ने भारतीयों पर कई तरह के व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा दिये। अन्य अमीरों ने चाय, कॉफी, तंबाकू, कपास आदि व्यापार पर अधिकार कर लिया। परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार को बहुत हानि हुई।

भारतीय सेना का पुनर्गठन : भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सेना को कम महत्वपूर्ण उत्तरादायित्व दिये गये। यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उनको उच्च पदवियों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया गया। कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की गई कि यूरोपियन सेना हर स्तर पर भारतीय सैनिकों तथा अफसरों पर सतर्कता से देख-रेख कर सकें। यूरोपीयन सेना का व्यय का बोझ भी भारत की जनता पर ही डाल दिया गया।

प्रादेशिक फोकस : अवध एक अध्ययन : अवध की रियासत बहुत अमीर थी। अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार करने के लिये अनुचित ढंग अपनाये। अवध का नवाब वाजिद अली शाह सदा अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान रहा था। परन्तु फिर भी अंग्रेज़ों ने उसके राज्य में हस्ताक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे कि अंग्रेज़ों ने नवाब को अपने राज्य में अंग्रेज़ी सेना रखने के लिये बाध्य किया। कुछ समय पश्चात् सारी भारतीय सेना को निकाल कर अंग्रेज़ी सेना रखी गई। इस कारण से नवाब पर खर्च का अधिक बोझ पड़ गया। पदच्युत भारतीय सैनिक बेकार हो गये। 1856 ई. में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का दोष लगाकर उसकी रियासत को अंग्रेज़ी राज्य में शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अवध रियासत के सैनिकों, किसानों तथा ताल्लुकदारों ने 1857 ई. के विद्रोह में भाग लिया।

याद रखने योग्य तथ्य

1. 1857 ई. के विद्रोह को सैनिक विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया।
2. इस विद्रोह के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक एवं तत्कालीन कारण प्रमुख थे।
3. मंगल पांडे 1857 ई. के विद्रोह का पहला शहीद था।
4. यह 1857 ई. का विद्रोह देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर फैल गया।
5. अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं की सहायता से तथा अपनी सैन्य शक्ति से इस विद्रोह को दबा दिया।
6. भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया तथा इंग्लैण्ड की सरकार का सीधा शासन हो गया।
7. गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई।
8. अंग्रेज़ सरकार भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का भेद (वितरका) न करने का भरोसा दिया गया।
9. भारतीयों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए गए।
10. अब अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो एवं राज करो' की नीति पर अमल (चलना) करना शुरू कर दिया।
11. यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ फिर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध हुआ।

अभ्यास

I. नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो–

1. 1857 ई. के विद्रोह के कौन-कौन से दो राजनैतिक कारण थे ?
2. बहादुर शाह जफ़र को क्या सज़ा दी गई थी ?
3. 1857 ई. के विद्रोह की असफलता के कारण बतायें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. कारतूसों पर गाय तथा .... के माँस की चर्बी लगी होती थी।
2. लार्ड .... की लैप्स की नीति अनुसार बहुत-से भारतीय राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिए गए।
3. सबसे पहले 1857 ई. का विद्रोह .... नामक स्थान पर शुरू हुआ।
4. नाना साहेब का प्रसिद्ध जरनैल .... था।
5. भारतीय सैनिकों ने मुगल बादशाह .... को अपना बादशाह (सम्राट) घोषित कर दिया।

III. प्रत्येक वाक्य के आगे सही ($\surd$) या गलत ($\times$) का चिन्ह लगाओ–

1. भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ☐
2. भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। ☐
3. अंग्रेज़ों ने बहुत-से सामाजिक सुधार किए। ☐
4. भारतीय उद्योग एवं व्यापार धीरे-धीरे नष्ट होना शुरू हो गये। ☐
5. अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो व राज करो' की नीति अपनाई। ☐

क्रियाकलाप (Activity) :

1. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जानकारी एकत्रित करो।
2. स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं की तस्वीरें एकत्रित करके स्क्रैप बुक में लगाओ।

पाठ 13 शिक्षा तथा अंग्रेज़ी राज्य

प्राचीन काल में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही शिक्षा प्राप्त करते थे।

(क) आधुनिक शिक्षा का इतिहास

अंग्रेज़ों ने भारत में आने से पहले यहां आश्रमों, पाठशालाओं, मदरसों, मन्दिरों तथा मस्जिदों में प्राम्परागत ढंग से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। मस्जिदों के स्कूलों को **मकतब** तथा मन्दिरों तथा गुरुद्वारों के स्कूलों को **पाठशाला** कहा जाता था। इन स्कूलों में अपने-अपने धर्म की पुस्तकें अपनी-अपनी भाषा में पढ़ाई जाती थी। उदाहरण के रूप में मकतब में उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषा में, गुरुद्वारों में गुरमुखी अक्षरों में पंजाबी भाषा तथा मन्दिरों की पाठशाला में हिन्दी तथा संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले भी धार्मिक नेता होते थे, जैसे कि मौलवी, भाईजी तथा पंडित आदि। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बड़े स्कूल होते थे जहां सभी धर्मों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। हिन्दी तथा संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बनारस जैसे बड़े शहरों में स्कूल तथा कॉलेज खोले गये थे। व्यापार तथा दस्तकारी का प्रशिक्षण देने के लिये भी स्कूल खोले गये थे जिनको **महाजनी** स्कूल कहा जाता था।

मदरसा : शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को अर्बी भाषा में मदरसा कहा जाता है।

अंग्रेज़ों ने भारत में नई शिक्षा प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेज़ी भाषा सिखाने तथा पश्चिमी साहित्य की शिक्षा दी गई। इसके साथ ही अंग्रेज़ी भाषा तथा पश्चिमी साहित्य का विकास करने के लिये कई नए स्कूल कालेज तथा विश्व विद्यालय खोले गये। निश्चित पाठयक्रम तैयार किया गया तथा धीरे-धीरे तकनीकी प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया गया।

(ख) आधुनिक शिक्षा आरम्भ करने के उद्देश्य

अंग्रेज़ों को भारत में अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिये शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी। उनको भारतीय लोगों की कठिनाइयों को सुनने के लिये ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो अंग्रेज़ी भाषा में बातचीत कर सकते थे। अंग्रेज़ों का यह विचार था कि अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षित भारतीय लोगों को सरलता से ईसाई धर्म अपनाने के लिए सहमत किया जा सकता था।

(ग) आधुनिक शिक्षा का विकास

भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों के शासन काल में स्थापित हुई थी। 1641 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये भारतीय लोगों को शिक्षा देनी शुरू की। 1715 ई. में कम्पनी ने मद्रास में सेंट मेरी चैरिटी स्कूल खोला। लार्डन वारेन हेस्टिंगज, जोनाथन डंकन ने यहां एक संस्कृति कॉलेज खोला।

1813 ई. से 1854 ई. तक शिक्षा का विकास : सरकार ने 1813 ई. के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के विकास के लिये प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये व्यय करने की योजना बनाई। परन्तु सरकार की शिक्षा के बारे में कोई निश्चित नीति न होने के कारण इस राशि को खर्च ना किया जा सका। 1823 ई. में शिक्षा नीति में विचार करने के लिये कमेटी बनाई गई परन्तु इसके सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हो गये। कुछ सदस्य इस राशि को पश्चिमी शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम में देने पर व्यय करने के पक्ष में थे जबकि दूसरे सदस्य चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं–संस्कृत, फारसी तथा अरबी होनी चाहिये। लार्ड मैकाले को 1835 ई. में शिक्षा कमेटी का प्रधान बनाया गया। उसने पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। राजा राम मोहन राय ने भी पश्चिमी शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया।

1854 ई. में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्लस वुड ने शिक्षा के विकास के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये जिनको **वुड डिसपैच** कहा जाता है। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न है–

1. प्रत्येक प्रांत में शिक्षा का विभाग खोला जाना चाहिये।
2. अध्यापकों के प्रशिक्षिण के लिये शिक्षा संस्थाएं खोली जाएं।
3. कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास आदि में विश्व विद्यालय स्थापित किये जाएं।
4. स्त्रियों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयत्न किये जाएं। चार्ल्स वुड ने डिसपैच के आधार पर 1857 ई. में बंबई, कलकता तथा मद्रास के स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किये। 1857 ई. में 1864 ई. में लौहार में गर्वमैंट कॉलेज की स्थापना की गई।

1882 ई. में हंटर कमीशन की स्थापना : 1882 ई. में सरकार ने शिक्षा का विकास करने के लिये हंटर कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने सरकार को सुझाव दिये :–

1. प्राइवेट स्कूलों को बहुत सी ग्रांटें देनी चाहिये।
2. सैकेंडरी स्कूलों में सुधार किये जायें।
3. स्त्रियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये।
4. विद्यार्थियों को शारीरिक तथा मानसिक शिक्षा दी जानी चाहिये।
5. सरकार को चाहिये कि वह स्कूलों तथा कॉलेजों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप न करे।

सरकार ने हंटर कमीशन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य आधार बनी।

भारतीय विश्व विद्यालय कानून 1904 ई. : 1904 ई. में लार्ड कर्ज़न ने भारतीय विश्व विद्यालय कानून पारित किया। इस एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों में सरकार का हस्ताक्षेप बहुत बढ़ गया था। राष्ट्रवादियों ने इस एक्ट का विरोध किया।

सैडलर कमेटी 1917 ई. : शिक्षा का विकास करने के लिये सरकार ने 1917 ई. में सैडलर कमेटी की नियुक्ति की। जिसने सिफारिश की कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहले भारतीय भाषा तथा बाद में अंग्रेज़ी भाषा हो। परीक्षा की प्रणाली में सुधार किया जाये। तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। विश्वविद्यालय से सरकार का नियंत्रण कम किया। प्रत्येक विश्वविद्यालय में वायस उप कुलपति नियुक्त किया जाये।

हरटोग कमेटी 1928 ई. : 1928 ई. में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये हरटोग कमेटी की स्थापना की जिसने प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी, अध्यापकों को अधिक वेतन दिया जाये तथा शिक्षा पर व्यर्थ व्यय न किया जाए।

बेसिक शिक्षा 1937 ई. : 1937 ई. में महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पद्धति लागू करने का सुझाव पेश किया। उनके सुझाव के अनुसार 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा नि:शुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिये। उन्हें दस्तकारी की शिक्षा दी जानी चाहिये।

सारजैंट स्कीम 1943 ई. : सारजैंट ने शिक्षा के विकास के लिये सरकार को 1943 ई. में कुछ सुझाव दिये कि बच्चों का प्राइमरी शिक्षा देने से पहले नर्सरी स्कूलों में शिक्षा दी जाये। 6 वर्ष से 15 वर्ष के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाये। वयस्क-शिक्षा दी जाये। कॉलेजों में सीमित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

शिक्षा तथा भारतीय सुधारक

भारत में अंग्रेज़ों की पश्चिमी शिक्षा पद्धति की नीतियों के बारे हो रही बहस में बहुत से भारतीय विद्वानों ने भी भाग लिया। उनमें से बहुत से विद्वान इस बात से सहमत थे कि पश्चिमी शिक्षा भारतीयों में राष्ट्रीय भावना पैदा करेगी जो भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिये जरूरी था। अब हम भारतीय सुधारकों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी किये गये प्रयत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

1. राजा राम मोहन राय : राजा मोहन राय ने भारतीय लोगों में प्रचलित अन्ध-विश्वासों तथा झूठे रीति-रिवाजों को समाप्त करने के लिये शिक्षा के विकास के लिये कई प्रयत्न किये। वे भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने के पक्ष में थे। वह स्वयं बंगाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी तथा ग्रीक भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने दो समाचार पत्र निकाले तथा व्याकरण, भूगोल, खगोल, विज्ञान, बीज गणित आदि विषयों की बंगाली भाषा में पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षा का विकास करने के लिये कई शिक्षण संस्थायें स्थापित की। उन्होंने स्वयं खर्च करके कलकत्ता के स्थान पर एक अंग्रेज़ी स्कूल तथा वेदांत कॉलेज स्थापित किया।

राजा राम मोहन राय

क्या आपको मालूम है कि राजाराम मोहन राय भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने के पक्ष में क्यों थे ?

2. स्वामी दयानंद सरस्वती : शिक्षा का विकास करने के लिये स्वामी दयानंद सरस्वती जी संस्कृत, वैदिक शिक्षा देने के साथ-साथ पश्चिमी शिक्षा देने के पक्ष में भी थे। उन्होंने सारे भारत में विशेष रूप से पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बहुत से स्कूल, कॉलेजों तथा गुरुकुलों की स्थापना की 1886 ई. में दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में लाहौर के स्थान पर दयानंद एंग्लो स्कूल स्थापित किया गया। इसके पश्चात् 1889 ई. में उस स्कूल के साथ दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज भी स्थापित किया गया। इस कॉलेज में विद्यार्थियों को हिन्दू साहित्य, संस्कृत तथा वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी। बाद में होशियारपुर, जालंधर तथा कानपुर आदि शहरों में भी डी. ए. वी. स्कूल स्थापित किये गये। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के समय में मेरठ में कन्या महाविद्यालय स्थापित किया गया था।

स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामी विवेकानंद

3. स्वामी विवेकानंद : स्वामी विवेकानंद जी ने राम किशन मिशन की स्थापना की थी। उनके अनुसार धर्म के द्वारा ही समाज का सुधार हो सकता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अमेरिका तथा यूरोप में प्रचार किया। इस मिशन ने समाज का सुधार करने के लिये अनेक स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, अस्पताल तथा अनाथालय स्थापित किये।

4. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर : ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने बंगाली भाषा में ''प्रीमियर वर्ण परिचय'' नाम की पुस्तक लिखी जिसमें भाषा सीखना सरल बनाया गया जोकि वर्तमान में भी प्रचलित है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था।

श्रीमती ऐनी बसेंट

5. ऐनी बसेंट तथा थियोसीफिकल समाज : श्रीमती ऐनी बसेंट ने भारत में लड़के तथा लड़कियों के लिये स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किये थे। उन्होंने बनारस में केन्द्रीय हाई स्कूल स्थापित किया, जो बाद में हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया था।

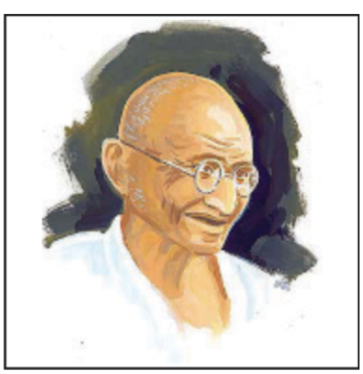

महात्मा गाँधी जी

बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। महात्मा गाँधी तथा रविन्द्र नाथ टैगोर इसी प्रकार के लोगों में से थे।

महात्मा गाँधी जी के पश्चिमी शिक्षा सम्बन्धी विचार : महात्मा गाँधी जी के अनुसार ''पश्चिमी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है।'' महात्मा गाँधी अनुसार पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव अधीन भारतीयों ने पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानना शुरू कर दिया हैं। इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी प्रत्येक वस्तु जो कि पश्चिम से आती थी, उसकी प्रशंसा करते थे। यहां तक कि वे ब्रिटिश शासन की भी प्रशंसा करने लग गए।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान विद्यार्थियों को इन शिक्षण संस्थाओं

को छोड़ने के लिए कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि वे अंग्रेज़ों को यह भी बता दें कि वे अब और उनके गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। विदेशी भाषा बोलने वाले भारतीय खुद भी सामान्य जनता से जुड़े रहने के तौर-तरीके व घरेलू कामकाज से भी जी-चुराने लगे क्योंकि वे घरेलू कार्य करना अपनी शान के खिलाफ़ समझते थे। परिणामस्वरूप बेरोज़गारी ने भयानक रूप धारण कर लिया था।

महात्मा गाँधी जी के अनुसार शिक्षा केवल भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। जो भारतीय अंग्रेज़ी पढ़ते थे, उन्हें न तो अंग्रेज़ी भाषा ठीक से आती थी और न ही अपनी मूल भाषा ठीक से आती थी। उन्हें ''अपनी ही भूमि पर अजनबी'' बना दिया है।

गाँधी जी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा में केवल पढ़ने एवं लिखने तथा पाठ्य पुस्तकों पर ही अधिक बल दिया जाता है तथा जीवन अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान पर नहीं। उनके अनुसार पढ़ रहे विद्यार्थियों का मस्तिष्क एवं आत्मा विकसित होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने कार्य हाथों से भी करने पड़ते है। प्रशिक्षण लेना पड़ता है। भिन्न-भिन्न वस्तुएं किस प्रकार कार्य करती है, इससे बुद्धि एवं समझने की योग्यता विकसित होती हैं। इन्हीं कारणों से गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जिससे कि बच्चों को स्कूल द्वारा कामकाज की शिक्षा दी जा सके।

रविन्द्रनाथ टैगोर का शान्ति निकेतन

विद्यार्थियों आपने शान्ति निकेतन के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हो कि इसकी स्थापना किसने तथा क्यों की थी ? रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1901 ई. में यह संस्था शुरू की। जब वे बाल्यावस्था में थे तब उन्हें स्कूल जाना, जेल जाने की भांति प्रतीत होता था तथा वहां उनका सांस घुटता था। जब अन्य विद्यार्थी अध्यापक को सुन रहे होते थे, उस समय टैगोर का मन कहीं और भटक रहा होता था। बड़े होकर उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। स्वतन्त्र एवं रचनात्मक हो तथा एक-दूसरे के विचारों को समझ सकें। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था प्रणाली के कठोर एवं

शान्ति निकेतन

कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी को समझें। उनमें उत्सुकता एवं जानने की इच्छा (जिज्ञासा) विकसित करने में सहायक हो।

इस प्रकार की सृजनात्मक शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में ही दी जा सकती है। इसलिए कलकता से 100 कि.मी. दूर ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक विद्यालय खोलने का निर्णय किया। उन्हें यह स्थान शांति से भरपूर लगा जहां प्रकृति के साथ-साथ (प्रकृति की गोद में) बच्चे विकास के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।

यद्यपि महात्मा गाँधी तथा रविन्द्र नाथ टैगोर के विचारों में समानता थी परन्तु फिर भी गाँधी जी पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक (विरोधी) थे। टैगोर पश्चिमी सभ्यता तथा भारतीय परम्परा के उत्तम तत्वों का मिश्रित (मिला-जुला) रूप चाहते थे। शान्ति निकेतन में कला, संगीत तथा नृत्य के साथ-साथ विज्ञान की शिक्षा पर भी बल दिया जाता था।

विशेष अध्ययन–बड़ौदा विश्वविद्यालय

बड़ौदा गुजरात राज्य का महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर महाराजा सिआजी राव विश्वविद्यालय के कारण प्रसिद्ध है। इस विश्व विद्यालय की स्थापना का श्रेय महाराजा सिआजी राव तृतीय के सिर है। बडौदा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया था।

महाराजा सिआजी राव एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किये। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन समय स्वदेशी का प्रचार किया।

महाराजा सिआजी राव तृतीय ने 1881 ई. में बड़ौदा में एक कॉलेज की स्थापना की गई जो कि बाद में एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। यहां भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बड़ौदा के स्थान पर महाराजा सिआजी राव विश्वविद्यालय के साथ सम्बधित 20 पब्लिक स्कूल तथा 100 से भी अधिक प्राईवेट स्कूल है। गुजरात राज्य में केवल इस विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय में देश-विदेश से 3000 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

महाराजा सिआज़ी राव

विशेष अध्ययन–सर सय्यद अहमद खान तथा अलीगढ़ आंदोलन

सर सय्यद अहमद खान पहले मुसलमान समाज सुधारक थे। उन्होंने 19वीं सदी में इस्लामी समाज तथा धर्म का सुधार करने के लिये अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने भारतीय मुसलमानों में प्रचलित अंध-विश्वासों तथा झूठे रीति-रिवाजों को समाप्त करने के लिये इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने तथा पश्चिमी साहित्य का अध्ययन करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने 1875 ई. में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ आन्दोलन की गतिविधियों का केन्द्र बन गया। 1920 ई. में इस कॉलेज के स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस कॉलेज का प्रथम प्रिंसीपल मि. बैक था। इसने मुसलमान लोगों को अंग्रेज़ी सरकार के निकट लाने के लिये सर सय्यद अहमद खान को बहुत सहयोग दिया।

सर सय्यद अहमद खान

1878 ई. में सर सय्यद अहमद खान को लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया। 1882 ई. में उसको वायसराय की परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। 1888 ई. में उनको 'सर' उपाधि की गई। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गई।

अलीगढ़ आन्दोलन : अलीगढ़ आन्दोलन एक मुस्लिम आन्दोलन था जो सर सय्यद अहमद खान ने मुसलमानों में जागृत पैदा करने के लिए शुरू किया था। इस आन्दोलन का केन्द्र अलीगढ़ था, इसलिए इसको 'अलीगढ़ आन्दोलन' कहा जाता है। इस आन्दोलन के नेताओं ने मुसलमानों को कुरान सिद्धान्त अपनाने, झूठे रीति-रिवाज़ आदि को त्यागने तथा पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने पर ज़ोर दिया। इस आन्दोलन के संस्थापक सर सय्यद अहमद खान अंग्रेज़ी साम्राज्य के हक में थे जिससे अंग्रेज़ों की रियासत लेकर मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सके।

विशेष अध्ययन—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का महत्त्वपूर्ण शहर है। यहां 1920 ई. में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हिदायतुला खान, सर सय्यद अहमद खान आदि मुस्लिम नेताओं ने सोचा कि मुसलमान लोगों का सर्वपक्षीय विकास करने के लिये अंग्रेज़ी भाषा तथा पश्चिमी साहित्य की शिक्षा देना ज़रूरी है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

इसी लिए सर सय्यद अहमद खान के नेतृत्व में हिदायतुला खान ने 1875 ई. में अलीगढ़ शहर में एंग्लो-ओरिऐंटल कॉलेज की स्थापना की। धीरे-धीरे यह कॉलेज 1920 ई. में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस विश्व विद्यालय की पहली कुलपति सुलतान जहां-बेगम थी। धीरे-धीरे इस विश्वविद्यालय ने बहुत उन्नति की तथा इसने बहुत सारे मैडीकल तथा इंजनीयरिंग कॉलेज स्थापित किये। आजकल इस विश्व विद्यालय के लगभग 30,000 विद्यार्थी हैं तथा लगभग 80 शिक्षण विभाग है।

याद रखने योग्य तथ्य

1. अंग्रेज़ों के आने से पूर्व शिक्षा आश्रमों, पाठशालाओं, मदरसों, मंदिरों तथा गुरद्वारों आदि में दी जाती थी।
2. अंग्रेज़ी की नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेज़ी भाषा, पश्चिमी सभ्यता एवं साहित्य का प्रचार करना था।
3. नए स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोले गए।
4. व्यापार एवं दस्तकारी के प्रशिक्षण के लिए खोले गए स्कूलों को महाजनी स्कूल कहा जाता था।
5. अनेक भारतीय समाज सुधारकों द्वारा शिक्षा देने सम्बन्धी प्रयत्न किए गए। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, श्रीमती ऐनी. बेसैंट आदि प्रमुख समाज सुधारक थे।
6. 1920 ई. में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
7. महात्मा गाँधी जी ने विद्यालयों में व्यवहारिक एवं रोजगार द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया।

अभ्यास

I. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो–

1. भारत में नई शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की ?
2. 'वुड डिसपैच' के बारे में आप क्या जानते हैं ?
3. मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब तथा कहाँ हुई ?
4. सर सय्यद अहमद खान को सर की उपाधि कब मिली तथा उनका देहांत कब हुआ ?
5. राजा राम मोहन कौन-सी भाषाओं के विद्वान थे ?
6. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने कौन-सी पुस्तक लिखी?
7. पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव लिखो।
8. आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में विद्वानों में से किसी एक के योगदान के बारे में लिखो–

   (क) राजा राम मोहन राए
   (ख) स्वामी दयानंद सरस्वती
   (ग) स्वामी विवेकानंद
   (घ) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

II. सही जोड़े बनाओ–

क	ख
1. राजा राममोहन राय	1. बंगाली भाषा में ''प्रीमीयर वर्ण परिचय'' नामक पुस्तक की रचना की।
2. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	2. राम कृष्ण मिशन की स्थापना की।
3. स्वामी विवेकानन्द	3. बंगाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी तथा ग्रीस (ग्रीक) भाषाओं के विद्वान थे।

III. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. सर सैय्यद अहमद खां ने अलीगढ़ में मुहम्डन एंग्लो ओरियंटल .... की स्थापना की।
2. 1898 ई. में सैयद अहमद खां को .... की उपाधि दी गई।
3. स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के समय दौरान .... में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई।

क्रियाकलाप (Activity) :

1. विद्यार्थी महात्मा गाँधी जी के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करें तथा उसे किसी कविता या बोलियों के रूप में लिखें।
2. विद्यार्थी रविन्द्र नाथ टैगोर के जीवन बारे अधिक जानकारी प्राप्त करें।

पाठ 14 स्त्रियां तथा सुधार

19वीं सदी में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। उस समय भारत में सती प्रथा, कन्या वध, गुलामी, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह की मनाही तथा बहु विवाह आदि कुरीतियां प्रचलित थी। भारतीय समाज से इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में धार्मिक-सामाजिक आन्दोलन आरम्भ हुए।

स्त्रियों से सम्बन्धित कुरीतियाँ

1. कन्या वध करना : उस समय लड़की के जन्म को अपशगुन माना जाता था। जिसके कई कारण थे। **पहला,** लड़की का विवाह करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता था जोकि साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। **दूसरा,** लड़की के माता-पिता को अपनी लड़की के लिये योग्य वर ढूंढने में कठिनाई होती थी।

2. बाल विवाह : छोटी आयु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था जिससे साधारण रूप से लड़कियाँ अशिक्षित ही रह जाती थी।

3. सती प्रथा : सती प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जबरदस्ती उसके पति की चिता के साथ ही जीवित जला दिया जाता था।

4. विधवा विवाह की मनाही : समाज की ओर से विधवा विवाह पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया था। विधवा स्त्री का समाज में अनादर किया जाता था। उनके बाल काट दिये जाते थे आदि।

5. पर्दा प्रथा : पर्दा प्रथा के अनुसार स्त्रियां सदैव पर्दे में होती थी। इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा विकास पर कुप्रभाव पड़ता था।

6. दहेज प्रथा : दहेज प्रथा अनुसार विवाह के समय लड़की को दहेज दिया जाता था। गरीब लोगों को अपनी बेटी को दहेज देने के लिए साहुकारों से ऋण लेना पड़ता था। इसलिए कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती थी।

7. स्त्रियों को अशिक्षित रखना : लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको शिक्षा देना व्यर्थ समझा जाता था क्योंकि ऐसा करना उनको आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता देना था। लड़की को शिक्षा देना समाज के लिये भी हानिकारक समझा जाता था।

8. हिन्दु समाज में स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखना : हिन्दू समाज में स्त्रियों को अपनी पैतृक सम्पत्ति लेने का अधिकार नहीं था।

अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कारणों से विशेष ध्यान दिया।

1. स्त्री जननी है, कोई भी समाज नारी की उन्नति के बिना प्रगति नहीं कर सकता।
2. समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए स्त्रियों को शिक्षा देनी अति आवश्यक है।
3. समाज में व्याप्त बुराईयाँ तभी समाप्त हो सकती हैं यदि स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं।
4. एक विकसित देश तथा समाज के लिए स्त्रियों को समानता का अधिकार देना अति आवश्यक हैं।
5. समाज सुधारक जानते थे कि देश में स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए घर एवं समाज में स्त्री को आवश्यक अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्रदान की जाए।

आरम्भ में संचार के साधनों की कमी के कारण समाज सुधारको के सामान्य लोगों तक विचार नहीं पहुँचते थे। आधुनिक काल में छापेखाने की खोज से पुस्तकों, समाचार पत्रों-पत्रिकाओं आदि को छापना आरम्भ हो गया जो कि सस्ते थे। इनके द्वारा लोगों को जनसाधारण की भाषा में अपने विचार प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श होने लगा। समाज सुधारकों द्वारा इनके माध्यम से नारी जाति के सुधार के लिए किए जा रहे प्रचार ने भी सामान्य जनता को जागरूक किया है।

समाज में स्त्रियों का सुधार करने के लिये योगदान देने वाले मुख्य सुधारकों का वर्णन निम्नलिखित है–

राजा राम मोहन राय

1. राजा राम मोहन राय (1772-1833) : राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उनके मत अनुसार समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि स्त्रियों को पुरुषों की तरह समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। उस समय उनके भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी को जबरदस्ती सती कर दिया था। इस घटना ने राजा-राम मोहन राय के जीवन में नया मोड़ लाया। उन्होंने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रचार किया। उनके तर्क तथा प्रयास के परिणामस्वरूप विलियम बैंटिक ने 1829 ई. में सती प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया। उन्होंने स्त्री की भलाई के लिए लेखों की रचना की। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा बहु विवाह की आलोचना की। उन्होंने कन्या हत्या का विरोध किया। वह विधवा पुन: विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्री को पैतृक सम्पत्ति से भाग देने के अधिकार का भी प्रचार किया। वह अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा देने के पक्ष में भी थे।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर : ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक अन्य समाज सुधारक थे। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने खर्चे से बंगाल में लगभग 25 स्कूल स्थापित किये। उन्होंने विधवा विवाह सम्बन्धी संघर्ष आरम्भ किया। इसलिए उन्होंने 1855-60 ई. के समय में लगभग 25 विधवा-विवाह सम्पन्न करवाये। उन्होंने बाल विवाह का भी खंडन किया। उनके प्रयास से 1856 ई. में हिन्दु विधवा-विवाह कानून पारित किया गया।

स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामी दयानंद जी द्वारा किये गये कार्य : स्वामी दयानंद जी ने बाल प्रथा विवाह का विरोध किया। वह विधवा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये विधवा आश्रम स्थापित किये। आर्य समाज ने सती प्रथा तथा दहेज प्रथा का खंडन किया। बेसहारा लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई के कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए बहुत-से केन्द्र स्थापित किये गये। उन्होंने भारत के अलग-अलग भागों में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किये।

सर सय्यद अहमद खान

सर सय्यद अहमद खान के कार्य : सर सय्यद अहमद खान मुस्लिम समाज का सुधार करना चाहते थे। उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाये। उन्होंने बाल-विवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक प्रथा के विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। वह समाज में प्रचलित गुलामी की प्रथा को अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए **तहजीब-उल-अखलाक** नाम का समाचार पत्र निकाला। सर सय्यद अहमद खान ने धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में भी थे। 1862 ई. में उन्होंने विज्ञान के ग्रन्थ का उर्दू में अनुवाद करने के लिये साईंटीफिक सोसायटी की अलीगढ़ के स्थान पर स्थापना करवाई। 1875 ई. में सर सय्यद खान ने अलीगढ़ के स्थान पर मुस्लिम ऐंग्लो-ओरिऐंटल स्कूल स्थापित किया तथा 1878 ई. में एक मुस्लिम ऐंग्लो ओरिऐंटल कॉलेज भी स्थापित किया। 1920 ई. में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया।

पंजाब में सुधार आन्दोलन

भारत के अन्य भागों की तरह पंजाब के लोगों में भी बहुत सी कुरीतियां प्रचलित थी। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिये 19वीं सदी में पंजाब में निरंकारी, नामधारी तथा सिंह सभा आदि आन्दोलनों का जन्म हुआ।

निरंकारी आन्दोलन तथा बाबा दयाल जी : निरंकारी आन्दोलन के संस्थापक बाबा दयाल जी थे। उन्होंने स्त्रियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा आदि कुरीतियों का विरोध किया। वह विधवा-विवाह के पक्ष में थे।

श्री सतगुरु राम सिंह जी

नामधारी आन्दोलन तथा श्री सतगुरु राम सिंह जी : श्री सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल, 1857 ई. को भैणी साहिब (लुधियाना) के स्थान पर नामधारी आन्दोलन की स्थापना की। उन्होंने समाज में प्रचलित बाल-विवाह, कन्या वध, सती प्रथा, दहेज प्रथा तथा जाति भेदभाव आदि कुरीतियों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उनको पुरुषों के समान अधिकार देने का प्रचार किया। उन्होंने विवाह के मौके पर किये जाते फजूल खर्च तथा दहेज प्रथा का खंडन किया। 3 जून, 1863 ई. को उन्होंने विवाह की एक पद्धति आरम्भ की, जिसको **आनन्द विवाह** का नाम दिया गया। इस पद्धति के अनुसार सामूहिक विवाह केवल सवा रुपये में दहेज के बगैर विवाह की रस्म पूर्ण की जाती है।

सिंह सभा आन्दोलन : सिक्ख धर्म तथा समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिये 1 अक्तूबर 1873 ई. को मंजी साहिब (अमृतसर) के स्थान पर सिंह सभा आन्दोलन की स्थापना हुई। **सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया** को इस का प्रधान तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह को सैक्रेटरी नियुक्त किया गया। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले सिक्ख सिंह सभा के सदस्य बन सकते थे। 1879 ई. में लाहौर के स्थान पर सिंह सभा की एक अन्य शाखा स्थापित की गई। इसके प्रधान प्रो. गुरमुख सिंह को बनाया गया। धीरे-धीरे पंजाब में बहुत-सी सिंह सभाओं की स्थापना की गई।

सिंह सभा के प्रचारकों ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा, छुआ-छुत तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का ज़ोरदार विरोध किया। सिंह सभा आन्दोलन ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने का जोरदार प्रचार किया। इस आन्दोलन ने स्त्रियों में प्रचलित पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह तथा विधवा विवाह की मनाही आदि कुरीतियों की आलोचना की। सिंह सभा ने विधवा स्त्रियों की देखभाल के लिये विधवा आश्रम स्थापित किये।

सिंह सभा ने स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। सिक्ख कन्या महाविद्यालय, फिरोजपुर, खालसा भुज़ंग स्कूल, कैरों तथा विद्या भंडार, भसौड़ आदि प्रसिद्ध विद्यालय स्थापित किये।

अहमदिया आन्दोलन : 1853 ई. में मिर्जा गुलाम अहमद ने कादिया, जिला गुरदासपुर, के स्थान पर अहमदिया आन्दोलन की नींव रखी। उन्होंने इस्लाम धर्म के झूठे रीति-रिवाजों, अंध विश्वासों तथा कर्म कांडों का त्याग करने का प्रचार किया। उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं के साथ-साथ पश्चिमी शिक्षा देने का भी समर्थन किया। उन्होंने कई स्कूलों तथा कॉलेजों की भी स्थापना की।

स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन : 1897 ई. में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में राम कृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के निकट वैलूर मठ के स्थान पर की। वह स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्रियों में प्रचलित कुरीतियों जैसे कि कन्या वध करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का विरोध किया। वह विधवा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया तथा कई स्कूल तथा पुस्तकालय स्थापित किये।

स्वामी विवेकानंद

केशव चन्द्र सेन का योगदान : केशव चन्द्र सेन ब्रहम समाज के एक अन्य प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने 1857 ई. में ब्रहम समाज में प्रवेश किया। 1860 ई. में उन्होंने संगत सभा की स्थापना की जिसमें धर्म सम्बन्धी विषयों में वाद-विवाद होता था। केशव चन्द्र सेन ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुन: विवाह के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने बाल विवाह तथा बहु-विवाह जैसी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। केशव चन्द्र सेन के प्रयास से 1872 ई. में सरकार ने कानून पारित कर दूसरे विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

ऐनी बेसैंट तथा थीओसोफिकल सोसाईटी की देन : ऐनी बेसैंट ने 1886 ई. में इंग्लैंड में थिओसोफीकल सोसाइटी में प्रवेश किया। वह 1893 ई. में भारत आई। थियोसोफीकल सोसाइटी ने बहुत से सामाजिक सुधार भी किये। बाल विवाह तथा जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने निम्न जाति के लोगों तथा विधवा स्त्रियों के उद्धार के लिए भी प्रयास किये। सोसाइटी ने शिक्षा का विकास करने के लिये जगह-जगह लड़के तथा लड़कियों के लिये स्कूलों की स्थापना की। 1898 ई. में बनारस के स्थान पर सैंट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की गई। जहां हिन्दु धर्म की शिक्षा के साथ-साथ दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी।

श्रीमती ऐनी बेसैंट

महाराष्ट्र में स्त्रियों के उत्थान के सम्बन्धी प्रयास

(1) परमहंस सभा : 19वीं सदी में महाराष्ट्र के समाज सुधारकों ने समाज में जागृति लाने के लिये आन्दोलन शुरू किये। 1849 ई. में **परमहंस मंडली** की स्थापना की गई। इसने बंबई (मुम्बई) में धार्मिक-सामाजिक सुधार आन्दोलनों को आरम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति-पाति का विरोध करना था। इस सभा ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये कई स्कूलों की स्थापना की। इसने रात को शिक्षा देने वाली संस्थाओं की भी स्थापना की। जोतीबा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये निम्न जाति की लड़कियों के लिये पूना के स्थान पर एक स्कूल की स्थापना की। उन्होंने विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये भी प्रयास किये। 1856 ई. में सरकार ने विधवा पुन: विवाह का कानून पारित किया।

महाराष्ट्र में एक अन्य प्रसिद्ध समाज सुधारक **गोपाल हरि देशमुख** थे जोकि **लोकहितकारी** के नाम से भी विख्यात हुये। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करके सुधारों का प्रचार किया।

(2) प्रार्थना समाज : 1867 ई. में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। महादेव गोविन्द रानाडे तथा राम कृष्ण गोपाल भंडारकर इस समाज के प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने जाति-प्रथा तथा बाल-विवाह का कड़ा विरोध किया। वे विधवा पुन: विवाह के पक्ष में थे तथा उन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। उन्होंने अन्य स्थानों पर शिक्षा संस्थाए तथा अनाथ आश्रम खोले। उनके प्रयासों से 1884 ई. में दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई जिस ने पूना के स्थान पर दक्कन कॉलेज की स्थापना की।

सुधार आन्दोलन का प्रभाव

भारतीय सुधारकों के प्रयास से सरकार ने सामाजिक कुरीतियों पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये। स्त्रियों की दशा को सुधारने में इन्होंने विशेष योगदान दिया।

1. 1795 ई. तथा 1804 ई. में कानून पास कर कन्या वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
2. 1829 ई. में लार्ड विलियम बैंटिक के कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
3. सरकार ने 1843 ई. में एक कानून पारित करके भारत में दहेज प्रथा समाप्त कर दी।
4. बंगाल के महान समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ई. में विधवा पुन: विवाह को कानून द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
5. सरकार ने 1860 ई. में एक कानून पारित कर लड़कियों के लिए विवाह की आयु कम से कम 10 वर्ष निश्चित की। 1929 ई. में शारदा एक्ट के अनुसार लड़कों के लिये कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों की 14 वर्ष आयु निश्चित की गई।
6. 1872 ई. में सरकार ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह करने की स्वीकृति दी गई।
7. 1854 ई. के वुड डिस्पैच में स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया।

याद रखने योग्य तथ्य

1. 19वीं सदी में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा अति दयनीय थी।
2. सती प्रथा, लड़कियों की हत्या करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा बहु-विवाह आदि जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी।
3. भारतीय समाज सुधारकों ने समाज में स्त्रियों को शिक्षित करने तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी योगदान दिया।
4. राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों द्वारा विलियम बैंटिक ने 1829 ई. में सती प्रथा को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया।
5. 1872 ई. में केशव चन्द्र सेन के प्रयत्नों द्वारा सरकार ने दूसरे विवाह पर पाबंदी लगा दी।
6. 1843 ई. में कानून पारित करके दास प्रथा को समाप्त कर दिया।
7. 1854 ई. में वुड डिसपैच ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया।
8. सिंह सभा के प्रचारकों ने भी स्त्री जाति को ऊँचा उठाने तथा प्रचलित सामाजिक बुराईयाँ दूर करने में योगदान दिया।
9. श्री सतगुरू राम सिंह जी ने भी विवाह समय किए जाने वाले फजूल खर्च तथा दहेज प्रथा को समाप्त किया। सवा रूपए में विवाह की रस्म पूरी करने का प्रचार किया।
10. स्वामी दयानन्द जी, सर सय्यद अहमद खान, स्वामी विवेकानन्द, केशव चन्द्रसेन तथा श्रीमती एनी बेसैंट आदि समाज सुधारकों ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अभ्यास

I. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें–

1. सती प्रथा को कब और किसके प्रयास से अवैध घोषित किया गया था ?
2. किस वर्ष में विधवा-विवाह कराने की कानूनी तौर पर आज्ञा दी गई ?
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब तथा किसने की ?
4. नामधारी आन्दोलन की स्थापना कब, कहां तथा किसके द्वारा हुई ?
5. सिंह सभा लहर ने स्त्री शिक्षा प्राप्त करने के लिये कहाँ-कहाँ शिक्षण संस्थायें स्थापित की ?
6. राजा राम मोहन राय द्वारा स्त्रियों के उद्धार से सम्बंधित दिये गये योगदान का संक्षेप वर्णन करें।
7. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये दिये गये योगदान का संक्षेप वर्णन करें।
8. सर सय्यद अहमद खां द्वारा स्त्रियों के उद्धार के लिये किये गये प्रयासों का संक्षेप वर्णन करें।
9. स्वामी दयानंद जी द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये दिये गये योगदान का वर्णन करें।
10. 19वीं सदी में स्त्रियों की दशा का वर्णन करें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. हिन्दू समाज में स्त्रियों को .... सम्पति लेने का अधिकार नहीं था।
2. अपने भाई की पत्नी के सती हो जाने के पश्चात् .... के जीवन में एक नया मोड़ आया।
3. 1872 ई. में केशव चन्द्रसेन के प्रयासों द्वारा .... पर पाबंदी लगाई गई।
4. तालाक प्रथा का .... ने विरोध किया।
5. .... 1886 ई. में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसायटी में शामिल हुई।

III. सही जोड़े बनाएं–

क	ख
1. स्वामी विवेकानन्द	1. नामधारी लहर
2. श्री सतगुरू राम सिंह जी	2. राम कृष्ण मिशन
3. सिंह सभा लहर	3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
4. सर सय्यद अहमद खां	4. मंजी साहिब (अमृतसर)

पाठ 15 जाति प्रथा को चुनौती

ऋग्वैदिक काल के समय समाज में जाति-प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज भिन्न-भिन्न व्यवसायों के आधार पर चार वर्गों में विभाजित था। उन चार वर्गों के नाम थे-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। परन्तु राजपूत काल के समय में समाज में जाति-प्रथा बहुत कठोर हो गई थी। उस समय समाज न केवल चार मुख्य वर्गों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में बंटा था बल्कि अन्य कई जातियों तथा उपजातियों में भी विभाजित था।

> 19वीं सदी के ईसाई प्रचारिकों ने आदिवासियों के लिए तथा निम्न जाति के लोगों के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किये जिससे इन बच्चों को परिवर्तनशील संसार में अपना मार्ग ढूँढने के नये साधन प्राप्त होने लगे।

समाज में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता था, जबकि शुद्रों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। वे उच्च जाति के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकते थे। उनको साधारण लोगों द्वारा प्रयोग में लाने वाले कुंओं और तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था। उनको मंदिरों में जाने तथा वेद पढ़ने से भी मना किया जाता था। यदि कभी निम्न जाति के किसी मनुष्य की परछाई भी किसी उच्च जाति के मनुष्य पर पड़ जाती थी तो उस को पीट-पीट कर मार दिया जाता था। इसीलिये निम्न जाति के लोगों को 'अछूत' समझा जाता था। उन लोगों को झाड़ू लगा कर सफाई करने, जूते बनाने, मृत जानवरों को उठाने तथा उनकी खाल उतारने, चमड़ा बनाने आदि कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता था। ऐसे उच्च जातियों के लोगों द्वारा निम्न जातियों के लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिये बहुत से जाति सुधार आन्दोलन आरम्भ हुये। उनमें से मुख्य आन्दोलनों का नेतृत्व ज्योतिबा फूले, वीर सलिंगम, श्री नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी, डॉ. बी. आर. अम्बेदकर तथा महात्मा गांधी आदि महान नेताओं द्वारा किया गया।

ज्योतिबा फूले : ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जाति के लोगों के उद्धार के लिये आन्दोलन किया। उन्होंने निम्न जाति की लड़कियों की पढ़ाई के लिये पूणे में तीन स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों में ज्योतिबा फूल तथा उनकी पत्नी सवित्री बाई स्वयं पढ़ाते थे। उन्होंने अपने भाषणों तथा प्रकाशन की दो पुस्तकों के द्वारा ब्राह्मणों तथा पुरोहितों की ओर से निम्न जातियों के लोगों पर हो रहे आर्थिक शोषण की निन्दा की। उन्होंने निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के बिना विवाह की रीति करने का परामर्श दिया।

ज्योतिबा फूले

ज्योतिबा फूले ने 24 सितम्बर 1873 ई. को **सत्य शोधक** समाज नाम की संस्था की स्थापना की।

इस संस्था ने निम्न जातियों के लोगों की सामाजिक गुलामी की आलोचना की। उन्होंने निम्न जाति के गरीब किसानों तथा काश्तकारों की दशा सुधारने के लिये सरकार को अपील की कि उनसे उचित भूमि कर लिया जाये। ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न जातियों के लोगों के उद्धार सम्बन्धी किए गए कई कार्यों के लिये उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

ज्योतिबा फूले ने निम्न जाति की स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इसलिये वह निम्न जाति के लोगों के प्रथम तथा महान नेता थे।

वीर सलिंगम : कंदूकरी वीर सलिंगम एक अन्य समाज सुधारक तथा एक महान विद्वान थे। उन्होंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ही समाज में प्रचलित खोखले रीति-रिवाजों तथा धार्मिक विश्वासों की आलोचना की। जब वह स्कूल में अध्यापक थे तो उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने सम्बन्धी संघर्ष आरम्भ किया। वह अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की। उन्होंने छूतछात खत्म करने के लिए प्रचार किया।

वीर सलिंगम

वीर सलिंगम ने अपने लेखों तथा नाटको द्वारा जाति प्रथा समाप्त करने के लिये प्रचार किया। वह निम्न जाति तथा गरीब लोगों को सदैव सहायता करते थे। उन्होंने बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने विधवा पुनः विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दिलवाने के लिये कई प्रयास किये।

वीर सलिंगम ने आयु पर्यन्त समाज सेवा, समाज सुधार तथा निम्न जातियों के लोगों के उद्धार करने सम्बन्धी महान योगदान दिया। इसलिये उन्हें वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के समाज के **पैगम्बर** कहा जाता है।

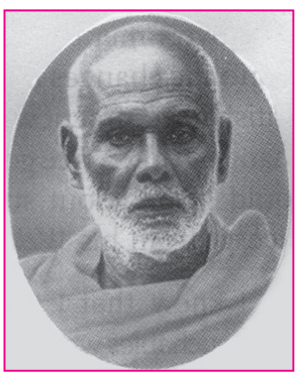

श्री नारायण गुरु

श्री नारायण गुरु : श्री नारायण गुरु केरल राज्य के महान समाज सुधारक थे। 1856 ई. में उनका जन्म एजहेवज जाति में केरल के स्थान पर हुआ था। वह एजहेवज जाति के लोगों के उद्धार के लिये संघर्ष करते रहे। उच्च जाति के लोग एजहेवज जाति के लोगों को अछूत समझते थे। इसलिये श्री नारायण गुरु ने एजहेवज जाति तथा अन्य निम्न जातियों के लोगों के उद्धार के लिये 1903 ई. में **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम** की स्थापना की।

परियार रामास्वामी : परियार रामास्वामी चेन्नई के महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म 17 सितम्बर 1879 ई. को मद्रास (चेन्नई) में हुआ था। परियार रामास्वामी मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्धित थे। पहले वे एक संन्यासी थे। बाद में वे कांग्रेस के एक सदस्य बन गए। परन्तु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित दावत (भोज) में देखा कि वह बैठने के लिए निम्न जाति एवं उच्च जाति के लिए अलग-अलग प्रबन्ध किए गए थे तो व्यथित होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब परियार को समझ आ गई थी कि "अछूतों" को अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने अनुभव किया कि समाज में निम्न जाति के लोगों को अछूत समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इन लोगों को सामाजिक रीति-रिवाजों में भाग लेने, दूसरी जातियों

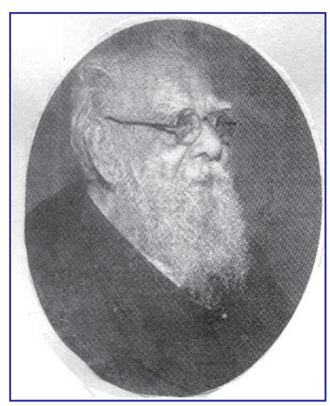

परियार रामास्वामी

के लोगों के साथ सम्पर्क रखने तथा शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता था। इसीलिये उन्होंने निम्न जाति के लोगों की भलाई करने के लिए **द्रविड़ काजगाम** नाम की संस्था स्थापित की।

इस संस्था ने निम्न जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलवाने के लिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन करवाया। उन्होंने अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इस आन्दोलन में महात्मा गांधी, सी. राजा गोपालाचार्य, आचार्य विनोबा भावे आदि राष्ट्रीय नेताओं ने भी भाग लिया।

डॉ. भीम राव अम्बेदकर

डॉ. भीम राव अम्बेदकर : डॉ. भीम राव अम्बेदकर का जन्म महार परिवार में हुआ था। बाल्य अवस्था उपरांत बचपन में ही उन्हें भेदभाव के बारे में पता लग चुका था। विद्यालय में उन्हें नीचे जमीन पर बैठना पड़ता था। उनको उच्च जाति के बच्चों के लिए प्रयोग किए जाने वाले नलकूप से पानी पीने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने के पश्चात् वे उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए अमेरिका चले गए। वह 1919 ई० में पढ़ाई पूरी करके वापिस भारत लौट आए। सन् 1927 ई० में अम्बेदकर ने मन्दिर प्रवेश आन्दोलन को शुरू किया। इस आन्दोलन में महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्राह्मण और पुजारी इस बात पर भड़क गए थे कि दलित भी मन्दिर से पीने वाला पानी प्रयोग कर रहे है। 1927 ई० से 1935 ई० दौरान डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने मन्दिरों में प्रवेश के तीन आन्दोलन चलाए। डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने समाज तथा सरकार से निम्न जाति के लोगों के साथ न्याय करने की मांग की। उन्होंने इस जाति के लोगों को सामाजिक अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह तथा प्रदर्शन किये। 1918 ई. में उन्होंने साऊथबोरो सुधार कमेटी से मांग की कि इन लोगों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भारत के सभी प्रान्तों की वैधानिक कौन्सिलों तथा केन्द्रीय वैधानिक कौन्सिलों में सीटों का आरक्षण किया जाये तथा उनके लिये अलग चुनाव क्षेत्र निश्चित किये जाये। परन्तु कमेटी ने ऐसा नहीं किया।

1931 ई. में डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने एक गोलमेज कान्फ्रेंस में निम्न जाति के लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की सिफारिश की जिसको 16 अगस्त 1932 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जारी किये गए कम्यूनल अवार्ड में लगभग स्वीकार किया गया। डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने निम्न जाति के लोगों द्वारा उचित सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये नागपुर, कोल्हापुर आदि स्थानों पर की गई कान्फ्रेंसों में भाग लिया। उन्होंने इस जातियों के लोगों के उद्धार सम्बन्धी प्रचार करने के लिये **बहिष्कृत हितकारिणी सभा** तथा समाज सम्मत संघ की स्थापना की तथा मूकनायक **भारत, जनता** आदि समाचार पत्र प्रकाशित करने आरम्भ किये। उन्होंने निम्न जाति के लोगों को दूसरी जातियों के लोगों की तरह पब्लिक कुओं से पानी भरने तथा मन्दिरों में प्रवेश का अधिकार दिलवाने के लिये एक सत्याग्रह शुरू किया।

उन्होंने अक्तूबर 1936 ई. में **इंडिपैंन्डेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया** की स्थापना की जिसने 1937 ई. में प्रैंजीडेंसी की वैधानिक असैम्बली के चुनाव में निम्न जाति के लिए आरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने लेबर पार्टी तथा शेड्यूलड कास्ट फैडरेशन राजनीतिक दलों का संगठन किया। उनके बाध्य करने पर भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के लोगों को विशेष सुविधायें देने का प्रबन्ध किया गया है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने छुआछूत प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।

महात्मा गांधी जी : महात्मा गांधी जी छुआ-छूत को पाप समझते थे। 1920 ई. में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन शुरू किया गया। इस आन्दोलन के कार्यक्रम की रूप-रेखा में समाज से छुआ-छूत समाप्त करना भी शामिल था। 1920 ई. में नागपुर के स्थान पर बुलाई गई निम्न जातियों की कान्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने छुआ-छूत की आलोचना की परन्तु महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने समाज से छुआ-छूत समाप्त करने के लिये आवश्यक प्रयास नहीं किये। इसलिये निम्न जाति के लोगों ने असहयोग आन्दोलन में कांग्रेस को सहयोग नहीं दिया तथा वे हिन्दू स्वराज्य से ब्रिटिश राज्य को अच्छा समझते थे।

महात्मा गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित करने के पश्चात् कांग्रेस संस्थाओं को आदेश दिया कि वे निम्न जातियों के लोगों की भलाई के लिये उन्हें संगठित करें। उनकी सामाजिक, मानसिक तथा नैतिक स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास करें। उन्हें वे सभी सुविधायें दें जो दूसरे नागरिकों को प्राप्त है।

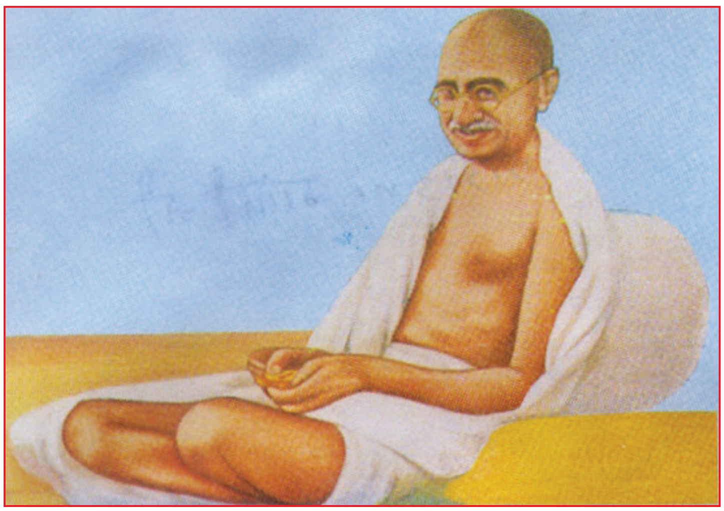

महात्मा गांधी जी

1921 ई. से 1923 ई. दौरान कांग्रेस ने विकसित कार्यक्रम पर व्यय की गई 49.5 लाख रुपये की राशि में से निम्न जाति के लोगों की भलाई के लिये केवल 43.381 रुपये खर्च किये। यद्यपि निम्न जाति के लोगों ने महात्मा गांधी जी द्वारा आरम्भ किये असहयोग आन्दोलन में भाग नहीं लिया था तो भी गांधी जी ने उन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिये बहुत से प्रयास किये थे।

महात्मा गांधी जी ने निम्न जाति के लोगों के लिये प्रयोग किये जाते अछूत, पंचमा, परीहा इत्यादि शब्दों के स्थान पर **हरिजन** शब्द का प्रयोग करना शुरू किया जिसका अर्थ है **'ईश्वर के बच्चें'**। गांधी जी ने 11 फरवरी 1933 ई. को साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करने शुरू किये जिसका उद्देश्य निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारना था। 7 नवम्बर 1933 ई. को उन्होंने वर्धा के स्थान से हरिजनों की भलाई के लिये यात्रा करनी शुरू की। उन्होंने जिन स्थानों पर यात्रा की वहाँ पर कहा कि स्कूल, सड़कें तथा पब्लिक कुएं अछूतों के लिये खोल दिये जायें तथा सारे मनुष्यों को समान समझना चाहिये। कई स्थानों पर कुछ सनातनी हिन्दु लोगों ने महात्मा गांधी जी के भाषण का विरोध किया तथा पूना के स्थान पर उन पर बंब फेंकने की कोशिश की गई जो कि असफल रही। उन्होंने अपनी यात्रा के समय हरिजन फंड भी इकट्ठा किया।

भारतीय समाज सुधारकों की गतिविधियों का प्रभाव

भारतीय समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिये अनेक प्रयास किये। उनके द्वारा कुरीतियों को समाप्त करने के लिये किये गये प्रयासों के परिणाम निम्नलिखित है–

1. 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरम्भ तक समाज से सती प्रथा, लड़कियों का वध, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा पुनः विवाह की मनाही आदि कुरीतियां पाई जाती थी। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, नामधारी आन्दोलन, सिंह सभा, राम कृष्ण मिशन, अलीगढ़ आन्दोलन आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2. भारतीय समाज सुधारकों द्वारा जोर देने पर ब्रिटिश सरकार ने 1829 ई. में लार्ड विलियम के समय दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। उसने अपने शासनकाल के समय कन्या वध करना तथा मानव बलि देने के विरुद्ध कानून पारित किये। 1856 ई. में एक अन्य कानून पारित कर विधवा पुनः विवाह को मान्यता दे दी गई। 1872 ई. में एक कानून अनुसार अन्तर्जातीय विवाह करवाने की आज्ञा प्रदान की गई। 1891 ई. में बाल विवाह प्रथा को अवैध घोषित किया गया।
3. भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई तथा नये भारत का निर्माण संभव हो सका।

याद रखने योग्य तथ्य

1. ऋगवैदिक काल में आरम्भ हुई जाति प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया था। समाज में निम्न जाति के लोगों के साथ बुरा व्यवहार (दुर्व्यवहार) किया जाता था।
2. उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अनेक जाति सुधार आन्दोलन शुरू किए गए।
3. महाराष्ट्र के महान् समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक नामक एक समाजिक संस्था स्थापित की। निम्न जाति की लड़कियों (कन्याओं) के शिक्षण के लिए तीन विद्यालय स्थापित किए गए। निर्धन किसानों तथा काश्तकारों की दशा सुधारने के प्रयत्न किए गए।
4. समाज सुधारक वीर सलिंगम को वर्तमान आंध्र प्रदेश का पैगम्बर कहा जाता है। उन्होंने स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने, विधवा पुर्नविवाह तथा अर्न्तजातीय विवाह के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने जाति प्रथा एवं छुआ–छूत को समाप्त करने के लिए प्रचार किया।
5. श्री नारायण गुरू ने इजहेवज जाति तथा अन्य निम्न जातियों के लोगों की दशा सुधारने के प्रयत्न किए। 1903 ई० में श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम् की स्थापना की गई।
6. तमिलनाडू के महान् समाज सुधारक परियार रामास्वामी ने समाज में फैली अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए वैकोष सत्याग्रह शुरू किया। इस आन्दोलन में महात्मा गांधी। सी. राजा गोपाल आचार्य, विनोवा भावे आदि राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया।
7. डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने निम्न वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' तथा 'समाज सम्मत संघ' की स्थापना की एवं मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता नामक समाचार पत्र निकालें।
8. महात्मा गांधी ने निम्न वर्ग के लोगों के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है– ईश्वर के बच्चे।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें :

1. ज्योतिबा फूले ने निम्न जाति के उद्धार के लिये कौन-से कार्य किये?
2. समाज सुधारकों ने जाति प्रथा को ही क्यों निशाना बनाया?
3. वीर सलिंगम को वर्तमान आंध्र प्रदेश के पैगम्बर क्यों कहा जाता है?
4. श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति की भलाई के लिये क्या योगदान दिया?
5. महात्मा गांधी जी ने निम्न जाति के लोगों के लिये किस शब्द का प्रयोग किया तथा उसका भावार्थ क्या था?
6. महात्मा गांधी जी द्वारा निम्न जाति के लोगों का उद्धार करने के लिये किये गये कार्यों का वर्णन करें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. समाज चार वर्गों में बँटा हुआ था-जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ... तथा शुद्र।
2. ज्योतिबा फूले को .... की उपाधि से सम्मानित किया गया।
3. डॉ. भीम राव अम्बेदकर ने .... ई० में इंडिपैंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की।
4. महात्मा गांधी ने निम्न जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ था ....।

III. सही जोड़े बनाएं :

क	ख
1. ज्योतिबा फूले	1. श्री नारायण धर्म
2. परियार रामास्वामी	2. आंध्र प्रदेश राज्य के पैगम्बर
3. वीर सलिंगम	3. तमिलनाडू के महान् समाज सुधारक
4. श्री नारायण गुरू	4. सत्य शोधक समाज नामक संस्था

क्रियाकलाप (Activity) :

जाति प्रथा के विषय में अपने अध्यापक गणों एवं सहपाठियों से चर्चा करें।

पाठ 16 बस्तीवाद तथा शहरी परिवर्तन

बस्तीवाद का भावार्थ है किसी देश के ऊपर दूसरे देश या देशों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अधिकार करना।

शहरी परिवर्तन से भाव है किसी देश की राजनीतिक, दशा में परिवर्तन होने से कस्बों तथा शहरों की स्थिति तथा महत्व में परिवर्तन होना।

नये शहरों व कस्बों का उत्थान

नये शहरों तथा कस्बों का उत्थान उस स्थान पर होता है जो राजनीतिक शक्ति को केन्द्र या आर्थिक गतिविधियों का धुरा या फिर धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र हो।

किसी देश की राजकीय शक्ति में परिवर्तन होने से यदि सम्बन्धित शासक अपनी राजधानी बदलते हैं तो कई कस्बे अपना महत्व खो देते हैं तथा नये कस्बे उसका स्थान ले लेते हैं।

प्राचीन काल में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों दो विकसित शहर थे। परन्तु अब वह दोनों पूर्ण रूप से तबाह हो चुके है। इसी तरह से फतहपुरसीकरी कभी महान अकबर मुगल बादशाह की राजधानी थी। परन्तु अब यह एक ऐतिहासिक स्थान ही है। इस तरह से सैकण्ड़ों शहर तथा कस्बे स्थापित होते है परन्तु राजकीय सरंक्षण न मिलने से अपना महत्व खो देते है।

इसी तरह 18वीं तथा 19वीं सदी में मुगल सेनापतियों तथा मराठा सरदारों का राजकीय सरंक्षण न मिलने से कई स्थानों ने अपना महत्व खो दिया। भारत में अंग्रेजों के राज्य के समय जब मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता की स्थापना हुई तो बहुत से लोग इन शहरों में रहने लगे क्योंकि यहां उनको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते थे।

सूरत प्राचीन काल से ही भारत के पश्चिमी तट पर स्थित व्यापारियों का एक केन्द्र था परन्तु जब से बंबई में बन्दरगाह बन गई तथा साथ ही ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजनीतिक शक्ति का केन्द्र बन गया तो व्यापारी लोगों ने यहां रहना आरम्भ कर दिया क्योंकि उनको यहां पर उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते थे।

इस तरह से 1757 ई. में प्लासी तथा 1764 ई. में बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाबों की पराजय से मुर्शिदाबाद राजधानी का महत्त्व कम हो गया तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजधानी कलकत्ता का महत्त्व बढ़ गया था। इसी तरह से भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का विस्तार होने से उनके नये प्रशासनिक केन्द्र विकसित होने से उनका महत्त्व बढ़ गया। जबकि भारतीय शासकों के केन्द्रों का महत्त्व उस समय समाप्त हो गया जब वे अपने राज्य खो चुके थे।

नये कस्बों का उत्थान

भारत में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक राजनीतिक शक्ति बनने से बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास आदि नये कस्बों का उत्थान हुआ।

मद्रास

मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास नगर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम चेन्नई है। यह तामिलनाडू राज्य की राजधानी है। यह नगर भारत में विकसित होने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के तीन मुख्य केन्द्रों-कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में से एक था। यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रेजीडैंसी का एक केन्द्र था। 1639 ई. में अंग्रेज़ो को सरकार का पट्टा प्राप्त हो गया था। कम्पनी के इस केन्द्र की स्थापना 1639 ई. में फ्रांसिस डे ने की थी। फ्रांसिसी सेनापति ला-बोरोदेने ने प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-1748) के समय मद्रास को अंग्रेज़ों से छीन लिया था। इस युद्ध के समाप्त होने पर 1748 ई. में मद्रास अंग्रेज़ों को वापिस दे दिया गया था। कर्नाटक के तीन युद्धों में अंग्रेज़ो को विजय प्राप्त होने से मद्रास एक महत्वपूर्ण तथा समृद्ध नगर बन गया।

प्रैजीडैंसी : उपनिवेश्कि भारत शासन प्रबंध के उद्देश्य से बंबई, मद्रास तथा बंगाल प्रैजीडैंसीयों में बँट गया था।

शीघ्र ही मद्रास एक बन्दरगाह नगर तथा प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। यहां अनेक दर्शनीय स्थल-गिरजाघर, भवन, स्मारक, सुन्दर मन्दिर तथा मद्रास हाई कोर्ट तथा समुंद्री तट इस नगर की शान में वृद्धि करते है।

मुबंई

कमला नेहरू पार्क

मुबंई नगर महाराष्ट्र में स्थित है। आजकल इसका नाम मुम्बई है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र होने के साथ-साथ औद्योगिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र भी है। 1661 ई. में पुर्तगाली **राजकुमारी कैथरीन** का इंग्लैंड के शासक चालर्स द्वितीय के साथ विवाह होने के समय यह नगर पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इंग्लैंड को दिया था। उसने आगे ईस्ट इंडिया कम्पनी को किराये पर दे दिया। धीरे-धीरे बंबई अंग्रेज़ों की प्रैजीडैंसी बन गया। इस नगर के प्रसिद्ध स्थान जुहुबीच, चौपाटी, कोलाबा, मालाबार हिल, जहांगीरी आर्ट गैलरी, अजायब घर, बंबई यूनिवर्सिटी, महालक्ष्मी मन्दिर, विक्टोरिया बाग, कमला नेहरू पार्क आदि बंबई की शान में वृद्धि करते है।

कलकत्ता

कलकत्ता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। वर्तमान में इसका नाम कोलकाता है। यह भारत में अंग्रेज़ी राज्य के समय में एक प्रसिद्ध व्यापारिक बस्ती थी। 1695 ई. में अंग्रज़ों ने यहां अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्टरी स्थापित की तथा उसके इर्द-गिर्द एक किला बनवाया। 1757 ई. तक अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना सारा समय व्यापारिक मामलों पर लगाया। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी के मध्य युद्ध आरम्भ हुआ तो भारत की अलग-अलग बस्तियाँ-मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता आदि विकसित शहर बन गये। भारत के बहु संख्या में व्यापारी इन शहरों में रहने लगे क्योंकि यहां उनको बहुत सी व्यापारिक सुविधायें मिल सकती थी। 1757 ई. में प्लासी तथा 1764 ई. में बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाबों की पराजय से कलकत्ता शहर का महत्व और बढ़ गया।

वर्तमान में यहां बहुत से दर्शनीय स्थल- जैसे कि हावड़ा पुल, विक्टोरिया मैमोरियल, बोटेनकल गार्डन, भारतीय अजायबघर, अलीपुर चिड़ियाघर, वैलूर मठ, राष्ट्रीय पुस्तकालय आदि है जो इसके महत्व को बढ़ाते है।

विशेष अध्ययन : दिल्ली

वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत का एक प्रसिद्ध नगर है। महाकाव्य काल में दिल्ली को इन्द्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे पुनः शाहजहांबाद का नाम दिया। जब 1911 ई. में अंग्रेज़ों ने इस को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने इसको नई दिल्ली का नाम दिया। दिल्ली आरम्भ से ही भारत की राजनैतिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। मध्यकाल में यह नगर बहुत प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तत् पश्चात् दिल्ली सभी सुल्तानों की राजधानी बना रहा। महान मुगल

संसद भवन, दिल्ली

राष्ट्रपति भवन, दिल्ली

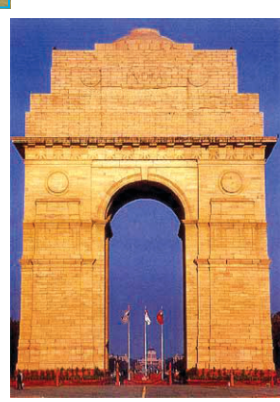

इंडिया गेट, दिल्ली

सम्राट अकबर के समय कुछ समय के लिये आगरा तथा फतेहपुर सिकरी मुगलों की राजधानी बने रहे। इसके अतिरिक्त शेष सभी मुगल सम्राटों ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। इसीलिये दिल्ली नगर का महत्त्व बहुत बढ़ गया।

1911 ई. में अंग्रेज़ों ने अपने भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया। यहां दर्शनीय प्रसिद्ध स्थान– लाल किला, कुतुबमीनार, चिड़ियाघर, अप्पू घर, इंडिया गेट, किला राय पिथौर, फतेहपुरी मस्जिद, निजामुदीन ओलिया की दरगाह, जंतर–मंतर, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी के मकबरे, कुतुबद्दीन बख्तयार काकी की दरगाह, पार्लियामैंट हाऊस, राष्ट्रपति भवन, अजायब घर, राजघाट, तीन मूर्ति भवन, शक्ति स्थल, शांतिवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बिरला मन्दिर, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब आदि है।

दरगाह : सूफी संत का मकबरा

दरगाह : सूफी संत का मकबरा

बस्तीवादी संस्थाएं तथा नीतियां लागू करना

1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् अंग्रेज़ी सरकार ने भारतीय साम्राज्य को संगठित करने के लिए स्थानिक संस्थाएं स्थापित की जिनमें नगरपालिकाएं, लोक जन कार्य विभाग, योजनाएं, रेलवे मार्ग का जाल बिछाना आदि शामिल था। उनमें से कई संस्थाएं आज भी थोड़े बहुत सुधार के साथ मौजूद है।

नगर पालिकाएं : सब से पहले ब्रिटिश (अंग्रेज़ी) ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1687–88 ई. में मद्रास में नगरपालिका कार्पोरेशन की स्थापना की। इसके सदस्यों का नामांकन किया जाता था। कुछ समय के पश्चात् बंबई तथा कलकत्ता में भी नगरपालिका कार्पोरेशनों की स्थापना की गई। धीरे–धीरे अलग–अलग प्रांतों के नगरों तथा गांवों के लिये नगरपालिकाएं तथा जिला बोर्ड कायम किये गये। इस संस्थाओं के द्वारा बहु संख्या में प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल खोले गये। नगरों की सफाई तथा यहां रात को प्रकाश का प्रबन्ध किया जाता था। लोगों को पानी की सुविधाएं प्राप्त होने लगी। अलग–अलग नगरों में डिस्पैंसरी खोली गई जिनमें बीमारियों के उपचार के लिये निशुल्क दवाइयां देने तथा टीके लगाने का प्रबन्ध किया जाता था।

सार्वजनिक कार्य : भारत में अंग्रेज़ी राज्य काल में सबसे पहले लार्ड डलहौजी ने जनता की भलाई के कार्य करने के लिये सार्वजनिक कार्य निर्माण विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने सड़कों, नहरों तथा पुलों का निर्माण करवाया। इस विभाग ने कलकत्ता से पेशावर तक जी.टी. रोड तैयार करवाई। 8 अप्रैल 1853 ई. को गंगा नहर का निर्माण कर उसमें पानी छोड़ दिया गया। रूड़की के स्थान पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इस विभाग ने जनता की भलाई के लिये बहुत से कार्य किये।

योजना : अंग्रेज़ी शासन के समय भारत के कई प्रमुख शहरों में नगर सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार हुआ। भारत के अधिकतर शहरों में पाइप द्वारा पानी की सप्लाई, गलियों में रोशनी का प्रबन्ध, घरों में बिजली की सप्लाई, सीवरेज़, आधुनिक बाज़ार, पार्क तथा खेलों के मैदान तैयार करवाये गये थे।

रेलवे लाईन : लार्ड डलहौजी के समय 1853 ई. में भारत में पहली रेलवे लाइन बंबई से थाना शहर तक तैयार की गई। 1854 ई. में कलकत्ता से रानीगंज तक की रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। भारत में अंग्रेज शासकों द्वारा रेलवे लाईनों का निर्माण करने के कई कारण थे। उनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित अनुसार है–

1. अंग्रेज़ी सरकार अपने साम्राज्य की रक्षा करने तथा सेना के आने–जाने के लिये रेलवे लाइनें स्थापित करना आवश्यक समझती थी।
2. इंग्लैंड की मिलों में तैयार की गई वस्तुओं को रेल के द्वारा भारत के भिन्न–भिन्न भागों में भेजा जा सकता था।
3. अंग्रेज़ी कम्पनियों तथा अंग्रेज पूंजीपतियों को अपनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश रेलों के निर्माण में करने से बहुत लाभ हो सकता था।

पुलिस : अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत लार्ड कार्नवालिस ने देश में कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिये पुलिस विभाग की स्थापना की। उसने जमींदारों से पुलिस अधिकार छीन लिये। 1792 ई. में उसने बंगाल के ज़िलों को थानों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक थाने का मुखिया दारोगा नाम का पुलिस अधिकारी नियुक्त होता था। दारोगा ज़िला मैजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता था। 1860 ई. में भारतीय अंग्रेज सरकार ने देश के सभी प्रांतों में एक जैसी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने के लिये एक पुलिस कमीशन नियुक्त किया। उसकी सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक प्रांत में सिविल पुलिस, इंस्पैक्टर जनरल पुलिस तथा प्रत्येक ज़िले में पुलिस सुपरिटेंडेंट तथा सहायक पुलिस सुपरिटेंडेंट की पदवियों की स्थापना की गई। पुलिस कप्तान के अधीन पुलिस इंस्पैक्टर, हैड कांस्टेबल आदि अधिकारी काम करते थे। इन पदवियों पर अधिकतर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती थी। पुलिस विभाग की यह संरचना कुछ परिवर्तनों के उपरांत आज भी चल रही है।

याद रखने योग्य तथ्य

1. भारत में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक राजसी शक्ति बनने से बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास अस्तित्व में आएं।
2. मद्रास नगर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
3. मद्रास एक बंदरगाह, नगर तथा प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ।
4. बंबई का वर्तमान नाम मुम्बई हैं। बम्बई महाराष्ट्र में है। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल है।
5. कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी हैं। यहां पर भी बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। आजकल इसे कोलकाता कहा जाता है।
6. दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां अनेक दर्शनीय स्थल है। राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन दिल्ली में स्थित है।
7. अंग्रेजी शासन दौरान कलकत्ता से पेशावर तक जी.टी रोड का निर्माण करवाया गया।
8. लार्ड डलहौजी द्वारा देश में 1853 ई. में पहली रेलवे लाईन बंबई से थाना शहर तक बनवाई गई।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें :

1. बस्तीवाद से क्या भाव है?
2. भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना होने से कौन से नये कस्बों का उत्थान हुआ?
3. मद्रास शहर में दर्शनीय स्थान कौन-से हैं?
4. बंबई (मुम्बई) शहर के दर्शनीय स्थानों के नाम लिखें।
5. अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्टरी कब तथा कहाँ स्थापित की?
6. अंग्रेज़ी राज्य के समय भारत में सब से पहले कौन-से तीन शहरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई?
7. भारत में सार्वजनिक कार्य निर्माण की स्थापना किस अंग्रेज़ अफसर ने की?
8. अंग्रेज़ी राज्य के समय भारत में पुलिस की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरू की?
9. भारत में प्रथम रेलवे लाईन किस के द्वारा, कब तथा कहाँ से कहाँ तक बनाई गई?

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. प्राचीन काल में .... तथा मोहनजोदड़ो दो प्रसिद्ध उन्नत शहर थे।
2. .... मुगल बादशाह अकबर की राजधानी थी।
3. .... का वर्तमान नाम चेन्नई है।
4. लार्ड .... ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की।

III. सही जोड़े बनाएं :

क	ख
1. शाहजहाँ के राज्यकाल में दिल्ली	1. इन्द्रप्रस्थ
2. इंजीनियरिंग कॉलेज	2. कोलकाता
3. पश्चिम बंगाल की राजधानी	3. रूड़की
4. महाकवि काल में दिल्ली	4. शाहजहाँबाद

पाठ 17

कलाएँ – चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला आदि में परिवर्तन

भारत में चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला, संगीत, नृत्य तथा सिनेमा इत्यादि कलाओं का शानदार प्राचीन इतिहास है। 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरम्भ में भारत की राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन होने से विशेष रूप से साहित्य तथा कलाएँ जैसे कि चित्रकारी तथा भवन निर्माण कला के क्षेत्र में अधिक परिवर्तन हुआ।

19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरम्भ में साहित्य का विकास : 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरम्भ में आधुनिक भारतीय साहित्य में उपन्यास, कहानी साहित्य, लघु-वार्ता, काव्य-रचना, नाटक तथा चलचित्र आदि का अधिक विकास हुआ।

उपन्यास, कहानी, साहित्य

19वीं सदी में बंगाली भाषा में बहुत-सा साहित्य लिखा गया। आधुनिक काल में बकिंम चन्द्र चैटर्जी, माईकल मधु सूदन दत्ता, शरत चन्द्र चैटर्जी बंगाली साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। बकिंम चन्द्र चैटर्जी एक प्रसिद्ध उपन्यास **आनन्द मठ** की रचना की। इसमें कई राष्ट्रीय गीत सम्मिलित है जैसे कि वन्दे मातरम् का राष्ट्रीय गीत आदि।

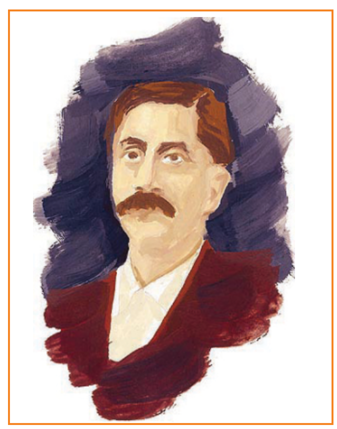

मुंशी प्रेम चन्द

मधु सूदन दत्ता प्रथम बंगाली कवि था जिसने **मेघ नंदवध** काव्य रचना लिखी थी। मुंशी प्रेम चन्द ने उर्दू तथा हिन्दी भाषा में कई उपन्यासों की रचना की। उन्होंनें गोदान तथा रंगभूमि नाम के उपन्यासों की रचना की। हम चन्द्र बैनर्जी, दीन बन्धु मित्र, रंग लाल, केशव चन्द्र सेन, रविन्द्र नाथ टैगोर आदि विद्वानों की रचनाओं ने भी लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भर दी थी।

लघु-वार्ता : रविन्द्र नाथ टैगोर, प्रेमचन्द, यशपाल, जेतिंदर कुमार, कृष्ण चन्द्र आदि भारत के प्रसिद्ध लघुवार्ता लेखक थे।

काव्य-रचना : भारत के प्रसिद्ध कवि-रविन्द्र नाथ टैगोर (बंगाली), इकबाल (उर्दू), कुआज़ी नज़रुल इस्लाम (बंगाली), केशव सूत (मराठी), सुब्रामण्यम् भारतीय (तामिल) आदि है। 1936 ई. में फैज तथा मज़ाज़ (उर्दू), जीवन नंद दास (बंगाली), आज्ञा तथा मुक्ति बोध (हिन्दी) आदि कवियों ने नई काव्य रचनाएं पेश की है। स्वतन्त्रता के पश्चात कई काव्य रचनाएं रघुवीर सहाय केदारनाथ सिंह (हिन्दी), शक्ति चटोपाध्याय (बंगाली) आदि की रचना हुई।

नाटक तथा चलचित्र : भारतीय कलाकारों तथा नाटककारों ने नाटक प्रस्तुत करने में पश्चिमी तथा पूर्वी-शैली को इकठ्ठा करने का प्रयास किया। चलचित्र संगठन ने नाटक तथा चलचित्र में रुचि पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरीश कार्नाड (कनड़), विजय तेंदुलकर (मराठी), आदि प्रसिद्ध नाटककार है। मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर. के. नारायण ने अंग्रेज़ी भाषा में नाटक लिखे।

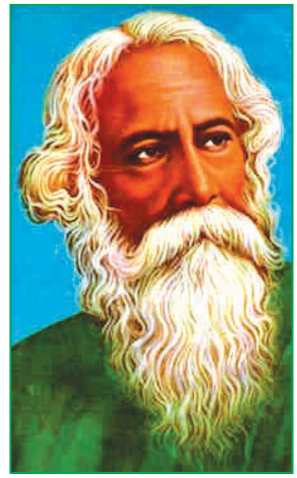
रविन्द्र नाथ टैगोर

रविन्द्र नाथ टैगोर उस समय के प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय रीति-रिवाजों तथा यूरोप में नई जागृति का मिश्रण था। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय जागृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानववाद पैदा करने पर ज़ोर दिया।

छापेखाने का विकास : अंग्रेज़ी राज्य से पूर्व भारत में कोई भी छापाखाना की व्यवस्था नहीं थी। मुगलों के शासन काल में हस्त लिखित समाचार पत्र होते थे। सब से पहले भारत में छापाखाना पुर्तगालियों ने 1557 ई. में लगाया।

लार्ड हेस्टिंज़ की प्रैस सम्बन्धी उदार नीति के कारण कलकता तथा अन्य नगरों में कई नये समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। एक प्रसिद्ध पत्रकार जे. एस. ने 1818 ई. में कलकता जनरल नाम का समाचार पत्र छापना आरम्भ किया। इस समय ही सेरमपुर के स्थान पर जी.सी मार्शमैन ने दर्पण तथा दिग्दर्शन नाम के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरम्भ किया। 1821 ई. में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में **सम्वाद कौमुदी** तथा 1822 ई. में फारसी भाषा में **मिरत-उल-अखबार** नाम के दो अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। इस समय फर्दूनजी मुर्जबान ने बम्बई समाचार नाम के गुजराती भाषा में अखबार का प्रकाशन शुरू किया।

समय व्यतीत होने पर 1881-1907 ई. में प्रैस का बहुत विकास हुआ। परिणामस्वरूप बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में **केसरी** तथा अंग्रेज़ी भाषा में **मराठा** नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में घोष भाइयों के प्रयासों के फलस्वरूप युगांतर तथा **वन्दे मातरम्** नाम के समाचार पत्र प्रकाशित होने आरम्भ हुये जो अंग्रेज़ों के राज्य का विरोध करने लगे। इस काल में कई मासिक पत्रिकाएँ भी छपने लगे जैसे कि 1899 ई. से **दी हिन्दुस्तान रिव्यु,** 1900 ई. में **दी इंडियन रिव्यु** तथा 1907 ई. में **दी मार्डन रिव्यु** आदि।

19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरम्भ में चित्रकारी कला के विकास

19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरम्भ में कला स्कूलों तथा कला समूहों द्वारा भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। इनके बारे में संक्षेप वर्णन निम्नलिखित अनुसार है :-

1. राजा रवि वर्मा : राजा रवि वर्मा चित्रकारी तथा बुत तराशने की कला में भी निपुण था। उसने यूरोपियन प्रकृतिवाद को भारतीय पुराण-कथा तथा किस्सों के साथ मिला कर चित्रित किया। उस के द्वारा बनाये गये चित्र भारतीय महाकाव्य तथा संस्कृत साहित्य के साथ सम्बधित है। उस ने भारत के अतीत को तस्वीरों के द्वारा प्रकट किया।

2. बंगाल का कला स्कूल : रविन्द्र नाथ टैगोर, हावैल कुमार स्वामी ने बंगाल कला स्कूल को विकसित किया। इस स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकारों ने भारतीय पौराणिक कथाओं, महाकाव्य तथा प्राचीन साहित्य पर आधारित चित्र बनाये। रविन्द्र नाथ टैगोर ने जापानी तकनीक में पानी वाले रंगों का प्रयोग किया। उन्होंने पानी के रंगों से लघु चित्र बनाये। उन्होंने शांति-निकेतन के स्थान पर कला-भवन की स्थापना की।

3. अमृता शेरगिल तथा जार्ज कीट : अमृता शेरगिल तथा जार्ज कीट भी प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उनको आधुनिक यूरोपीयन कला, आधुनिक जीव-आत्मा तथा हाव-भाव की किस्मों के बारे में अधिक जानकारी थी। अमृता शेरगिल के तेलिय चित्रों के शीर्षक भिन्न-भिन्न तथा उनके रंग अदभुत थे। परन्तु उन में भारतीय स्त्रियों के चित्र बनाये गये थे। जार्ज कीट द्वारा चित्रों में प्रयोग की गई रंग-योजना अधिक प्रभावशाली थी।

4. बंबई के प्रसिद्ध कलाकार : फ्रांसिस न्यूटन सुज़ा इस स्कूल का एक प्रसिद्ध कलाकार था। उसने प्रभावशाली रंगों तथा नमूनों के चित्र बनाये। के. एच. अरा द्वारा बनाये गये फूलों, स्त्रियों के चित्र, रंगों तथा विलक्षणता के कारण प्रसिद्ध है। एस. के. बेकरे, एच. ए. रीड तथा एम. एफ. हुसैन आदि बंबई के अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे।

5. बड़ोदा यूनिवर्सिटी का आर्ट स्कूल : जी. आर. संतोष, गुलाम शेख, शांति देव आदि इस स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रत्येक विद्यार्थी का चित्र बनाने का अपना ही ढंग है। परन्तु प्रत्येक कलाकार के कार्य में आधुनिकता देखने को मिलती है।

6. मद्रास का कला स्कूल : यह स्कूल स्वतन्त्रता के बाद डी.आर. चौधरी तथा के.सी.एस. पानिकर के नेतृत्व में प्रफुलित हुआ। इस स्कूल के अन्य प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल, राम कुमार, के. जी.सुब्रामण्यम के नाम प्रसिद्ध है।

ऊपरलिखित के अतिरिक्त नेशनल गैलरी आफ मार्डन आर्ट में आधुनिक काल के नमूने देखने को मिलते है। कला एकेडमी ने अलग-अलग कलाकारों को छात्रवृत्ति, अनुदान आदि प्रदान कर कलाकारों को उत्साहित किया है।

कलाओं में परिवर्तन

कलाओं में विशेष रूप से संगीत, नृत्य तथा नाटक आदि शामिल है। अंग्रज़ों के भारत में आने से पूर्व इन क्षेत्रों में भारत की विरासत बहुत समृद्ध थी।

हमारे देश का प्राचीन संगीत, दोनों हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत स्कूल भारत की इस समृद्ध विरासत का उदाहरण है।

हमारे देश के लोक संगीत तथा लोक नृत्य प्रत्येक इन्सान में जोश भर देते है। उदाहरण के रूप में हमारा प्राचीन भारतीय नृत्य, कत्थक कली, कच्चीपुडी, कत्थक आदि।

हमारे रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक तथा कठपुतलियों के नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण भाग है। भारत में भिन्न-भिन्न तरह के संगीतज्ञ साज़ जैसे कि सितार, ढोलक, तूंबी, सरंगी, तबला आदि है। उन में से बांसुरी, शहनाई, अलगोज़े आदि वायु वाले साज़ है।

संक्षेप में हम कह सकते है कि कलाएं (नाटक, संगीत तथा उत्सव आदि) शानदार, अदभुत तथा भिन्न है। यह सभी साधारण मनुष्य की आय का साधन है।

भारत के महान कलाकार जैसे कि कुमार गंधर्व, रवि शंकर, रुकमणि देवी, रागिनी देवी, उदयशंकर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की।

मुम्बई तथा चेन्नई-एक अध्ययन

बंबई को वर्तमान में मुम्बई तथा मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। यह दोनों नगर अंग्रेज़ी शासन काल में प्रमुख प्रेजीडेंसियां बन गये थे। यह दोनों नगर शीघ्र ही राजनीतिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र बन गये थे। इन दोनों नगरों ने कलाओं- (संगीत तथा नृत्य आदि) की प्रस्तुति में बहुत उन्नति की।

बंबई (मुम्बई) : बंबई 1668 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन राजनीतिक, व्यापारिक गतिविधियों के स्थान पर सांस्कृतिक गतिविधियों की धुरी बन गया था। इस नगर को शाही संरक्षण मिलने से यहां कई नये स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना हुई। इन स्कूलों तथा कॉलेजों के द्वारा उत्तम शिक्षण सुविधायें प्रदान की गईं। सभी कलाएं –नृत्य, संगीत तथा नाटक का सर्वव्यापक विकास हुआ। नई लेखन कला के विकास होने से साहित्य के क्षेत्र में तीव्रता से विकास हुआ। इस के अतिरिक्त साहित्य, चित्रकारी तथा भवन निर्माण कला की नई किस्में विकसित हुई।

मुम्बई के भिन्न-भिन्न भवन निर्माण कला के नमूने आज भी हमें बस्तीवादी शासकों के प्राचीन समय की याद दिलाते है। यह सभी इमारतें भारतीय-यूरोपीयन शैली की बनी है।

प्रिंस आफ वेल्ज़ म्यूज़ियम : प्रिंस आप वेल्ज़ म्यूज़ियम को वर्तमान में 'छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय' कहा जाता है। यह गेट वे आफ इंडिया के निकट दक्षिणी मुम्बई में स्थित है। इस को 20वीं सदी के आरम्भ में प्रिंस आफ वेल्ज़ तथा बर्तानिया के शासक एडवर्ड सप्तम की भारत यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। जार्ज विलटेट जो प्रसिद्ध शिल्पकार तथा इंजीनियर थे, जिस को 1909 ई. में इस भवन का निर्माण करने के लिये नियुक्त किया गया था। उसने यह भवन 1915 ई. तक तैयार कर दिया था। इस अजायबघर की निर्माणकला कई भवन निर्माण सम्बन्धी तत्वों का मिश्रण है। इस प्रमुख भवन की तीन मंज़िल है तथा ऊपर गुम्बद बना हुआ है। इसकी बाहर निकली हुई बरामदें तथा जुड़े हुये फर्श मुगलों के महलों से मेल खाते है। इस में सिंध घाटी सभ्यता की कारीगरी के कार्य तथा प्राचीन भारत के स्मारकों के चिन्ह है।

गेटवे आफ इंडिया : गेटवे आफ इंडिया प्रिंस आफ वेल्ज़ म्युज़ियम के निकट अरब सागर के किनारे पर स्थित है। इसको जार्ज विलटेंट तथा जोन बैग ने तैयार किया था। यह 1911 ई. में जार्ज पंचम तथा राणी मैरी की भारत में दिल्ली दरबार की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था।

विक्टोरिया टर्मिनस : यह विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है जो 1888 ई. में तैयार किया गया था। इसका नाम बर्तानिया की शासिका रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। इसका डिज़ाईन प्रसिद्ध अंग्रेज़ शिल्पकार एफ. डब्लयू. स्टारस द्वारा तैयार किया गया था। इसको तैयार करने के लिये

लगभग 10 वर्ष का समय लगा था। मार्च 1996 ई. में इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दिया गया। 2 जुलाई 2004 ई. को इसको यूनेस्कों विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया।

बंबई की अन्य इमारतें : ऊपर लिखित भवनों के अतिरिक्त बंबई में और भी महत्वपूर्ण भवन– जनरल पोस्ट आफिस, म्युनंसिपल कार्पोरेशन, राजा भाई टावर, बंबई यूनीवर्सिटी, ऐलफइंस्टोन कॉलेज आदि है। यह सभी भवन 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरम्भ में बनाये गये थे।

मद्रास (चेन्नई)

पिछले अध्याय में बताया गया है कि मद्रास (चेन्नई) 1639 ई. में स्थानीय राजा से भूमि लेकर बसाया गया था। 1658 ई. में यह एक महानगर के रूप में प्रफुल्लित हुआ तथा यह एक प्रेजीडेंसी बना दिया गया था।

मद्रास (चेन्नई) नगर एक महानगर बन गया तथा यह राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र भी बन गया। दक्षिणी भारत की सभी तरह की कलाएं, जैसे कि संगीत तथा नृत्य आदि इस नगर में विकसित हुये। इस नगर में 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरम्भ में बहुत से भवनों का निर्माण किया गया। इसमें दर्शनीय स्थान निम्नलिखित है :-

मद्रास (चेन्नई) में समुंद्री तट : मद्रास (चेन्नई) में समुंद्री तट बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से मैरीना समुंद्री किनारा बहुत प्रसिद्ध है। यह लगभग 6 किलोमीटर लम्बा है। इसके सामने कई प्रमुख भवन स्थित है। वी. जी. पी. गोलडन बीच एक अन्य प्रसिद्ध बीच है। यहाँ खिलौना रेलगाड़ी होने के कारण अकसर बच्चों की भीड़ लगी रहती है।

फोर्ट सेंट जार्ज : फोर्ट सेंट जार्ज भारत में पहला अंग्रेज़ी किला था। यह 1639 ई. में बनाया गया था तथा इस का नाम सेंट जार्ज के नाम पर रखा गया। यह शीघ्र ही अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। यह अंग्रेज़ों का कर्नाटक क्षेत्र में प्रभाव कायम करने के लिये सहायक सिद्ध हुआ। वर्तमान में इस भवन में तामिलनाडु राज्य की विधान सभा तथा सचिवालय के कार्यलय मौजूद है। टीपू सुल्तान की तस्वीरें इस किले की चारदीवारी को सुसज्जित करती है।

वार मैमोरियल : इस वार मैमोरियल का सुन्दर भवन फोर्ट सेंट जार्ज के दक्षिण में स्थित है। यह 1939 ई. में चेन्नई में बनाया गया था। यह संसार के प्रथम युद्ध में शहीद हुये सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था।

हाई कोर्ट : 1892 ई. में चेन्नई के स्थान पर हाई कोर्ट की इमारत बनाई गई थी। यह दुनिया का दूसरा प्रसिद्ध न्यायिक भवन है। इस के गुम्बद तथा बरामदे भारतीय-यूरोपियन भवन निर्माण कला का उत्तम नमूना है।

ब्रिटिश काल के अन्य प्रसिद्ध भवन : ब्रिटिश काल के अन्य प्रसिद्ध भवन –जार्ज टावर, सैंट थामस, केथडरिल बैसीलिका, प्रेजीडेंसी कॉलेज, रिपन बिल्डिंग, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, दक्षिण रेलवे हैडक्वाटर्ज़ आदि है।

मद्रास हाई कोर्ट

याद रखने योग्य तथ्य

1. भारत में चित्रकारी, साहित्य, भवन निर्माण कला, संगीत एवं नृत्य तथा सिनेमा आदि कलाओं का शानदार प्राचीन इतिहास हैं।
2. 19वीं शताब्दी में बंगाली भाषा में काफी अधिक साहित्य की रचना की गई।
3. उपन्यासकार बंकिम चन्द्र चैटर्जी नें बंगाली भाषा में ''आनन्द मठ'' की रचना की। आनन्द मठ तथा उसमें लिखित गीत ''वन्दे मातरम्'' लोगों में बहुत प्रसिद्ध एवं सर्वप्रिय हुआ।
4. भारत में सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने ईसाई साहित्य को प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया।
5. प्रैस का विकास होने से बहुत से समाचार पत्र तथा मासिक पत्रिकाएँ छपनी शुरू हो गई।
6. 19वीं सदी से 20वीं सदीं में आधुनिक भारतीय साहित्य जैसे-उपन्यास, कहानी, कथा-साहित्य, लघु-वार्ता, काव्य रचना, नाटक तथा सिनेमा आदि का बहुत विकास हुआ।
7. रविन्द्र नाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ''कला भवन'' की स्थापना की।
8. लोक गीत एवं लोक नृत्य प्रत्येक मानव को जोश एवं उत्साह से भरपूर करते थे।
9. विकटोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया।
10. कोर्ट सैंट जार्ज भारत में पहला अंग्रेज़ी किला था?

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें -

1. 'आनन्दमठ' उपन्यास की रचना किसने की थी?
2. भारत में सब से पहला छापाखाना कब तथा किस ने शुरू किया?
3. बाल गंगाधर तिलक ने कौन से दो अखबारों का प्रकाशन करवाया?
4. बड़ौदा यूनिवर्सिटी के आर्ट स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखें।
5. मद्रास कला स्कूल के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम लिखें।
6. 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरम्भ में हुए साहित्य के विकास के बारे में नोट लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. 19वीं सदी में .... भाषा में बहुत से साहित्य की रचना की गई।

2. 'वन्दे मातरम्' का राष्ट्रीय गीत .... द्वारा रचा गया।

3. मुन्शी प्रेमचन्द ने .... तथा .... भाषा में कई उपन्यास लिखे।

4. अमृता शेरगिल तथा .... प्रसिद्ध चित्रकार थे।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (√) या गलत (×) का चिन्ह् लगाएं :

1. प्रिंस ऑफ वेल्ज़ म्यूज़ियम को आजकल "छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय" भी कहा जाता है। ☐
2. मैरीना समुद्री तट 10 किलोमीटर लंबा हैं। ☐
3. वार मैमोरियल विश्व के प्रथम युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया। ☐
4. आजकल फोर्ट सैंट जार्ज भवन में तमिलनाडू शासन की विधान सभा तथा सचिवालय के कार्यालय हैं। ☐

क्रियाकलाप (Activity) :

1. 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रीय गीत को चार्ट पर लिखें एवं उसे कंठस्थ करें।
2. राष्ट्रीय गान 'जन-गण-मन' का भी चार्ट तैयार करें।
3. पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य भंगड़े तथा गिद्दे के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

पाठ 18 राष्ट्रीय आन्दोलन, 1885-1919 ई.

1857 ई. में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध किये गये विद्रोह के बाद भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बहुत सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, जिनमें से बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बंबई प्रेजीडेंसी एसोसिएशन आदि प्रमुख थी। इन संस्थाओं का उद्देश्य सरकार से भारतीय राज्य-व्यवस्था से सुधार करने की मांग करना तथा भारतीय लोगों के लिये राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। इन संस्थाओं के बाद 1885 ई. में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। जिसने भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग लिया।

भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा होने के प्रमुख्य कारण

19वीं सदी के दूसरे मध्य में भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई।

राष्ट्रीय चेतना : राष्ट्रीय चेतना से भाव है किसी राष्ट्र के नागरिकों में पाई जाने वाली वह भावना जिससे उनको यह अनुभव हो कि वह सारे एक राष्ट्र के साथ सम्बन्ध रखते है।

1. 1857 ई. का विद्रोह : भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ी राज्य को समाप्त करने के लिये 1857 ई. में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। जिस को अंग्रेजों ने सख्ती से दबा दिया तथा वह भारतीय लोगों पर अत्याचार करने लगे। इसलिये भारत के लोगों में अपने देश को अंग्रेज़ी राज्य से मुक्त करवाने के लिये राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई।

2. प्रशासनिक एकता : अंग्रेज़ी सरकार ने सारे भारत में एक जैसी शासन प्रणाली तथा कानून व्यवस्था लागू की। इससे भारत के लोग अपने आप को एक देश के नागरिक समझने लगे तथा उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा हुई।

3. सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन : 19वीं सदी में भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में कई सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन शुरू हुये। इनमें से कुछ प्रमुख आन्दोलन जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, नामधारी आन्दोलन आदि के समर्थकों ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने सम्बन्धी लोगों में जागृति पैदा की जिसने राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया।

4. पश्चिमी शिक्षा तथा साहित्य के प्रभाव : विदेशी लेखक मिलटन, मिल, बर्न, रूसो, वाल्टेयर तथा मैकाले आदि विद्वानों के विचारों ने भारतीय लोगों में आज़ादी, समानता तथा भातृत्व की भावना तथा राष्ट्रीय चेतना पैदा की।

5. भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण : अंग्रेज व्यापारी अधिक से अधिक धन उपार्जित करने के लिये भारतीय लोगों से सस्ते भाव पर कच्चा माल खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे तथा वहां के कारखानों में तैयार किया गया माल भारत में लाकर महंगे मूल्य पर बेचते थे। परिणामस्वरूप भारत का धन, इंग्लैंड में जाने लगा तथा भारत के लोग निर्धन हो गए। इसलिए वह अंग्रेजों के विरूद्ध हो गए।

6. भारतीयों को उच्च नौकरियों पर नियुक्त न करना : अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों को योग्यता के अनुसार उच्च नौकरियों पर नियुक्त नहीं करती थी। इसके अतिरिक्त एक जैसी नौकरी करने वाले अंग्रेज कर्मचारियों से भारतीय कर्मचारियों को कम वेतन तथा भत्ता दिया जाता था। इसलिए उन लोगों ने भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के प्रयास किये।

7. भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य का प्रभाव : भारत में कई तरह के समाचार पत्र, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, दी ट्रिब्यून, केसरी आदि पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें छपने लगी जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई।

8. इल्बर्ट बिल का विरोध : गवर्नर जनरल लार्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पास करवाना चाहा। परन्तु अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। इससे भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गये।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना

मिस्टर ए. ओ. हयूम ने 28 दिसम्बर 1885 ई. में बंबई (मुम्बई) के स्थान पर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। वह एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आई. सी. एस. अधिकारी था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 1885 ई. तक बंबई (मुम्बई) में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसके सभापति वुमेश चन्द्र बैनर्जी थे। इस सम्मेलन में देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

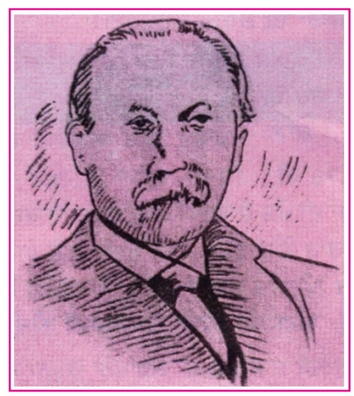

ए. ओ. हयूम

इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य

1. देश के भिन्न-भिन्न भागों में देश की भलाई के कार्य करने वाले लोगों से सम्पर्क तथा मैत्री कायम करना।
2. भारतीय लोगों में जातिवाद, प्रांतवाद तथा धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।
3. लोगों की भलाई के लिये सरकार के समक्ष मांग पत्र तथा प्रार्थना पत्र पेश करने।
4. देश में सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करने के लिये सुझाव इकट्ठे करने।
5. आने वाले 12 महीनों के लिये राष्ट्रवादियों द्वारा देश के हित के लिये किये जाने वाले कार्यों की रूप रेखा तैयार करना।

उदारवादी युग 1885-1905 ई.

दादा भाई नरौजी

1885 ई. से लेकर 1905 ई. तक राष्ट्रवादी आन्दोलन को उदारवादी युग कहा जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादी नेताओं जैसे फिरोज़शाह मेहता, दादा भाई नरौजी, सुरिन्द्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि के अधीन कार्य करती रही।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रमुख मांगें

1. केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं में भारतीय लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाये।
2. भारतीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च नौकरियों पर नियुक्त किया जाये।
3. देश में शिक्षा का प्रसार किया जाए।
4. प्रैस पर लगाये गये अवैध प्रतिबन्ध को हटाया जाये।
5. कार्यपालिका तथा विधानपालिका को एक-दूसरे से अलग किया जाये।
6. स्थानिक संस्थाओं का विकास किया जाये तथा उनको पहले से भी अधिक शक्तियां दी जायें।
7. भारत में भी इंग्लैंड की तरह आई. सी. एस. की परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाये।
8. सेना पर किये जा रहे खर्च को कम किया जाये।
9. किसानों से वसूल किये जा रहे भूमि कर की राशि घटाई जाये।
10. सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाये।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम

इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेता भाषण, प्रस्तावना तथा प्रार्थना पत्रों द्वारा अपनी मांगे सरकार के आगे पेश करते थे। वे कांग्रेस के प्रत्येक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज देते थे।

राष्ट्रीय आन्दोलन 1905-1918 ई.

बंगाल का विभाजन : 1905 ई. में लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेज़ों का यह विभाजन करने का उद्देश्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों में फूट डालना तथा राष्ट्रीय शक्ति को कमज़ोर करना था। जब सरकार ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो लोगों ने जगह-जगह पर जलसे, जलूस तथा हड़ताल की। बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन शुरू किया गया। बंगाल का विभाजन होने से कांग्रेस में गर्म दल तथा नरम दल दो शक्तिशाली दलों की स्थापना हुई।

> सुरिन्द्र नाथ, बैनर्जी के शब्दों में बंगाल की विभाजन की घोषणा से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह हमारे पर बिजली गिर पड़ी हो। हमने महसूस किया कि हमारा अपमान हुआ है, हमें परेशान किया गया है तथा हमारे साथ धोखा हुआ है।

स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन

1905 ई. में लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन से बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन शुरू हुआ। जिस का नेतृत्व सुरिन्द्र नाथ बैनर्जी, विपिन चन्द्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक आदि मुख्य नेताओं ने किया था। इस आन्दोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। भारत में कई स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।

गर्म का उत्थान

1905 ई. से 1919 ई. तक राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गर्म दल के नेताओं के हाथों में रहा। गर्म दल नेता सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने में असफल रहे। इसलिये कांग्रेस के नौजवान सदस्यों ने हिंसात्मक साधन अपनाने की मांग की।

1. 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति भी गर्म दल के विचारों को उत्साहित करने में सहायक हुई।
2. इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में रहने वाले भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिये भारत के राष्ट्रवादियों ने भारत को अंग्रेज़ी शासन से स्वतन्त्र करवाने के लिये क्रान्तिकारी आन्दोलन किये।
3. फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतन्त्रता के लिए युद्ध, इटली का एकीकरण आन्दोलन आदि का अध्ययन करने से भारतीय लोगों को अपने देश को स्वतन्त्र करवाने की प्रेरणा मिली। 1904-05 ई. में जापान तथा रूस में मध्य हुये युद्ध में जापान की विजय ने भारतीयों में अंग्रेजों से स्वतन्त्र होने की भावना पैदा की।

लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र पाल नेताओं ने उग्रवादी आन्दोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिये जगह-जगह सम्मेलन किये तथा भाषण दिये। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था,"स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे प्राप्त कर के रहूंगा।"

लाला लाजपत राय

बाल गंगाधर तिलक

विपिन चन्द्र पाल

विपिन चन्द्र पाल का कहना था, **''हम अंग्रेजों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते है। हम भारत में अपनी सरकार चाहते है।''**

नर्म दल तथा गर्म दल की नीतियों में अंतर

नर्म दल के नेता–दादा भाई नरौजी, सुरिन्द्र नाथ बैनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश (अंग्रेज़ी) शासन को भारतीयों के लिये वरदान समझते थे जबकि गर्म दल के नेता – विपिन चन्द्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ब्रिटिश राज्य को भारतीय लोगों के लिये श्राप समझते थे। नर्म दल के नेता प्रशासन में सुधार लाने के लिये सरकार को सहयोग देना चाहते थे जबकि गर्म दल के नेता भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे।

नर्म दल के नेता सरकार से अपनी मांगें प्रस्तावों तथा प्रार्थना पत्रों के द्वारा संवैधानिक ढंग से मनवाना चाहते थे। परन्तु गर्म दल वाले अपनी शक्ति द्वारा मांगें मनवाने को ठीक समझते थे।

आल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना

30 दिसम्बर 1906 ई. में मुस्लिम नेताओं ने आल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की अपनी पृथक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जिस की मुख्य मांग थी कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की जाये। 1909 ई. में सरकार ने मुस्लमानों की यह मांग स्वीकार कर ली।

इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट (1907 ई.)

1907 ई. में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत के स्थान पर सम्मेलन हुआ। इसमें नरम दल के नेताओं ने स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रस्तावों की निंदा की। गर्म दल के नेताओं को नरम दल के उद्देश्य तथा नीतियां पसंद नहीं थी। इसलिये उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर कार्य करना शुरू किया। परन्तु 1916 ई. में कांग्रेस के दोनों दलों के बीच पुनः समझौता हो गया।

क्रांतिकारी आन्दोलन

गर्म दल के नेताओं के भाषण, तथा गतिविधियों के कारण भारत के भिन्न–भिन्न भागों में क्रांतिकारी आन्दोलन शुरू हुआ। इसके मुख्य केन्द्र महाराष्ट्र, बंगाल तथा पंजाब आदि में थे।

पंजाब में क्रांतिकारी आन्दोलन के मुख्य नेता सरदार अजीत सिंह, पिंडीदास, सूफी अम्बा प्रसाद तथा लाल चन्द फलक आदि थे। इनके नेतृत्व में कई नगरों में हिंसक कार्यवाहियां हुईं। भारत के अतिरिक्त विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका तथा कैनेडा आदि में भी क्रांतिकारी आन्दोलन शुरू किये गये। जिसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड में स्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होमरूल सोसायटी की स्थापना की। यह सोसायटी क्रांतिकारियों के कार्य तथा गतिविधियों का केन्द्र बनी।

गदर पार्टी का आन्दोलन

सोहन सिंह भकना

बहुत से भारतीय अमेरिका और कैनेडा आदि देशों में बसे हुए थे। परन्तु वहां उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि जब तक उनका देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद नहीं होता तब तक उन्हें विदेशों में सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए 1913 ई. में अमेरिका और कैनेडा में रहने वाले भारतीयों ने सेनफ्रांसिसको (अमेरिका) में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया और लाला हरदयाल को इसका सचिव चुना गया। गदर पार्टी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 'गदर' नामक समाचार-पत्र छापना शुरू किया। इसमें अंग्रेजों के पिट्ठुओं को मारना, सरकारी खजाना लूटना, बम बनाना, रेलवे लाइनें तोड़ना, टेलीफोन की तारें काटना और सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उत्साहित करने से सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित की जाती थी।

याद रखने योग्य तथ्य

1. 19वीं सदी में भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी।
2. मिस्टर ए. ओ. ह्यूम ने 28 दिसम्बर 1885 ई. में बम्बई (मुम्बई) में इण्डियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना की।
3. 1885 ई. से 1905 ई. तक राष्ट्रवादी आन्दोलन को उदारवादी युग कहा जाता था।
4. 1905 ई. में लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका उद्धेश्य हिन्दू तथा मुस्लिम लोगों में फूट डालना तथा राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति को कमजोर करना था।
5. भारत में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन शुरू हो गए।
6. 1905 ई. से 1919 ई. तक राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गर्म दल के नेताओं ने किया।
7. 30 दिसम्बर 1906 ई. में मुस्लमान नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की।
8. 1913 ई. में सेनफ्रांसिसको (अमेरिका) में गदर पार्टी की स्थापना करके सोहन सिंह भकना को कैनेडा के भारतीयों ने प्रधान बनाया।
9. 1916 ई. में श्रीमती एनी बेसैंट ने मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होमरूल आन्दोलन की स्थापना की।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें :

1. इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां तथा किसकी प्रधानगी के अंतर्गत हुआ तथा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था?
2. बंगाल का विभाजन कब तथा किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ?
3. मुस्लिम लीग की स्थापना कब तथा किसने की थी?
4. गदर पार्टी की स्थापना कब, कहां तथा किस के द्वारा की गई?
5. स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन से आप क्या समझते हों ?
6. क्रांतिकारी आन्दोलन पर नोट लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. इण्डियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना मिस्टर ए. ओ. ह्यूम ने .... ई. में बम्बई में की।
2. लार्ड कर्जन ने .... ई. में बंगाल का विभाजन किया।
3. .... ने कहा कि "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा।"
4. इण्डियन नेशनल कांग्रेस का समागम सूरत में .... ई. में हुआ।

III. सही जोड़े बनाएं :

क	ख
1. होमरुल आन्दोलन	1. सोहन सिंह भकना
2. मुस्लिम लीग	2. सर सैय्यद अहमद खां
3. गदर पार्टी	3. 1916 ई.

क्रियाकलाप (Activity) :

इस पाठ से सम्बन्धित नेताओं की तस्वीरें अपनी स्क्रैप पुस्तक में लगाएं तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में लिखें।

पाठ 19 भारत का स्वतन्त्रता संग्राम : 1919-1947

महात्मा गांधी युग

महात्मा गांधी जी 1919 ई. में भारत के राजनीतिक मामलों में शामिल हुये। इसीलिये 1919 ई. से लेकर 1947 ई. तक आजादी प्राप्त करने के लिये जितने भी आन्दोलन किये गये उनका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसलिये इतिहास के 1919 ई. से 1947 ई. तक के समय को गांधी युग कहा जाता है।

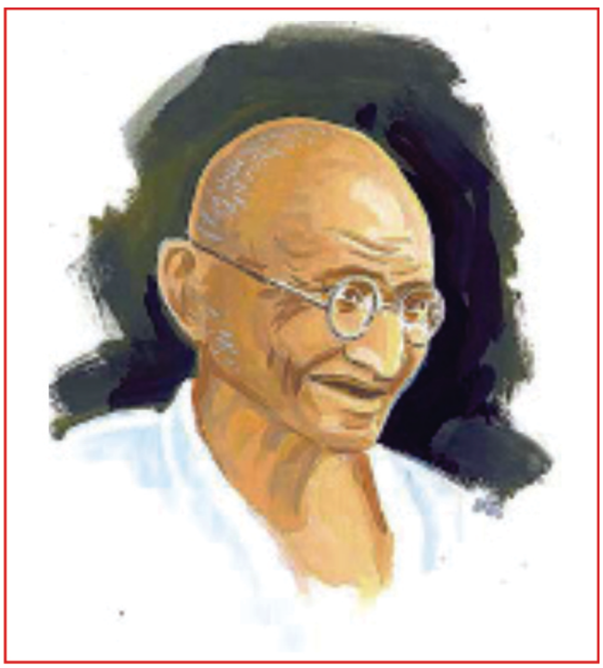

महात्मा गाँधी जी

महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 ई. को दीवान कर्म चन्द गांधी जी के घर काठियावाड़ (गुजरात) के नगर पोरबन्दर में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी दसवीं श्रेणी पास कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। 1891 ई. में इंग्लैंड से वकालत पास करने के पश्चात् वे भारत में वापिस आ गये।

1893 ई. में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गये। वहां गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज़ लोग वहां रह रहे भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। गांधी जी ने इसकी आलोचना की। 1915 ई. में गांधी जी भारत

वापिस आ गये। उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जिस में भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। इसलिये अंग्रेज़ों ने उनको प्रसन्न करने के लिए **मार्टेंग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट** जारी की। इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 ई. में एक एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में कहा गया – (1) भारत ब्रिटिश राज्य का ही अंग रहेगा। (2) भारत में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन कायम किया जायेगा। (3) राज्य व्यवस्था के प्रत्येक विभाग में भारतीय लोगों को शामिल किया जायेगा।

प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ किये वायदे को पूरा नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों की ओर से भारतीय लोगों के साथ किये गये अन्याय का विरोध करने के लिये असहयोग आन्दोलन शुरू किया। इसके अनुसार गांधी जी ने भारतीय लोगों को सरकारी कार्यलय, अदालतें, स्कूलों तथा कॉलेजों आदि का बहिष्कार (त्याग) करने के लिये कहा।

खादी तथा चरखा : गांधी जी ने ग्रामीण लोगों को खद्दर के वस्त्र पहनने तथा चरखे के साथ सूत कात कर कपड़ा तैयार करने के लिये कहा। उन्होनें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने तथा स्वदेशी (अपने देश) वस्तुओं का प्रयोग करने को कहा।

सैक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधिकारों की शक्तियों को कम कर दिया गया तथा उसके कौंसिल के सदस्य भी कम कर दिये गये।

1919 ई. के एक्ट अनुसार किये गये सुधार भारतीय लोगों को खुश न कर सके। इसीलिये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस एक्ट का विरोध करने के लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दिया।

रोल्ट एक्ट

अंग्रेज़ी सरकार ने भारतीय लोगों को खुश करने के लिये मांटेग्यु की रिपोर्ट के आधार पर 1919 ई. में एक एक्ट पारित किया। भारतीय लोगों ने इस एक्ट के कारण अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिये अंग्रेज़ी सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये 1919 ई. में रोल्ट एक्ट पास किया। इस एक्ट अनुसार ब्रिटिश सरकार बिना किसी वारंट जारी किये या बिना किसी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अदालत में अपील नहीं कर सकता था। पंडित मोती लाल नेहरू ने **''न अपील, न वकील, न दलील''** कहकर रोल्ट एक्ट की निंदा की।

जलियांवाला बाग हत्याकांड

1919 ई. के रोल्ट एक्ट के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये गांधी जी के कहने पर पंजाब में हड़ताल हुई, सम्मेलन किये गये तथा जलूस निकाले गये। 10 अप्रैल 1919 ई. को अमृतसर में प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर किचलु तथा डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय लोगों ने इस का विरोध करने के लिये जलूस निकाला। सरकार ने इस जलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया।

परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इससे गुस्से में आकर भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ अफसरों की हत्या कर दी। अंग्रेज़ सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये अमृतसर शहर को सेना के सपुर्द कर दिया। 13 अप्रैल 1919 ई. को (बैशाखी वाले दिन) अमृतसर में जलियांवाले बाग के स्थान पर रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिये लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुये थे। जनरल डायर ने इन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिये इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। परन्तु इस बाग का रास्ता तीनों ओर से बन्द था तथा चौथी ओर से रास्ते में सैनिक होने के कारण लोग वहीं घेरे गये। थोड़े समय में ही सारा जलियांवाला बाग खून तथा लाशों से भर गया। इस खूनी घटना के दौरान लगभग 1000 लोग मारे गये तथा 3000 से भी अधिक लोग घायल हो गये। इस हत्याकांड के समाचार से लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध रोष की भावना पैदा हो गई।

गतिविधि : 'जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ओर जानकारी इकट्ठा करें।

खिलाफत आन्दोलन तथा असहयोग आन्दोलन

प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज़ों ने तुर्की देश को कई भागों में बांट दिया तथा खलीफा को गिरफ्तार कर लिया। इसलिये भारत के मुस्लमान लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिये खिलाफत आन्दोलन शुरू किया। जिस का नेतृत्व शोकत अली, मुहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा अजमल खान ने किया। महात्मा गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दुओं तथा मुस्लमानों में एकता स्थापित करने के लिये इस आन्दोलन में हिस्सा लिया।

गतिविधि : क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कौन-से देशों के मध्य हुआ था?

असहयोग आन्दोलन - 1920 ई. में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिन्द उपाधि सरकार को लौटा दी। उन्होंने भारतीय लोगों को आन्दोलन में शामिल होने के लिये निवेदन किया। हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं जैसे कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ आदि में पढ़ना शुरू कर दिया था। अनगिनत भारतीय लोगों ने गांधी जी के कहने पर अपनी नौकरियों को छोड़ दिया तथा उपाधियों को सरकार को वापिस कर दिया। देश के सैंकड़ों वकीलों ने अपनी अदालतें छोड़ दीं जिनमें मोती लाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, आर.सी.दास., सरदार पटेल, लाला लाजपत राय आदि के नाम प्रसिद्ध थे। लोगों ने विदेशी कपड़ों का त्याग किया तथा चरखे द्वारा बने खादी वस्त्रों का प्रयोग किया।

सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये हज़ारों की संख्या में आन्दोलन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर के गांव चौरी-चौरा में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में लगभग 3000 किसान भाग ले रहे थे। यहां पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। उन्होंने क्रोधित होकर पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इसलिये महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ई. को **बारदोली** में असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया।

यद्यपि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया था। फिर भी इसका राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान था। इस आन्दोलन में भारत के लगभग सभी लोगों ने भाग लिया जिससे उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। स्त्रियों ने भी इसमें भाग लिया जिससे उनमें आत्म विश्वास पैदा हुआ। इस आन्दोलन के कारण कांग्रेस पार्टी लोगों में प्रसिद्ध हो गई।

1922 ई. में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया था। 1923 ई. में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये पंडित मोती लाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने **स्वराज पार्टी** की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेना तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना था। 1 नवम्बर 1923 ई. में केन्द्रीय असैंबली तथा विधान सभाओं के चुनाव में **स्वराज पार्टी** को महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन

1920 ई. से 1925 ई. के समय में पंजाब में गुरुद्वारों को महंतों के कब्जे से स्वतन्त्र करवाने के लिये गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन की स्थापना की गई। इस आन्दोलन को अकाली आन्दोलन भी कहा जाता है। क्योंकि अकालियों द्वारा ही गुरुद्वारों को स्वतन्त्र करवाया गया था। गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन को सफल बनाने के लिये अकाली दल ने कई मोर्चे लगाये जिनमें से कुछ मुख्य मोर्चों का संक्षेप वर्णन निम्नलिखित अनुसार है :-

मुख्य मोर्चे

1. ननकाना साहिब का मोर्चा – ननकाना साहिब गुरुद्वारे का महंत **नारायण दास** एक चरित्रहीन व्यक्ति था, जिसको निकालने के लिये 20 फरवरी 1921 ई. को सिक्खों का एक जत्था (समूह) ननकाना साहिब गुरुद्वारे पहुंचा। नारायण दास महंत के गुंडों ने जत्थे पर हमला कर दिया तथा जत्थे के नेता भाई लक्ष्मण सिंह तथा लगभग 130 सिक्खों को जीवित ही जला दिया गया। इस हत्याकांड का समाचार सुनकर सिक्ख भड़क उठे तथा उन्होंने मोर्चा लगा दिया। इस मोर्चे के प्रभाव को देखकर अंग्रेज़ी सरकार ने गुरुद्वारे का प्रबन्ध सिक्खों को सौंप दिया।

2. चाबियों का मोर्चा – अंग्रेज़ी सरकार के पास श्री हरिमंदिर साहिब (अमृतसर) के खजाने की चाबियां थी। 21 नवम्बर 1921 ई. को अकालियों ने सरकार से खजाने की चाबियां मांगी परन्तु सरकार ने मना कर दिया। इसलिये अकालियों ने सरकार का विरोध किया जिससे सरकार ने कई अकालियों को कैद कर लिया। परन्तु अकाली और जत्थे भेजते रहे। सरकार ने अकालियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। परन्तु अकालियों ने हिम्मत नहीं हारी। अंत सरकार ने 17 फरवरी 1922 ई. को अकालियों को चाबियां सौंप दी।

3. गुरु के बाग का मोर्चा – गुरु के बाग गुरुद्वारे का प्रबन्ध महंत सुन्दर दास के पास था जोकि चरित्रहीन व्यक्ति था। अगस्त 1921 ई. को अकालियों ने एक जत्था भेजकर गुरुद्वारे के प्रबन्ध को अपने हाथों में ले लिया। महंत सुन्दर दास ने पुलिस बुलाई जिसने अकालियों को गिरफ्तार कर लिया। परन्तु अकालियों ने जत्थे भेजने जारी रखे। अंत सरकार ने 17 नवम्बर 1922 ई. को गुरुद्वारे की चाबियां अकालियों को सौंप दी।

4. पंजा साहिब की घटना – जिस समय गुरु के बाग का मोर्चा चल रहा था तो उसमें भाग लेने वाले एक जत्थे को रेलगाड़ी द्वारा अटक की जेल भेजने के लिये ले जाया जा रहा था। पंजा साहिब के अकालियों ने इस जत्थे के अकालियों को लंगर खिलाने के लिये रेलगाड़ी रोकने के लिये कहा। परन्तु

सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो भाई प्रताप सिंह तथा भाई कर्म सिंह गाड़ी के आगे लेट गये तथा शहीद हो गये।

5. जैतों का मोर्चा – 1923 ई. में सरकार ने नाभा के महाराजा सरदार रिपुदमन सिंह को अकालियों की सहायता करने के अपराध में गद्दी से उतार दिया। अकालियों ने सरकार के विरुद्ध 21 फरवरी 1924 ई. को 500 अकालियों का जत्था भेजा। पुलिस ने जत्थे पर गोली चलाई। इससे 100 से अधिक अकालियों की मृत्यु हो गई तथा 200 अकाली घायल हो गये। अंत में 1925 ई. में सरकार ने जैतों के गुरुद्वारे को अकालियों के सपुर्द कर दिया।

साइमन कमीशन

अंग्रेज़ी सरकार ने 1919 ई. में सुधार एक्ट का अनुमान लगाने के लिये 1928 ई. में **साइमन कमीशन** भारत में भेजा, जिस के सात सदस्य अंग्रेज़ ही थे। इसलिये इसका विरोध काली झण्डियों तथा साइमन वापिस जाओ के नारों से किया गया। पुलिस ने इन आन्दोलन करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गये तथा उनकी मृत्यु हो गई।

क्रांतिकारी आन्दोलन

भारत को अंग्रेज़ी राज्य से स्वतन्त्र करवाने के लिये देश में क्रांतिकारी आन्दोलन शुरू किये गये। 1921 ई. में पंजाब में होशियारपुर के स्थान पर बब्बर अकाली आन्दोलन शुरू किया गया जिस का संस्थापक कृष्ण सिंह था। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था।

1926 ई. में भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा आदि ने लाहौर में **नौजवान भारत सभा** की स्थापना की। इस सभा ने 1928 ई. में लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। पुलिस ने क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज किया। इससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिये भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरू ने पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 ई. को भगत सिंह तथा बटुकेशवर दत्त ने दिल्ली में केन्द्रीय असैंबली हाल में बम फेंके तथा इन्कलाब के नारे लगाये। इसके बाद उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दे दी। सरकार ने 23 मार्च 1931 ई. को भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव को पुलिस अधिकारी सांडर्स को मारने के अपराध में फांसी दे दी।

सरदार भगत सिंह

पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव

31 दिसम्बर 1929 ई. को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 ई. को सारे भारत में स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया।

सविनय अवज्ञा-आन्दोलन

महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये महात्मा गांधी ने 1930-34 ई. तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया। उन्होंने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये नमक सत्याग्रह शुरू किया। 12 मार्च 1930 ई. को गांधी जी ने इस प्रस्ताव के आधार पर 78 साथियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से **डांडी** की ओर पैदल यात्रा शुरू की। 5 अप्रैल 1930 ई. को गांधी जी ने अरब सागर के किनारे पर स्थित डांडी गांव में समुद्र के खारे पानी से नमक तैयार कर नमक-कानून का उल्लंघन किया। उनकी नकल करते हुये सारे भारत में लोगों ने स्वयं नमक तैयार कर नमक-कानून का उल्लंघन किया। जहां नमक नहीं बनाया जा सकता था वहां अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। स्त्रियों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने शराब तथा विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिये। सरकार ने इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये इंडियन नेशनल कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तथा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कई स्थानों पर गोली चलाई। परन्तु सरकार इस आन्दोलन को दबाने में असफल रही।

गोलमेज़ कान्फ्रेंस

1930 ई. में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिये लंदन में पहली गोलमेज़ कान्फ्रेंस बुलाई, परन्तु यह कान्फ्रेंस का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने से असफल रही। 5 मार्च 1931 ई. में गांधी जी तथा लार्ड इरविन के बीच गांधी-इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करने तथा दूसरी गोलमेज़ कान्फ्रेंस में भाग लेना स्वीकार कर लिया। सितम्बर 1931 ई. में लंदन के स्थान पर दूसरी गोलमेज़ कान्फ्रेंस में गांधी जी ने केन्द्र तथा प्रांतों में भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले शासन को स्थापित करने की मांग की। परन्तु गांधी जी अपनी माँग मनवाने में असफल रहे। परिणामस्वरूप गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ई. को पुनः असहयोग आन्दोलन शुरू किया। इस लिए गांधी जी को कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

1932 ई. में अंग्रेज़ सरकार ने हरिजनों के लिये पृथक चुनाव प्रणाली कायम की जिस का गांधी जी ने विरोध किया। बाद में गांधी जी तथा हरिजन नेता डॉ. भीम राव अम्बेदकर के मध्य सितम्बर 1932 ई. को पूना के स्थान पर अनुसूचित जातियों की भलाई सम्बन्धी समझौता हुआ। 1932 ई. में लंदन के स्थान पर तीसरी गोलमेज़ कान्फ्रेंस हुई जिसमें भी कांग्रेस ने भाग न लिया। 1933 ई. में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया था तथा 1934 ई. में इसको पूर्ण रूप से वापिस ले लिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध तथा क्रिप्स मिशन

सितम्बर 1939 ई. को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जिस में अंग्रेज़ी सरकार ने भाग लेने के लिये घोषणा कर दी। कांग्रेस नेताओं ने इस घोषणा की आलोचना की तथा प्रांतीय विधान मंडलों में अपने त्याग

पत्र दे दिये। इसलिये अंग्रेज़ी सरकार ने मार्च 1942 ई. को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। उसने कांग्रेस के नेताओं के सामने कुछ सुझाव रखे जो उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके।

मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग

23 मार्च 1940 ई. को मुस्लिम लीग ने लाहौर के स्थान पर अपने सम्मेलन में हिन्दू तथा मुस्लमान दो अन्य समुदाय होने के आधार पर स्वतन्त्र पाकिस्तान की मांग की। अंग्रेज़ों ने भी मुस्लिम लीग को इस सम्बन्ध में सहयोग दिया क्योंकि वह राष्ट्रीय आन्दोलन को कमज़ोर करना चाहते थे।

भारत छोड़ो आन्दोलन

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 8 अगस्त 1942 ई. को महात्मा गांधी जी ने **भारत छोड़ो आन्दोलन** आरम्भ किया। सरकार ने 9 अगस्त 1942 ई. को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर क्रोध में आकर लोगों ने जगह-जगह पर पुलिस थानों, सरकारी भवनों, डाकखानों तथा रेलवे स्टेशनों आदि को हानि पहुंचाई। परन्तु अंग्रेज़ी सरकार आन्दोलनकारियों को दबाने में सफल न हो सकी।

आज़ाद हिन्द फौज

सुभाष चन्द्र बोस

सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आन्दोलन के एक अन्य प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने 1939 ई. में महात्मा गांधी जी के साथ विचारों का मतभेद हो जाने से कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। मार्च 1941 ई. को सुभाष चन्द्र बोस भारत से बाहर चले गये। 1943 ई. में वह टोक्यो (जापान) पहुंच गये। उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से स्वतन्त्र करवाने के लिये आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। इसमें दूसरे विश्व युद्ध में जापान द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय सैनिक शामिल थे। सुभाष चन्द्र बोस ने **'दिल्ली चलो', ''तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा''** तथा **''जय हिन्द''** आदि के नारे लगाये। परन्तु 1943 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हुई। इसलिये आजाद हिन्द फौज भारत को स्वतन्त्र करवाने में असफल रही। इसके नेता सुभाष चन्द्र बोस की 1945 ई. में एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को कैद कर लिया। इसलिये भारतीय लोगों ने सारे देश में हड़तालें की तथा सम्मेलन किये। अंत में अंग्रेज़ों ने आजाद हिन्द फौज के सारे सैनिकों को रिहा कर दिया।

केबिनेट मिशन

जवाहरलाल नेहरू

मार्च 1946 ई. को अंग्रेज़ सरकार ने तीन सदस्यों का केबिनेट मिशन भारत में भेजा। इसका प्रधान लार्ड पैथिक लारेंस था। इस मिशन ने भारत को दी जाने वाली राजनैतिक शक्ति की धाराओं के बारे भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इसने भारतीय संविधान तैयार करने के लिये एक संविधान सभा स्थापित करने के लिये अंतरिम सरकार की स्थापना करने का

सुझाव दिया। इसके सुझाव अनुसार सितम्बर 1946 ई. को कांग्रेस नेताओं ने जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम केबिनेट स्थापित की। 15 अक्तूबर 1946 ई. को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई।

भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट, 1947 तथा भारत का विभाजन

20 फरवरी 1947 ई. को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लार्ड एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 ई. को अंग्रेज़ सरकार भारत को स्वतन्त्र कर देगी। 3 मार्च 1947 ई. को लार्ड माऊंट बेटन ने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। उसने कहा भारत के दो भाग – भारत और पाकिस्तान बना दिये जायेंगे। कांग्रेस नेताओं ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया।

18 जुलाई 1947 ई. को ब्रिटिश (अंग्रेज़) संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट पारित किया। परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 ई. को भारत से अंग्रेज़ी राज्य समाप्त हो गया तथा भारत स्वतन्त्र हो गया। परन्तु इससे देश के दो हिस्से हो गये। एक का नाम भारत देश तथा दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा गया।

याद रखने योग्य तथ्य

1. 1915 ई. में महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से वापिस भारत लौट आए।
2. 1919 ई. में गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया।
3. जनरल डॉयर ने 13 अप्रैल, 1919 ई. को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए सैंकड़ों लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जिससे लगभग 1000 लोग मारे गए तथा 3000 से अधिक लोग घायल हो गए।
4. ख़िलाफ़त आन्दोलन में महात्मा गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय मुस्लिमों का साथ दिया।
5. 1920 ई. में महात्मा गांधी ने पंजाब के लोगों तथा तुर्की के खलीफा पर हो रहे अन्याय तथा अत्याचारों के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन में शामिल होकर लोगों ने सरकारी नौकरियों, उपाधियों तथा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को प्रारंभ किया गया।
6. 1920 ई. से 1925 ई. दौरान पंजाब में गुरुद्वारा सुधार लहर चली। गुरुद्वारों को महंतों के कब्जे (अधिकार) से मुक्त करवाने के लिए अकालियों ने कई मोर्चे लगाए तथा अन्त में सफल हुए।
7. 1922 ई. में चौरी-चौरा की घटना के उपरांत असहयोग आन्दोलन को वापिस ले लिया गया।
8. 1928 ई. में साईमन कमीशन का भारतीयों ने काली झण्डियां दिखाकर विरोध किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
9. 23 मार्च, 1931 ई. को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरू को फांसी की सजा दी गई।

10. 1929 ई. के इण्डियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। 26 जनवरी, 1930 ई. को पूरे भारत में स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया।

11. 1930 ई. में गांधी जी द्वारा डांडी मार्च तथा 5 अप्रैल 1930 ई. को नमक कानून तोड़ा गया।

12. 1934 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापिस ले लिया गया।

13. 1940 ई. में मुस्लिम लीग द्वारा स्वतन्त्र पाकिस्तान की मांग की गई।

14. 1940 ई. में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किया गया।

15. 1943 ई. में सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आजाद हिन्द फौज की स्थापना की गई। 1945 ई. में सुभाष चन्द्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

16. मार्च 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भारत में आया।

17. 15 अगस्त 1947 ई. को भारत की स्वतन्त्रता तथा भारत का दो भागों – भारत व पाकिस्तान में विभाजन हो गया।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें :

1. महात्मा गांधी जी किस देश से तथा कब वापिस आये ?
2. सत्याग्रह आन्दोलन से क्या भाव है ?
3. जलियां वाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ ?
4. असहयोग आन्दोलन के अंतर्गत वकालत छोड़ने वाले तीन व्यक्तियों के नाम बताएं।
5. साइमन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हो ?
6. भारत छोड़ो आन्दोलन क्या था ?
7. आज़ाद हिन्द फौज पर नोट लिखें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. महात्मा गांधी जी ने रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पूरे देश में .... आन्दोलन शुरू किया।
2. महात्मा गांधी जी ने .... ई. में असहयोग आन्दोलन को समाप्त कर दिया।
3. ननकाना साहिब गुरुद्वारे का महंत .... एक चरित्रहीन व्यक्ति था।

4. 1928 ई. में भेजे गए साइमन कमीशन के .... सदस्य थे।

5. 26 जनवरी 1930 ई. को सम्पूर्ण भारत में .... दिवस मनाया गया।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (✓) या गलत (×) का चिन्ह लगाए :

1. असहयोग आन्दोलन अधीन महात्मा गांधी जी ने अपनी "केसरी हिन्द" उपाधि सरकार को वापिस कर दी। ☐
2. स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ☐
3. नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ई. में भगत सिंह एवं उसके साथियों ने की थी। ☐
4. 4 अप्रैल, 1930 ई. को महात्मा गांधी जी ने डांडी गाँव में समुद्री पानी से नमक तैयार करके नमक कानून की अवज्ञा की। ☐

IV. सही जोड़े बनाएं :

क	ख
1. अहिंसा	1. महाराजा रिपुदमन सिंह
2. भारत छोड़ो आन्दोलन	2. महात्मा गांधी
3. क्रान्तिकारी लहर	3. 8 अगस्त 1942
4. जैतो का मोर्चा	4. सरदार भगत सिंह

पाठ 20
स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत

1947 ई. के पश्चात् राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विकास

भारतीय संविधान सभा ने जुलाई 1946 ई. को नये संविधान का निर्माण आरम्भ किया जो 26 नवम्बर 1949 ई. को पूर्ण हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतन्त्र हुआ था। परन्तु देशी रियासतों का एकीकरण करना भारत के लिये एक समस्या थी। इस समस्या का सरदार पटेल ने बहुत अच्छे ढंग से समाधान किया। इसके बाद 1956 ई. में भारत के राज्यों का पुर्नगठन किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने उद्योग तथा कृषि का बहुत विकास किया जिसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

संविधान का निर्माण : स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने संविधान का निर्माण करना आरम्भ किया। इसीलिये एक सात सदस्यों की कमेटी स्थापित की गई जिसको संविधान का दस्तावेज तैयार करने का कार्य सौंपा गया। डॉ. भीम राव अम्बेदकर को इस कमेटी का प्रधान बनाया गया। इस कमेटी ने 21 फरवरी 1948 ई. को संविधान का दस्तावेज तैयार करके सभा में प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज पर 4 नवम्बर 1948 ई. को वाद

डॉ. भीम राव अम्बेदकर

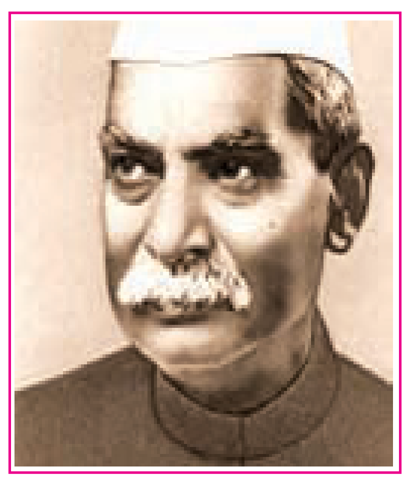

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

विवाद शुरू हुआ जिसके लिये सभा को 11 सम्मेलन बुलाने पड़े। इस वाद विवाद के समय 2473 शर्तें प्रस्तुत की गईं जिनमें से कुछ स्वीकार कर ली गईं। **26 नवंबर 1949 ई. को संविधान पारित हो गया जिसको 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया।** इस अनुसार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया।

देशी रियासतों का एकीकरण : स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत को बहुत–सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से एक समस्या देशी रियासतों की थी जिनकी संख्या 562 थी, जिन पर भारतीय राजा राज्य करते थे। 1947 ई. के एक्ट के अनुसार इन रियासतों को अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम रख सकते थे या किसी राज्य में (भारत या पाकिस्तान) अपनी इच्छा के अनुसार शामिल हो सकते थे। इसलिये इन देशी रियासतों के राजा स्वतन्त्र रहना पसंद करते थे। परन्तु स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सूझ–बूझ से सभी देशी रियासतों के राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिये सहमत कर लिया। इनमें से छोटी रियासतों को प्रांतों में मिला दिया गया। कुछ अन्य रियासतें जो सांस्कृतिक पक्ष से एक दूसरे के साथ मेल खाती थी तथा जिनकी सीमाएं भी एक–दूसरे के साथ लगती थी, को इकट्ठा करके राज्य बना दिया गया जैसे कि काठियावाड़ की रियासतों के साथ सौराष्ट्र, पटियाला, नाभा, फरीदकोट, जींद तथा मलेरकोटला रियासतों को इकट्ठा करके पैप्सू राज्य बनाया गया।

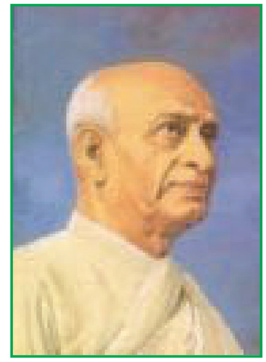

सरदार वल्लभ भाई पटेल

हैदराबाद रियासत के निज़ाम उसमान अली खान ने भारतीय संघ में शामिल होने से इन्कार कर दिया। इसलिये 13 सितम्बर 1948ई. को हैदराबाद में भारतीय पुलिस भेजी गई। परिणामस्वरूप 17 सितम्बर 1948ई. को हैदराबाद की रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

इस तरह से जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। परन्तु 20 फरवरी 1948 ई. को जनमत संग्रह हुआ जिसमें जनता ने भारत के साथ मिलने की इच्छा प्रकट की। इसीलिये जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

इस तरह से कश्मीर रियासत का राजा भी स्वतन्त्र रहना चाहता था। परन्तु पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। कश्मीर के शासक ने भारत से सहायता मांगी तथा अपने राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के लिये अनुरोध किया। भारत सराकर ने कश्मीर के शासक के निवेदन को स्वीकार कर लिया तथा भारतीय सेना कश्मीर पहुंच गई। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, परन्तु पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत से भाग पर कब्जा कर लिया।

भारतीय सरकार ने अनुभव किया कि छोटे राज्यों का कम विकास होगा। इसलिये उन्हें साथ जुड़े राज्यों में शामिल कर लिया गया। बड़ौदा बम्बई (मुम्बई) प्रांत में शामिल कर लिया गया। कई छोटे–छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एक राज्य की स्थापना की गई।

मार्च 1948 ई. में भरतपुर, धौलपुर, अलवर तथा करौली आदि रियासतों को इकट्ठा करके एक संघ बना दिया गया। इसके बाद राजस्थान संघ भी बनाया गया जिसमें बूंदी, तलवाड़ा प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, कोटा, किशनगढ़ आदि रियासतें शामिल की गई।

फ्रांसीसी तथा पुर्तगालियों के अधीन भारतीय क्षेत्रों को स्वतन्त्र करवाना

भारत के गोआ, दमन तथा दिऊ के क्षेत्रों में पुर्तगाली राज्य करते थे। इस तरह से पांडेचरी, चन्द्रनगर

तथा माही के क्षेत्रों में फ्रांसीसी राज्य करते थे। 1954 ई. में फ्रांस ने अपने भारतीय क्षेत्र भारत के सपुर्द कर दिये परन्तु पुर्तगालियों ने ऐसा नहीं किया। इसलिये भारत सरकार को पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। परिणामस्वरूप 20 दिसम्बर 1961 ई. को गोआ, दमन तथा दिऊ, दादरा तथा नगर हवेली पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 30 मई 1987 ई. को गोआ को एक राज्य बना दिया गया। दमन तथा दिऊ को केन्द्र शासित प्रदेश का स्तर दिया गया।

राज्यों का पुनर्गठन

अंग्रेज़ों के राज्य के समय ही भारतीयों ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करनी आरम्भ कर दी थी। भारत के स्वतन्त्र होने पर तेलगु भाषा बोलने वाले एक रामुलू नाम के व्यक्ति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूरी करवाने के लिये आमरण व्रत रखा जिसकी भूख से मृत्यु हो गई। इसलिये संविधान में संशोधन करके तेलगु भाषा बोलने वाले क्षेत्र को मद्रास से अलग कर उसका नाम आंध्रा प्रदेश रखा गया। इसी तरह शेष राज्यों का पुनर्गठन करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जिसके तीन सदस्य थे। कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नवम्बर 1956 ई. को राज्यों का पुनर्गठन कर 6 केन्द्रीय शासित प्रदेश तथा 14 राज्यों का निर्माण किया गया।

भारत की विदेश नीति

भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् शांतिपूर्वक सहयोग सिद्धांत पर आधारित अद्‌भुत विदेशी नीति अपनाई। भारत सारे संसार के देशों की प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का सम्मान करता है। भारत इस बात में विश्वास करता है कि सभी धर्मों, राष्ट्रों तथा जातियों के लोग समान हैं। यह देश उन देशों के विरुद्ध थे जिनकी सरकारें रंग, जाति या श्रेणी के आधार पर लोगों से भेदभाव करती थी। उदाहरण के तौर पर भारत दक्षिणी अफ्रीका की सरकार का अफ्रीका के मूल निवासियों तथा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव वाले व्यवहार करने का विरोध करता है। भारत इसमें भी विश्वास करता है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतमय ढंग से किया जा सकता है।

पंचशील

भारत ने 1954 ई. में चीन के प्रधानमंत्री चाउ-इन-लाई के साथ एक समझौता किया। यह समझौता पंचशील के पांच सिद्धांतों पर आधारित था जोकि निम्नलिखित हैं-

1. शांतिमय सह-अस्तित्व स्वीकार करना।
2. परस्पर आक्रमण न करना।
3. एक दूसरे के मामलों में हस्ताक्षेप न करना।
4. परस्पर हितों के लिये समानता तथा सहयोग।
5. एक दूसरे देश की अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना।

बंदूग कान्फ्रेंस : 1955 ई. में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इंडोनेशिया में बंदूग के स्थान पर एफरो ऐशियाई कान्फ्रेंस में भाग लिया। इसमें चीन के चाउ–इन–लाई तथा इंडोनेशिया के सुकारनो, एशिया तथा अफ्रीका के देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पंचशील के बारे में विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन : दूसरे विश्व युद्ध के शीघ्र ही बाद संसार के मुख्य देश एक दूसरे का विरोध करने के आधार पर दो गुटों में विभाजित हो गये। पहला गुट जिसका नेता अमेरिका था, को पश्चिमी ब्लाक कहा जाता था। दूसरा ग्रुप जिसका नेता रूस था, को पूर्वी ब्लाक कहा जाता था। दोनों गुटों के मध्य भयंकर शीत युद्ध हुआ। इसके साथ–साथ सैनिक समझौते तथा संधियां जैसे कि दक्षिणी–पूर्वी एशिया संधि संगठन ने भी अलग–अलग देशों के लोगों को विभाजित कर दिया। भारत किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहता था।

इसलिये भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर **गुट–निरपेक्ष** आन्दोलन शुरू किया, जिसके पितामह पंडित जवाहर लाल नेहरु, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन 1961 ई. में शुरू किया गया। यह पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित था। इसके सभी सदस्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका पहला सम्मेलन 1961 ई. में बेलग्रेड में हुआ। आरम्भ में 25 देश इसके सदस्य थे। अब 100 से अधिक देश इसके सदस्य है। भारत सदैव इसका सक्रिय सदस्य रहा है।

सार्क (SAARC) : 1985 ई. में सार्क (South Asian Association for Regional Co-operation) की स्थापना की गई। जिसका अर्थ है प्रादेशिक सहयोग के लिये दक्षिणी–एशियाई सभा। इसका उद्देश्य दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य शांति तथा आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना। भारत सार्क में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत तथा यू.एन.ओ. : यू.एन.ओ. के सदस्यों में भारत एक सक्रिय सदस्य है। भारतीय सेनाओं ने यू.एन.ओ. के द्वारा कोरिया तथा अन्य कई देशों में आयोजित किये गये शांति स्थापित करने वाले मिशनों में सेवा की। भारतीय लोगों ने यू.एन.ओ. की बहुत–सी विशेष संस्थाओं तथा एजंसियों में भी अपना योगदान दिया है। भारत सुरक्षा कौंसिल का भी सदस्य है। भारत ने भी यू.एन.ओ. से बहुत सहायता प्राप्त की है।

भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं

अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। यहां तक कि अब भी भारत बहुत सी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है जोकि भारत की उन्नति तथा विकास के मार्ग में बाधा बनी हुई है। यह प्रमुख समस्यायें – साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, गरीबी, बेरोज़गारी, निरक्षरता तथा जनसंख्या की वृद्धि है।

साम्प्रदायिकता : भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके अलग–अलग धार्मिक विश्वास है। इन्होंने साम्प्रदायिक दंगे उत्पन्न किये है। बहुत से लोगों का विचार है कि सरकार को कुछ कम संख्या वाले लोगों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन

सिंह ने 9 दिसम्बर 2006 ई. को भाषण में कहा था, "हम देश के विकास का बनता भाग कम संख्या वाले लोगों को देने के लिये योजनाओं में परिवर्तन करने की योजना बनाएंगे।"

निरक्षरता : लगभग 230 मिलीयन से भी अधिक भारतीय लोग निरक्षर है। प्रत्येक 100 स्त्रियों में से 60 निरक्षर हैं। भारत सरकार देश में निरक्षरता को समाप्त करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संविधान में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का सुझाव सम्मिलित है। भारत सरकार अपने देश के गरीब तथा होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (वजीफा) देती है।

भारत सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी आयोजित करती है। 2 अक्तूबर 1978 ई. को राष्ट्रीय बालिग शिक्षा प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। 1988 ई. में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। देश के बहुत से भागों में बालिग शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये। अनपढ़ प्रौढ़ों के फायदे के लिये आल इंडिया रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा निरंतर शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इन सबका उद्देश्य है प्रत्येक इन्सान को शिक्षित बनाना।

जातिवाद : जातिवाद की समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये एक अन्य समस्या बनी हुई है। उच्च जाति के लोग सदैव निम्न जाति के लोगों को घटिया नज़र से देखते हैं। संविधान की 17वीं धारा के अंतर्गत किसी भी रूप में छूत-छात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

भाषावाद : हमारे देश में अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति अपनी भाषा को दूसरों की भाषा से बढ़िया मानते हैं। परन्तु हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिये।

गरीबी की समस्या : गरीबी की समस्या भारत की उन्नति के मार्ग में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। गरीबी के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, कम कृषि उत्पादन तथा बेरोज़गारी है। 1947 ई. से सरकार गरीबी समाप्त करने के बहुत से प्रयास कर रही है।

बेरोज़गारी की समस्या : हमारे देश में बेरोज़गारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार की ओर से कई प्रयास किये जा रहे है। सेवा निवृत्त सैनिकों, शिक्षित बेरोज़गारों आदि को ऋण देकर उनको अपने कोई व्यवसाय खोलने के लिये उत्साहित किया जा रहा है। गांवों में सहायक व्यवसाय जैसे कि भैंसे, मुर्गियां, सुअर, शहद की मक्खियां आदि का पालन करने के लिये प्रशिक्षण तथा ऋण की सुविधायें आदि दी जा रही है।

महंगाई की समस्या : आज महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है। परन्तु इसने भारत में एक विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रतिदिन मूल्य बढ़ रहे हैं। इसलिये इस पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को चाहिये कि देश में वे योजनाएं लागू की जायें जो आम लोगों के लिए लाभदायक हो।

बढ़ रही जनसंख्या से पैदा हुई समस्याओं का समाधान सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। डॉक्टरों के नेतृत्व में लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है। साथ-साथ प्रचार के द्वारा लोगों को जनसंख्या की वृद्धि से परिवार तथा देश के लिये पैदा हुये संकट से भी परिचय करवाया जा रहा है।

आर्थिक तथा औद्योगिक विकास

भारत के विभाजन से आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। भारत का गेहूं तथा चावलों की सिंचाई योग्य कृषि भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। इसलिये भारत में अनाज की कमी हो गई। इस तरह से पटसन तथा कपास उगाने वाले कई एकड़ भूमि क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गये। इसलिये भारत को पटसन तथा कपड़ा उद्योगों में कच्चे माल की कमी है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास शुरू किये। 1950 ई. में भारतीय सरकार ने योजना कमीशन स्थापित किया।

कृषि : भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी कृषि के योग्य भूमि के 75 प्रतिशत भाग पर खाद्यान उत्पादन की बिजाई होती है। इनमें चावल, गेंहू, मक्की, सरसों, मूंगफली, गन्ना आदि महत्वपूर्ण खाद्यान फसलें है। भारत ने कृषि का विकास करने के लिये कई मुख्य दरियाओं के आर-पार बांध बनाये हैं। जैसे कि भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट, दामोदर-घाटी प्रोजेक्ट, हरीके प्रोजैक्ट, तुंगभदरा प्रोजैक्ट तथा नागार्जुन सागर प्रोजैक्ट आदि।

किसानों को कृषि करने के नये ढंग सिखाये गये है। उन्होंने सिंचाई के आधुनिक ढंग अपना लिये है। सरकार किसानों को बढ़िया किस्म के बीज तथा खाद भेजती है। गरीब किसानों को बैंकों के द्वारा ऋण दिये जाते है। इस तरह से सरकार किसानों की दशा सुधारने का प्रयास कर रही है।

उद्योग : स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग के उपकरण, बिजली का सामान, कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर से संबंधित उपकरण, दवाईयां बनाने तथा कृषि करने के औज़ार जैसे कि ट्रैक्टर आदि बनाने के नये कारखाने शुरू किये गये। भारत में बहुत-सी विदेशी कम्पनियों ने बड़ी-बड़ी फैक्टरियां स्थापित कर ली है। यह फैक्टरियां भारत के बहुत सारे निपुण तथा अर्ध निपुण कार्य करने वालों को रोज़गार देती है।

भारत के दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध

भारत संसार के सभी देशों विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा रीति-रिवाजों का सम्मान करता है। यह चाहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग से समाधान किया जाये।

भारत तथा पाकिस्तान : पाकिस्तान हमारे भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। भारत इसके साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। देशी रियासत कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण करने को पाकिस्तान द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। कश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य झगड़े का कारण बना हुआ है। भारत तथा बहुत से अन्य देशों तथा यू.एन.ओ. समेत संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद भी कश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य झगड़े का कारण बना हुआ है। कश्मीर समस्या के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन प्रमुख तथा कई छोटे-छोटे युद्ध भी किये है। उनमें से 1999 ई. में कारगिल का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है।

1971 ई. में भारत–पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैड.ए. भुट्टो के मध्य 1972 ई. शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य भारत–पाकिस्तान के मध्य सभी झगड़ों का शांतिपूर्वक समाधान करना था। इसी उद्देश्य के साथ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर के स्थान पर समझौता हुआ। अब से कुछ वर्ष पूर्व दोनों देशों के बीच बस तथा रेल सेवाएं शुरू की गई है। इन सेवाओं द्वारा दोनों देशों के लोगों के मध्य मैत्री सम्बन्ध कायम हुए है।

भारत तथा चीन : प्राचीन काल से ही भारत तथा चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने हुये है। व्यापार तथा बुद्ध धर्म के कारण यह दोनों इकट्ठे रहे है। 1949 ई. में जब चीन में कम्यूनिस्ट क्रांति आई तो नई सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से भारत प्रथम देश था। भारत ने यू.एन.ओ. के सदस्य के रूप में चीन का समर्थन किया। भारत ने चीन के साथ 1954 ई. में पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित के समझौता किया। 1962 ई. में सीमांत झगड़ों के कारण भारत तथा चीन के मध्य एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात् कई वर्षों तक दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे थे। 1980 ई. में भारत तथा चीन देशों के सम्बन्धों में सुधार हुआ था। भारत तथा चीन देशों के प्रधानमंत्रियों ने निरंतर मीटिंगों द्वारा बहुत सी साधारण कठिनाइयों के बारे विचारों का आदान–प्रदान किया।

भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्बन्ध

भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध समान तथा साधारण नहीं रहे है। दोनों देशों के सम्बन्धों के बिगड़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित है–

1. संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को आवश्यकता से अधिक सैनिक सहायता देनी आरम्भ कर दी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, परन्तु संयुक्त राज्य ने इसकी कोई परवाह नहीं की।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बनाये गये सैनिक गुटों का पाकिस्तान भी सदस्य बना है। परन्तु भारत ने इन गुटों में शामिल होने से इन्कार कर दिया।
3. 1971 ई. में जब भारत–पाकिस्तान युद्ध हुआ तथा बंग्लादेश का निर्माण होने लगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के समय पाकिस्तान के पक्ष में हस्ताक्षेप करने का प्रयास किया जो भारत को बहुत बुरा लगा।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान में सैनिक केन्द्र स्थापित किये है। हिन्द महासागर में डीगो–गार्शिया द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक छावनियाँ स्थापित की। भारत अपनी सुरक्षा के कारण इन छावनियों का कड़ा विरोध करता है।
5. भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु शक्ति के विषय पर काफी मतभेद है। भारत परमाणु शक्ति का विकास कर रहा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका विरोध करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को परमाणु ईंधन देना बंद कर दिया है।
6. भारत ने परमाणु–गैर–प्रसारन संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि यह नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। यह संधि भेदभाव करती है। यह संधि उन देशों को परमाणु शक्ति बनाने की मनाही करती है

जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है। इसके विपरीत परमाणु शक्ति वाले देशों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता।

निसंदेह ऊपरलिखित तथ्यों तथा परिस्थितियों ने भारत तथा अमेरिका के परस्पर सम्बन्धों में तनाव पैदा किया है। परन्तु इसके बावजूद भी दोनों देशों के सम्बन्ध अधिक खराब नहीं हुये। आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे को भारी सहयोग दिया है। 1993 ई. में बिल किलंटन के राष्ट्रपति बनने से भारत तथा संयुक्त राज्य के परस्पर सम्बन्धों में सुधार हुआ। आर्थिक पक्ष से भी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की सहायता करता रहा है। हमें निकट भविष्य में और भी अच्छे सम्बन्धों की आशा है।

याद रखने योग्य तथ्य

1. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।

2. भारत के प्रथम गृह-मन्त्री सरदार वल्लभ-भाई पटेल ने सभी देसी रियासतों के राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया।

3. 17 सितम्बर, 1948 ई. को हैदराबाद की रियासत को पुलिस भेजकर भारतीय संघ में शामिल किया गया।

4. 20 फरवरी, 1948 ई. को जनमत संग्रह करवा करके जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया।

5. राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए नियुक्त किए गए कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नवंबर, 1956 ई. को राज्यों का पुनर्गठन करके 6 केन्द्र शासित प्रदेश तथा 14 राज्यों को बनाया गया।

6. 20 दिसम्बर, 1961 ई. को गोआ, दमन तथा दीऊ, दादर एवं नगर हवेली आदि पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया।

7. गुट निरपेक्ष लहर की पहली कांफ्रेस 1961 ई. में बलग्रेड में हुई। प्रारम्भ में इसके 25 सदस्य थे तथा अब 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं।

8. सार्क की स्थापना 1985 ई. में हुई।

9. 1993 ई. में बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने से भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के आपसी सम्बन्धों में सुधार हुआ।

अभ्यास

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें –

1. संविधान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसके कितने सदस्य थे ?
2. भारतीय संविधान कब पास तथा लागू हुआ ?
3. देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किस के सिर है ?
4. हैदराबाद रियासत को भारत के साथ कैसे शामिल किया गया ?
5. राज्यों का पुनर्गठन करने के लिये नियुक्त किये गए कमीशन के कितने सदस्य थे।
6. पंचशील के कोई दो सिद्धांत लिखें।
7. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पहली कान्फ्रेंस कब तथा कहां हुई ?
8. गुट-निरपेक्ष पर नोट लिखें।
9. विदेश नीति के बारे आपका क्या भाव है ?
10. साम्प्रदयिकता पर नोट लिखें।
11. भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों का संक्षेप वर्णन करें।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. .... को भारतीय संविधान तैयार करने वाली कमेटी का प्रधान बनाया गया।
2. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम .... थे।
3. 1954 ई. में .... ने पांडिचेरी, चन्द्रनगर तथा माही आदि क्षेत्र भारत को सौंप दिए।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (✓) या गलत (×) का चिन्ह लगाएं :

1. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सात सदस्य वाली कमेटी का गठन किया गया। ☐
2. 1948 ई. के अन्त तक भारत ने फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली बस्तियाँ, जो भारत में थी, उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ☐
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ☐

IV. सही जोड़े बनाएं :

क		ख	
1.	भारत के प्रथम गृहमंत्री	1.	सात थे।
2.	भारतीय संविधान कमेटी के सदस्य	2.	1999 ई. में हुआ।
3.	कारगिल का युद्ध	3.	सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

नागरिक शास्त्र भाग-3

सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन

पाठ 21 संविधान तथा कानून

शताब्दियों की परतन्त्रता तथा लम्बे समय के संघर्ष के पश्चात् 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ। परन्तु यह स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं थी क्योंकि भारत का राज्य प्रबन्ध उन कानूनों द्वारा ही चलाया जाना था जो अंग्रेज़ी संसद द्वारा भारतीयों की गुलामी की ज़ंजीरों को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्मित किए गए थे। इसलिए स्वतन्त्रता की अन्तिम कड़ी को जोड़ने के लिए स्वतन्त्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना अत्यावश्यक था।

संविधान (अर्थ)

संविधान क्या है? संविधान वह कानूनी दस्तावेज़ हैं जिनके द्वारा देश का प्रशासन चलाया जाता है। संविधान के अनुसार ही केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें शासन चलाती हैं। देश की सरकार संविधान के अनुसार ही शासन करती है। **संविधान देश के अन्य कानूनों से श्रेष्ठ होता है।**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् एक संवैधानिक कमेटी का निर्माण किया गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह संविधान सभा पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाई गई।

मसौदा कमेटी का गठन

संविधान को नियमित स्वरूप प्रदान करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अम्बेदकर के नेतृत्व में एक सात सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। इस मसौदा कमेटी ने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। बहुत से सिद्धांत अन्य देशों के संविधानों से लिये गए। इस संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुईं। 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिनों में यह भारतीय संविधान निर्मित किया गया।

संविधान के निर्माता
डॉ. भीम राव अम्बेदकर

26 जनवरी का महत्व : 31 दिसबर 1949 को रावी नदी के किनारे पड़ित जवाहरलाल नेहरू की अगवाई मे पहली बार काग्रेस ने सम्पूर्ण सवतत्रता की घोष्णा करते हुऐ यह ऐलान किया कि 26 जनवरी, 1950 का दिन स्वतत्रता दिवस के रूप में सारे भारत वर्ष मे मनाया जायेगा। इस के बाद हर साल 26 जनवरी का दिन स्म्पूर्ण सवतत्रता के रूप में मनाया जाता रहा। तब से ही 26 जनवरी की ऐतहासिक महत्तव को कायम रखते हुए बेश्क सविधान 26 नवबंर, 1949 को बन कर तैयार हो गया था, पर उस को लागू करने का कार्य 26 जनवरी, 1950 को किया गया। संविधान सभा की अन्तिम बैठक 25 जनवरी, 1950 को हुई जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

कानून

जैसे कि हम ऊपर चढ़ चुके हैं कि संविधान कानूनी दस्तावेज़ हैं। सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए कानूनों का होना अनिवार्य है। कानून अंग्रेज़ी भाषा के शब्द लॉ (Law) का अनुवाद है। Law (लॉ) शब्द की उत्पत्ति टिऊटोनिक (Tutonic) शब्द लैग से हुई है, जिसका अर्थ है निश्चित। इसका अर्थ यह है कि कानून शब्द का अर्थ किसी भी निश्चित नियम से है। संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन (Rule of Law) लागू किया गया है।

संविधान की भूमिका

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह अपने स्वभाव तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में निवास करता है। बहुत से समुदायों, समूहों तथा संघों का निर्माण करता है। ये सभी किसी न किसी कानून के अनुसार ही चलाये जाते हैं। स्वयं का जीवन जीने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। बच्चो! तनिक सोचो, यदि आपके विद्यालय में कोई कानून न हो तो कैसा अनुभव होगा। न उचित समय पर सुबह की प्रार्थना सभा, न पढ़ाई, न खेलों तथा न ही और क्रिया कलाप। विद्यालय जंगल की तरह लगेगा। इसलिए प्रत्येक संस्था को नियमित स्वरूप प्रदान करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है।

हमारे समाज में एक बुराई जो शताब्दियों से निर्धन वर्ग के लिए एक अभिशाप है, वह है दहेज की कुप्रथा। निर्धन वर्ग के लोग ऋण लेकर दहेज देते हैं। यह ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है। यही कारण था कि स्त्री जाति का मान सम्मान समाज में कम हुआ। लोग भ्रूण हत्या करने लगे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का अनुपात कम हुआ। इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ा। इस कानून के अनुसार दहेज लेना या देना अवैध घोषित कर दिया गया है परन्तु इस कानून को दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।इस बुराई को खत्म करने के लिए हम सभी का सहयोग ज़रूरी है।

संविधान को सर्वोच्च माना गया है। बच्चो! भारत में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा सरकार को चलाने वाला मंत्री-मण्डल भी संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। संविधान के अनुसार ही राजकीय तथा अराजकीय संस्थाएं कार्य करती हैं। कानूनों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया। न्यायपालिका को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाया गया है। यदि कोई संस्था संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है।

संविधान की पहरेदार : न्यायपालिका को संविधान की रक्षा के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किये गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार संविधान की रक्षा तथा व्याख्या का अधिकार है। न्यायपालिका को न्यायिक पूर्ण निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का अर्थ है कि यदि किसी विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू किये गए आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा का उल्लंघन करते हों तो ऐसे कानूनों या आदेशों को न्यायपलिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायपालिका को निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे न्यायधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, कार्यकाल अन्य कर्मचारियों से अलग किए गए हैं।

संविधान तथा लोकतंत्र : संविधान के अनुसार सारे देश में पूर्ण लोकतंत्रीय ढांचा लागू किया गया है। नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान किये गए हैं। सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी प्रदान

किया गया है। जब कोई सरकार लोगों के हितों के विरुद्ध कानून बनाती है तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से पूर्व यद्यपि हम परतन्त्र थे तो उस समय भी अंग्रेज़ी सरकार द्वारा बनाए काले कानूनों का विरोध किया गया। साइमन कमीशन तथा जलियांवाला बाग की घटनाएं हमारे समक्ष हैं। महात्मा गाधी जी ने 1920 में असहयोग आदोलन, 1930 में सिविल अवमानना तथा 1942 में भारत छोड़ो आदोलन चलाये।

अंग्रेज़ी सरकार द्वारा निर्मित सामान का प्रयोग न करना, उनके द्वारा निर्मित वस्त्र धारण न करना। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में 5 अप्रैल, सन् 1930 को डांडी नामक स्थल पर नमक कानून को तोड़ा गया। क्योंकि सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। अंग्रेज़ी सरकार द्वारा बनाया गया नमक नष्ट किया। समुन्द्र के पानी को गर्म करके नमक बना कर खाने के आदेश दिये।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भी कई आन्दोलन चलाये गए। उनमें मुख्य था मद्य निषेध। हमारे देश में एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक चौथा व्यक्ति मदिरा पान करता है। शराब के ऊपर प्रतिदिन 25 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं। मद्य निषेध लागू करवाने के लिऐ कई आन्दोलन चलाये गए। कई प्रान्तों की सरकारों द्वारा मदिरा पान पर प्रतिबन्ध लगाया गया। गुजरात, हरियाणा तथा केरल की सरकारों के द्वारा पूर्ण मद्य निषेध विधेयक पारित किये गए। परन्तु वे पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो सके। हमारी सरकार तथा समाज के द्वारा इन मादक पदार्थों के पूर्ण निषेध के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए कई कानूनों का पालन न करना भी लोकतांत्रिक सरकार की एक विशेषता है। यदि इन बुरे कानूनों का विरोध नहीं होगा तो लोकतांत्रिक सरकार तानाशाह बन सकती है।

गांधी जी की डांडी यात्रा

सरकार को आमदन एक टैक्स के रूप में शराब पर बिक्री से प्राप्त होता है।

याद रखने योग्य तथ्य

1. संविधान वह कानूनी दस्तावेज़ है, जिस अनुसार देश का प्रशासन चलाया जाता है।
2. भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिनों में तैयार किया गया।
3. संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई।
4. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
5. भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी चुने गए।
6. कानून शब्द का अर्थ निश्चित नियमों से है।
7. भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज देने की रीति है।
8. नागरिकों को संविधान के अनुसार कुछ अधिकार दिए गए हैं।
9. गांधी जी ने अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध कई आन्दोलन चलाए।

10. डांडी नामक स्थल पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा।

11. गुजरात, हरियाणा तथा केरल की सरकारों के द्वारा मद्य निषेध विधेयक परित किये गए।

12. दहेज के विरुद्ध कानून भारत में 1961 में बनाया गया।

अभ्यास

I. निम्नलिखित खाली स्थान भरो–

1. भारत का संविधान .... को लागू किया गया।
2. भारत के पहले .... राष्ट्रपति थे।
3. दहेज विरुद्ध कानून .... में बना था।
4. भारतीय संविधान .... साल .... महीने .... दिनों में तैयार किया गया।
5. भ्रूण हत्या का मूल कारण .... रीति है।

II. प्रत्येक वाक्य के सामने सही (✓) या गलत (×) का चिन्ह लगाएं :

1. डांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ☐
2. न्यायपालिका संविधान की रक्षा नहीं करती है। ☐
3. भारत में कानून का शासन चलता है। ☐
4. बुरे कानूनों की उल्लंघना करनी लोकतंत्रीय सरकार की विशेषता है। ☐
5. कानून अनिश्चित नियम होते हैं। ☐

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. भारतीय संविधान कब लागू किया गया था?

   (क) 26 नवंबर 1949 (ख) 26 जनवरी 1950

   (ग) 26 जनवरी 1930 (घ) 26 जनवरी 1949

2. संविधान सभा की मसौदा कमेटी के प्रधान कौन थे?

   (क) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (ख) डॉ. बी.आर. अंबेदकर

   (ग) महात्मा गांधी (घ) पंडित जवाहर लाल नेहरू

3. निम्नलिखित में भारत में कौन सर्वोच्च है :

   (क) प्रधानमंत्री (ख) राष्ट्रपति

   (ग) न्यायपालिका (घ) संविधान

4. मसौदा कमेटी के सदस्यों की संख्या बताएं :

(क) 11 (ख) 18

(ग) 7 (घ) 02

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दें–

1. संविधान से क्या अभिप्राय है?
2. संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया?
3. कानून के शाब्दिक अर्थ लिखें।
4. कानून की क्या महत्ता है।
5. निष्पक्ष न्यायपालिका से आपका क्या अभिप्राय है।

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दें–

1. संविधान को सर्वोच्चता से आपका क्या अभिप्राय है।
2. भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ?
3. भारत में न्यायपालिका को निष्पक्ष कैसे बनाया गया है।
4. शराब बंदी से क्या अभिप्राय है और इसे क्यों लागू करना चाहिये।

क्रियाकलाप (Activity) :

1. स्कूल में नियमों को लागू करने के लिए कौन क्या-क्या करता है - अध्यापक के साथ चर्चा करें।
2. शराबबंदी के विषय में कक्षा में चर्चा करें ।
3. संविधान की भूमिका और कानून की आवश्यकता पर चर्चा करें।

पाठ 22 धर्म निरपेक्षता का महत्व तथा आदर्श के लिए कानून

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लिखने से पूर्व बहुत से सिद्धांत निश्चित किये गए। प्रत्येक देश के संविधान के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं। चीन का संविधान साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान उदारवादी, पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है यद्यपि भारतीय संविधान किसी विशेष विचारधारा पर आधारित नहीं है, परन्तु फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत से मौलिक सिद्धांतों के विषय में सोच विचार करके संविधान तैयार किया।

हमारे संविधान में बहुत से मौलिक सिद्धांत अंकित किये गए हैं। इनमें से मुख्य धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को सम्मिलित करने का मुख्य कारण देश की शताब्दियों से परतन्त्रता थी। इन शताब्दियों की परतन्त्रता का सबसे बड़ा कारण धार्मिक संकीर्णता था। शताब्दियों से सभी धर्मों को समान नहीं समझा जाता था। कभी हमारा देश नक्सलवादी विचारधारा का शिकार रहा। कभी ईसाई धर्म को बड़ा धर्म माना जाता रहा। कभी मुस्लिम धर्म की प्रमुखता थी। इसी धर्म की संकीर्णता ने 1947 में हमारे देश का विभाजन कर दिया। धर्म के नाम पर झगड़े, दंगे फसाद होते रहे हैं। इसके बिना स्वतन्त्रता से पहले भी लोग अनेक धर्मों में बंटे हुए थे। इसलिए यह आवश्यक था कि संविधान में एक मौलिक सिद्धांत धार्मिक निरपेक्षता को सम्मिलित किया जाये।

भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें सभी धर्म समान होते हैं, जो धार्मिक विषयों में बिल्कुल निरपेक्ष हो। राज्य का कोई धर्म नहीं होता तथा प्रत्येक धर्म को मानने वाले अपने धर्म में स्वतन्त्र होते हैं। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार होता है। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने इत्यादि की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म निरपेक्षता की सबसे बड़ी उदाहरण यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति सभी धर्मों के रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री तथा अन्य पदों पर भी सभी धर्मों के लोग रहे हैं।

संविधान के आदर्शों को कानून के स्वरूप में परिवर्तन (रूपान्तरण)

भारतीय संविधान के प्रारम्भ में संविधान की प्रस्तावना अंकित की गई। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्य, उसके मौलिक सिद्धांतों, उसके आदर्शों इत्यादि का वर्णन किया जाता है। ''प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी होती है।'' अभिप्राय संविधान निर्माताओं ने जो भारतीय नागरिकों से पवित्र वायदे किये थे उनको संविधान में कानून के रूप में शामिल करके पूरा करने का यत्न किया है।

भारतीय संविधान के आदर्श : सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, सभी को समान न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, गणराज्य इत्यादि सम्मिलित किये गये हैं। इन आदर्शों को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है।

भारतीय संविधान का प्रथम आदर्श तथा उद्देश्य आन्तरिक तथा ब्राहा स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। अब भारत किसी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है बल्कि अपने विदेशी मामलों में भी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। सम्पूर्ण शक्ति लोगों के पास है।

न्याय

अगला आदर्श भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में न्याय देना है।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय से भाव है कि जात-पात, धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करना। संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकार ''समानता का अधिकार'' शामिल कर के असमानतायों को खत्म करने का प्रबंध किया गया है।

आर्थिक न्याय

आर्थिक न्याय से भाव है कि समाज में ना-बराबरी दूर करके आर्थिक अन्याय को दूर करना है। हर व्यक्ति को रोजी-रोटी कमाने का समान अवसर व समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाये। इसीलिए संविधान में निर्देशक सिद्धांत दर्ज किये गये हैं।

राजनीतिक न्याय

संविधान द्वारा सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय देने के लिए बिना भेद-भाव वोट डालने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता आदि ही राजनीतिक न्याय देने की कोशिश है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दण्ड भी मिलता है।

स्वतन्त्रता

संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त करने, हथियारों के बिना इकट्ठे होने, संघ बनाने, भारत वर्ष में कहीं भी घूमने-फिरने, किसी भी क्षेत्र में रहने, कारोबार या रोजगार करने, विश्वास तथा उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। स्वतन्त्रता को मौलिक अधिकारों के स्वरूप में सुरक्षित किया गया है। नागरिकों को इनकी प्राप्ति के लिए न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार प्रदान किया गया है।

समानता

संविधान के अनुच्छेद 14-18 तक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अस्पृश्यता (छूआछूत) की समाप्ति के अलावा शैक्षिक तथा सैनिक खिताबों को छोड़कर सभी प्रकार के खिताबों को समाप्त कर दिया गया है। किसी विशिष्ट धर्म, जाति, श्रेणी या नस्ल को

कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। समानताओं को लागू करने के लिए न्यायपालिका को विशिष्ट अधिकार प्रदान किये गये हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुर्ननिरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अब सभी लोग कानून की दृष्टि से समान हैं।

भ्रातृत्व

भारतीय संविधान में नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना विकसित करने के लिए उत्साहित किया गया है। भारत में भ्रातृत्व की भावना विकसित करना विशेष रूप में आवश्यक है क्योंकि भारत में भिन्न-भिन्न धर्मों तथा जातियों के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा स्वतन्त्रता संग्राम में साम्प्रदायिक तत्व ही मुख्य बाधा थे। हमारे संविधान के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों के द्वारा धर्म, जाति, लिंग तथा नस्ल इत्यादि के भेदभाव को समाप्त किया गया है।

राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता

हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रीय एकता के इच्छुक थे। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में एकता शब्द पहले ही शामिल था और अखंडता शब्द 42वें संशोधन (1976) द्वारा शामिल किया गया। इससे भाव यह है कि भारत में भिन्न-भिन्न जातियों, धर्मों, नस्लों के लोग निवास करने के बावजूद सभी लोग एक ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न कानून बनाये गये हैं। यह आदर्श संविधान में सम्मिलित ही नहीं किये गये बल्कि इन्हें कठोर बनाया गया है ताकि यदि कोई नागरिक इन्हें तोड़ता है तो उसे कठोर दण्ड देने का प्रावधान है।

भारतीय संविधान में बहुत से आदर्श सम्मिलित किये गये हैं। इनके पश्चात् कठोर कानून भी बने हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के सतसठ वर्ष के पश्चात भी हम इन आदर्शों को पूर्ण करने में सफल नहीं हुए। अभी भी जातियों, नस्लों, धर्मों तथा क्षेत्रों को लेकर झगड़ते हैं। कुछ प्रान्त अभी भी भारत से अलग होने की मांग करते हैं।

याद रखने योग्य तथ्य

1. प्रत्येक देश के संविधान के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं।
2. धर्म निरपेक्षता के भाव सभी धर्मों को बराबर समझना।
3. देश के सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार होता है।
4. हमारे देश भारत में, राष्ट्रपति सभी धर्मों के रहे हैं। जो धर्म-निरपेक्षता की सबसे बड़ी उदाहरण है।
5. भारत विदेशी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।
6. भारतीय संविधान का एक आदर्श, सभी को समान न्याय देना है।
7. कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है।
8. भारतीय संविधान के आदर्श अनुसार, नागरिकों में भ्रातृत्व को उत्साहित करना है।
9. राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए संविधान वचनबद्ध है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित खाली स्थान भरो –

1. प्रस्तावना को संविधान की .... भी कहा जाता है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद .... तक .... अधिकार दर्ज है।
3. संविधान की 42वीं शोध द्वारा प्रस्तावना में .... शब्द दर्ज किया गया।
4. सब धर्मों को समान समझना .... है।

II. निम्नलिखित वाक्यों में ठीक (✓) या गलत (×) का निशान लगाओ :

1. प्रस्तावना का आरम्भ 'हम भारत के लोग' शब्द से होता है। ☐
2. प्रस्तावना में समानता शब्द शामिल नहीं किया गया है। ☐
3. संविधान के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेद-भाव किया जा सकता है। ☐
4. वोट का अधिकार राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। ☐
5. प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंत में लिखा गया है। ☐

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं।

   (क) पहला भाग (ख) दूसरा भाग

   (ग) तीसरा भाग (घ) चौथा भाग

2. आदर्शों के लिए कानून कहां पर दर्ज है।

   (क) कानून की किताबों में (ख) प्रस्तावना में

   (ग) भारतीय संविधान में (घ) इनमें से कोई नहीं

3. संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को छः प्रकार की आजादी प्राप्त है।

   (क) अनुच्छेद – 18 (ख) अनुच्छेद – 14

   (ग) अनुच्छेद – 19 (घ) अनुच्छेद – 17

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो–

1. धर्म निरपेक्षता का अर्थ लिखें।
2. धर्म निरपेक्षता की कोई उदाहरण दें।
3. संविधान में शामिल अधिकारों से क्या तात्पर्य है।
4. प्रस्तावना में शामिल आदर्शों को कैसे पूरा किया गया है।
5. प्रस्तावना क्या है।

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दें–

1. न्याय से क्या तात्पर्य है? इस आदर्श को कैसे लागू किया गया है?
2. समानता से क्या तात्पर्य है? संविधान अनुसार कौन-कौन सी समानतायें दी गई है?
3. संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
4. राष्ट्रीय एकता व अखंडता से क्या अभिप्राय है?
5. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से क्या अभिप्राय है?

क्या आप जानते हैं :

1. पुरातन भारतीय समाज में निम्न जातियों के साथ कैसी-कैसी बदसलुकी व दुर्व्यवहार किया जाता था।
2. संविधान के नियमों के बावजूद भी आज भी देश में जाति, रंग, नस्ल, धर्म के आधार पर भेद-भाव हो रहा है।

क्रियाकलाप (Activity) :

1. कक्षा में संविधान से अंकित आदर्शों के सम्बन्ध में चार्ट बनाकर लगाएं।
2. समानता के महत्व के सम्बन्ध में अपने विचारों का आदान प्रदान करें।
3. अपने गांव तथा स्कूल में किस-किस धर्म के लोग रहते हैं या पढ़ते हैं अध्यापक के साथ चर्चा करो।

पाठ 23 मौलिक अधिकार तथा मानवीय अधिकारों के कारण मौलिक कर्त्तव्य

मानवीय विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। ये सुविधाएं हमें समाज में ही प्राप्त हो सकती हैं। इन सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होने आवश्यक हैं। *अधिकार का साधारण अर्थ – अधिकार मनुष्य की वे उचित मांगें हैं जो उसके विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों को समाज अथवा राज्य उचित मानता है।*

अधिकारों के अनेक प्रकार हैं, जिनमें मुख्य मूल अधिकार अथवा मौलक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार वे हैं जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार वे हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान में अंकित किया गया है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रबन्ध किया गया है। भारतीय संविधान में यह अधिकार संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के आधार पर सम्मिलित किये गए हैं। भारतीय संविधान में ये अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक अंकित हैं। मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं।

1. समानता का अधिकार 14–18
2. स्वतन्त्रता का अधिकार 19–22 (शिक्षा का अधिकार 21–A)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23, 24)
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (25–28)
5. सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार (29–30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

31वां संपती का अधिकार था जो कि 1978 के 44 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया।

दिसम्बर 2002 में एक संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। उस अधिकार से स्वतन्त्रता के अधिकार अधीन अनुछेद 21–A में शामिल किया गया। इस अधिकार अधीन 1 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा देना यकीनी बनाया गया।

मानवीय अधिकार

वे अधिकार जो मनुष्य को मानवीय जीवन जीने के योग्य बनाते हैं, उन्हें मानवीय अधिकार कहा जाता है। मनुष्य जीवन जीने के साथ-साथ मान-सम्मान युक्त जीवन जीना चाहता है, *इसलिए वे सभी अधिकार जो कि मानव को एक बढ़िया मान-सम्मान युक्त जीवन योग्य बनाते हैं, को* ***मानवीय अधिकार*** *कहते हैं।*

अधिकारों तथा कर्त्तव्यों में सम्बन्ध

अधिकार तथा कर्त्तव्य आपस में सम्बन्धित हैं। अधिकार तथा कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जहां मानव के विकास के लिए राज्य तथा समाज उसे अनेक अधिकार प्रदान करते हैं वहां उससे वे कुछ कर्त्तव्यों की अपेक्षा भी करते हैं। कर्त्तव्यों के पालन के बिना मनुष्य अधिकारों का अधिकारी भी नहीं। संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार शामिल हैं उनके साथ मानवीय अधिकारों के रूप में कर्त्तव्य भी शामिल हैं।

मानवीय अधिकारों के कारण मौलिक कर्त्तव्य

1. समानता का अधिकार 14-10 : समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून की दुनिया में ऊंच नीच, धनी निर्धन, रंग, नस्ल, जाति तथा जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

हमारा कर्त्तव्य बनता है कि जब कानून सभी को समान मानता है तो हम किसी से भी भेदभाव न करें। किसी के साथ छुआछुत न करें। किसी नागरिक के साथ नस्ल, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करें।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार 19-22 : नागरिक का दूसरा मौलिक अधिकार स्वतन्त्रता का अधिकार है। इसके द्वारा हमें कई प्रकार की स्वतन्त्रता मिली है जैसे भाषण देने, विचार अभिव्यक्त करने, घूमने फिरने तथा कहीं भी आने जाने की स्वतन्त्रता के अलावा समाचार-पत्रों में विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता तथा कोई भी कार्य करने की स्वतन्त्रता है। उस अधिकार के साथ हमारा कर्त्तव्य बनता है कि जहां हमें अनेक प्रकार की स्वतन्त्रता की सुविधा है वहां हम दूसरों की स्वतन्त्रता का भी ध्यान रखें। हम दूसरों को भी घूमने फिरने, विचार अभिव्यक्त करने, संघ बनाने का अधिकार दें।

3. शिक्षा का अधिकार: जरुरी एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारो मे शामिल करके भारत उन 135 देशों मे आ गया है जिस ने यह अधिकार अपने बच्चो को दिया है।

4. शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23, 24: तीसरे अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत मनुष्य का व्यापार करने, बिना वेतन दिये कार्य करवाने इसी तरह अन्य कार्य करने के लिए विवश करना निषेध है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम किसी का भी शोषण न करें। काम के लिए वेतन, काम करने के घण्टे, बाल मजदूरी तथा धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करें।

5. धर्म का अधिकार 25 से 28 : सबसे महत्वपूर्ण अधिकार धर्म का अधिकार - यह अधिकार सबको धर्म अपनाने, मानने, प्रचार करने तथा धार्मिक स्थान बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम सभी प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा न बनें। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी धर्म, धार्मिक स्थल का अपमान करें। हमारा कर्त्तव्य है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें।

6. सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार 29-30 : अगला अधिकार सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार है। राजकीय शैक्षिक संस्थानों में किसी भी रंग, नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस अधिकार का सम्मान करें। हमारा कर्त्तव्य है कि रंग, नस्ल, जाति के आधार पर किसी को भी राजकीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने से न रोकें। सभी की लिपि, संस्कृति, बोली तथा धर्म का सम्मान करें। राजकीय संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय भेदभाव न करें। राष्ट्रीय तथा

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना हम सब का कर्त्तव्य बनता है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32: छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा से परिचित करवाता है। इस अधिकार में यह भी अंकित किया गया है कि तुम किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसलिए प्रत्येक अधिकार के साथ हमारे मानवीय कर्त्तव्य भी जुड़े हैं।

मानवता के लिए उदाहरण

अधिकार सभी के लिए समान हैं। हमारे समाज में शताब्दियों से रंग, नस्ल, जाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। शताब्दियों से एक कुरीति थी छुआछुत (अस्पृश्यता) बहुत सी जातियों को घटिया समझा जाता था, उन्हें स्पर्श करना भी पाप था। अब धारा 17 के अनुसार छुआछुत की सामाजिक बुराई को समाप्त कर दिया गया है। संविधान की धारा 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को समान समझा जायेगा। संविधान की धारा 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। इस धारा के अनुसार धार्मिक भेदभाव समाप्त कर दिये गए हैं।

हमारे संविधान में और बहुत सी उदाहरणे हैं जिनके अनुसार सभी नागरिकों को समान समझा गया है। रंग, नस्ल, धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिये गए हैं। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी भी समाज में भेदभाव जारी है। जाति, धर्म, नस्ल, रंग तथा लिंग के आधार पर इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। जिन लोगों के लिए ये कानून बने हैं उन लोगों तक इन कानूनों की पहुंच बनाना आवश्यक है। अपने संविधान के आदर्शों को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक प्रयास करें।

याद रखने योग्य तथ्य

1. व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जो सुविधाएं आवश्यक है, उन्हें मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार कहा जाता है।
2. भारतीय संविधान में नागरिकों को छ: प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
3. अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
4. कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता हैं।
5. नागरिकों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
6. संविधान के अनुसार छुआछुत जैसी बुराईयां खत्म कर दी गईं।
7. संविधान के सामने हम सभी समान हैं।
8. भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमरीका से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किए।

अभ्यास

I. निम्नलिखित खाली स्थान भरो –

1. भारतीय संविधान में .... मौलिक अधिकार शामिल किये गये हैं।
2. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुछेद .... में .... दर्ज या शामिल हैं।
3. संविधान की धारा 25 .... की मनाही करती है।
4. पहला मौलिक अधिकार .... है।
5. प्रैस की स्वतन्त्रता .... के अधीन दी गई है।

II. निम्नलिखित वाक्यों में ठीक (✓) या गलत (×) का निशान लगाओ :

1. संविधान के समक्ष हम सब समान हैं। ☐
2. अधिकार और कर्त्तव्य में कोई सम्बन्ध नहीं है। ☐
3. न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक है। ☐
4. शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ☐
5. सरकारी शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, रंग के आधार पर दाखला देने से इन्कार किया जा सकता है। ☐

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. मुफ्त और आवश्यक शिक्षा का अधिकार कौन सी कक्षा तक लागू है?
   (क) पांचवीं (ख) आठवीं
   (ग) दसवीं (घ) बारवीं
2. मनुष्यों का व्यापार करने की मनाही किस अधिकार अधीन शामिल है?
   (क) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (ख) समानता का अधिकार
   (ग) शोषण के विरुद्ध अधिकार (घ) इनमें से कोई नहीं
3. भारत में शिक्षा का अधिकार एक्ट कब से लागू हुआ?
   (क) 4 अगस्त 2009 (ख) दिसंबर 2002
   (ग) 1 अप्रैल 2010 (घ) 1 अप्रैल 2009
4. शिक्षा का अधिकार संविधान की कौन सी धारा के अर्न्तगत आता है?
   (क) धारा 21 (ख) धारा 21-ए
   (ग) धारा 20 (घ) इनमें से कोई नहीं

IV. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में लिखें–

1. अधिकारों से क्या अभिप्राय है?
2. किसी दो अधिकारों से जुड़े दो कर्त्तव्य लिखें।
3. संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या तात्पर्य है।
4. छूत-छात को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है?

V. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखें–

1. शिक्षा के अधिकार पर संक्षिप्त नोट लिखें।
2. संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार दर्ज हैं?
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या कीजिये।
4. हम मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

क्रियाकलाप (Activity) :

1. हमारे समाज में कानूनों के बावजूद भी रंग, नस्ल, धर्म तथा जाति पर आधारित भेदभाव क्या हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
2. भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों तथा कत्तव्यों का चार्ट बनाकर कक्षा के कमरे में लगाओ।

पाठ 24

संसद – बनावट, भूमिका तथा विशेषताएँ

भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली लागू की गई। बड़ा देश होने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई हैं। इस शासन प्रणाली में प्रशासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है जो अपने कार्यों तथा अपने उत्तरदायित्व के लिए भारतीय लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

अर्थ : संसद (Parliament) अंग्रेज़ी भाषा के शब्द पार्लियामैंट का हिन्दी अनुवाद है। अंग्रेज़ी भाषा का शब्द पार्लियामैंट फ्रांसीसी शब्द पार्लर (Parler) से लिया गया है जिसका अर्थ है बातचीत करना। इसलिए संसद एक ऐसी संस्था है जहां बैठकर लोग राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करते हैं।

संसद वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार के दो भाग भाव कार्यपालिका तथा विधानमण्डल में बहुत समीप का सम्बन्ध होता है। कार्यपालिका (सरकार) के सभी सदस्य विधान मण्डल में से चुने जाते हैं तथा विधानमण्डल के समर्थन तक अपनी पदवी पर विद्यमान रहते हैं। कार्यपालिका के सभी सदस्य अपने सभी कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तदायी होते हैं।

बनावट : भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। लोक सभा तथा राज्य सभा।

लोक सभा : लोक सभा को निचला सदन कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह लोगों का सदन है। इस में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए सदस्य आते हैं। सदस्यों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान समय में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई है। 543 सदस्य लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण करने की व्यवस्था होती है। (85 स्थान अनुसूचित जातियों और 47 स्थान जनजातियों के लिए) पंजाब में से 13 सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। राष्ट्रपति इस सदन को संविधान के कानून के अनुसार भंग भी कर सकता है। दुबारा चुनाव करवाया जा सकता है।

पार्लियामैंट हाऊस

राज्य सभा : राज्य सभा ऊपरला सदन है। यह एक स्थायी सदन है। वर्तमान समय में इस सदन के सदस्यों की संख्या 250 निश्चित की गई है। 238 सदस्य राज्यों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशों में से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला व समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर नामांकित किये जाते हैं। ये सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात् लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य पुनः इनका चयन करते हैं। यह स्थायी सदन है, यह सदन लोक सभा के भंग होने के पश्चात् भी कार्यशील रहता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इस सदन के एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। पंजाब में से 7 सदस्य राज्य सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषतायें :

1. नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अन्तर।
2. कार्यपालिका तथा विधानमण्डल में घनिष्ठ सम्बन्ध।
3. कार्यपालिका का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व।
4. प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
5. कार्यपालिका की अवधि अनिश्चित।
6. विरोधी दल को कानूनी मान्यता।
7. सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।

भारत में संसदीय सरकार अपनाने के कारण :

कार्यपालिका तथा विधानपालिका के आपसी सम्बन्धों पर आधारित दो तरह की शासन प्रणाली अस्तित्व में आती है। 1 संसदीय सरकार 2 प्रधानगी सरकार। प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार का ही चयन क्यों किया। इसके निम्नलिखित कारण हैं।

(1) भारतीय लोगों को संसदीय प्रणाली का ज्ञान : स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश में 1861, 1892, 1919, 1935 के कानूनों के द्वारा संसदीय सरकार लागू की गई थी। संसदीय सरकार को सर्वोत्तम माना गया है।

(2) संविधान सभा के सदस्यों द्वारा समर्थन : भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। संवैधानिक मसौदा कमेटी के प्रधान डॉ. बी.आर. अम्बेदकर ने कहा था कि इस प्रणाली में उत्तरदायित्व तथा स्थिरता दोनों पाये जाते हैं। इसलिए संसदीय सरकार ही सबसे बढ़िया सरकार है।

(3) यह प्रणाली उत्तरदायित्व पर आधारित : भारत शताब्दियों से परतन्त्र रहा है, इसलिए ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित हो। इसलिए संसदीय प्रणाली लागू की गई।

(4) यह सरकार परिवर्तनशील है : भारत ने शताब्दियों के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। इसलिए लोग ऐसी सरकार की व्यवस्था करना चाहते थे जो निरंकुश न बन सके। इसलिए संसदीय सरकार कभी भी परिवर्तित की जा सकती है।

(5) वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय सरकार : संसदीय सरकार वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित करती है। विधानमण्डल में लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालिका से प्रश्न पूछ कर तथा आलोचना करके उसकी नीतियों तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं।

इसलिए ऊपरलिखित विचारों तथा तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, संसदीय सरकार भारत के लिए उचित तथा बढ़िया सरकार है।

भारत ने संसदीय सरकार का ढांचा इग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया था।

कानून बनाते समय संसद की भूमिका

सरकार के तीन रूप होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधानपालिका अर्थात् संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। कई बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात् ही कोई बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में बिल सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। बिल को कानून बनाने के लिए कई स्तरों में से गुजरना पड़ता है। इसलिए संसद ही कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। संसद द्वारा बनाये गए कानून सर्वोच्च होते हैं। हमारे देश में संसद (विधानमण्डल) कानून बनाने की सबसे बड़ी केवल एकमात्र संस्था है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसी सिद्धांत को बढ़िया लिखा है।

सरकार का संसद के प्रति उत्तरदायित्व

हमारे संविधान के अनुसार सरकार (कार्यपालिका) को पूर्ण रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। सरकार उस समय तक अपने पद पर विद्यमान रहती है जब तक विधानमण्डल में उसे बहुमत का समर्थन रहता है। कार्यपालिका के सदस्य अपने सभी कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमण्डल (संसद) के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कार्यपालिका के सदस्य विधानमण्डल में अपना विश्वास मत खो बैठते हैं तो उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है।

संसद निम्नलिखित अनुसार भी सरकार पर अपना नियन्त्रण बना कर रखती है।

मंत्रियों से प्रश्न पूछना, बहस, जीरो आवर (Zero hour) स्थगन प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, मतदान इत्यादि।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रीमण्डल की भूमिका

संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका होती है। नाममात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं :

1. वह भारत का नागरिक हो
2. 35 साल उम्र हो
3. पागल या दिवालिया न हो

4. किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो

5. कानूनी अपराधी न हो।

राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। चुनाव मण्डल में संसद व विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थीं।

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति के पास वैधानिक, कार्यपालिक तथा न्यायिक शक्तियां हैं परन्तु वह वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रीमण्डल करता है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है परन्तु जब से देश में गठबंधन सरकारों का प्रचलन हुआ है तब से राष्ट्रपति ने कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1989 के पश्चात् राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1998, 1999 तथा 2004 में हुए लोकसभा चुनावों के पश्चात् सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को बड़ी सूझबूझ से काम लेना पड़ा। आज राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर वाली नहीं बल्कि क्रियाशील राष्ट्रपति की भूमिका निभानी पड़ रही है।

राष्ट्रपति : श्री रामनाथ कोविंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री की स्थिति : प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल, मंत्री परिषद तथा लोक सभा का मुखिया होता है। वह संपूर्ण राज्य प्रबन्ध का संचालक तथा केन्द्रीय बिन्दु होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेदकर ने अमरीका के राष्ट्रपति की तुलना भारतीय प्रधानमंत्री के साथ की है। सभी नीतियां तथा कानून प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार बनते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रि मण्डल का निर्माता है। कोई भी मंत्री उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने पद पर आसीन नहीं रह सकता।

जब से त्रिशंकु संसद अस्तित्व में आई है तब से प्रधानमंत्री की स्थिति डगमगा सी गई है। 1996 में दो सप्ताह के पश्चात् ही अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। 1998, 2004 तथा 2009 के लोकसभा चुनावों में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति भी बड़ी क्षीण हो गई है। 14वीं तथा 15वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात कांग्रेस और लगभग 20 राजनीतिक दल मिलकर

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) अधीन सरकार चला रही थी पर 16वीं लोकसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उचित बहुमत प्राप्त करके भारत में ससदीय प्रणाली को मजबुत किया है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विचार

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोनों नेता बड़े प्रभावशाली नेता थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद के लिए अधिक शक्तियां देने के पक्ष में थे। वह केन्द्र को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। शताब्दियों के पश्चात् भारत स्वतन्त्र हुआ था इसलिए वह केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में थे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू

पंडित जवाहर लाल नेहरू भी केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में थे परन्तु प्रधानमंत्री तथा मंत्रि मण्डल को अधिक शक्तियां प्रदान करने के पक्ष में थे। दोनों नेता भारत को सुदृढ़ देखना चाहते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों नेता अपने अपने पद पर दो-दो बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

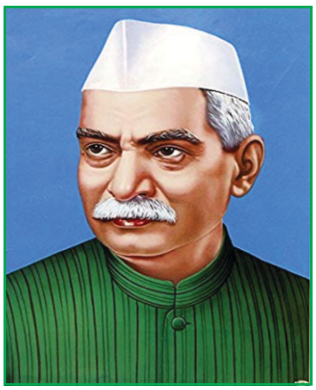
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

संसद की स्थिति : संसद भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय संसद एक सुदृढ़ संस्था रही है। परन्तु अब दिन-प्रतिदिन भारतीय संसद पतन की ओर अग्रसर हो रही है। एक दिन में दस-दस कानून पारित हो रहे हैं। स्पीकर की निष्पक्षता के सम्बन्ध में सन्देह, सदन में से सदस्यों की अनुपस्थिति, कमेटी प्रणाली का पतन, बैठकों में कमी, जिद्द की राजनीति तथा त्रिशंकु संसद (त्रिशंकु संसद से अभिप्राय ऐसी लोक सभा से है जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है) सभी पतन के ही कारण हैं। कानून को लागू करने या कानून को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के ढंग परिवर्तित हो गये हैं।

आवश्यकता है, संसद को सुदृढ़ बनाने की। परन्तु देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे राजनीतिक दल खतरे की घंटी हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो भविष्य में अच्छे कानूनों की आशा नहीं का जा सकती। प्रधानमंत्री की स्थिति क्षीण हो रही है। पर 16 वीं लोकसभा के बाद मजबूत प्रधानमंत्री की आशा की किरण जाग उठी है।

याद रखने योग्य तथ्य

1. संसद, वह संस्था है, जहां बैठकर लोग राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करते हैं।
2. संसद के दो सदन होते हैं, लोक सभा तथा राज्य सभा।
3. लोकसभा अपने नाम की तरह ही लोगों की सभा है, इसमें लोगों द्वारा चयनित सदस्य होते हैं।
4. राज्य सभा स्थायी सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा चयनित किए जाते हैं। कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् सेवा निवृत हो जाता है।

5. भारत में संसदीय सरकार लागू की गई है।
6. डॉ. बी.आर. अम्बेदकर के अनुसार संसदीय सरकार में उत्तरदायी तथा स्थिर सरकार होती है।
7. वास्तव में संसदीय सरकार लोकतंत्र को स्थापित करती है।
8. सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं – विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।
9. बिल को कानून बनाने के लिए कई स्तरों में से गुजरना पड़ता है।
10. राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है।
11. प्रधानमंत्री देश के सम्पूर्ण राज्य प्रबन्ध का संगलक तथा केन्द्रीय बिन्दु होता है।
12. भारतवर्ष में EVM (Electronic Voting Machine) का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में किया गया था।

अभ्यास

I. निम्नलिखित खाली स्थान भरो –

1. लोक सभा के सदस्यों की कुल गिनती .... है।
2. राज्य सभा के सदस्यों की कुल गिनती .... है।
3. पंजाब में से लोक सभा के लिए .... सदस्य चुने जाते हैं।
4. भारत का राष्ट्रपति बनने के लिये .... आयु आवश्यक है।
5. संसदीय सरकार को .... सरकार भी कहा जाता है।
6. केवल धन बिल ही .... में पेश हो सकता है।

II. निम्नलिखित वाक्यों में ठीक (✓) या गलत (×) का निशान लगाओ :

1. लोक सभा एक स्थाई सदन है।
2. राज्य सभा के 1/3 सदस्य हर दो साल बाद रिटायर होते हैं।
3. संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा सम्बन्ध होता है।
4. संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री नाम-मात्र का मुखिया होता है।
5. संसद द्वारा बनाये गये कानून सर्वोच्च होते हैं।

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. राष्ट्रपति राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है।
   (क) 8 (ख) 12
   (ग) 02 (घ) 10
2. पंजाब राज्य में से राज्य सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं।
   (क) 11 (ख) 13
   (ग) 7 (घ) 02
3. संसद के दोनों सदनों के मतभेद कौन दूर करता है।
   (क) स्पीकर (ख) प्रधानमंत्री
   (ग) राष्ट्रपति (घ) उप-राष्ट्रपति

IV. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो–

1. संसद के शाब्दिक अर्थ लिखो।
2. सरकार संसद के प्रति कैसे जवाबदेह है?
3. संसद में कानून कैसे बनता है?
4. लोक सभा चुनाव के बाद सरकार कैसे बनती है?
5. संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषतायें लिखें।

V. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखें–

1. संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करो।
2. संसद की स्थिति की गिरावट के लिए जिम्मेवार कारणों को लिखें।
3. संसद की स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी सुझाव दो।
4. भारतीय संसद की बनावट लिखें।

क्रियाकलाप (Activity) :

1. संसद की कार्यवाही जानने के लिए टी.वी. पर खबरें देखें और संसदीय कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देख कर अध्यापक के साथ चर्चा करें।

पाठ 25 न्यायपालिका की कार्यविधि तथा विशेषाधिकार

सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है जबकि न्यायपालिका न्याय करती है। लोकतंत्रीय सरकार में न्यायपालिका का विशेष महत्व है क्योंकि इसे संविधान की रक्षक, लोकतंत्र की प्रहरी तथा अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की समर्थक माना गया है। संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें केन्द्र तथा राज्यों के मध्य झगड़ों को निटाने के लिए संविधान की रक्षा के लिए तथा इसकी निष्पक्ष व्याख्या के लिए न्यायपालिका को विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। किसी सरकार की श्रेष्ठता की जांच करने के लिए उसकी न्यायपालिका की निपुणता से बढ़कर और कोई कसौटी नहीं है।

भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। प्रांतों के अपने–अपने न्यायालय हैं। जिला स्तर पर सत्र न्यायालय स्थित हैं। इसके अलावा तहसील स्तर पर उपमंडल अधिकारी (सिविल) हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए पंचायत तथा नगरपालिका परिषद इत्यादि का गठन किया गया है। सबसे बड़े न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन सत्र न्यायालय है। इसी तरह सत्र न्यायालय के अधीन तहसील स्तर को न्यायालय हैं। यदि हम निम्न सत्र की अदालत के न्याय से खुश नहीं तो हम उच्च न्यायलय में अपील कर सकते हैं।

निम्न स्तर से मुकद्दमा ऊपर के न्यायालय में लाने सम्बन्धी : भारतीय संविधान के अनुसार अपने नागरिकों को न्याय दिलवाने की व्यवस्था की गई है। किसी मुकद्दमे में यदि यह लगे कि न्याय उचित नहीं हो सका तो कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सत्र न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। प्रान्तों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसी तरह सत्र न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। न्यायपालिका को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाया गया है। किसी भी मुकद्दमे का निर्णय देते समय किसी सरकार या दल का नियन्त्रण न हो। न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न्यायधीशों के कार्यकाल के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश 65 वर्ष तक, उच्च न्यायालय के न्यायधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। न्यायधीशों को उनके पद से हटाने का ढंग भी आसान नहीं है। इनका वेतन भी अधिक है। देश के न्यायालयों को बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें मुख्य रूप में अपील करने का अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdictions) है।

संवैधानिक अपीलें : यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी, फौजदारी या किसी अन्य मुकद्दमे के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाये कि मुकद्दमे के सम्बन्ध में और संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण-पत्र न भी जारी करे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ऐसी स्वीकृति देकर मुकद्दमे की सुनवाई कर सकता है।

दीवानी अपीलें : किसी भी दीवानी मुकद्दमे के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि मुकद्दमे में साधारण महत्व का कोई कानूनी प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना (विशेष मुकद्दमे में) अपील सुन सकती है।

फौजदारी अपीलें : कोई भी ऐसा मुकद्धमा जिसमें निम्न न्यायालयों ने व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया हो तथा उच्च न्यायालय ने मृत्यु दण्ड दे दिया हो या उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय में चल रहे मुकद्दमे को सीधा अपने पास मंगवा लिया हो तो दोषी या अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दे दिया गया हो या उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मुकद्दमा अपील के योग्य है तो सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकती है। इसके अलावा धारा 136 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मुकद्दमे के सम्बन्ध में निम्न न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकती है। विशेष अदालत कानून (Special Courts Acts) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि विशेष अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। यह अपील विशेष अदालतों द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् 30 दिनों के बीच की जानी आवश्यक है। इसी तरह उच्च न्यायालय को भी निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट

सिविल तथा फौजदारी मुकद्दमे में अन्तर : लोकतंत्रीय देश में नागरिकों को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो अधिकार संविधान के दूसरे भागों से मिलते हैं, वे आम अधिकार जाने जाते हैं। यदि आम या साधारण अधिकारों से संबंधी कोई झगड़ा हो जाए तो नागरिक निचली अदालत (Subordinate Court) में अपील कर सकता है। यह झगड़े दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर दीवानी (Civil) तथा फौजदारी मुकद्दमें हैं। सिविल मुकद्दमे संबंधी जिले की उच्च अदालत को ज़िला अदालत (Distt. Courts) कहा जाता है।

दीवानी (Civil) मुकद्दमे : दीवानी मुकद्दमे आम लोगों के साथ सम्बन्धित होते हैं। इन मुकद्दमों में नागरिकों के मौलिक अधिकार, विवाह, तलाक, बलात्कार, सम्पत्ति, जमीनी झगड़े इत्यादि आते हैं। वह मुकद्दमें जिनका सम्बन्ध निजी जिन्दगी के साथ हो या निजी सम्बन्धों के साथ हो। इन में दीवानी मुकद्दमें भी आते हैं।

फौजदारी मुकद्दमे : फौजदार मुकद्दमे वे होते हैं जिनमें मारपीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच इत्यादि आते हैं। जब किसी की शारीरिक हानि होती है तथा चोट आती है, किसी शारीरिक अंग को हानि पहुंचती है तो ऐसे मुकद्दमे फौजदारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई किसी की ज़मीन पर अनुचित अधिकार जमाता है तो वह दीवानी मुकद्दमा होता है। जब दोनों में लड़ाई झगड़ा या मारपीट होती है। एक दूसरे का शारीरिक नुकसान करते हैं तो यह मुकद्दमा दीवानी के साथ-साथ फौजदारी मुकद्दमा बन जाता है। किसी को जान से मार देने की भावना भी फौजदारी मुकद्दमा ही होती है। धारा 134 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति पर फौजदारी का मुकद्दमा दर्ज होता है। मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है पर दोषी का दोष साबित होना ज़रूरी है। सभी फौजदारी मुकद्दमे सरकार द्वारा लड़े जाते हैं। न कि निजी व्यक्ति द्वारा। फौजदारी मुकद्दमे सम्बन्धी जिले की उच्च अदालत को सैशन कोर्ट कहा जाता है।

सरकारी व कील (विधिज्ञ) की भूमिका : सरकारी वकील सरकार की तरफ से नियुक्त किये जाते हैं। उनको परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। ऐसी परीक्षा राज्य सरकार समय समय पर लेती है। सरकारी वकील के नाम से ही स्पष्ट है कि जो वकील सरकार के पक्ष की ओर से मुकद्दमा लड़ते हैं उन्हें सरकारी वकील कहा जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के मुकद्दमों को लड़ने के लिए भिन्न-भिन्न वकील होते हैं। सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के मध्य चलने वाले मुकद्दमों को लड़ने वाले सरकारी वकील, सरकारी सम्पत्ति के वकील, दीवानी मुकद्दमे लड़ने वाले वकील तथा फौजदारी मुकद्दमों के सरकारी वकील सभी अलग-अलग होते हैं। इन सभी मुकद्दमों में इन सरकारी वकीलों ने सरकार के पक्ष की ओर से लड़ना होता है। प्रत्येक मुकद्दमें में सरकार बचाव करना होता है।

जनहित मुकद्दमेबाजी (Public interst litigation) : हमारे देश में जनहित मुकद्दमेबाजी की भी व्यवस्था है। जनहित मुकद्दमेबाजी के अनुसार जनता के हितों को उद्देश्य मान कर भी, जिसका उस मुकद्दमे के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है, न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवा सकता है तथा न्यायलयों द्वारा उस मुकद्दमे की सुनवाई भी नियमित मुकद्दमों की तरह ही की जाती है। जनहित मुकद्दमा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि यह मुकद्दमा सरकार के किसी विभाग, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध किया जाता है तथा ऐसे मुकद्दमे का सम्बन्ध जनता के हितों के साथ होना अत्यावश्यक है। किसी व्यक्ति के निजी हितों की रक्षा के लिए जनहित मुकद्दमेबाजी का सहारा नहीं लिया जा सकता। ऐसे मुकद्दमों की पैरवी भी सरकारी वकीलों द्वारा ही की जाती है।

न्यायपालिका की पुर्न-निरीक्षण की शक्ति : यह न्यायपालिका की विशेष शक्ति है। इस शक्ति द्वारा न्यायपालिका देखती है कि कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया आदेश तथा विधानपालिका (संसद व राज्य विधानसभा) द्वारा पारित किया गया कोई कानून या बिल संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर न्यायपालिका उचित समझे तो ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है। इसी कारण न्यायपालिका को संविधान की पहरेदार कहा जाता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता : न्यायपालिका सरकार के दूसरे अंगों कार्यपालिका तथा विधानपालिका से पूरी तरह से स्वतन्त्र है क्योंकि स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका ही व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है तथा संविधान की सर्वोच्चता बढ़ा कर लोगों का राज्यप्रबन्ध में विश्वास कायम रख सकती है।

लोक अदालत : नागरिकों को आवश्यक तथा सस्ता न्याय देने के उद्देश्य से कानूनी सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं में कानून के अर्न्तगत लोक अदालतों का गठन किया जाता है। फौजदारी मुकद्दमों के अतिरिक्त कोई भी मुकद्दमा जो न्यायलय में चल रहा हो को लोक अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है। अब लोक अदालतों की लोकप्रियता दिन–ब–दिन बढ़ रही है क्योंकि लोक अदालतें दोनों पक्षों की आपसी सुलह करवाने का यत्न करती है। लोक अदालतों द्वारा किए गए फैसले को मानने के लिये सभी प्रतिबद्ध हैं। यहां पर वर्णन करना आवश्यक है कि लोक अदालतों द्वारा किए गए फैसलों के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।

एफ.आई.आर. रिपोर्ट (प्राथमिक सूचना शिकायत) दर्ज न करने पर न्यायालय की पैरवी : एफ.आई.आर. (F.I.R.) प्राथमिक सूचना शिकायत किसी भी तरह की दुर्घटना घटने पर सबसे पहले पुलिस को सूचित करना होता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना समीप के पुलिस केन्द्र को देनी होती है। इस प्रथम सूचना के सम्बन्ध में सबसे पहले बताने योग्य बात यह है कि किसी भी घटना या दुर्घटना की शिकायत किसी भी पुलिस केन्द्र की पुलिस दर्ज करने से इन्कार नहीं कर सकती। यदि किसी पुलिस केन्द्र की पुलिस यह प्रथम शिकायत सूचना दर्ज नहीं करती तो उस पुलिस केन्द्र के (एस.एच.ओ.) थानेदार तक पहुंच की जा सकती है। यदि थानेदार भी उस प्रथम सूचना शिकायत को दर्ज नहीं करता तो उप–पुलिस अधीक्षक को मिला जा सकता है। यदि उप–पुलिस अधीक्षक भी प्रथम शिकायत सूचना दर्ज नहीं करवाता तो जिले के पुलिस अधीक्षक तक पहुंच की जा सकती है। यदि पुलिस अधीक्षक भी प्रथम शिकायत सूचना दर्ज नहीं करता तो देश में किसी भी पुलिस केन्द्र में प्रथम सूचना शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

यदि ऐसा भी नहीं होता कि किसी नागरिक, देशवासी की प्रथम सूचना शिकायत देश के किसी भी पुलिस केन्द्र में दर्ज नहीं होती तो वह नागरिक किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है। हमारे संविधान में यह अंकित है कि कोई भी न्यायालय पुलिस को प्रथम सूचना शिकायत दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय स्वयं भी प्रथम सूचना शिकायत करके पुलिस को उसकी पैरवी करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे विशेष अधिकार हैं परन्तु आज तक कोई भी ऐसी उदाहरण नहीं है कि जब देश में किसी पुलिस अधिकारी ने किसी भी घटना या दुर्घटना की प्रथम सूचना शिकायत दर्ज करने से मना किया हो। यदि कभी ऐसा होता है तो देश के न्यायालयों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

याद रखने योग्य तथ्य

1. सरकार के मुख्य तीन अंग है : पहली विधानपालिका – कानून बनाने वाली, दूसरी कार्यपालिका – कानूनों को लागू करती है तथा तीसरी न्यायपालिका – न्याय देने वाली।
2. भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है।
3. नागरिकों को न्याय देने की व्यवस्था संविधान में की गई है।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के पालन करने के लिए प्रान्तों के उच्च न्यायालय वचनबद्ध हैं।
5. मुख्य रूप से मुकद्दमे दो प्रकार के होते हैं – **दीवानी** और **फौजदारी।**
6. सभी फौजदारी मुकद्दमे सरकार के द्वारा लड़े जाते हैं। निजी रूप से नहीं लड़े जाते।

7. सरकारी वकील सरकार पक्ष की ओर से मुकद्दमा लड़ते हैं।

8. F.I.R. (First Information Report) प्राथमिक सूचना रिर्पोट को कहते हैं।

9. सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपनी पदवी पर रह सकते हैं।

10. उच्च न्यायलय के न्यायधीश 62 वर्ष की आयु तक अपनी पदवी पर रह सकते हैं।

11. भारत में इस समय एक सर्वोच्च अदालत तथा 24 राज्यों की उच्च अदालते हैं।

अभ्यास

I. खाली स्थान भरें –

1. .... पहली सूचना रिपोर्ट को कहते हैं।
2. भारत की सबसे बड़ी अदालत .... है।
3. सरकार के मुख्य अंग .... है।
4. सुप्रीम कोर्ट का जज (न्यायधीश) .... साल और हाईकोर्ट का न्यायधीश .... साल तक अपने पद पर बने रहते हैं।
5. पी.आई.एल. से तात्पर्य .... है।
6. फौजदारी मुकद्दमा धारा .... अधीन दर्ज किया जाता है।

II. निम्नलिखित वाक्यों में सही (✓) या गलत (×) का निशान लगाओ :

1. न्यायपालिका को संविधान की रक्षक कहा जाता है। ☐
2. भारत में दोहरी न्यायपालिका प्रणाली लागू है। ☐
3. ज़िला अदालत के विरुद्ध उच्च अदालत में अपील नहीं हो सकती है। ☐
4. न्यायधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ☐
5. जमीन–जायदाद से सम्बन्धित झगड़े फौजदारी झगड़े होते हैं। ☐

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. सर्वोच्च अदालत को विशेष अधिकार संविधान की किस धारा के अनुसार दिए गए हैं।

   (क) धारा – 134 (ख) धारा – 135

   (ग) धारा – 136 (घ) धारा – 137

2. उच्च अदालतों का गठन कौन से स्तर किया जाता है।

   (क) ज़िला स्तर (ख) तहिसील स्तर

   (ग) राज्य स्तर (घ) गांव स्तर

3. जन-हित मुकद्में किस लिए दर्ज हो सकते हैं।

(क) निजी-हित की रक्षा हेतु

(ख) सरकारी हितों की रक्षा हेतु

(ग) जनतक हितों की रक्षा हेतु

(घ) इनमें से कोई नहीं

IV. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दो–

1. न्यायपालिका किस को कहते हैं?
2. भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ पर स्थित है।
3. सिविल मुकद्मा क्या है।
4. सरकारी वकील कौन होते हैं।
5. जनहित मुकद्मा (PIL) Public Interest Litigiation क्या है।
6. एफ.आई.आर. क्या है?

V. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दो–

1. न्यायपालिका का महत्व वर्णन करें।
2. भारत की एकल न्यायिक प्रणाली के बारे में लिखें।
3. फौजदारी मुकद्में कौन से होते हैं। सिविल और फौजदारी मुकद्मों में अन्तर लिखें।
4. एफ.आई.आर. (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) कहां दर्ज हो सकती है। एफ.आई.आर. दर्ज ना होने पर अदालत की भूमिका का वर्णन करें।
5. न्यायिक पुर्ननिरीक्षण की शक्ति से क्या भाव है?

क्रियाकलाप (Activity) :

किसी जनहित मुकद्में की कक्षा में अध्यापक की सहायता से चर्चा करें।

पाठ 26 सामाजिक असमानताएँ-सामाजिक न्याय तथा प्रभाव

भारतीय संविधान में कई सिद्धांत सम्मिलित किये गए। इन सिद्धान्तों में समानता, स्वतन्त्रता तथा धर्म निरपेक्षता मुख्य थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो संविधान के आरम्भ में लिखी गई। उसमें स्पष्ट रूप में अंकित था – 'हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। 72 वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात क्या हम सामाजिक तथा आर्थिक समानता ला सके हैं? भारतीय लोकतंत्र उस स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर सका जो पश्चिमी तथा कुछ यूरोपियन देशों में इस प्रणाली को प्राप्त हुई है। लोकतंत्र की सफलता को अनेक सामाजिक असमानताएं भी प्रभावित कर रही हैं।

सीमांत ग्रुप

सीमांत ग्रुप हमारे समाज में ऐसे समूह है, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण लम्बे समय से अनदेखे, पिछड़ी श्रेणियों और कम गिनती।

(1) **अनुसूचित जातियां** – अनुसूचित जातियों की कोई भी संवैधानिक भाषा नहीं है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि पुराने समय से समाज में अछूत समझे जाते, लोगों को ही अनुसूचित जातियों का नाम दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी गिनती भारत की कुल जनसंख्या का 15% भाग है।

(2) **अनुसूचित कबीले** – अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित कबीलों की भी कोई संविधानिक परिभाषा नहीं है। साधारण शब्दों में ऐसी जातियों को सामाजिक पक्ष से निकाला गया था और आर्थिक पक्ष से पिछड़े होने के कारण वह अलग कबीले बना कर रहते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी गिनती भारत की कुछ जनसंख्या का 7.5% भाग है।

(3) **पिछड़ी श्रेणियां** – पिछड़ी श्रेणियों को भी संविधान में पारिभाषित नहीं किया गया। अनुसूचित श्रेणियां और अनुसूचित कबीलों के अत्तिरिक्त समाज के कमजोर वर्ग को पिछड़ी श्रेणियों का नाम दिया गया। मण्डल कमीशन के अनुसार वह देश की कुल जनसंख्या का 41% भाग है।

(4) **कम गिनती** – कम गिनती, धार्मिक या भाषा के पक्ष से वह लोग है, जो अपने धर्म अथवा जाति में कम गिनती में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी गिनती कुल भारतीय जनसंख्या का 18.42% है।

सामाजिक असमानताओं के प्रकार

सम्प्रदायिकता : सामाजिक असमानता की पहली प्रकार साम्प्रदायिकता है। भारत में अनेक धर्म हैं। इन भिन्न-भिन्न धर्मों के लोगों में धार्मिक कट्टरता होने के कारण साम्प्रदायिकता सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का एक अंग बन चुकी है। इसी धार्मिक कड़वाहट ने 1947 में भारत को दो भागों में बांट दिया। इस धार्मिक कट्टरता का परिणाम मंदिर-मस्जिद का विवाद है। 1984 में सिक्ख लोगों को, 1998-99 में ईसाई समुदाये के लोगों को भी इस साम्प्रदायिकता ने अपनी चपेट में ले लिया। यही कड़वाहट भारतीय राजनीति में भी है। लोगों की धार्मिक भावनायों को भड़काया जाता है। धर्मों के नाम पर वोटें मांगी जाती हैं। इसका परिणाम भारत में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। सभी धर्मों को समान माना गया है। किसी भी धर्म को अपनाने, मानने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया है।

साम्प्रदायिकता का परिणाम

(1) धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों का संगठन

(2) धर्म के आधार पर अस्तित्व में कई दबाव समूह भी भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं।

(3) भारतीय जनजीवन में हिंसा के बढ़ावे के लिए साम्प्रदायिकता को भी काफी जिम्मेवार माना जाता है।

(4) मंत्री परिषद के निर्माण पर धर्म का प्रभाव।

(5) साम्प्रदायिकता लोगों के मतदान व्यवहार को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है।

(2) जातिवाद : जातिवाद सामाजिक असमानता की एक और प्रकार है। यह प्रथा शताब्दियों पुरानी है। इसके आधार पर समाज भिन्न-भिन्न वर्गों में बंटा हुआ है। भारत में लगभग तीन हज़ार से अधिक जातियां हैं। राजनीतिक दल जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जाति के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। जाति के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। इसी जातिवाद के आधार पर बहुत सी जातियों को आज भी अच्छा नहीं समझा जाता। पिछड़े क्षेत्रों में कुंओं, मन्दिरों तथा और सार्वजनिक स्थानों तथा जाति के आधार पर लोगों को इन स्थानों पर जाने नहीं दिया जाता।

क्या आप जानते हैं संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेदकर भी लम्बे समय तक जातीवाद का शिकार रहे थे।

भारत में जातिवाद को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध किये गए हैं। जातिवाद के आधार पर भेदभाव को निषेध माना जाता है। सभी को समान समझा जाता है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है।

परिणाम :

(1) जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है।

(2) चुनाव के समय जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं।

(3) जाति के आधार पर अनुसूचित जातियों को विशेष सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था ने जातिकरण कर दिया है।

(4) जाति के आधार पर छुआछुत की जाती है।

(5) जाति संघर्ष तथा हिंसा का प्रभाव।

(6) जाति पर आधारित दवाब समूहों का अस्तित्व।

(3) छुआछुत

जातिवाद की तरह छुआछुत भी पुरानी अमानवीय प्रथा है। इस प्रथा के कारण ही भारतीय समाज के बहुत बड़े भाग का शताब्दियों से ही शोषण होता आ रहा है। इसी कारण ही पिछड़ी तथा अविकसित जातियों में हीनता की भावना में बढ़ावा आया है। इस प्रथा के अनुसार बहुत सी जातियों के लोगों को स्पर्श करना पाप समझा जाता है।

लोकतन्त्र को वास्तविक अर्थों में स्थापित करने के लिए संविधान में छुआछुत की बीमारी को समाप्त करने के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। छुआछुत को संविधान की धारा / अनुच्छेद 17 अनुसार कानूनी अपराध 1955 में घोषित किया गया है।

परिणाम :

(1) छुआछुत सामाजिक असमानता को जन्म देती है।

(2) छुआछुत हीन भावना में बढ़ौतरी करती है।

(3) लोगों का राजनीति में कम सम्मिलित होना।

(4) छुआछुत हिंसा को जन्म देती है।

(4) अनपढ़ता

सामाजिक असमानता की एक प्रकार अनपढ़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 25.96% के लगभग लोग अशिक्षित हैं। अनपढ़ता सभी बुराईयों की जड़ है। इसी बुराई के कारण ही बेकारी, धार्मिक संकीर्णता, रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास, हीनता, क्षेत्रीयता, जातिवाद इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अनपढ़ व्यक्ति एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। स्वार्थी, राजनीतिज्ञ अनपढ़ को सदैव पथभ्रष्ट करते हैं।

हमारी सरकार द्वारा अनपढ़ता को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अनुसार आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में बढ़ौतरी की गई है। इस अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है।

अनपढ़ता का परिणाम

(1) अनपढ़ता सभी सामाजिक असमानताओं की जड़ है।

(2) लोकतंत्र की सफलता के रास्ते में बाधा।

(3) अनपढ़ता लोकमत के निर्माण में बाधा।

(4) अनपढ़ व्यक्ति जल्द ही पथभ्रष्ट हो सकते हैं।

(5) अनपढ़ व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाते।

(6) अनपढ़ता समाज के लिए कलंक है।

अनपढ़ता और गरीबी के कारण भारत का लोकतंत्र उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सका है जितनी पश्चिमी लोकतंत्र ने प्राप्त की है।

(5) भाषावाद

भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के आधार पर भी लोग बांटे जाते हैं और लोग अन्य भाषाओं को अपनी भाषा के मुकाबले अच्छा नहीं समझते। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं जैसे मान्यता प्रदान की है इनमें से हिन्दी भी एक है। भाषा के आधार पर ही राज्यों (प्रांतों) का गठन किया गया है। परन्तु अब भी भाषाओं के आधार पर कई भागों में अधिक से अधिक प्रान्तों की मांग की जा रही है। भाषा के आधार पर लोगों में वर्ग बने हुए हैं। लोग राष्ट्रीय हितों की तुलना में अपनी ही भाषा तथा संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं।

संविधान ने सभी भाषाओं को बराबर मान्यता प्रदान की है। 22 भाषाओं को कानूनी मान्यता प्रदान की है। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के साथ ही लिंक भाषा के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि यह उत्तर व मध्य भारत के बहुत राज्यों में प्रयोग की जाती है। प्रत्येक प्रान्त के लोगों की मातृ भाषा को मान्यता प्रदान की गई है।

परिणाम :

(1) भाषा के आधार पर नई राजनैतिक पहचान की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

(2) भाषा के आधार पर ही राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है।

(3) भाषा के आधार पर ही आन्दोलन चल रहे हैं।

(4) भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव की भावना उत्पन्न होती हैं।

(5) भाषावाद मतदान को प्रभावित करता है।

आरक्षण : शताब्दियों से गुलाम पिछड़ी जातियों के लिए भारतीय संविधान के अनुसार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए था जो शताब्दियों से अमानवीय जीवन व्यतीत कर रही थीं। शताब्दियों से समाज का यह वर्ग शोषण का शिकार था। ऐसी जातियों तथा प्रताड़ित वर्ग को दलित के नाम से जाना जाता है। दलित शब्द की उत्पत्ति हिबरू भाषा (Hebrew) के शब्द दल (Dal) से हुई है जिसका अर्थ है पांवों के नीचे कुलचा हुआ। दलित शब्द का प्रयोग (हीन जाति) या उच्च जाति के पांवों के नीचे दबा हुआ है। आजकल इन जातियों को अनुसूचित जातियों की संज्ञा प्रदान की गई है।

संविधान की धारा 330 तथा 332 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात अनुसार सीटें आरक्षित किये जाने की व्यवस्था है। प्रारम्भ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी परन्तु समय समय पर संविधान में किये जाने वाले संशोधनों के अनुसार यह व्यवस्था आज भी जारी है। इसी तरह 73वीं तथा 74वें संशोधन के अनुसार अब गांवों के तथा शहरी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में भी अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरियों में भी इन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1979 में गठित किये गये मण्डल आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिये जनसंख्या के अनुसार आरक्षित किये जाने का सुझाव दिया गया है।

इस रिपोर्ट को आज तक भी लागू नहीं किया गया। समय समय पर स्त्रियों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित किये जाने की मांग होती जा रही है। भारत में आज जाति की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित कर रही है। श्री जय प्रकाश नारायण के अनुसार भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है।

मण्डल आयोग ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए 22.5% और पछड़ियों श्रेणियों के लिए 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में रखने की सिफारिश की थी जो आज भी लागू है।

शताब्दियों से समाज में एक और घृणापूर्ण बुराई थी, जब एक दलित जाति उच्च जाति के लोगों का मल मूत्र हाथों से साफ करते थे तथा सिर पर उठाकर बाहर फेंकते थे। एक बुराई शताब्दियों से चली आ रही थी। इन मैला ढोने वालों को अछूत माना जाता था तथा प्रत्येक व्यक्ति उनसे घृणा करता था। समय के परिवर्तन के साथ इस बुराई को समाप्त करना आवश्यक था। समय-समय पर सरकारें इसको बन्द करने के पक्ष में थीं। अब कानून के अनुसार सिर पर मैला ढोने की यह प्रथा बन्द कर दी गई है। इसके विरुद्ध दण्ड देने के कानून का प्रावधान कर दिया गया है। समय के परिवर्तन के साथ उन्नति हुई अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि अब फ्लश आदि बन गए हैं।

याद रखने योग्य तथ्य

1. सामाजिक असमानताएं लोकतन्त्रीय सरकारों की सफलताओं पर दुष्प्रभाव डाल रही है।
2. साम्प्रदायिक असमानता के कारण ही 1947 को भारत के दो भाग हो गए भाव पाकिस्तान और भारत।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है।
4. छुआछुत एक अमानवीय प्रथा है।
5. सरकार सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अनपढ़ता को दूर करने का प्रयास कर रही है।
6. लोकतंत्रीय सरकार एक शिक्षित होनी चाहिए।
7. भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है।
8. 22 राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी को भी सम्मिलित किया गया है। यह उत्तर व मध्य भारत की लिंक भाषा भी है।
9. मंडल कमीशन ने 3743 अनुसूचित तथा जन जातियों की पहचान की है।
10. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं में अनुसूचित व जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित है।

अभ्यास

I. खाली स्थान भरें –

1. सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय देने का वायदा .... में किया गया है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद .... से .... तक स्वतन्त्रता दी गई है।
3. भारत में लगभग .... से ज्यादा जातियाँ है।
4. सन् 1984, दिल्ली में .... का कत्लेआम हुआ।
5. भारतीय संविधान में .... भाषाओं को मान्यता दी गई है।
6. मंडल कमिशन की स्थापना .... में की गई थी।
7. मंडल कमिशन ने भारत में .... अनुसूचित जतियां-जनजातियों की पहचान की है।

II. निम्नलिखित वाक्यों में ठीक (✓) या गलत (×) का निशान लगाओ :

1. सामाजिक असमानताएँ लोकतंत्रीय सरकार को प्रभावित नहीं करती हैं। ☐
2. भारत में आज 54% लोग अनपढ़ हैं। ☐
3. हिन्दी भारत की एक ही राष्ट्रभाषा है। ☐
4. अनुसूचित जातीयों और जनजातीयों के लिए .... आज भी लागू है। ☐
5. 73वीं और 74वीं शोध गांवों और शहरी स्वै-शासन का प्रबन्ध करती है। ☐
6. आज भारतीय समाज में सामाजिक असमानतायें खत्म हो रही हैं। ☐

III. विकल्प वाले प्रश्न :

1. भारत में जाति सब से महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है यह शब्द किसने कहे?

   (क) महात्मा गांधी (ख) पंडित जवाहर लाल नेहरू

   (ग) श्री जय प्रकाश नारायण (घ) डॉ. बी.आर. अंबेदकर

2. भारतीयों को सामाजिक न्याय देने के लिये संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया?

   (क) स्वतन्त्रता का अधिकार (ख) शोषण के विरुद्ध अधिकार

   (ग) सामानता का अधिकार (घ) इनमें से कोई नहीं

3. सरकारी नौकरियों में आरक्षण किन के लिए लागू है?

   (क) अनुसूचित जातीयों और जनजातीयों के लिए

   (ख) केवल पछड़ी श्रेणियों के लिए।

   (ग) केवल गरीब लोगों के लिए।

   (घ) अनुसूचित जातीयों, जनजातीयों तथा पछड़ी श्रेणियों के लिए।

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दो–

1. सामाजिक असमानताओं से आप क्या समझते हैं।
2. जातिवाद और छूत-छात से आपका क्या अभिप्राय है।
3. भाषावाद से आपका क्या तात्पर्य है।

4. आरक्षण का क्या अर्थ है?

5. क्या मैला ढोने की प्रक्रिया बंद हो गई है?

6. अनपढ़ता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

V. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दो–

1. साम्प्रदायिकतावाद (साम्पदायिक असमानता) के परिणामों का वर्णन करें।

2. 'सर्व शिक्षा अभियान' के बारे में एक नोट लिखें।

3. सीमान्त समूह किन्हें कहा जाता है? इसकी किस्में लिखें।

4. जातिवाद का भारतीय लोकतन्त्र पर परिणामों लिखें।

5. आरक्षण क्या है? आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

क्रियाकलाप (Activity) :

अपने सहपाठियों से छुआछुत, साम्प्रदायिकता और अनपढ़ता के बारे में विचार-विमर्श करो और इन बुराइयों को दूर करने के लिए सुझाव अपनी कॉपी में लिखो।

ਪੰਜਾਬ पंजाब پنجاب THE PUNJAB

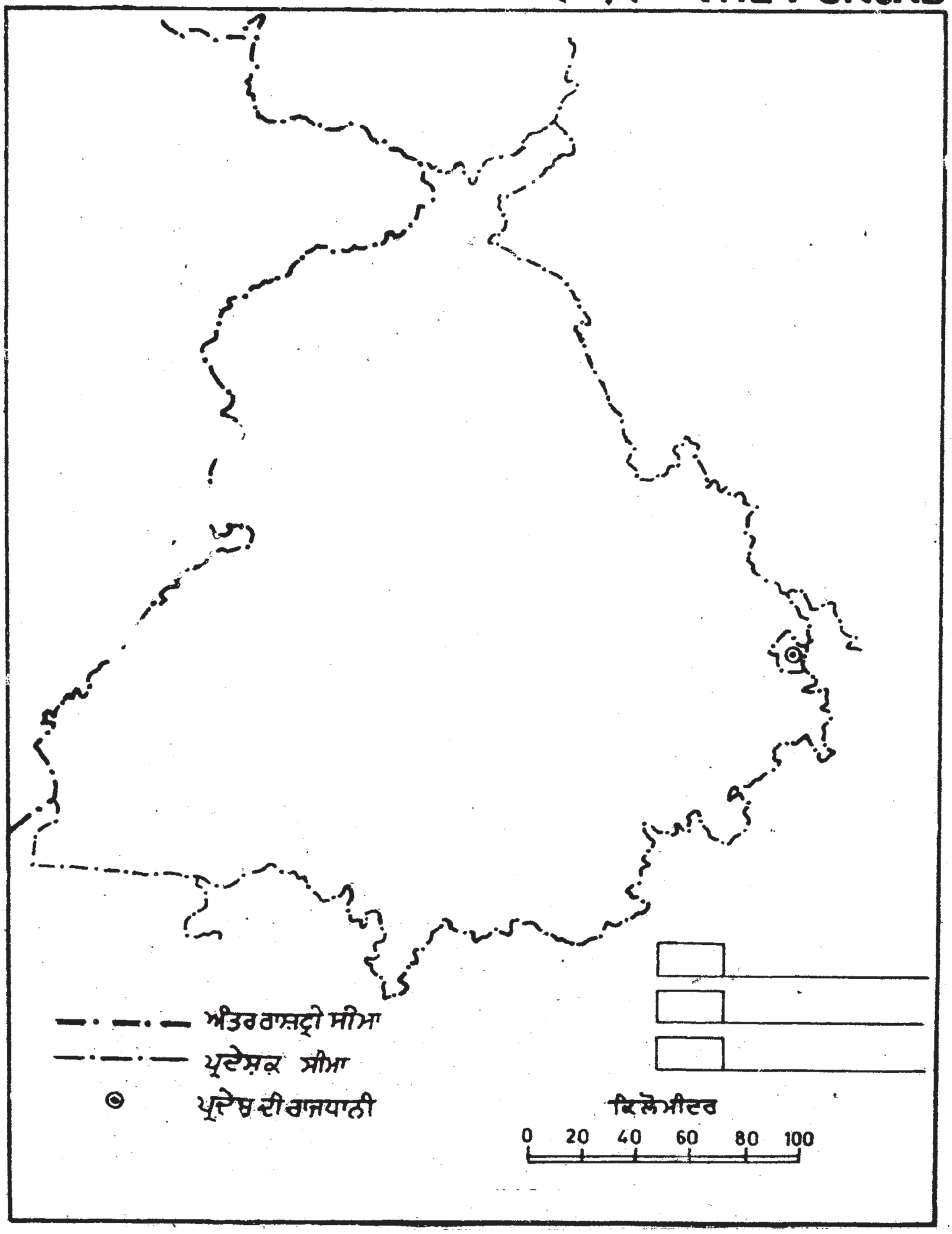

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

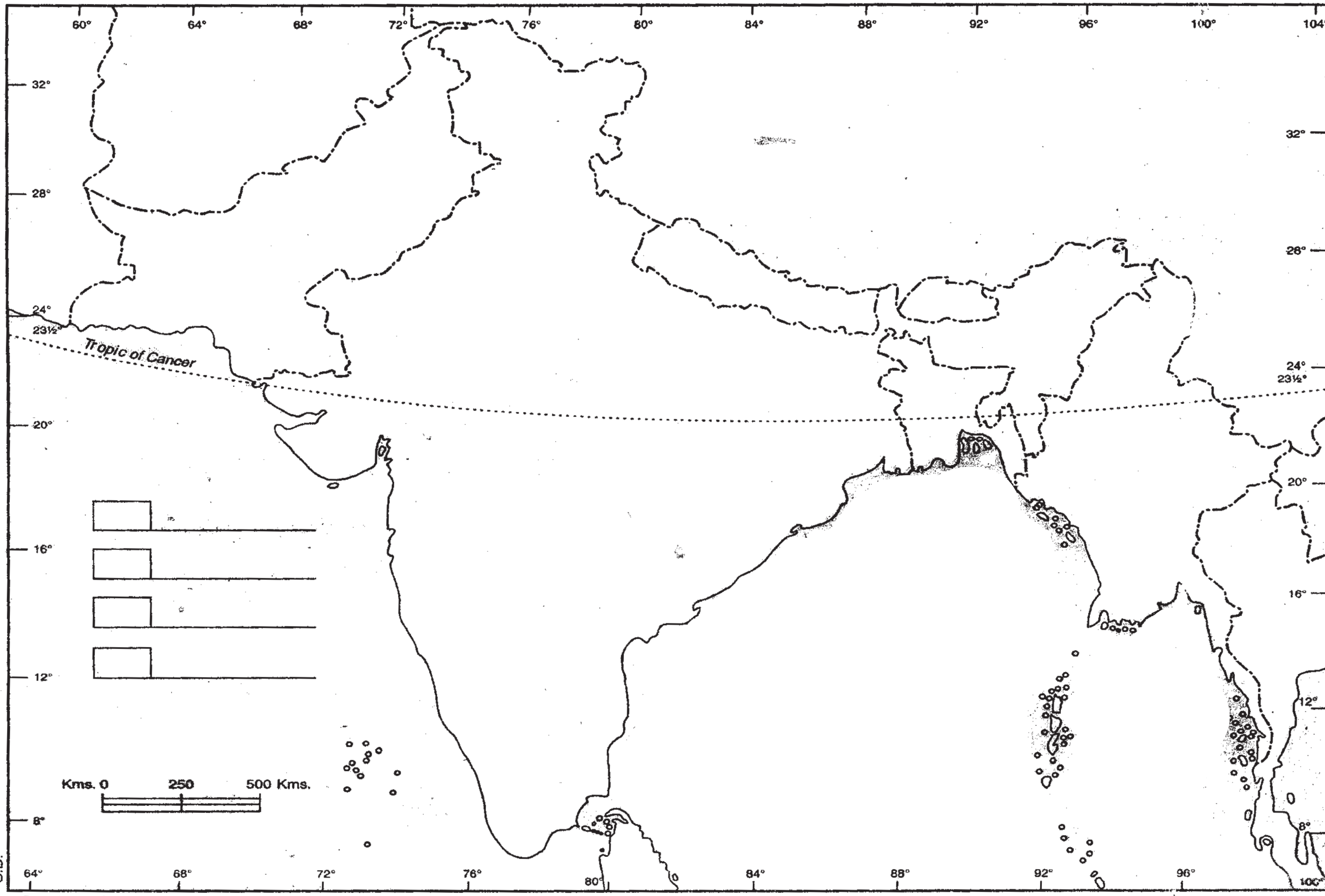

© Government of India Copyright, 2011.

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

Class .... Roll No. .... Teacher Signature ....

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

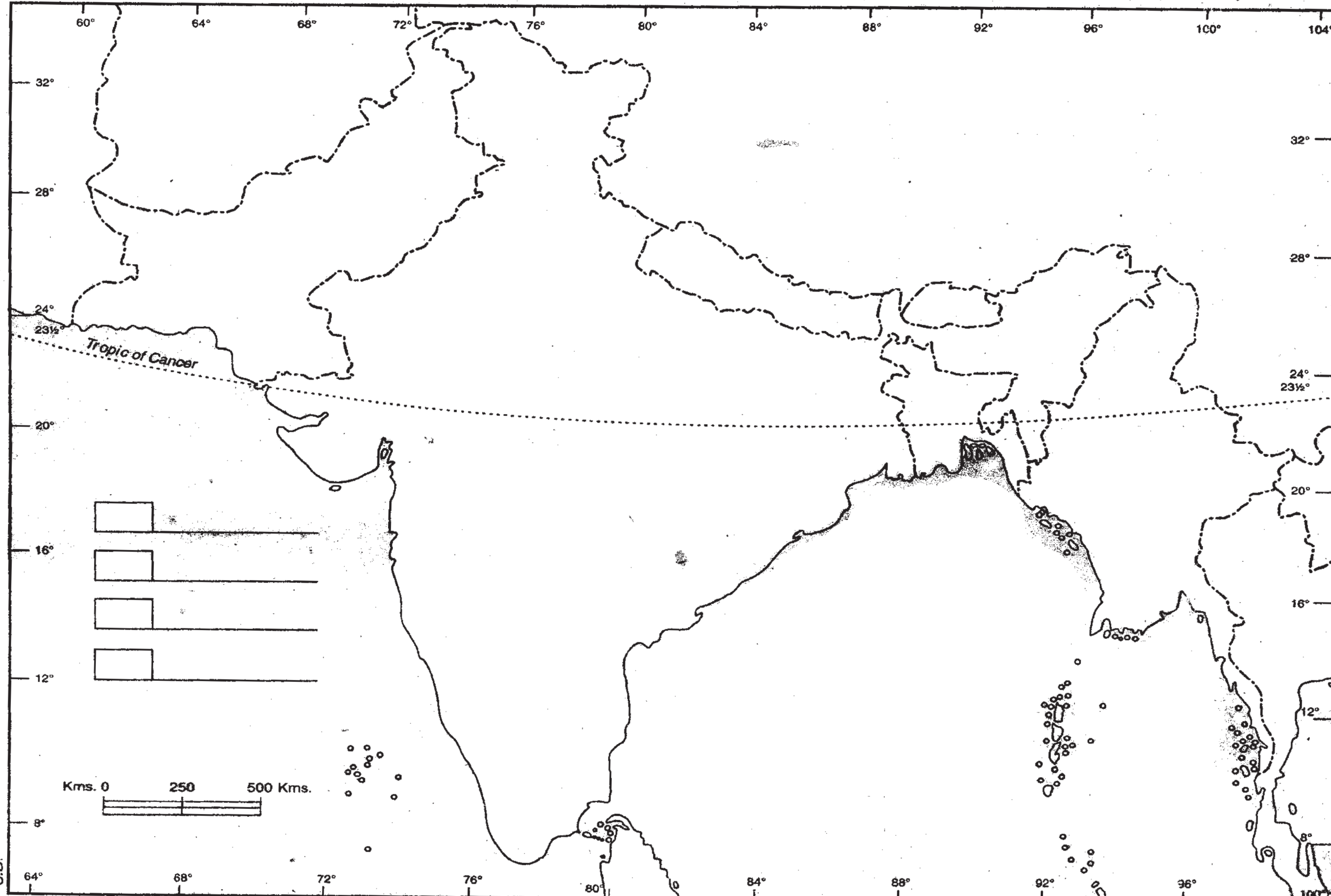

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand , Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class..................... Roll No. .... Teacher Signature...........................

WORLD - PHYSICAL

संसार–प्राकृतिक

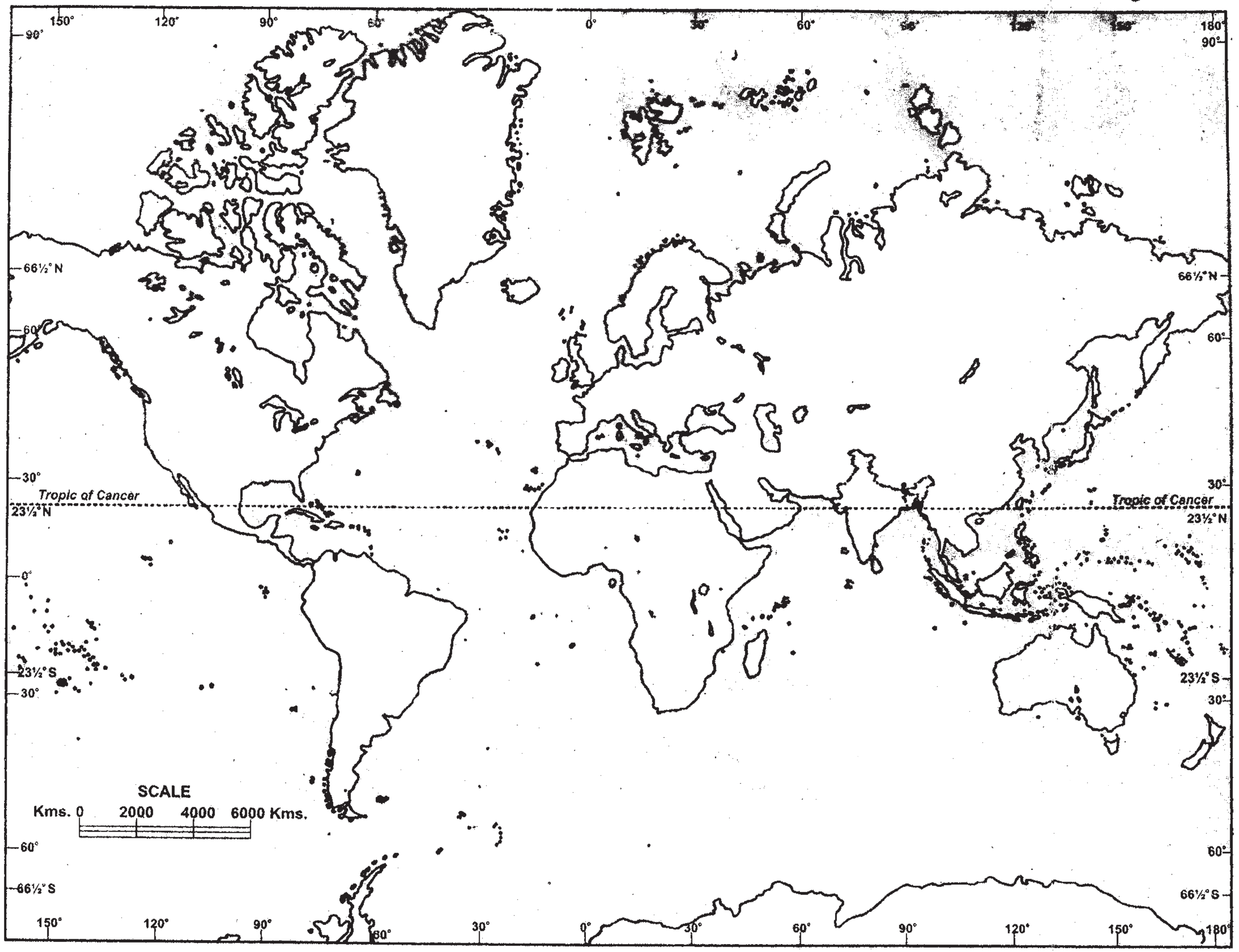

1. Based upon Survey of India with the permission of Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extended into the sea to a distance of twelve nautical measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttranchal, Bihar & Jharkhad, Madhya Pradesh & Chattisgarh have not been verified by the Government concerned.

WORLD - PHYSICAL

संसार—प्राकृतिक

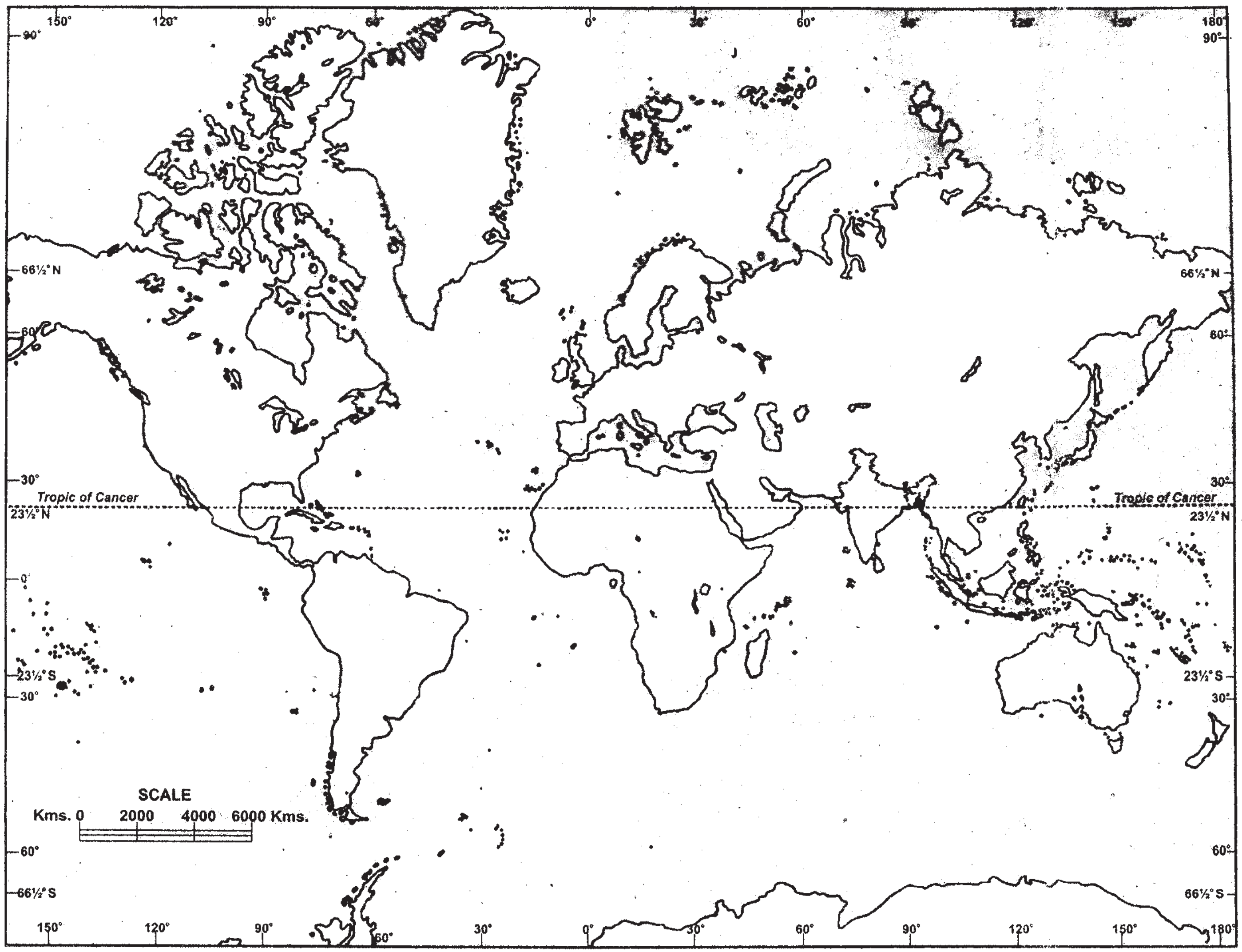

1. Based upon Survey of India with the permission of Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extended into the sea to a distance of twelve nautical measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttranchal, Bihar & Jharkhad, Madhya Pradesh & Chattisgarh have not been verified by the Government concerned.

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

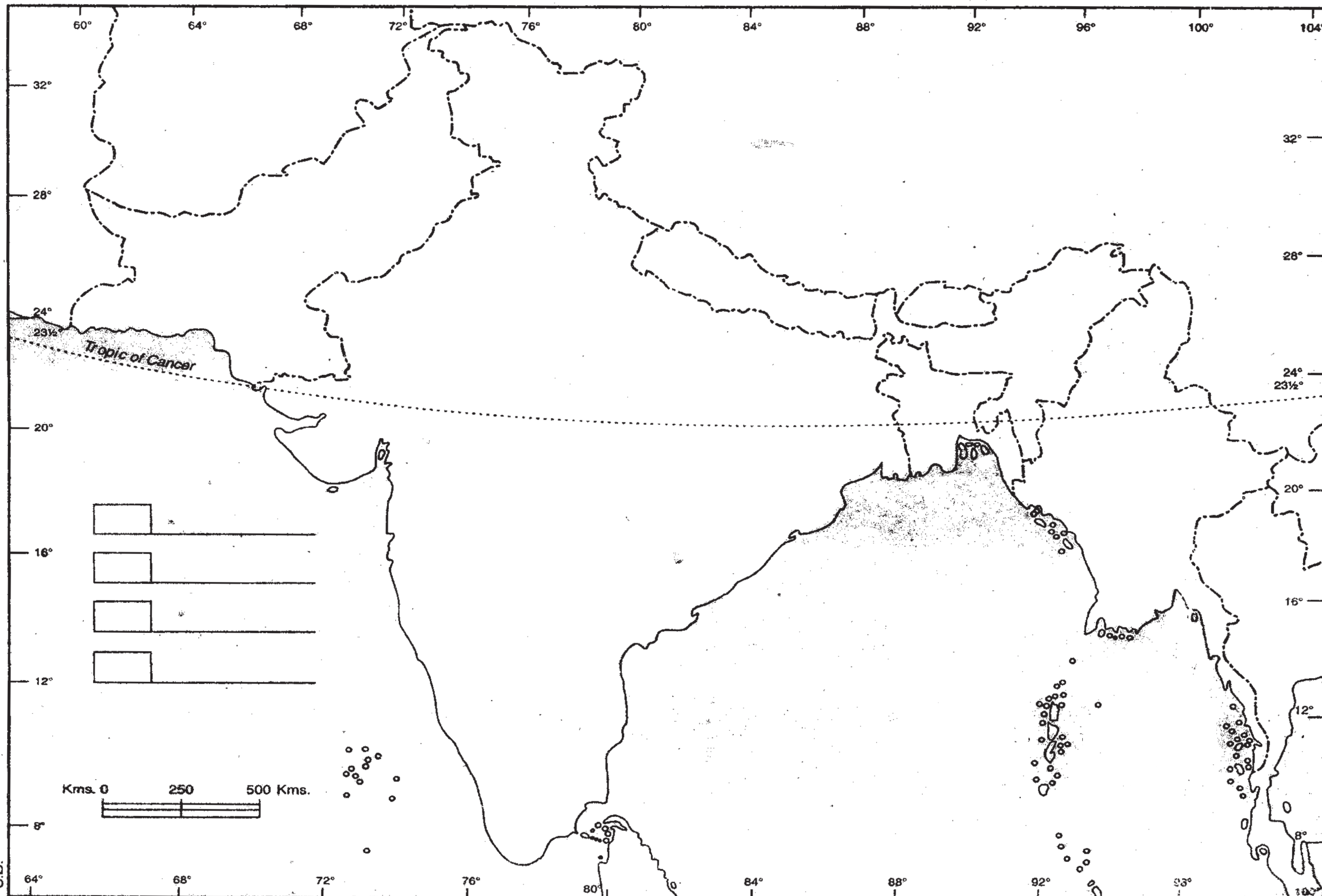

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class........................ Roll No. .... Teacher Signature.............................

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

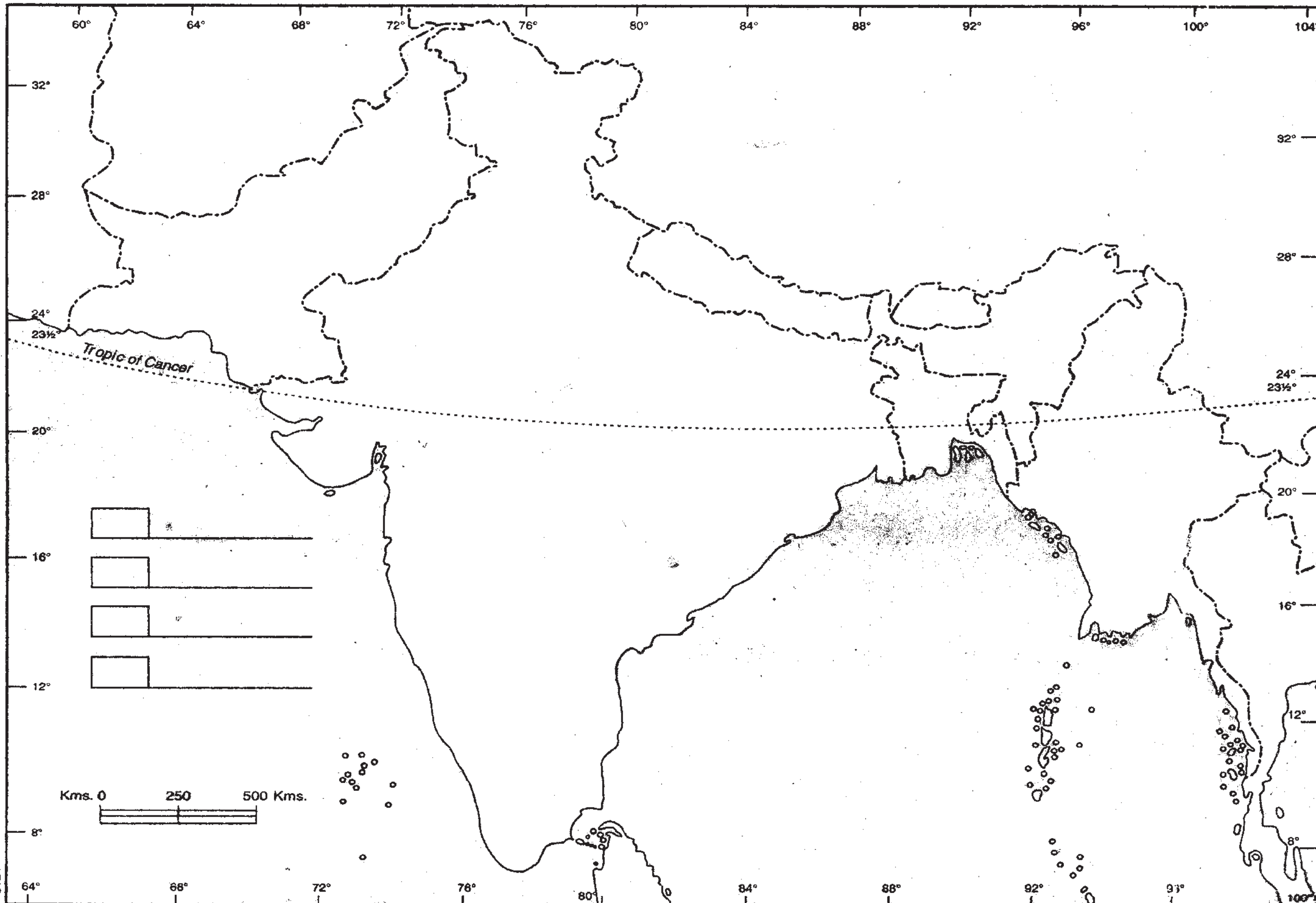

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The Interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class....................... Roll No. .... Teacher Signature...........................

WORLD - PHYSICAL

संसार–प्राकृतिक

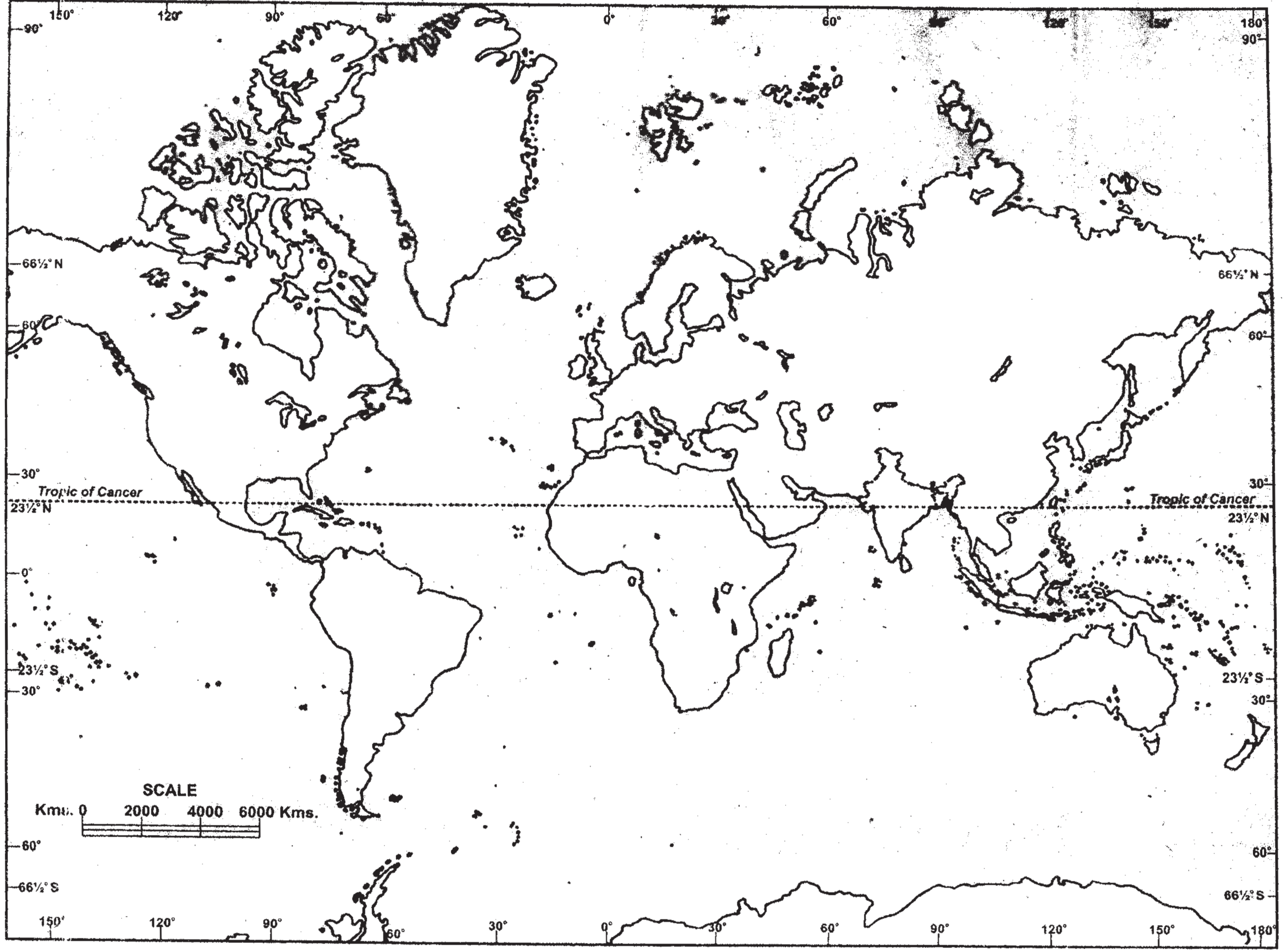

1. Based upon Survey of India with the permission of Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extended into the sea to a distance of twelve nautical measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttranchal, Bihar & Jharkhad. Madhya Pradesh & Chattisgarh have not been verified by the

WORLD - PHYSICAL

संसार–प्राकृतिक

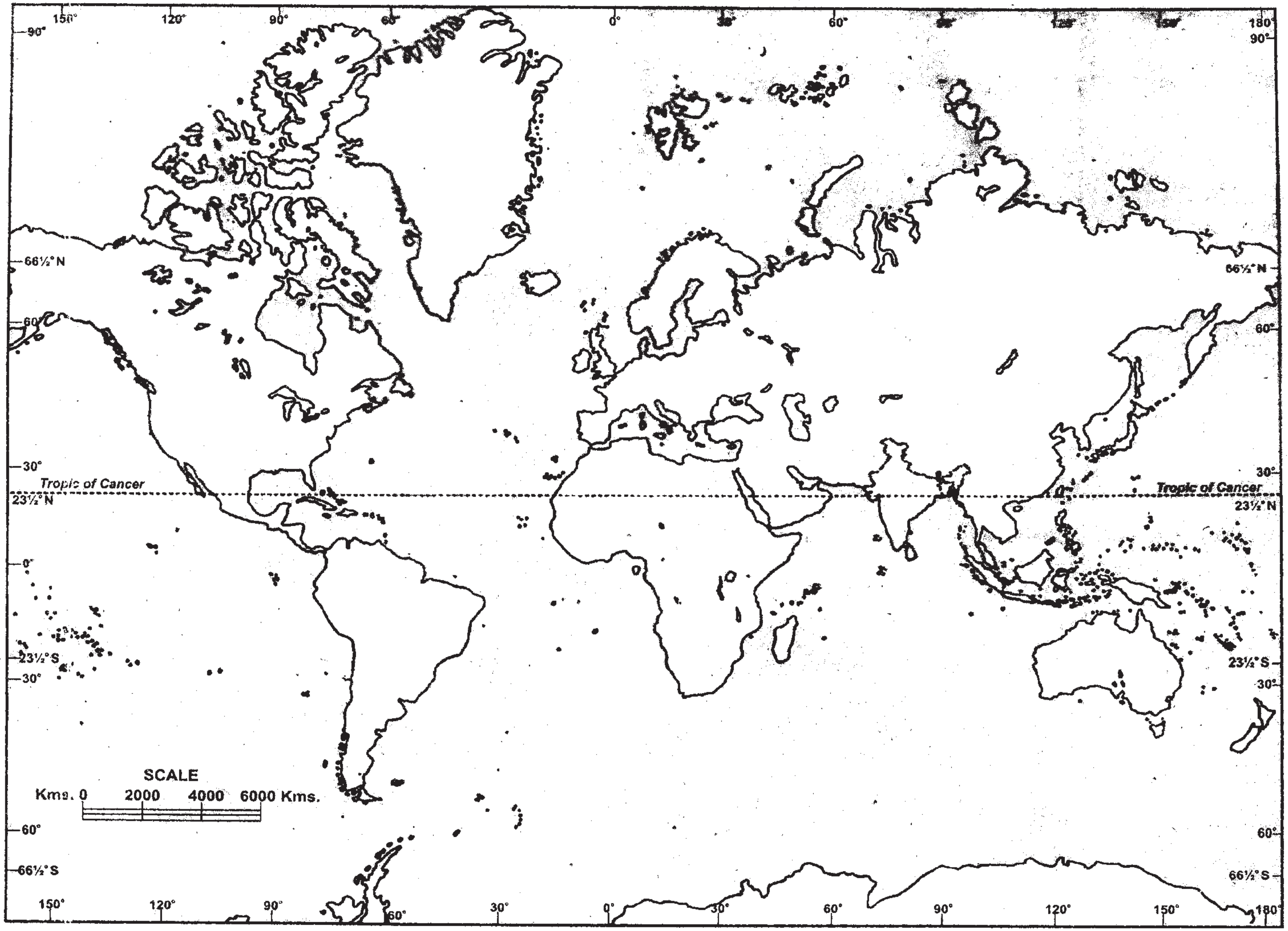

1. Based upon Survey of India with the permission of Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extended into the sea to a distance of twelve nautical measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttranchal, Bihar & Jharkhad, Madhya Pradesh & Chattisgarh have not been verified by the

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

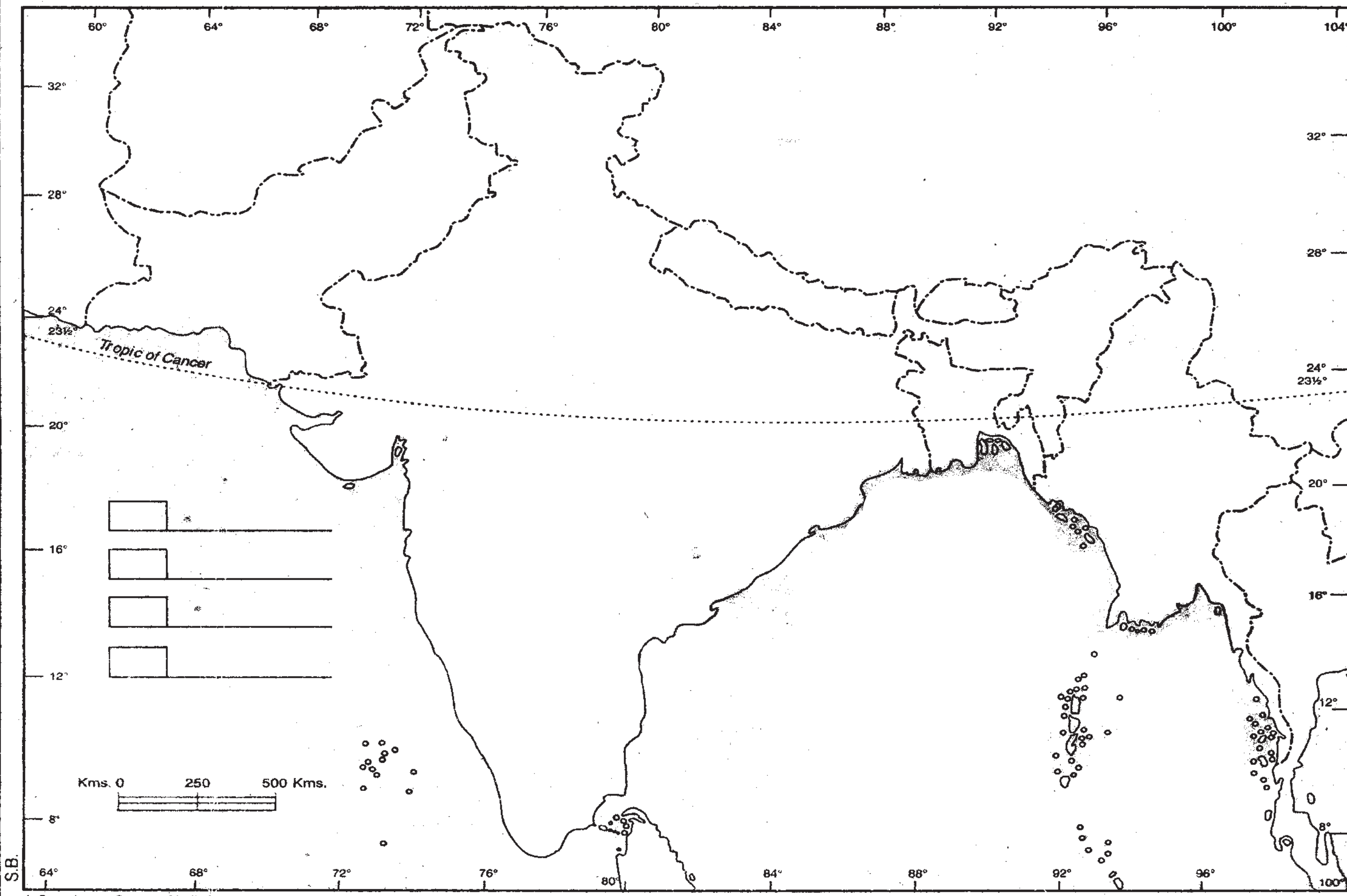

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class....................... Roll No. .... Teacher Signature............................

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES   भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

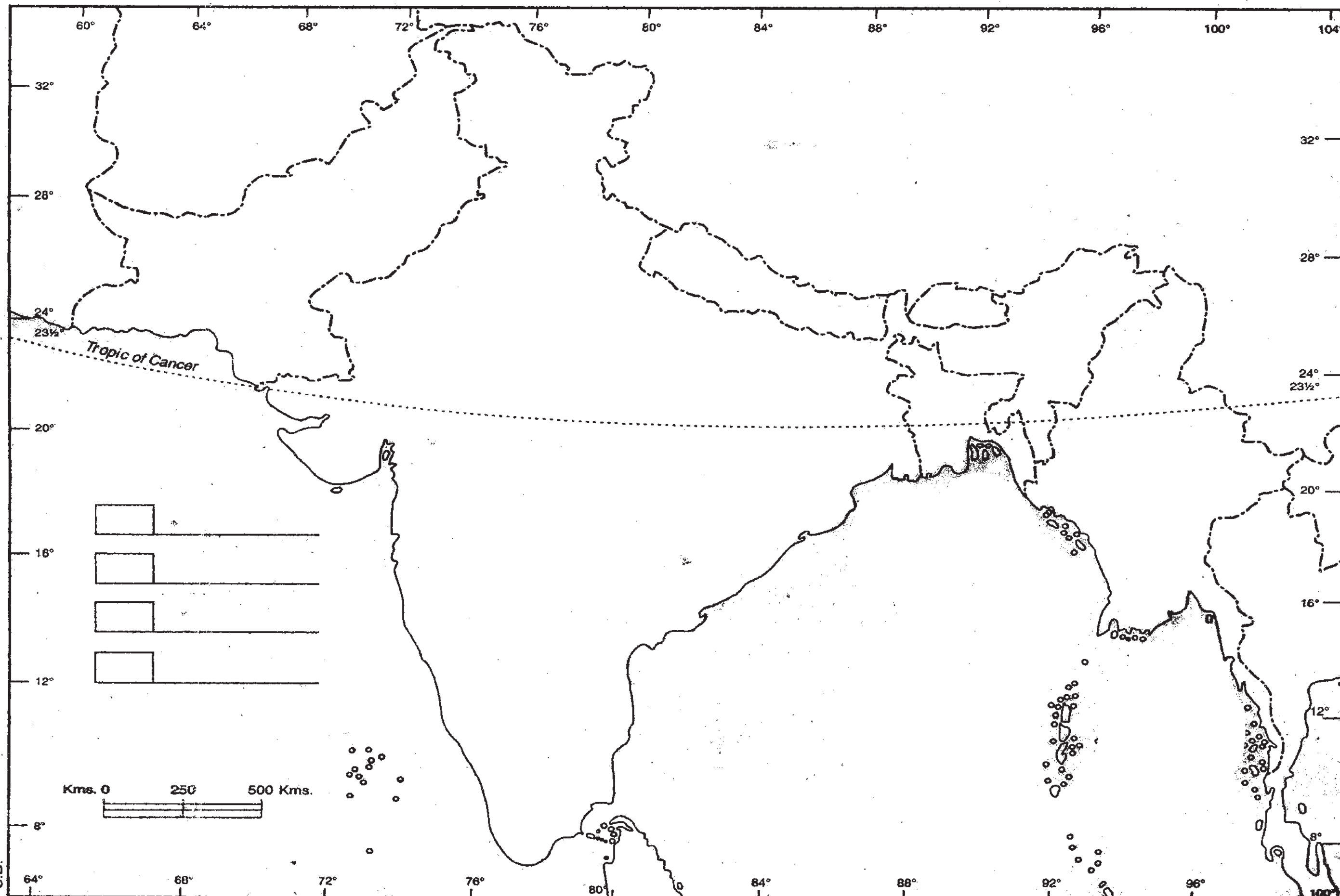

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class...................... Roll No. .... Teacher Signature........... ....

WORLD - PHYSICAL

संसार -प्राकृतिक

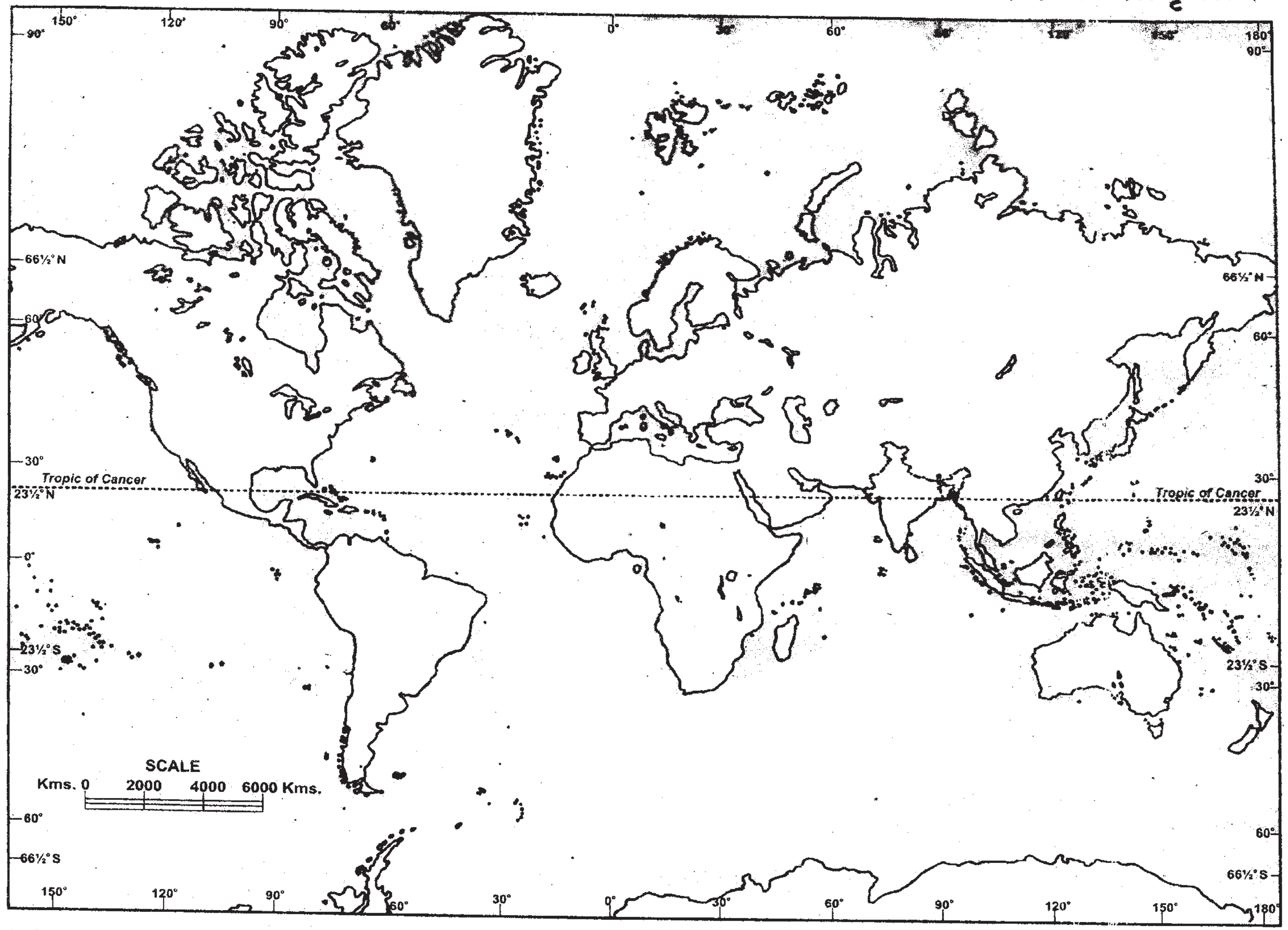

1. Based upon Survey of India with the permission of Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extended into the sea to a distance of twelve nautical measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttranchal, Bihar & Jharkhad, Madhya Pradesh & Chattisgarh have not been verified by the Government concerned.

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

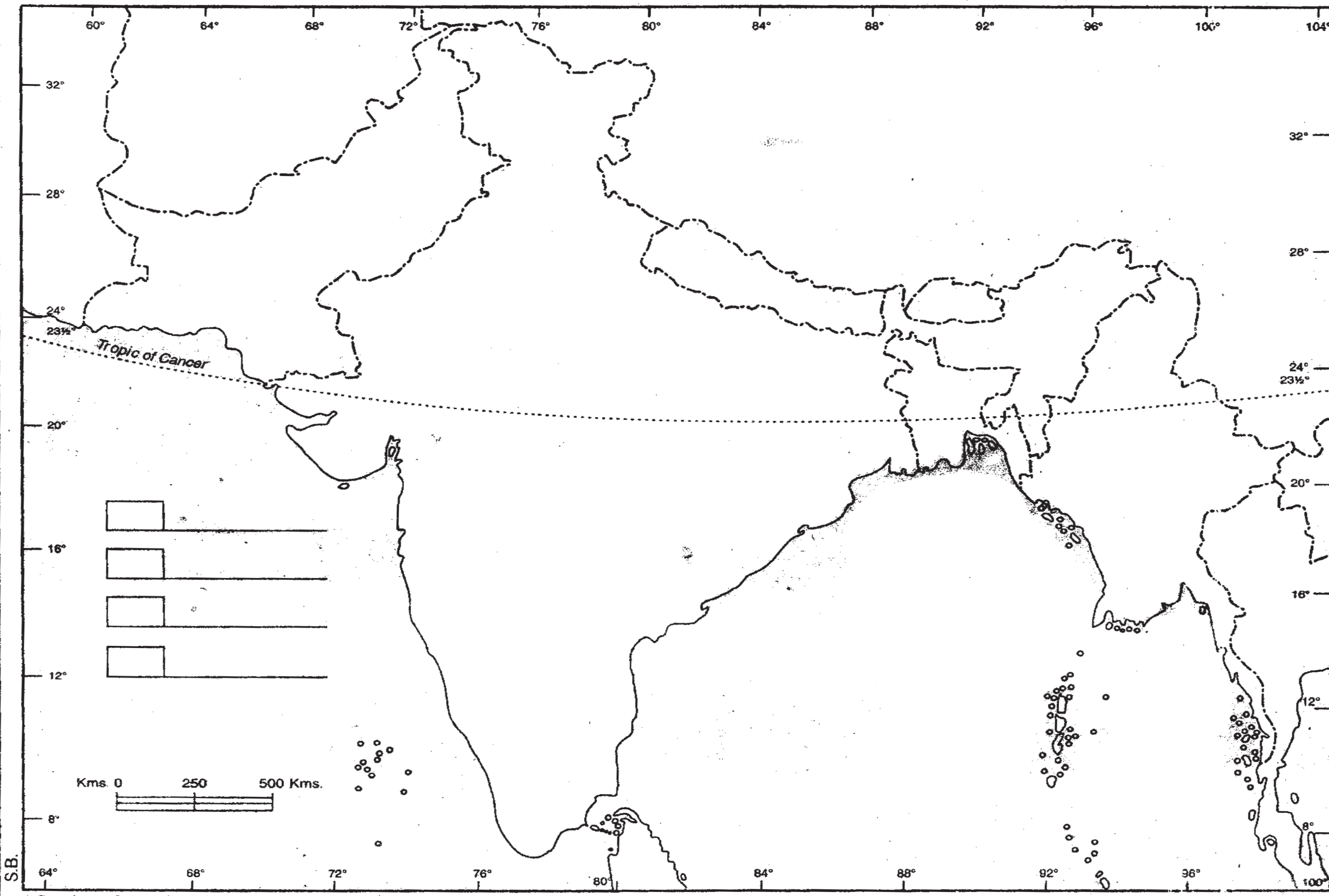

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. Class...................... Roll No. .... Teacher Signature........ ....

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

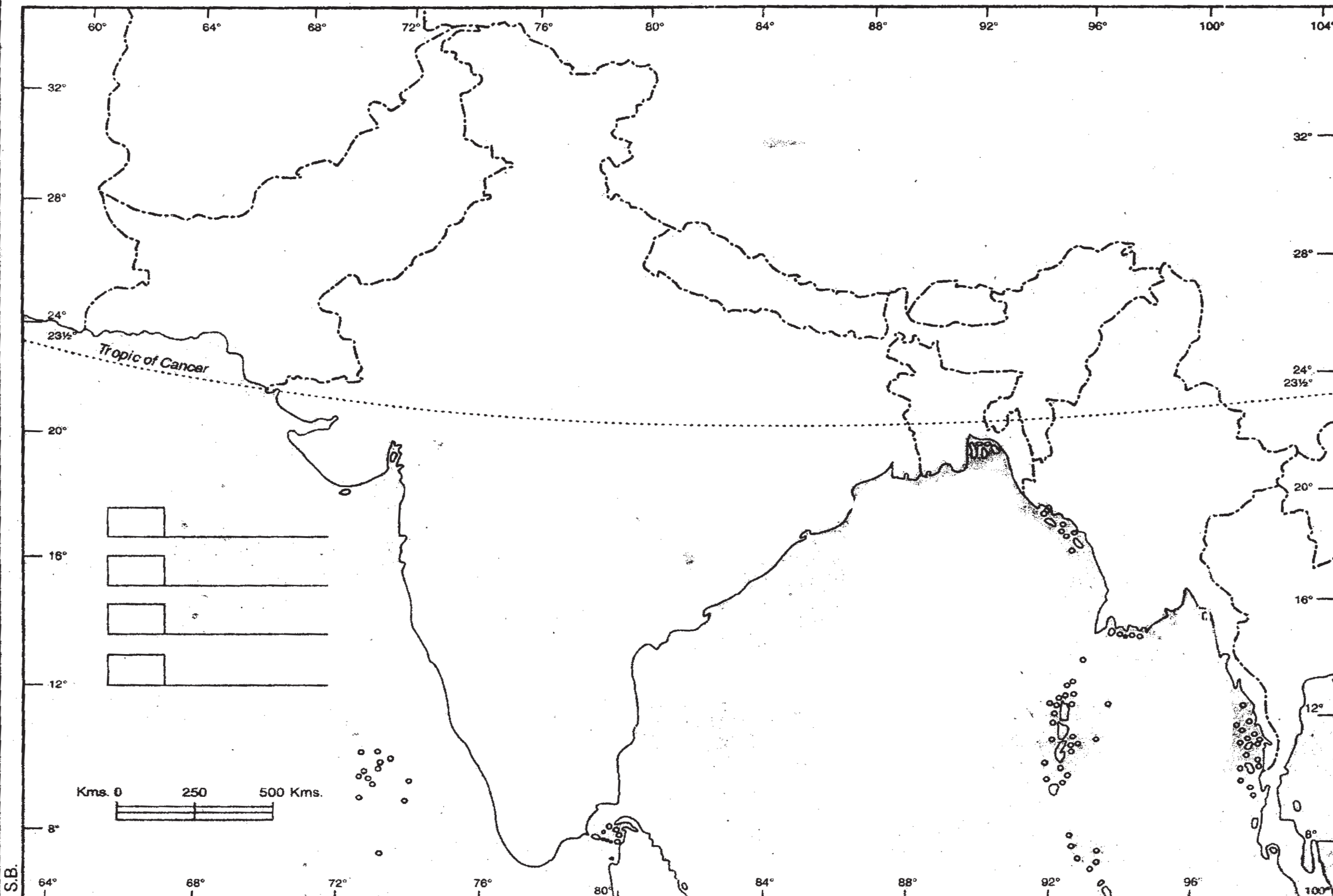

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand , Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011

Name... Class...................... Roll No. .... Teacher Signature............................

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

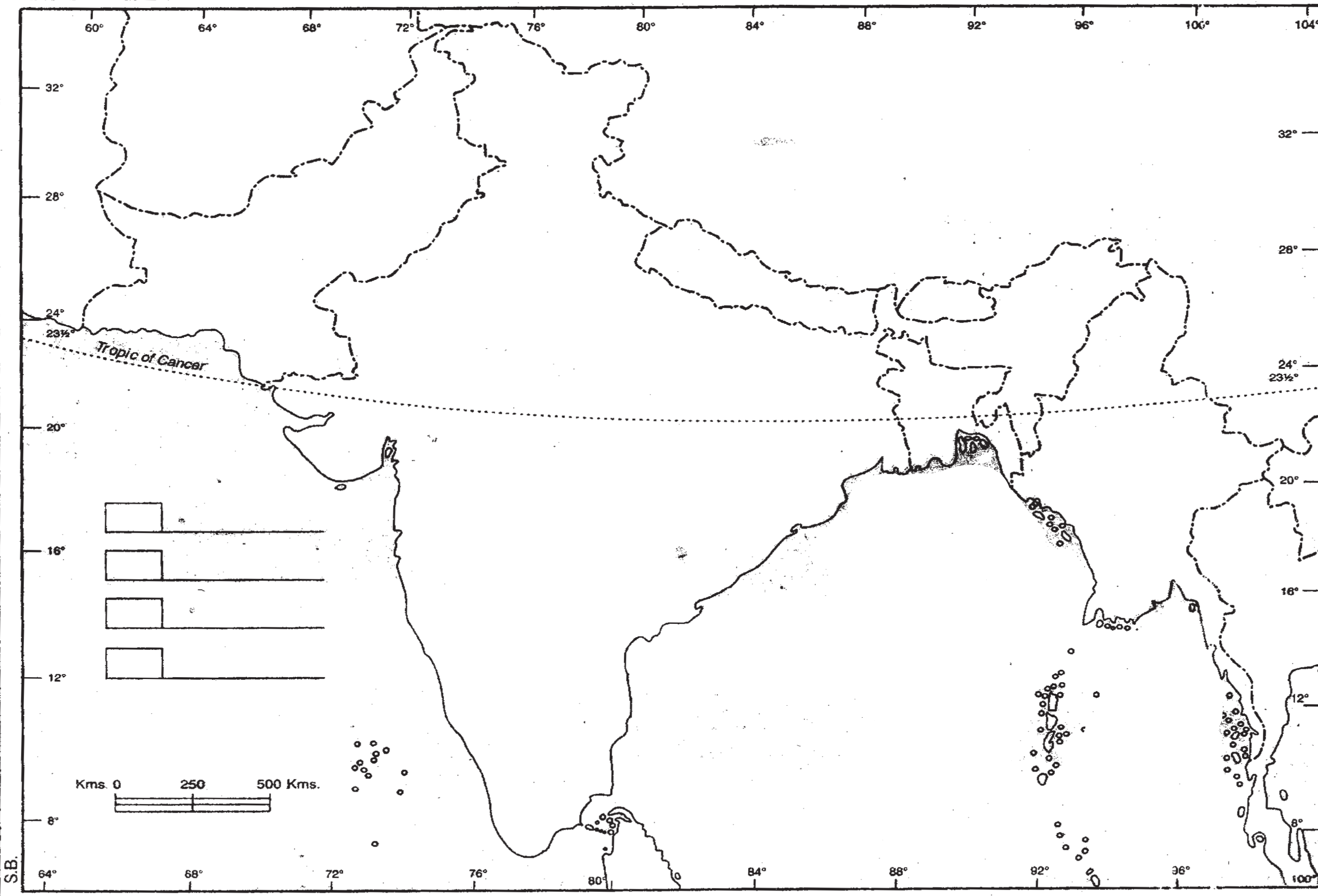

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name.. **Class**...................... **Roll No.** .... **Teacher Signature**......... ....

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

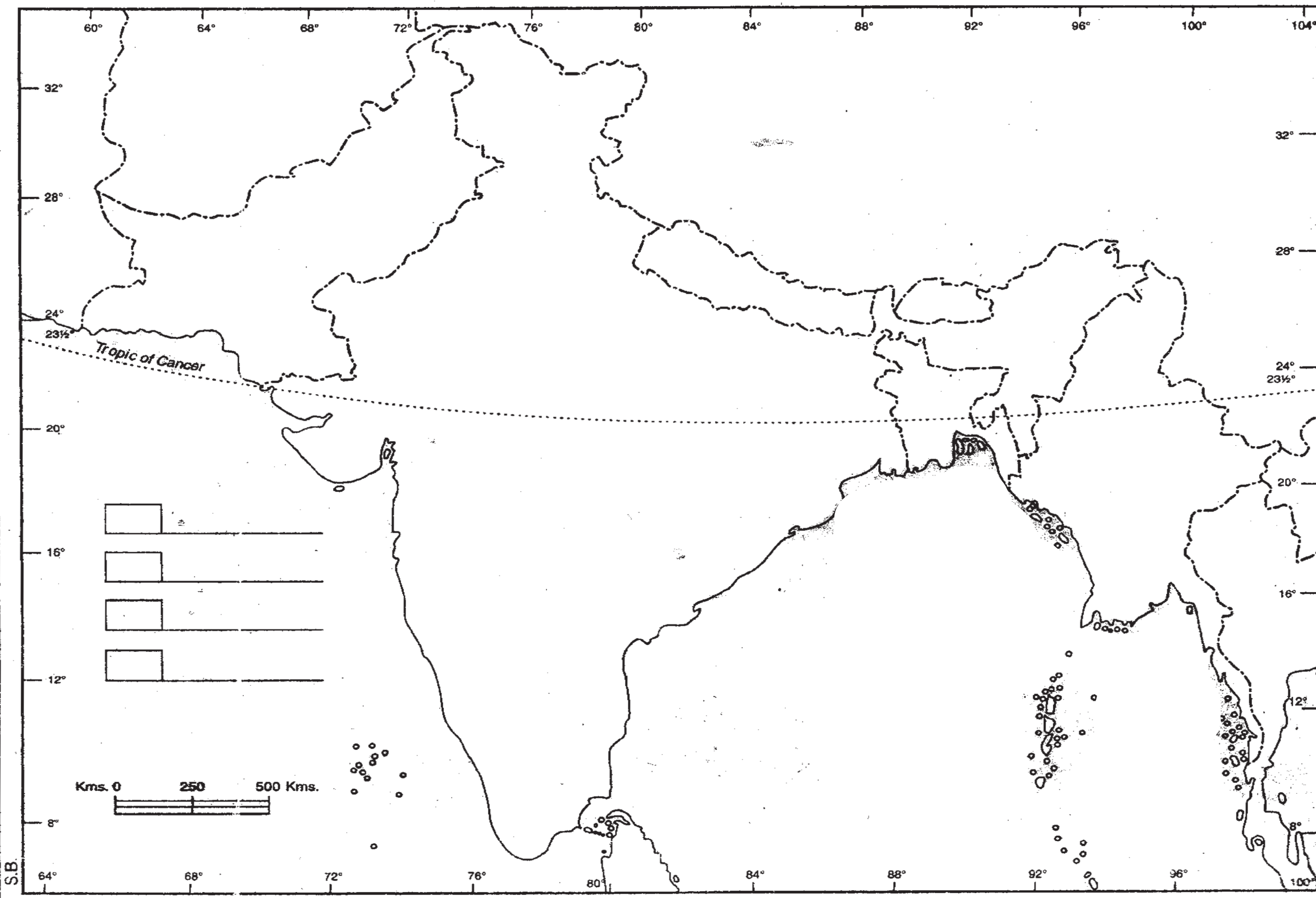

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

© Government of India Copyright, 2011.

Name... Class...................... Roll No. .... Teacher Signature.............................

INDIA PHYSICAL AND ADJACENT COUNTRIES

भारत प्राकृतिक और पड़ोसी देश

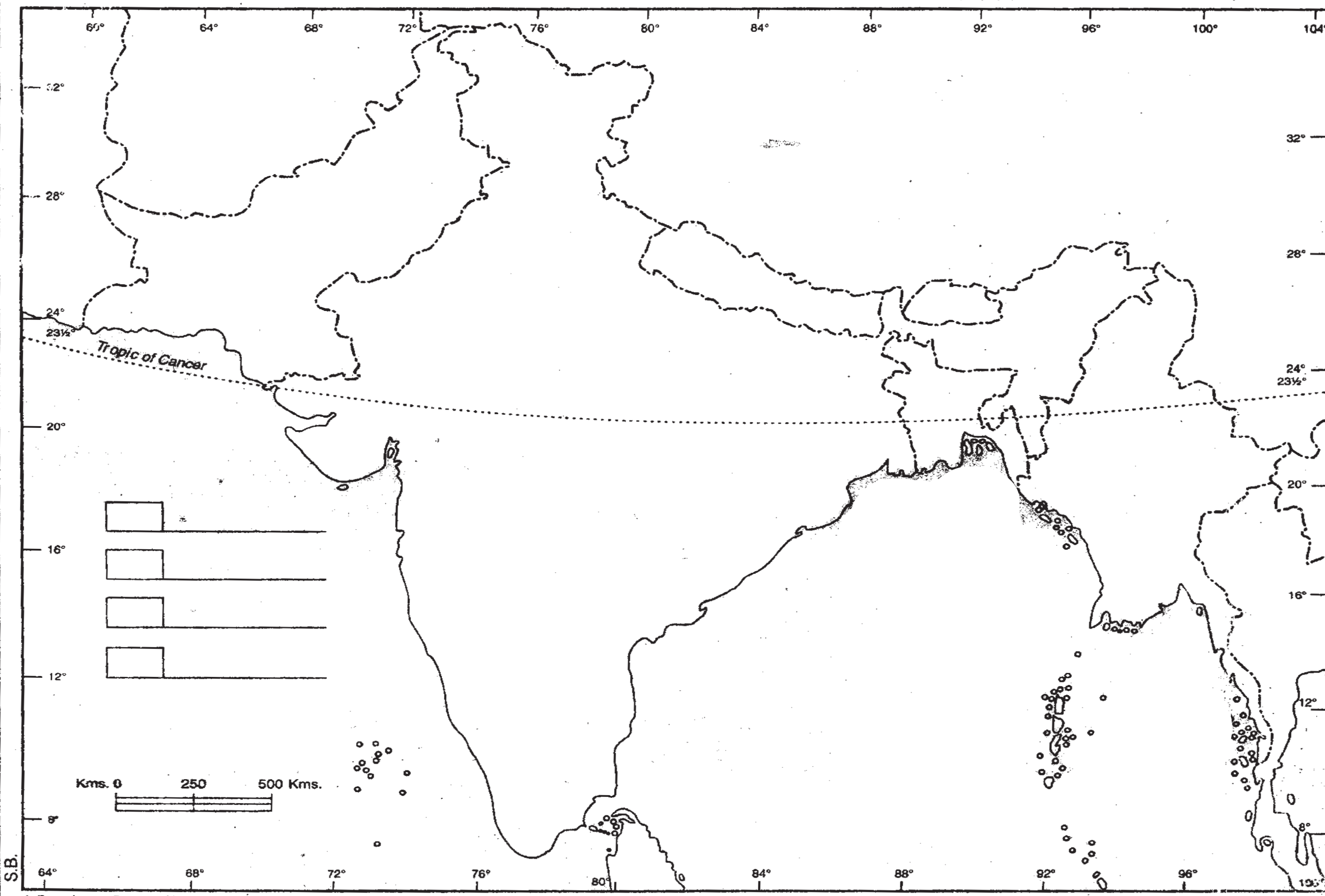

© Government of India Copyright, 2011.

1. Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
2. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate baseline.
3. The interstate boundaries between Uttar Pradesh & Uttarakhand, Bihar & Jharkhand , Madhya Pradesh & Chhattisgarh have not been verified by the Governments concerned.
4. The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
5. The External Boundary and coast-line of India shown on this map agree with the Record / Master copy certified by the Survey of India, Dehra Dun.
6. The administrative Headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (Letter No.T.B. 991/62-A-3/213 Dated 5/5/2003)

Name.. Class........................ Roll No. .... Teacher Signature.............................

अभ्यास के लिए

भारत में यूरेपीय बस्तियाँ

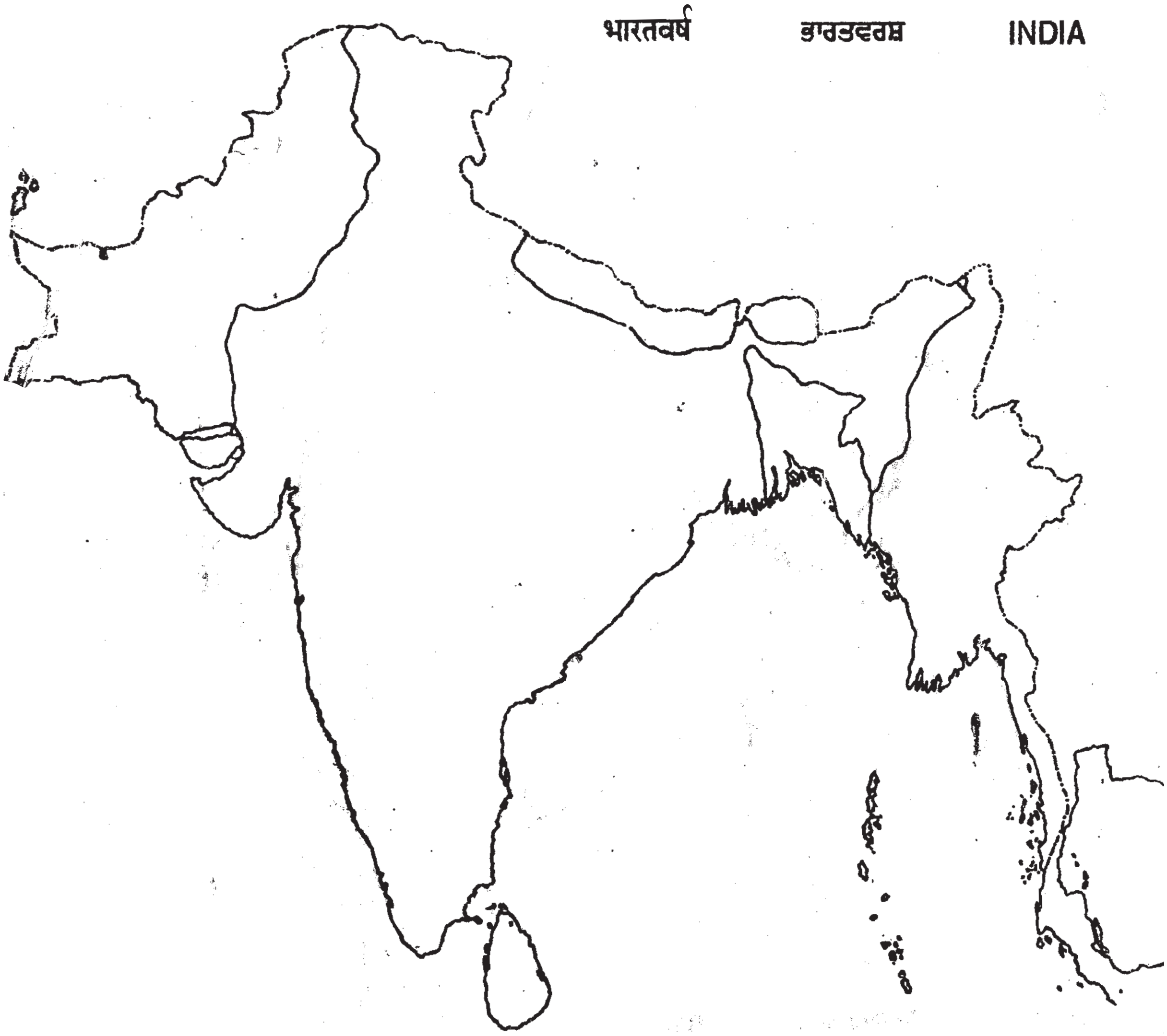

अभ्यास के लिए

1857 ई० का भारतीय विद्रोह

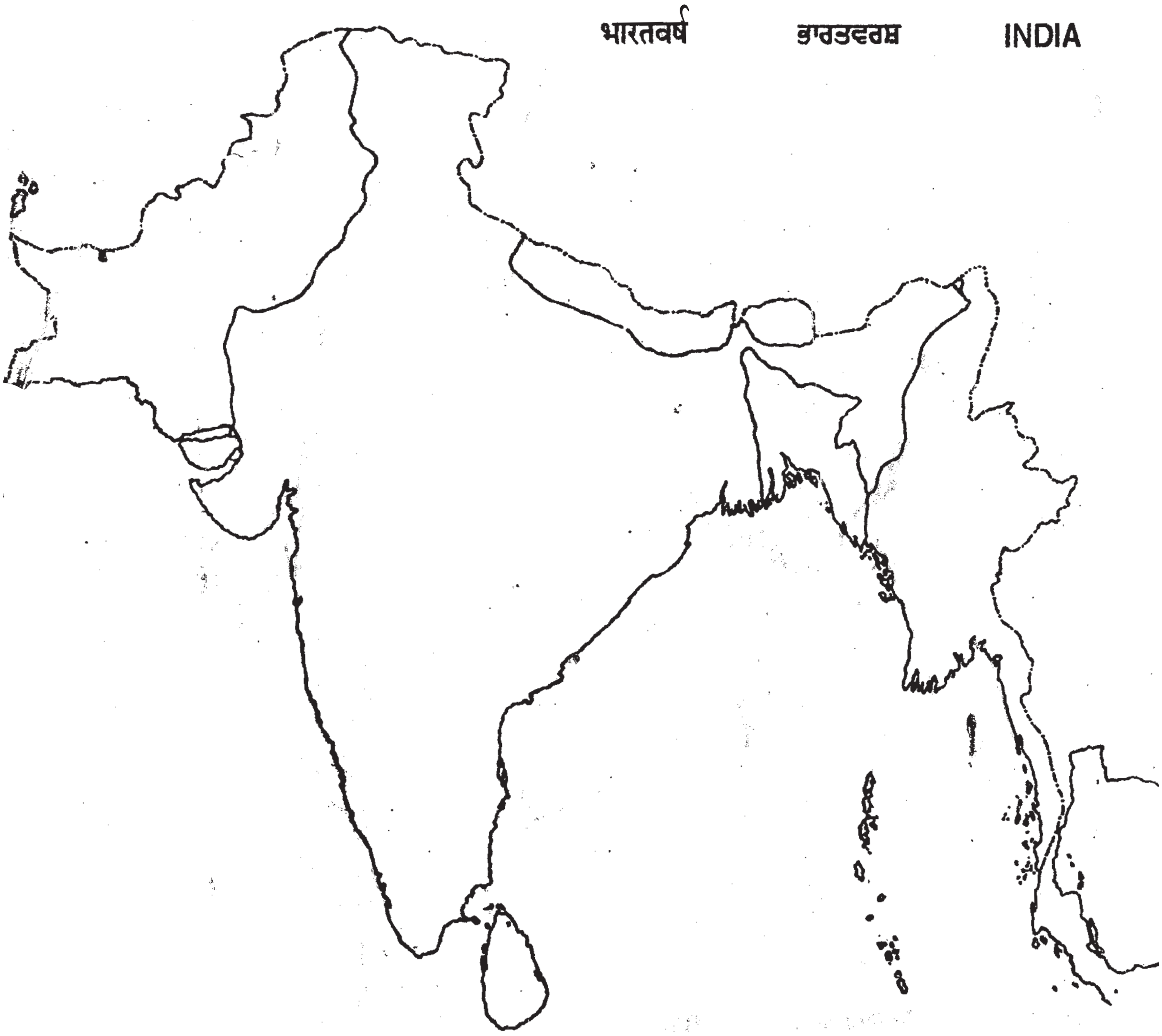

अभ्यास के लिए

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के केन्द्र